इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010-2011

31.03.2011 ाक निदेशक मंडल	BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.3.2011
श्री एम नरेंद्र अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.11.2010 से)	**Shri M Narendra** Chairman and Managing Director (from 01.11.2010)
श्रीम ी नूपुर मित्रा कार्यपालक निदेशक	**Smt Nupur Mitra** Executive Director
श्री ए के बंसल कार्यपालक निदेशक (दिनांक 01.09.2010 से)	**Shri A K Bansal** Executive Director (from 01.09.2010)
डॉ. विनी ा कुमार भार ा सरकार के नामि ी निदेशक	**Dr. Vinita Kumar** GOI Nominee Director
श्री एस वी राघवन भा रि बैंक के नामि ी निदेशक (दिनांक 30.07.2010 से)	**Shri S V Raghavan** RBI Nominee Director (from 30.07.2010)
श्री श्रीधर लाल लखोटिया कर्मकार कर्मचारी निदेशक (दिनांक 09.08.2010 से)	**Shri Sridhar Lal Lakhotia** Workmen Employee Director (from 09.08.2010)
श्री के आनन्द कुमार अधिकारी कर्मचारी निदेशक	**Shri K Ananda Kumar** Officer Employee Director
श्री बी वी अप्पा राव अंश कालिक गैर आधिकारिक	**Shri B V Appa Rao** Part time non-official
श्री सूरज खत्री अंश कालिक गैर आधिकारिक	**Shri Sooraj Khatri** Part time non-official
श्री अशोक कुमार भार्गव शेयरधारक निदेशक	**Shri Ashok Kumar Bhargava** Shareholder Director
डॉ.चिरंजीब सेन शेयरधारक निदेशक	**Dr. Chiranjib Sen** Shareholder Director
श्री ए वेल्लयन शेयरधारक निदेशक	**Shri A Vellayan** Shareholder Director

श्री ए पी सिंह
महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव

Shri A P Singh
General Manager & Board Secretary

लेखा परीक्षकगण

1. वर्मा ऐण्ड वर्मा, कोच्चि
2. पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन ानम,चेन्नै
3. भास्करन ऐण्ड रमेश, चेन्नै
4. एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.,हैदराबाद
5. मि ल गुप् ा ऐण्ड कं., कानपुर
6. एस.आर.मोहन ऐण्ड कं., हैदराबाद

AUDITORS

1.Varma &Varma,Kochi
2.PKF Sridhar & Santhanam,Chennai
3.Bhaskaran & Ramesh,Chennai
4.M Bhaskara Rao & Co.,Hyderabad
5.Mittal Gupta & Co.,Kanpur
6.S R Mohan & Co.,Hyderabad

रजिस्ट्रार एवं शेयर अं रण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउज़ रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044-28460390 (छह लाइनें),
28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल :cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s,Cameo Corporate Services Ltd,
(Unit –IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel : 044 – 28460390 (Six Lines),
28460084 , 28460395
Fax : 044 – 28460129
E mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010-2011

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से From the Chairman's desk	4	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	92
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholder	9	वार्षिक लेखे Annual Accounts	93
परिणाम - एक झलक में Results at a Glance	22	नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	141 143
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	23	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	171
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	35	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	175 176
वर्ष 2010-11 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2010 -11	60	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	175 176
		ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	179 180

(in this Annual Report in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेण्डर Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक के लिए		For the Financial year Ist April 2010 to 31st March 2011	
लेखा बंदी की तारीखें	06. 07.2011 (बुधवार) से 12.07.2011 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल हैं)	Book Closure Dates	06.07.2011 (Wednesday) to 12.07.2011 (Tuesday) (both days inclusive)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	08.06.2011 से 15.06.2011 तक	Posting of Annual Report	08.06.2011 to 15.06.2011
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	08.07.2011 (शुक्रवार) 17.00 बजे	Last date for Receipt of Proxy Forms	08.07.2011 (Friday)17.00 hrs
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	12.07.2011 (मंगलवार) सुबह 10.00 बजे	Date of AGM	12.07.2011 (Tuesday)10:00 AM
लाभांश की घोषणा	12.07.2011(मंगलवार)	Declaration of Dividend	12.07.2011 (Tuesday)
लाभांश अदायगी तिथि को या उपरान्त	22.07.2011को या उसके बाद	Dividend Payment Date	on or after 22.07.2011
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	22.07.2011 को या उसके बाद	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants :	on or after 22.07.2011

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री एम नरेंद्र
Shri M Narendra
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman and Managing Director

श्रीमती नूपुर मित्रा
Smt Nupur Mitra
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

श्री ए के बंसल
Shri A K Bansal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

डॉ.विनीता कुमार
Dr. Vinita Kumar
भारत सरकार के नामिती निदेशक
GOI Nominee Director

श्री एस वी राघवन
Shri S V Raghavan
भा रि बैंक के नामिती निदेशक
RBI Nominee Director

श्री श्रीधर लाल लखोटिया
Shri Sridhar Lal Lakhotia
कर्मकार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director

श्री के आनन्द कुमार
Shri K Ananda Kumar
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director

श्री बी वी अप्पा राव
Shri B V Appa Rao
अंश कालिक गैर आधिकारिक
Part time non-official

श्री सूरज खत्री
Shri Sooraj Khatri
अंश कालिक गैर आधिकारिक
Part time non-official

श्री अशोक कुमार भार्गव
Shri Ashok Kumar Bhargava
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director

डॉ. चिरंजीब सेन
Dr. Chiranjib Sen
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director

श्री ए वेल्लयन
Shri A Vellayan
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पत्र

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एम नरेंद्र
Shri M NARENDRA
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman and Managing Director

प्रिय शेयरधारको,

वर्ष 2010-11 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वि ीय विवरण प्रस् ु ा कर रहा हूँ। मैं वर्ष के दौरान बैंक के कुछ मह वपूर्ण बा ों और निष्पादक सूचकों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान भार ीय अर्थव्यवस्था में हुई 7.9% वृद्धि की ुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 8.2% - 8.5% की वृद्धि हुई है । 01.04.2011 ाक विदेशी विनिमय आरक्षि ियाँ यू एस डी 305 बिलियन रहीं, जो कि ग ा वर्ष उसी अवधि के लिए यूएसडी 11 बिलियन की वृद्धि के मुबाबले यूएसडी 26 बिलियन की बढ़ो ारी है । वि ीय वर्ष 2010-11 में भार ा के निर्या ा में यूएसडी 245.9 बिलियन की यानि 37.6% की वृद्धि हुई जो कि सरकार के यूएसडी 200 बिलियन के मूल लक्ष्य का अधिगमन है। आया ा में भी वृद्धि हुई और यह वृद्धि यूएसडी 351 बिलियन की रही ाथा कारोबार में गिरावट भी यूएसडी 104.8 बिलियन की मैनेजबल सीमा में रही। इससे उच्च ार बाहरी माँग परिलक्षि ा हो ी है और समवे ा रूप से आर्थिक परिष्कृ ि , जो कि 2009-10 के द्वि ीय ि माही से शुरू हुई थी , ने ग ि प्राप् ा की। वर्ष 2010-11 के दौरान वैश्विक ग ि ाविधियों के अनुसार अनियमि ा सुधारों के साथ ईक्विटी का बाजार सामान्य ा: अडिग रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान ईक्विटी बाजार वैश्विक अभियान के चल ो आन ारायिक सुधारों के साथ स्थिर रहा । बी एस ई सेंसेक्स 1.04.2010 के 17527.77 की ुलना में 31.03.201 को 19445.22 रहा है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की निम्नलिखि ा विशिष्ट ााएँ रही हैं :

- 31 मार्च 2011 ाक आपके बैंक का वैश्विक कारोबार रु.2,59,020 करोड़ ाक पहुँच गया जो कि रु.2,50,000 करोड़ के लक्ष्य का अधिगमन है और जो बैंक के इ ि ाहास में एक मील का

Dear Shareholders,

I present your Bank's Annual Report and Financial Statements for the year 2010-11. I would like to briefly highlight some key issues and performance indicators of the Bank during the year.

The Indian economy is estimated to have recorded a growth in the range of 8.2%-8.5% during the year 2011-12 as against 7.9% recorded during 2010 -11. As on 01.04.2011, Foreign Exchange Reserves stood at USD 305 billion showing an increase of USD 26 billion as against increase of USD 11 billion during the corresponding period a year ago. India's exports grew 37.6% in the fiscal year 2010-11 at USD 245.9 billion surpassed the Government's original target of USD 200 billion. Imports also grew and stood at USD 351 billion and trade deficit was within manageable limit of USD 104.8 billion. It reflects higher external demand and on the whole, economic recovery which began in the second quarter of 2009-10 has gained momentum. During 2010-11, equity markets generally remained firm with intermittent corrections in line with the global movement. The BSE Sensex improved from 17527.77 on 01.04.2010 to 19445.22 on 31.03.2011.

The performance of the Bank during the year under review:

- Your Bank's global business reached Rs 2,59,020 crore as at 31st March 2011, **crossing the Rs.2,50,000 crore mark**, a major

प थर है । परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के आँकडें यानि रु.1,91,577 करोड़ की ुलना में इस वर्ष रु.67,443 करोड़ (35.20%) की वृद्धि हुई ।

- वर्ष 2010 - 2011 के दौरान बैंक की **जमाओं** ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.34,434 करोड़ (31.08 %) की वृद्धि को दर्ज किया है। वर्ष 2009-10 के रु.1,10,795 करोड़ की जमाओं की ुलना में बढकर यह रु.1,45,229 करोड़ रही ।
- वर्ष 2010 - 2011 के दौरान **सकल अग्रिमों** ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.33,009 करोड़ की (40.86%) वृद्धि दर्ज किया है और यह रु.1,13,791 करोड़ रही। वर्ष 2009-10 के दौरान यह रु.80,782 करोड़ था।
- **परिचालनग ा लाभ** में वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.1016 करोड़ (55.08%) की वृद्धि दर्ज की और 31.03.2010 के रु. 1,845 करोड़ की ुलना में 31.03.2011 को यह रु.2,861 करोड़ रहा।
- **निवल लाभ** ग ा वर्ष के रु.707 करोड़ की ुलना में 51.71% वृद्धि दर्ज करके वर्षां ा क रु.1,073 करोड़ रहा ।
- वर्ष 2009-10 के रु.37,651 करोड़ की ुलना में बैंक का **निवल निवेश** रु.48,610 करोड़ ाक बढ.गया।
- भार ीय रिज़र्व बैंक के 40% मानंदडों के प्रि समायोजि ा निवल बैंक उधार की ुलना में **प्राथमिक ाा क्षेत्र अग्रिमों** का प्र ािश ा 44.47 % रहा।
- समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के **कृषि उधार** पोर्टफोलियो ने रु.3,459 (27.46%) करोड़ की वृद्धि दर्ज की है जिससे यह रु. 12,597 करोड़ से बढ़ कर रु.16,056 करोड़ हो गया। समायोजि ा निवल बैंक उधार की ुलना में बैंक के कृषि अग्रिम का प्र ािश ा 21.87% रहा जो कि निर्धारि ा 18% मानदंड का अधिगमन है। बैंक ने इस क्षेत्र में उधार प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई पहल किए ।
- 31 मार्च 2011 ाक **एसएमई क्षेत्र** में बैंक का कुल उधार रु.14,622 करोड़ रहा। बैंक ने ऑटो रिक्शा,व्यावसायिक ापिहिया वाहन, ट्रक और व्यावसायिक परिवहन वाहन के वि ापोषण के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझौ ाा ज्ञापन का निष्पादन किया है।
- रिपोर्टिंग अवधि के अं ा ाक **उधार जमा अनुपा ा** ने 78.35% के स् ार को हासिल कर लिया।
- 31.03.2010 की ुलना में 11.97% के प्रि 31.03.2011 ाक के लिए औस ा निवल मूल्य बैंक का निवल लाभ 16.20% रहा।
- पिछले वर्ष के रु. 3,168 करोड़ की ुलना में इस अवधि के दौरान कुल **निवल ब्याज आय** बढ़कर रु. 4,208 करोड़ ाक पहुँच गयी, जो कि 32.83% की वृद्धि है।

milestone in the history of the Bank, resulting in an increase of Rs. 67,443 crore (35.20%) over last year's figure i.e. Rs. 1,91,577 crore.

- **Deposits** of the Bank registered a year-on-year (y-o-y) growth of Rs. 34,434 crore (31.08%) during the year 2010-11 and increased from Rs. 1,10,795 crore for the year 2009-10 to Rs.1,45,229 crore.
- **Gross Advances** registered a y-o-y growth of Rs.33,009 crore (40.86 %) and stood at Rs.1,13,791 crore for the year 2010-11, as against Rs. 80,782 crore for the year 2009 -10.
- **Operating Profit** registered a y-o-y growth of Rs.1,016 crore (55.08%) and stood at Rs. 2,861 crore as on 31.03.2011, as against Rs.1,845 crore as on 31.03.2010.
- **Net Profit** for the Bank is Rs.1,073 crore at the end of the year as against Rs. 707 crore for the previous year, registered a growth of 51.71%.
- **Net investments** of the Bank increased to Rs. 48,610 crore from Rs. 37,651 crore in 2009-10.
- The percentage of **priority sector advances** to Adjusted Net Bank Credit was at 44.47% as against RBI norms of 40%.
- **The agricultural credit** portfolio of the Bank registered a growth of Rs. 3,459 crore (27.46%) from Rs.12,597 crore to Rs.16,056 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit at 21.87 % exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector.
- The total exposure of the Bank as on March 31, 2011 to **SME sector** stood at Rs.14,622 crore. The Bank has executed MOUs with the private sector for financing of auto rickshaws, commercial three wheelers, trucks and commercial transport vehicles.
- **The CD Ratio** registered a level of 78.35 % at the end of the reporting period.
- The Bank's Net Profit as a percentage of Average Net worth as of 31.03.2011 stood at 16.20%, as against 11.97% as on 31.03.2010.
- Total **Net Interest Income** improved to Rs.4,208 crore when compared to Rs.3,168 crore last year, registered growth of 32.83%.

- पिछले वि ीय वर्ष की ुलना में 2.74% के प्रि 2010-11 वर्ष के लिए **निवल ब्याज** मार्जिन 3.11% रहा।
- **बैंक की कुल आय** ग । वर्ष के रु. 11,389 करोड़ की ुलना में इस वर्ष के अं । में 17.01% वृद्धि के साथ रु.13,327 करोड़ रही।
- बैंक की **अन्य आय** ग । वर्ष 31.03.2010 के रु. 1,143 करोड़ की ुलना में इस वर्ष के अं । में वृद्धि होकर रु.1225 करोड़ रही।
- **प्रि । कर्मचारी** व्यापार जहाँ रु. 7.12 करोड़ से बढ़कर रु.10.05 करोड़ हो गया, वहीं प्रि । कर्मचारी लाभ ग । वर्ष के रु. 2.63 लाख की ुलना में रु.4.16 लाख रहा।
- मार्च 2010 ।क की **सकल अनर्जक आसि ।** रु.3,611 के प्रि मार्च 2011 ।क रु.3,090 करोड़ रही। प्रि शि । के संदर्भ में 31.03.2010 के 4.47% के प्रि 31.03.2011 ।क सकल अनर्जक आसि । अनुपा । 2.72% रहा।
- मार्च 2010 ।क की **निवल अनर्जक आसि ।** रु.1995 करोड़ के प्रि मार्च 2011 ।क रु.1328 करोड़ रही। प्रि शि । के संदर्भ में 31.03.2010 के 2.52% के प्रि 31.03.2011 ।क सकल अनर्जक आसि । अनुपा । 1.19% रहा।
- **वर्ष 2010-11 के लिए निदेशक मंडल ने 50% लाभांश की सिफारिश की है जो बैंक के इ ।िहास में अ यधिक है।**

बैंक ने रु. 2860.63 करोड का वैश्विक परिचालनग । लाभ दर्ज किया जो कि बहु । प्रभावी है । कारोबार की मात्रा में विस ।ार, निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि और आसि । की गुणव ।। में सुधार के कारण परिचालनग । लाभ रु.55.08% रहा जो कि अ यधिक है। पिछले वर्ष का 4.47% सकल एनपीए स ।र गिरकर 2.72% हो गया।

भार ।ीय रिज़र्व बैंक के अधिदेश के अनुसार आपके बैंक में अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान 53.97% से बढ़ाकर 70.45% कर दिया गया है अं ।र्राष्ट्रीय स ।र के बैंक होने के ना ।े भार ।ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2008 से संशोधि । नयी पूँजीग । पर्याप्ि । प्रणाली -(बेसल ।।) को हम अपना चुके है। बेसल ।। ढाँचे के अनुसार 31.03.2011 ।क के लिए सीआरएआर 14.55% है जो कि भार ।ीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि । 9% की अपेक्षा से अधिक है।

सह बैंकिंग क्षेत्र में बैंक का मुख्य ध्यान हमारे बीमा उ पादों , स्वर्ण सिक्कों की बिक्री और सूचना प्रौद्योगिकी युक । उ पादों के विपणन पर केन्द्रि । रहा और हमारी शुल्क आधारि । आय में सुधार करने के लिए शाखाओं में नियमि ।

- **Net Interest Margin** stood at 3.11% for the financial year 2010 -11, as against 2.74% for the previous financial year.
- **The Bank's total income** stood at Rs.13,327 crore as against Rs.11,389 crore for the previous year, registering a growth of 17.01%.
- The **other income** which was Rs.1,143 crore as on 31.03.2010 has gone up to Rs. 1,225 crore as on 31.03.2011.
- While the **business per employee** has improved from Rs. 7.12 crore to Rs.10.05 crore, the profit per employee also improved from Rs. 2.63 Lac to Rs.4.16 Lac.
- **Gross NPA** stood at Rs. 3,090 crore in March 2011, as against Rs. 3611 crore in March 2010. In percentage terms, the Gross NPA ratio was 2.72% as at 31.03.2011 as against 4.47% as at 31.03.2010.
- **Net NPA** stood at Rs.1,328 crore in March 2011, as against Rs.1,995 crore in March 2010. In percentage terms, the Net NPA ratio was 1.19% for the year under review as against 2.52 % as at 31.03.2010.
- **A dividend of 50% has been recommended by the Board of Directors for the year 2010-11, highest in the history of your Bank.**

The Bank posted an impressive global Operating Profit of Rs. 2860.63 crore, the growth in operating profit at 55.08% was appreciably high due to expansion in volume of business, improvement in Net Interest Margin and improvement in asset quality, as our Gross NPA Level fell down to 2.72% as against 4.47% in the previous financial year.

Your Bank has increased its provisioning for bad debts to 70.45% from 53.97% as mandated by Reserve Bank of India. As a Bank with international presence, we have already moved to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31st March 2008 in line with RBI guidelines. CRAR as per BASEL-II framework as on 31.3.2011 works out to 14.55% which is above the requirement of 9% prescribed by RBI.

In the area of Para-banking, focus was directed on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products, periodic campaigns were conducted at our branches to improve our fee based income. The Bank continues with its

रूप से अभियान चलाए गए । गैर जीवन बीमा उ पादों के वि ारण हे ु 20.12.2008 से आपके बैंक ने यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्यूरेंस कंपनी (इलाहाबाद बैंक, कर्नाटक बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और सोंपो जापान इंश्योरेंस इंक. सहि ा गैर जीवन बीमा संयुक्त ा उद्यम कंपनी) के साथ कार्पोरेट अभिकरण व्यवस्था निय ा की है ।

जहाँ ाक विदेशी परिचालनों का मामला है, वहां ाो बैंक की विदेश में छ: पूर्णरूपेण शाखाएँ हैं - दो हाँगकाँग में और एक -एक सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड में स्थि ा हैं। बूनले और सेरंगून, सिंगापूर में प्रेषण केंद्र कार्यर ा हैं और श्रीलंका में एक उप शाखा भी कार्यर ा है।

इसके अलावा गुआंगझाऊ, चीन व कुआलालंपूर, मलेशिया ाथा हो चि मिंह सिटी, विय ानाम और अल करामा, दुबई में बैंक के प्र ािनिधि कार्यालय मौजूद हैं।

मलेशिया में बैंक खोलने के वास्ो बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा और आंध्र बैंक के साथ एक संयुक्त ा उद्यम पर हस् ाक्षर किये हैं । बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16 04 2010 को संयुक्त ा उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त ा उद्यम को 13 08 2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद नाम से मलेशिया में स्थापि ा किया गया जिसकी कुल पूँजी है एमवाइआर 300 मियो। इसमें हमारे बैंक का हिस्सा है 35% यानि (एमवाइआर 105 मियो)। संयुक्त ा उद्यम के शुरूआ ाी खर्चों के प्र ि हमारे बैंक ने एमवाइआर 10 प्र ि शेयर के हिसाब से 14035 शेयरों को अब ाक सबस्क्राइब किया है जिसका कुल समेकन एमवाइआर 140350 है ।

बेह ार औद्योगिक संबंध का संवर्द्धन हमारे बैंक का मुख्य लक्ष्य है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्व स् ार पर आर्थिक रूप से विकसि ा देशों में आर्थिक परिष्कार में ग ि प्रा ा की । इस पार्श्व में उभर ाी बाजार अर्थव्यवस्थाओं (जिसमें भार ा भी एक है) ने अपने अपने जीडीपी स् ारों में सुधार के मह वपूर्ण संके ा दिये हालांकि वे मुद्रा स्फी ि का दबाव झेल रही थी । घरेलू स् ार पर कृषि और गैर कृषि के पुनरु थान से बल मिलने के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान जीडीपी का जो विकास ट्रेंड रहा वह अब भी उसके काफी करीब रहेगा। समेकि ा माँग स्थिर रही और निजी उपभोग व निवेश प्रमुख चालक रहे हैं और वे 2010-11 में विकास को समर्थन प्रदान कर ो रहे हैं । फिर भी सावधानी के ाौर पर यह ध्यान रखना है कि मध्यपूर्व और उ ार आफ्रिका में हो रही उथल-पुथल का प्रभाव मह वपूर्ण रहेगा जबकि जापान की प्राकृ ािक आपदा का प्रभाव कम ही रहेगा। भार ा में प्रभावि ा आर्थिक व्यवस्थाओं का शेर कुछ बहु ा ज्यादा नहीं है।

Corporate Agency arrangement entered into, with effect from 20.12.2008, with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company of your Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sompo Japan Insurance Inc.) for distribution of non-life insurance products.

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centers function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai).

The Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. Bank Negara, the Central Bank of Malaysia has issued the license on 16.04.2010. The Joint venture subsidiary has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name “India International Bank (Malaysia) Ltd.” Out of the total capital of the joint venture MYR 300 Mio, our Bank's share is 35% (MYR 105 Mio). Bank has so far subscribed to 14035 shares of MYR 10 each amounting to MYR 140350 towards preliminary expenses of the join venture.

Promotion of good industrial relations continues to be an objective of our Bank.

During the year under review, globally, recovery in the advanced economies has also gained momentum. In this background Emerging Market Economies (EMEs) (of which India is one), although facing inflationary pressures, has shown significant signs of improvement in their GDP growth levels. In the domestic front, GDP Growth during 2010-11 is likely to sustain close to the trend, aided by a rebound in agricultural and Non-agricultural growth. Aggregate demand remained robust, private consumption and investments were the key drivers and the same were supportive of growth in 2010-11. However on a note of caution, the impact of Middle East and North Africa (MENA) unrest can be significant, while that of Japan's natural disaster will be marginal. The affected economies' share in India's trade is not large.

साथ ही जापान से निवेशों के प्रवाह पर कुछ हद ाक मार्गस्थ प्रभाव पड़ सक ाा है। भार ा में बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की प्रवृ ाि ने विकास दर्शाया है और यह 22.2% की दर से बढी है जो कि भार ाीय रिज़र्व बैंक के 20% के प्रक्षेपण का अधिगमन है। दूसरी ओर जमाओं का विकास 17.2% की दर से बढा है जो फिर भी भार ाीय रिज़र्व बैंक के 18% के अनुमान से कम है।

जहाँ ाक भविष्य की बा ा है ाो आपके बैंक को कई आकर्षक कारोबार अवसर मिलने वाले हैं। व र्ामान वि ाीय वर्ष में जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना है वे हैं कासा अनुपा ा और एनपीए की वसूली में वृद्धि । हमारी अं ार्निहि ा शकि ा है हमारी क्षम ाा, हमारी शाखाओं का व्यापक नेटवर्क और हमारा दीर्घ अवधि विज़न। इससे हमें अवसरों का लाभ उठायें और उद्योग में चुनौ ाियों का सामना करने में मदद मिल सकेगी ााकि हम बाजार में अपनी स्थि ाि को सुदृढ कर सकें और अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं कर्मचारियों के लिए मूल्यों और लाभों को सृजि ा करने के प्र ाि अपनी प्र ािबद्ध ाा को पूरा कर सकें।

जैसा कि आपका बैंक सदैव अपने शेयरधारकों के विश्वास और सहयोग को बनाए रख ाा है, इस अवसर पर बैंक के दर्शन के प्र ाि अपनी प्र ािबद्ध ाा के लिए शेयर धारकों के प्र ाि शुक्रगुज़ार हैं।

आपका,

एम. नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Further, there may be some transitory impact on investment flows from Japan. The Bank lending in India has shown an upward trend and grew by 22.2 %, exceeds Reserve Bank of India's projection of 20% on the other hand deposits has grown by 17.2 %, fell short of RBI's forecast of 18%.

Looking forward, your Bank faces exciting business opportunities in future. Major thrust areas for the current financial year are to improve CASA ratio and recovery of NPAs. Our inherent strengths are our potential, our wide network of branches and our long term vision. These will enable us to capitalize on the opportunities and face the challenges in the Industry so as to consolidate our market position and deliver our commitment to generate value and returns for our customers, shareholders and employees.

As always, your Bank relies on the continuing trust and support of our shareholders and we take this opportunity to thank the shareholders for their commitment to the Bank's vision over the years.

Yours sincerely,

M NARENDRA
Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

ए ाद्द्वारा सूचना दी जा ी है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 12 जुलाई, 2011 को पूर्वाहन 10.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखि ा कार्यों हे ु आयोजि ा की जाएगी ।

1. 31 मार्च, 2011 की स्थि ि अनुसार बैंक के ुलन-पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खा ो, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और ुलन पत्र था लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।

2. वि ीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषि ा करना ।

3. आगे शेयरों को जारी करने के लिए।

"संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृ ा बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भार ीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भार ा सरकार (जीओआइ), भार ीय प्र िभू ि और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछि ा हों, के अनुमोदनों, सहम ियों और मंजूरियों की श ि पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारि ा निबंधनों, श ाोंं और संशोधनों की श ि पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहम ा है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइ सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुपालन में है था यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भार ीय प्र िभू ि एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधि ा प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी हो े हैं, के ह ा भार ीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारि ा हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारि ा हैं, , वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की श ि पर वे आधारि ा हैं, बैंक के शेयरधारकों की ए ादर्थ व

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Tuesday, the 12th July 2011 at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2011, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2010-11.

3. To Further issue of shares:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed,

ए ाद्द्वारा सहमा ि बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समि ि शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठि ा किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रद ा अधिकारों सहि ा अपने अधिकारों का उपयोग करने हे ु बाद में गठि ा कर ाा हो) को इस आशय से दी जा ाी है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों (संचि ा/गैर संचि ा)/प्रा ाभूा ियों (अधिमान्य शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीय ाा शेयरों की प्र येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरं ार हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और श ाोंर् को विनिर्दिष्ट कर ो हुए, जिनके आधार पर अधिमान्य शेयरों की प्र येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधि ा भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस् ाावि ा, निर्गमि ा व आबंटि ा (निश्चि ा आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुम ा व्यकि ायों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रा िस्पर्धा मक आधार सहि ा) कर सके और यह कार्य किसी प्रस् ााव दस् ाावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भार ा अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस् ाावेज के ज़रिए होगा ाथा प्र येक शेयर का अंकि ा मूल्य रु.10/- प्रा ि शेयर होगा और किसी भी हाल ा में कुल शेयर 18,03,67,015 (अठारह करोड ाीन लाख सडसठ हजार और पन्द्रह) की संख्या और रु.180,36,70,150/- (रुपये एक सौ अस्सी करोड छ ाीस लाख स ार हजार एक सौ पचास मात्र) की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.618.75 करोड की विद्यमान प्रद ा ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड की बैंक की कुल प्राधिकृ ा पूँजी में रु.799.12 करोड की होगी, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सक ाा है, बढाई गई प्राधिकृ ा पूँजी की हद ाक, निर्धारि ा सीलिंग है, वह भी इस ारह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रद ा ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भार ाीय नागरिकों, अनिवासी भार ाीयों (एनआरआइ) , निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थाग ा खरीदारों (क्यूआइबी) जैसे विदेशी संस्थाग ा निवेशक (एफआइआइ), बैंक, वि ाीय संस्थाओं, भार ाीय म्यूचुवल निधियों, उद्यमी पूँजीग ा निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य

consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 18,03,67,015 (Eighteen Crore Three Lac Sixty Seven Thousand and Fifteen) and aggregating to not more than Rs.180,36,70,150/- (Rupees One Eighty Crore Thirty Six Lac Seventy Thousand One Hundred Fifty Only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 618.75 crore amounts to Rs. 799.12 crore within the total authorized capital of the bank Rs.3000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act ,1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital

औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वि ीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सक ा है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचि ा समझे उस रूप में उक ा में से किसी को या संयुक ा रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रति भूति यों में निवेश करने के लिए प्राधिकृ ा किया गया है ।"

"इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस् ााव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, अधिमान्य निर्गम के जरिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहि ा या विकल्प रहि ा किया जाएगा और इस ारह का प्रस् ााव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, सेबी ("आइसीडीआर विनियमन") 2009 और आरबीआइ, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों ाथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व श ार्ों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के ाह ा उचि ा समझ ाा हो ।"

"यह भी संकल्प किया गया* कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचि ा समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चि ा करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और श ार्ों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के ाह ा आइसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चि ा कर ाा है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के व ार्मान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का निय ान आइसीडीआर विनियमनों के संबंधि ा प्रावधानों के ाह ा निर्धारि ा मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधि ा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भार ा से बाहर रहनेवाले व्यकि ा द्वारा प्रति भूति का अं ारण या निर्गमन)

Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may , in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign

विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार था भार ीय प्र िभूि एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टाक एक्सचेंजों, भार ीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रव िन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीि व प्रव िन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआइपीपी) और यथा वांछि अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचि प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमि यों, अनुमि यों और / या मंजूरियों, की श ि पर और उन श ों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमि , अनुमि और/या मंजूरी प्रदान कर े समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारि किये जा े हैं था जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के ह निश्चि कर ा है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्र िभूि यों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमि प्रस् ावि   था आबंटि किया जा सक ा है केवल उन वारंटों को छोडकर जो बाद की ि थि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयि किये जा सक े है या परिवि ि किये जा सक े हैं, वह भी इस रह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषि अनुसार) को, योग्य ाग संस्था मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के ह प्रावधानि किया गया है और जो स्थानन दस् ावेज और/या ऐसे अन्य दस् ावेजों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा था ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और श ों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, निश्चि किये गये हैं , बश े इस प्रकार निर्गमि ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहि मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधि प्रावधानों के अनुसार निर्धारि मूल्य से कम न हो ।"

"इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्य ाग संस्था मक स्थानन के मामले में प्र िभूि यों का आबंटन आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII की परिभाषा के भी र ही योग्य ाग संस्थाग खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्र िभूि याँ पूर्ण : प्रद होंगी और इन प्र िभूि यों का आबंटन संकल्प की ि थि से 12 महीनों के भी र पूरा कर लिया जाएगा ।"

" यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्र िभूि यों कें शुरुआ ी मूल्य के निर्धारण की संबंधि ि थि को आइसीडीआर विनियमों के अनुसार रखा जाएगा । "

Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals,consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI) ,Stock Exchanges , Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion ,Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date , in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

" यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भार ा सरकार / भार ीय रिज़र्व बैंक / भार ीय प्रा िभू ि और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचि ा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमा ियों, अनुमा ियों और निर्गमों से संबंधि ा मंजूरियों, आबंटन और ादनुसार लिस्टिंग , जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमा हो, वांछि ा अथवा निर्देशि ा अनुसार प्रस् ााव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा ।"

*इस अनुक्रम यह भी संकल्प किया गया * कि अनिवासी भार ीयों, विदेशी संस्थाग ा निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों /प्रा िभू ियों , यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भार ीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की श र्ा पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के ाह ा किया जाएगा परं ाु अधिनियम के अं ार्ग ा निर्धारि ा समवे ा सीमा के भी ार लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

*यह भी संकल्प किया गया * कि कथि ा नये ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधि ा रूप में अनुसार जारी किये जाएंगे ाथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश, यदि कोई हो, सहि ा बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

"ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रा िभू ियों के आबंटन या निर्गम हे ाु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहि ा जिन्हें प्रा िभू ियां आबंटि ा की जानेवाली है, हर बार आबंटि ा किए जानेवाले शेयरों / प्रा िभू ियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचि ा समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस् ाावेजों और करारों को निष्पादि ा करने जिन्हें वे आवश्यक,उचि ा या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस् ााव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगि ाा के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो ाो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हे ाु ाथा निबंधनों व श ार्ों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिव ार्नों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हि ा हे ाु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion,

गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यक ा नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हे ु मंडल को प्राधिकृ ा किए जाने और ए ाद्द्वारा प्राधिकृ ा करने का भी संकल्प किया गया"।

" ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्र ािभूा ियों के ऐसे निर्गम से संबंधि ा अग्रणी प्रबंधक/ों, बैंकर/ों, अधोलेखक/ों, डिपाज़िटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादि ा करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अभिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस ाावेज़ आदि निष्पादि ा करने के लिए मंडल को प्राधिकृ ा किया जाए और ए ाद्द्वारा प्राधिकृ ा करने का भी संकल्प किया गया"।

"उपर्युक ा विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों,हामिदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक ा अन्य व्यकि ायों से परामर्श करके,निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारि ा करने, निवेशकों के संवर्ग सहि ा जिन्हें शेयर/प्र ाभिू ा आबंटि ा किए जानेवाले हैं, उनमें से प्र येक वर्ग को आबंटि ा किए जानेवाले शेयरों / प्र ाभिूा ियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो ाो वह भी शामिल है), अंकि ा मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्र ाभिूा ियों का परिव ान / वारंट बदलना / प्र ाभिूा ियों की परिपक्व ाा राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्व ाा अवधि, प्र ाभिूा ियों का परिव ान या परिपक्व ाा या रद्दगी पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्र ाभिूा ियों की संख्या, मूल्य,प्र ाभिूा ियों का निर्गम/परिव ान पर प्रीमियम/बट्टा, ब्याज दर,परिव ान की अवधि, लेखा बंदी आदि संबंधि ा या विविध मामलों हे ु रिकार्ड ाारीख का निय ान करने, भार ा में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचि ा समझे,के लिए मंडल को प्राधिकृ ा किया जाए और ए ाद्द्वारा प्राधिकृ ा करने का भी संकल्प किया गया’’।

“शेयर / प्र ाभिू ा जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचि ा समझे और कानून द्वारा जैसे अनुम ा है, उसके अनुसार निपटाने का भी संकल्प किया गया’’।

deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees, or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies".

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"उपर्युक ा संकल्प को प्रभावि ा करने के उद्देश्य में,मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचि ा समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस ावेजों और करारों को निष्पादि ा करने जिन्हें वह आवश्यक,उचि ा या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रा िभू ियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो ाो संबंधि ा कार्यों, विषयों को समाप ा या निष्पादि ा करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमि ा या अनुमोदन की आवश्यक ाा के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को प्राधिकृ ा किए जाने और ए ाद्द्वारा प्राधिकृ ा करने का भी संकल्प किया गया"।

“उपर्युक ा संकल्पों को प्रभावि ा करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक(ों) को प्रदान करने के लिए मंडल को प्राधिकृ ा किए जाने और ए ाद्द्वारा प्राधिकृ ा करने का भी संकल्प किया गया’’।

व्याख्या मक विवरण

1. मार्च 2011 में, दीर्घावधि संसाधन बढाने और 8 प्र ािशा ा पूंजी पर्याप ाा अनुपा ा का पालन करने के उद्देश्य से बैंक ने भार ा सरकार को अधिमान्य ाौर पर, प्र ाि शेयर रु 10 के रु 132.53 प्रीमियम पर 7,39,49,343 ईक्विटी शेयर आबंटि ा किया है और रु1054 करोड हासिल किए हैं

2. 31 मार्च 2011 को बैंक का पूंजी पर्याप ाा अनुपा ा 13.28% है जो भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा 9% से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस ाार योजनाओं के कारण, बैसल ।। मानदंड के कार्यान्वयन व ा पश्चा ा पूंजी प्रभार के कारणपूंजी पर्याप ाा अनुपा ा को और सुदृढ करने हे ाु पूंजी को बढाने की आवश्यक ाा है ।

3. प्रद ा पूंजी बढाने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भार ा सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप ा करेगा । ाथापि, केन्द्रीय सरकार का धारणा, बैंक की प्रद ा पूंजी में किसी भी समय में इक्यावन प्र ािशा ा से कम नहीं होगा ।

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

EXPLANATORY STATEMENT:

1. In March 2011, the Bank has issued and allotted 7,39,49,343 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 132.53 each to Government of India on a Preferential Basis and raised Rs.1054/- crore primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 8 per cent.

2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2011 is 13.28%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL II norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

4. सूची करार (बैंक व स्टॉक एक्सचेंज के बीच) के खण्ड 23 के उप-खण्ड (अ) के अनुसार बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जा ा है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में किसी दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है ो व िमान शेयरधारकों को भी समानुपा िक रूप से दिया जाना चाहिए । यह संकल्प यदि पारि ा हो ो व िमान शेयरधारकों को समानुपा िक रूप से करने के अलावा, प्र िभू ि आबंटि ा व जारी करने हे ु बैंक की ओर से मंडल को अनुम ि है ।

5. संकल्प से यह अपेक्षि ा है कि बैंक यह सुनिश्चि ा करे कि सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम और/या निजी ौर पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमान्य शेयरों/प्र िभू ियों के प्रस् ाव, निर्गम और आबंटन किया जाए । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चि ा कर सकेगा कि भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारि ा पूंजी पर्याप् ा ा आवश्यक ाएँ सुदृढ हो जाए ।

6. संकल्प से यह अपेक्षि ा है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखि ानुसार योग्य संस्थाग ा खरीदारों में से योग्य संस्थाग ा नियुक्ि ा करने हे ु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप् ा किए बिना, बैंक निधि हासिल करने के लिए निदेशक मंडल आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के ह ा उल्लिखि ा इस ंत्र को अपने विवेकाधिकार में अपनाएं ।

क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्र िभू ियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सक ा है जो कि "संबंधि ा ारीख" के पूर्व दो सप् ाह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचि ा साप् ाहिक उच्च व निम्न अं िम मूल्यों के आनुपा िक मूल्य से कम न हो ।

“संबंधि ा ारीख" का अर्थ है कि जिस ारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समि ि निर्णय ले ा है ।

7. प्रस् ाव के विस् ृ ा निबंधन व श ों व ि मान बाज़ार स्थि ियों व अन्य नियंत्रक आवश्यक ाओं को ध्यान में रख े हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारि ा किए जाएंगे ।

4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and Stock Exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date”

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. चूंकि प्रस्ााव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की ाारीखो के अलावा नहीं लिया जा सका ा, अा: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बा ाना नामुमकिन है । ाथापि यह आइसीडीआर विनियमन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधि ा हैं या अन्य दिशानिर्देशों विनियमनों / सहमा ियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्ा कारणों के कारण, और एक संकल्प पारि ा करने का प्रस्ााव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारि ा करने हे ाु पर्याप्ा अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आबंटि ा ईक्विटी बैंक के वा र्मान ईक्विटी शेयरों के सभी प्रकार के समान हि ों जिनमें लाभांश भी शामिल है, के पात्र होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए बैंक को आवश्यक है कि एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की सहमा ि ली जाए । अा: उक्ा प्रस्ााव के लिए आपकी सहमा ि का अनुरोध है ।

नोटिस में उल्लिखि ा संकल्पों को पारि ा करने हे ाु निदेशक मंडल सिफारिश करा ा है ।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक की शेयरधारण सीमा के अलावा उक्ा संकल्प(ों) में कोई हि ा या उनसे कोई संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
02.05.2011

(एम नरेन्द्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
02.05.2011

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थि ा होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थि ा होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक ा करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्र ािनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्था ् शुक्रवार 8 जुलाई 2011 को शाम 5.00 बजे ाक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृ ा प्र ािनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में ाब ाक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सक ाा या वोट नहीं दे सक ाा जब ाक कि उसे किसी कंपनी के विधिव ् प्राधिकृ ा प्र ािनिधि के रूप में नियुक्त कर ो हुए पारि ा संकल्प की स य प्र ि, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणि ा की हो, जिसमें प्र ािनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारि ा है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की निय ा ाारीख से चार दिन पहले अर्था ा शुक्रवार दिनांक 8 जुलाई 2011 को शाम 5.00 बजे ाक या पहले जमा नहीं की जा ाी है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृ ा प्र ािनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. उपस्थि ा पर्ची सह प्रवेश पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा हे ु उपस्थि ा पर्चीसह प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्र ािनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस् ाक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पि ा करें । प्रॉक्सी /प्र ािनिधि धारकों को उपस्थि ा सह प्रवेश पर्ची में "प्रॉक्सी/प्र ािनिधि धारक", जो भी लागू हो, अंकि ा कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस् ाक्षर अभिप्रमाणि ा होने चाहिए ।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Friday, 8th July 2011.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 p.m. on Friday, 8th July 2011.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्र ा निर्धारि ा करने के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अं ारण बहियाँ 05.07.2011 ाक की कट ऑफ ारीख सहि ा, 06.07.2011 (बुधवार) से 12.07.2011 (मंगलवार) ाक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलि ा)। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की ारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

अ) लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जा ा है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाह ो हैं, उस बैंक का नाम और अपने खा ो की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रि ा किए जाएँगे ाकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा सीधे शेयर अन ारण एजेंट/ डीपी को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं ग्राहक पहचान संख्या और धारि ा शेयरों की संख्या 03.07.2011 ाक या पहले दी जानी चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्ु ा करने का चयन नहीं कर ा, ऐसी स्थि ा में डीमैट शेयर धारकों के लिए 05.07.2011 को रजिस्ट्रार द्वारा प्रा ा पूर्व में बैंक के अधिदेश अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकडों पर आधारि ा वारंट मुद्रि ा किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने इसीएस अधिदेश प्रस्ु ा नहीं किया है ।

आ) बैंक निर्दिष्ट शहरों में रहने वाले शेयरधारकों के लिए ईसीएस प्र यक्ष जमा सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांश जमा के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के बजाए शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का प्रयोग किया जा सक ा है। इस रिपोर्ट के साथ ईसीएस विकल्प प्रारूप संलग्न है। शेयरधारक अपने निर्दिष्ट खा ो में लाभांश अन ारण की सुविधा के लिए अपने ई सी एस अधिदेश में अपना खा ा सं. और अपनी बैंक शाखा की आई एफ एस कोड संख्या का विवरण दें।

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 06.07.2011(Wednesday) to 12.07.2011 (Tuesday) (both days inclusive) with cut off date as 05.07.2011 for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS):

a) In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 03.07.2011. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 05.07.2011 for demat shareholders. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. The ECS Option Form is annexed to this report. Shareholders are required to give details of IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account.

7. अदावी लाभांश, यदि कोई

पिछले वर्षों जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्‍ा किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि जारी करने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्‍ारण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्‍ारण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खा‍े में अन्‍ारण की ‍ारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुग‍ान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापि‍ निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्‍ारि‍ करनी है एवं **उक्‍ संदर्भ में उसके बाद न ‍ो बैंक और न ही आई ई पी एफ को भुग‍ान करने के लिए कोई दावा बन‍ा है।**

8. प‍ाे में परिव‍र्न और लाभांश अधिदेश

जिन शेयरधारकों के शेयर भौ‍िक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जा‍ा है कि वे अपने प‍ाे में परिव‍र्न, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खा‍ा संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखि‍ करना चाह‍े हैं, उन सब की जानकारी दिनांक 03.07.2011 ‍क या पहले निम्नलिखि‍ प‍ाे पर, रजिस्ट्रार-व-शेयर-अं‍रण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी-यूनिट)
पहला ‍ल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्था‍ डीमैट खा‍े के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इ‍्यादि पर अपने प‍ाे में हुए परिव‍र्न, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खा‍ा संख्या में कोई परिव‍र्न करवाना चाह‍े हैं, वे इसकी सूचना अपने डिपाज़िटरी प्र‍िभागी को दे दें क्योंकि लाभांश के वि‍रण और इसके भुग‍ान के लिए दिनांक 05.07.2011 को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा।

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from previous year's viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 03.07.2011 at the following address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 05.07.2011 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानी विविध फोलियो रख ो हैं । कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध कर ो हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अं ारण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हे ु भेजें ।

10. निदेशकों के संक्षिप ा विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादि ा सूची करार के परिशोधि ा खण्ड 49 IV जी के ाह ा अपेक्षि ाानुसार कार्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप ा विवरण दिए गए हैं ।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्र ियाँ साथ ले ो आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी ारह के उपहार/कूपन वि ारि ा नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
02.05.2011

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS:

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profiles of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

Chennai
02.05.2011

एक नज़र में AT A GLANCE

	रु. करोड़ों में	Rs.in.Crore
	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010
सार्वभौमिक जमा-राशियाँ Global Deposits	1,45,229	1,10,795
देशीय जमा-राशियाँ Domestic Deposits	1,40,381	1,05,434
सार्वभौमिक अग्रिम Global Advances	1,13,791	80,782
देशीय सकल अग्रिम Domestic Gross Advances	1,03,087	73,026
प्राथमिक ाा क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	32,648	27,237
कृषि उधार Agricultural Credit	16,056	12,597
सकल लाभ Gross Profit	2,861	1,845
निवल लाभ Net Profit	1,073	707

निदेशकों की रिपोर्ट 2010-11

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षि ा ुलन-पत्र और लाभ व हानि खा ो के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तु ा कर ो हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान भार ीय अर्थ व्यवस्था के ऊर्ध्वमुखी विकास के पार्श्व में बैंक का निष्पादन अधिक प्रगा िशील है। बैंक ने जमा और अग्रिम दोनों ही क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली की अपेक्षा उच्च ा र विकास दर दर्ज की है। बैंक ने कारोबार में मह वपूर्ण विकास हासिल किया है और कारोबार रु.2,50,000 करोड़ की सीमा रेखा को पार कर गया है।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

बैंक की सार्वभौमिक जमाएँ जो 31 मार्च 2010 में रु.1,10,795 करोड़ थी, वह 31 मार्च 2011 में 31.08% बढ़कर रु.1,45,229 करोड़ ा क हो गईं। सार्वभौमिक सकल अग्रिम रु.80,782 करोड़ से 40.86% बढ़कर रु.1,13,791 करोड़ ा क हो गए। अ ा: पिछले वर्ष की ा ुलना में 35.20 % की उ कृष्ट विकास दर पर कुल कारोबार रु.2,59,020 करोड़ ा क बढ़ गया है।

विदेशी शाखाएँ

वर्ष के दौरान , बैंक आफ बडौदा व आंध्रा बैंक के साथ मिल कर मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी कार्यालय खोलने हे ा ु बैंक ने संयुक्त ा उद्यम पर हस् ाक्षर किए हैं। इस अनुषंगी को मलेशिया के केंद्रीय बैंक, बैंक निगारा से लाइसेंस प्राप्त हुआ। अपनी विदेशी परिचालनों का विस् ाार करने के लिए बैंक मध्यम अवधि नोट निर्गमन में से निधियों को हासिल कर कदम बढाना चाह ा है।

मार्च 2011 की समाप्ति ा क बैंक के विदेश में 13 संस्थापन रहें, जिनमें से 6 पूर्ण रूपेण शाखाएँ, 4 प्र ा िनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र हैं और 1 उपशाखा है।

बैंक की हाँगकाँग में 2 शाखाएँ हैं और सिंगापुर , दक्षिण कोरिया , श्रीलंका और बैंकाक में एक-एक शाखा है । प्र ा िनिधि कार्यालय चीन में गुआंगज़ू , मलेशिया में कुआलालंपूर , विय ा नाम में हो ची मिन सिटी और दुबई में अलकरमा में स्थि ा हैं । विप्रेषण केंद्र बूनले और सेरंगून , सिंगापुर में कार्यर ा हैं और उप शाखा श्रीलंका में स्थि ा है ।

DIRECTORS' REPORT 2010-11

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2011.

During 2010-11, the Bank's performance is more progressive in the backdrop of growth momentum in the Indian economy. The Bank has registered higher growth rate than the banking system both in deposits and advances. The Bank has witnessed significant growth in business and crossed the business level of ₹ 2,50,000 crore mark.

Global Business Performance

The Bank's global deposits increased from ₹ 1,10,795 crore as on 31st March 2010 to ₹ 1,45,229 crore as on 31st March 2011 with a growth of 31.08 % while global gross advances went up from ₹ 80,782 crore to ₹ 1,13,791 crore at 40.86 %. Hence, the total business improved to ₹ 2,59,020 crore with an excellent growth of 35.20 % over last year.

Overseas Branches

During the year, the Bank has been actively involved in the process of setting up of the office at Malaysia, in respect of the joint venture signed with Bank of Baroda and Andhra bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The subsidiary has obtained license from Bank Negara, the Central bank of Malaysia. The Bank is also looking ahead to expand its overseas operations by availing funds out of a Medium Term Note issue.

As at the end of March 2011, the bank had 13 establishments abroad, with 6 full-fledged branches, 4 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Extension counter.

There are two branches in Hongkong and one each at Singapore, South Korea, Sri Lanka and Bangkok. Representative offices are located at Guangzhou, China, at Kualalumpur, Malaysia, at Ho Chi Minh City, Vietnam and at Al Karama, Dubai. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore and the extension Counter is located at Sri Lanka.

मध्यम अवधि नोट निर्गमन (एमटीएन):

बैंक ने जनवरी 2011 की शुरूआ ा में यूएसडी 1 बिलियन के कुल आकार वाले एमटीएन कार्यक्रम की शुरुआ ा की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी शाखाओं की दीर्घावधि आस ियों के वि ा पोषण हे ु विदेशी मुद्रा निधियों का संचयन किया जाए। इस कार्यक्रम की स्थापना के सिलसिले में अल्प समय के भी ार ही कई प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गयी जैसे फिच से द्वि ीय रेटिंग की प्राप्ि , सिंगापुर स्टॉक एक्स्चेंज पर निर्गमन की लिस्टिंग , विस् ृ ा दस ावेजीकरण का अं िम रूप निर्धारण , कारोबार प्रदर्शनियों का आयोजन और अं रराष्ट्रीय निवेशकों के साथ विचार-विमर्श । इस संबंध में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एम.नरेंद्र , कार्यपालक निदेशक श्रीम ी नूपुर मित्रा और महा प्रबंधक श्री एस.चंद्रशेखरन द्वारा रोड़ शोज़ आयोजि ा किये गये। इस कार्यक्रम के ह ा निर्गमन के प्रथम ट्रांच को 5.5 वर्षों की अवधि के लिए वरिष्ठ अ-प्र ाभू ा ऋण के रूप में यूएसडी 500 मियो के आकार के निर्गम हे ु 12 अप्रैल 2011 को उद्घाटि ा किया गया । पाँच वर्ष की यूएस ट्रेज़री + 290 बीपीएस के प्र िस्पर्धा मक मूल्य पर इसका मूल्यन किया गया और यह निर्गम यूएसडी 1.9 मियो की हद ाक ओवर सब्स्क्राइब हुआ । बाँड की निय ा कूपन दर अर्ध वार्षिक रूप से 5% पर निय ा की गयी जहाँ इसका निर्गम मूल्य रहा यूएसडी 99.478 .

वि ाीय निष्पादन

बैंक का परिचालनग ा लाभ जो कि 2009-10 में रु.1845 करोड़ था वह बढ कर 2010-11 में रु.2861 करोड़ हो गया, जहाँ यह वृद्धि 55.08% रही । यह उपलब्धि इसीलिए भी अधिक मह वपूर्ण है क्योंकि यह अस्थिर बाजार परिस्थि ियों के हो े हुए भी हासिल की गयी, क्योंकि इन परिस्थि ियों के कारण ट्रेज़री लाभों में जहाँ कमी रही वहीं निधियों की लाग ा में वृद्धि हुई । परिचालनाग ा लाभ में वृद्धि का कारण कारोबार की प्रमात्रा में बढो ारी विशेषकर वि ाीय वर्ष के द्वि ीय अर्ध में और सक्षम ाा स ार में सुधार है।

प्रावधान

आपा ा स्थि ियों एवं प्रावधानों के प्र ि बैंक ने रु.1788 करोड़ की रकम अलग से कर रखी है ।

निवल लाभ / लाभांश

बैंक का परिचालनग ा लाभ जो कि 2009-10 में रु.707 करोड़ था वह बढ कर 2010-11 में रु.1073 करोड़ हो गया, जहाँ यह वृद्धि 51.71% रही । बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए 50% का लाभांश अदा करने का प्रस ाव रखा है।

Medium Term Notes Issue (MTN)

The Bank embarked on the MTN programme for a total size of USD 1 billion in the beginning of January 2011. The primary objective of the programme was to raise foreign currency funds for funding the long-term assets of overseas branches. The key milestones associated in setting up the programme were obtention of second rating from Fitch, listing the issue on the Singapore Stock Exchange, finalizing extensive documentation, conducting tradeshows and deliberations with International Investors in a short span of time. The road shows were spearheaded by Chairman and Managing Director Shri.M.Narendra, Executive Director Mrs. Nupur Mitra and General Manager Shri.S.Chandrasekharan. The first tranche of the issue under the programme was successfully launched on 12th April 2011 for an issue size of USD 500 Mio in the form of Senior Unsecured Debt for a tenor of 5.5 years. The pricing was concluded at a competitive pricing of 5-year US Treasury +290 BPs and the issue was over subscribed to the extent of USD 1.9 Mio. The fixed coupon rate of the bond was fixed at 5%, semi annual, with an issue price at USD 99.478.

Financial Performance

The operating profit of the Bank went up from ₹ 1,845 crore in 2009-10 to ₹ 2,861 crore in 2010-11 with a growth of 55.08 %. This attainment was all the more significant when viewed in the light of volatile market conditions leading to subdued treasury gains and increased cost of funds. Growth in operating profit can be attributed to expansion in volume of business especially in the second half of the financial year and improvement in efficiency levels.

Provisions

The Bank has set apart a sum of ₹ 1, 788 crore towards provisions and contingencies.

Net Profit \Dividend

The Bank's net profit increased to ₹ 1073 crore in 2010-11 from ₹ 707 crore in 2009-10 with a growth rate of 51.71%. The Bank has proposed to pay a dividend of 50 % for the year 2010-11.

आय व व्यय विश्लेषण

वि ीय वर्ष 2010-11 के दौरान पिछले वर्ष की ुलना में कुल वैश्विक आय में 17.01% की वृद्धि हुई जहाँ कुल राशि रही रु.13,327 करोड़ । दूसरी ओर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुल खर्च रु.10466 करोड़ रहे जो कि 9.66% की ार्कसंगा वृद्धि है , वह भी इसके बावजूद कि भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेंशन और ग्रैच्युटी के लिए ाथा नई भ र्ी के लिए प्रावधान किये गये । मुख्य ा: आस्ि ा देय ाा प्रबंधन ाकनीकों को प्रभावी रूप से संभालने के अलावा सूक्ष्म / स्थूल स्ारों पर किये गये लाग ा नियंत्रण के विभिन्न उपायों के कारण यह संभव हो पाया।

परिणाम ा: घरेलू जमाओं की लाग ा वर्ष 2009-10 के 6.36% की ुलना में वर्ष 2010-11 में 5.95% ाक कम हुआ और अग्रिमों पर घरेलू लाभ 10.43% रहा । व ामान वर्ष में ारल ाा समायोजन को पूरा करने के लिए उच्च ार उधारों के चल ो घरेलू उधारों / अन्यों की लाग ा 9.25% ाक बढ गयी है। सीआरआर और रेपो दरों में वृद्धि का प्रभाव निधियों की घरेलू लाग ा पर पडा है जो कि संवीक्षाधीन चौथी िमाही के दौरान 6.46 % ाक बढ गयी। वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनीय खर्चों में 4.30% की ार्कसम्म ा वृद्धि हुई जिसकी रकम रही रु.2572 करोड़।

पिछले वर्ष निवेशों पर घरेलू आय के 7.02% की ुलना में इस वर्ष के दौरान यह आय 7.15% (ऋण परिशोधन का निवल) ाक बढ गयी है। पिछले वर्ष विनिमय पर लाभ (घरेलू) रु.98 करोड़ रहा जबकि इस वर्ष यह बढ कर रु.127 करोड़ हो गया है। जैसा कि पहले ब ााया गया है कि अस्थिर बाजार परिस्थि ायों के कारण निवेशों की बिक्री से अर्जि ा लाभ जो 2009-10 में रु.292 करोड़ था वह 2010-11 के दौरान घट कर रु.109 करोड़ रह गया है। वैश्विक निवल ब्याज आय बढ कर रु.4208 करोड हो गयी है जो कि 32.83% मह वपूर्ण वृद्धि है जबकि पिछले वर्ष यह 10.39% थी। फलस्वरूप वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वह इस माने में कि जहाँ पिछले वर्ष यह वृद्धि 2.74% थी वहीं वर्ष के दौरान यह 3.11% है।

इस प्रकार पिछले वर्ष की ुलना में 2010-11 के दौरान 55.08% की मह वपूर्ण विकास दर पर परिचालनग ा लाभ समेकि ा रूप से रु.2861 करोड़ रहा जहाँ निवल ब्याज आय में काफी सुधार हुआ है। निवेशों की बिक्री से प्राप्ा लाभ के ाह ा अर्जि ा ट्रेज़री फायदों और निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि के प्रभाव को छोड देने के बाद भी वर्ष 2009-10 के दौरान जहाँ कोर परिचालन ग ा लाभ रू.1606 करोड था वहीं 2010-11 में यह रु. 2805 करोड हो गया जो कि 74.66% की वृद्धि है।

Income and Expenditure Analysis

During the financial year 2010-11, the growth in total global income was favorable at 17.01 % over last year amounting to ₹ 13,327 crore. At the other end, the total expenses was controlled at ₹ 10,466 crore with a reasonable increase of 9.66 % over last year despite providing provisions towards pension and gratuity as per extant RBI guidelines and fresh recruitment. This was mainly possible due to various cost control measures taken at the micro/macro levels apart from handling of Asset Liability Management techniques effectively.

As a result, domestic cost of deposits came down to 5.95 % in 2010-11 compared to 6.36% in 2009-10 and the domestic yield on advances stood at 10.43%. The cost of domestic borrowings/others increased to 9.25 % in the current year due to higher borrowings to meet the liquidity adjustments. The increased CRR and repo rates had an impact on the domestic cost of funds, which increased to 6.46 % in Q4 of the reviewing period. The global operatingexpenses showed a reasonable increase of 4.30 % during the year amounting to ₹ 2,572 crore.

The domestic yield on investments increased to 7.15 % (net of amortization) during the year compared to 7.02 % in the last year. Profit on exchange (domestic) was also higher at ₹ 127 crore compared to ₹ 98 crore last year. Due to volatile market conditions, as said earlier, the profit on sale of investments reduced to ₹ 109 crore in 2010-11, compared to ₹ 292 crore in 2009-10. The global net interest income increased to ₹ 4208 crore with a significant growth of 32.83% compared to 10.39% in last year. Consequently, there was a perceptible improvement in global Net Interest Margin , higher at 3.11 % during the year compared to 2.74% of last year.

Thus, the operating profit showed a significant growth of 55.08 % over last year aggregating to ₹ 2861 crore in 2010-11 with improved Net interest income. Excluding the treasury gains earned under profit on sale of investments as also the impact of loss on revaluation of investments, the core operating profit increased from ₹ 1606 crore in 2009-10 to ₹ 2805 crore in 2010-11 at a growth of 74.66 %.

पूँजी पर्याप्ा ा अनुपा ा :

मार्च 2010 की समाप्ि ा पर बैंक का पूँजी पर्याप्ा ा अनुपा ा 14.78% रहा जबकि 31.03.2011 को यह 14.55% हो गया (बेसल -II मानदंडों के अनुसार) व ा्मान वि ा्ीय वर्ष के दौरान बैंक ने रुपए 1054 करोड़ के समेकि ा मूल्य के 7,39,49,343 ईक्विटी शेयर अधिमन्य आधार पर भार ा सरकार को जारी किए , जहाँ प्र ा ि शेयर का मूल्य था रु.142.53 (रु.132.53 प्र ा ि शेयर के प्रीमीयम सहि ा) और अंकि ा मूल्य प्र ा ि शेयर रु.10/- था।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने अपनी पहुँच का दायरा और भार ा भर में अपनी उपस्थि ा ि को बढाने के लिए देश भर में 173 शाखाएँ खोलीं हैं और 9 उपशाखाओं का उन्नयन किया है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ि ा ाक बैंक की 2,184 देशी शाखाएँ हैं, जिनमें से 583 ग्रामीण शाखाएँ हैं, जो कुल शाखाओं का 26.7% है, 558 अर्ध-शहरी (25.6%), 542 शहरी (24.8%) और 501 महानगरीय (22.9%) शाखाएँ हैं। भार ा में उप शाखाओं की संख्या 5 हैं।

केंद्रीय कार्यालय के सांगठनिक ढाँचे में परिव ा्न

कारोबार को आगे बढाने और कारोबार विस ाारण में विकेंद्रीकृ ा रुख अपनाने के लिए बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में प्रवर्गीकरण किया है यथा - विशाल कार्पोरेट , मध्यम कार्पोरेट , सूक्ष्म एवं लघु व मध्यम उद्यम । उक ा के अलावा बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में अपने सभी ट्रेज़री कार्यों को एकीकृ ा किया है। व्यापार वि ा ा, नकद प्रबंधन सेवाएँ, आपूर् ि ा श्रृंखला प्रबंधन/ चैनल वि ा ीयन और सरकारी कारोबार से संबंधि ा निष्पादन का प्रबोधन करने के लिए केंद्रीय कार्यालय में विशिष्ट रूप से लेन-देन बैंकिंग विभाग ैयार किया गया है।

प्लैटिनम जयं ा ी वर्ष समारोह - छवि निर्माण की प्रक्रिया

10 फरवरी 2011 को हमारा बैंक अपने संचालन के 75वें वर्ष में पहुँच गया है और बैंक ने प्लैटिनम जयं ा ी समारोह का उद्घाटन 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम से किया । इसके बाद इस संबंध में चेन्नै में भी एक कार्यक्रम हुआ। नई दिल्ली में आयोजि ा कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय वि ा ा राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना और श्री एस.एस.पलनिमानिक्कम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय वि ा ा सचिव श्री शशि कां ा शर्मा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षगण और बैंक के पूर्व अध्यक्ष गण ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 75 नयी शाखाओं और 75 नये एटीएमों का शुभारंभ किया गया। बैंक ने नयी योजनाएँ भी शुरू की यथा एस.बी.स्टूडेंट कार्ड, आइओबी

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2011 stood at 14.55% compared to 14.78% as at the end of March 2010 (as per Basel II norms). During the current financial year, the Bank had issued 7, 39,49,343 equity shares of face value of Rs.10 each at ₹ 142.53 per share (including premium of ₹ 132.53 per share) to the Government of India on preferential basis aggregating to ₹ 1,054 crore.

Branch Network

The Bank towards expanding its reach and pan India presence opened 173 branches across the country , upgraded 9 Extension Counters. As at the end of the reporting period, the Bank had 2,184 domestic branches of which 583 were Rural branches accounting for 26.7% of total branches, 558 Semi Urban (25.6%), 542 Urban (24.8%) and 501 Metropolitan branches (22.9%). The number of Extension Counters in India stood at 5.

Changes in organization set up at Central Office

Towards driving the business fruther and to have focused approach in business expansion, the bank has drawn the verticals viz. Large Corporate, Mid Corporate, Micro and Small and Medium Enterprises at Central Office. Besides the above , the Bank has integrated all its Treasury functions at Central Office. An exclusive transaction banking department was formed at Central Office for monitoring the performance in respect of Trade finance, Cash Management Services, Supply Chain Management/Channel Finance and Government business.

Platinum Jubilee year Celebrations - An image building exercise

The Bank has entered its 75th year of operations as on 10th February 2011 and the Bank inaugurated the platinum jubilee celebrations on 10th February 2011with a grand function organised in New Delhi followed by a function in Chennai. Hon'ble Union Ministers of State for finance Shri Namo Narain Meena and Shri S.S. Palanimanickam graced the function and inaugurated the function. Union Secretary of Finance Shri Shashi Kant Sharma, Chairmen of

एमएसई प्लस , भूमिलक्ष्मी । बैंक ने **"आइओबी संपूर्णा "** नामक अपनी नवोन्मेशी ग्रामीण विकास परियोजना का विस् ारण भी किया और छात्राओं को छात्र वृ ि भी आबंटि ा की। नई दिल्ली में बैंक के प्लैटिनम जयं ी समारोह के उपलक्ष्य में "कामयाबी की कहानियाँ .... 1937 से भार ा के विकास में सहयोगी " शीर्षक से एक पुस् िका का विमोचन माननीय केंद्रीय वि ा राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना और श्री एस.एस.पलनिमानिक्कम के करकमलों से किया गया । इस अवसर पर स्वयं सहाय ा समूहों द्वारा ैयार किये ग उ पादों की प्रदर्शनी भी आयोजि ा की गयी।

प्लैटिनम जयं ी समारोह देश में विभिन्न स्थानों पर ग्राहक और जन ा की सहभागि ा के साथ मानाया जा रहा है और यह समारोह प्लैटिनम जयं ी वर्ष की समाप्ि ा क चलेगा। बैंक इन प्रयासों का उपयोग अपने ग्राहक आधार को बढाने के लिए कर रहा है।

बैंक द्वारा अपनी छवि बिखारने की प्रक्रिया बाजार में उसकी उपस्थि ि को सकारा मक रूप से प्रभावि ा कर रही है। श्री एम.नरेंद्र, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का नाम बिज़नेस टुडे पत्रिका के हाल ही के मार्च 2011 के अंक में उच्च 10 भार ीय मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) - भार ा और विश्व के बहुचर्चि ा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों - की सूची में आया है।

सभी स् ारों पर सक्षम और समर्पि ा स्टाफ था सकारा मक औद्योगिक संबंध परिवेश के चल े बैंक उपलब्ध सभी कारोबार अवसरों का उपयोग कर े हुए उन्हें न ीजों में परिण ा कर रहा है और इस में वह अपने व्यापार विकास को कोई ख ारा नहीं देख ा।

वि ीय समावेशन

उन गाँवों में (जिनकी आबादी 2000 से ऊपर है)जहाँ बैंकिंग सेवाएँ अभी क नहीं पहुँची है वहाँ बैंकिंग सेवाओं का विस् ार करने के उद्देश्य से भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कारोबार संपर्की के ज़रिए बैंक ने स्मार्ट कार्ड बैंकिंग की शुरूआ ा की है। ग्रामीण जन बयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड और हस् ाचालि ा उपकरण की सहाय ा से अपने गॉव में ही बैंकिंग लेने-देन को अंजाम दे सक े हैं । कारोबार प्र िसंवादी बैंकिंग सेवाओं को प्रारंभिक ौर पर प्रदान करेंगे। हस् ाचालि ा उपकरण में स्थानीय भाषा में आवाज की सुविधा भी है और यह अशिक्षि ों के लिए भी प्रयोग सहज है।

इस आशय से बैंक ने देश भर में स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के ह ा 781 गाँवों को कवर किया है। उक ा के अलावा, अन्य 30 गाँवों को कारोबार

Public Sector Banks and the past Chairmen of the Bank participated in the function. On this occasion, 75 branches and 75 Automatic Teller Machines (ATMs) were opened. The Bank has launched new products viz. SB Student IOB MSE Plus, Bhumilakshmi. The Bank also extended its reach of its **IOB Sampoorna,** an innovative rural development project and distributed scholarships to Girl Students. As a part of our Bank's Platinum Jubilee Celebrations in New Delhi, a booklet titled "Success Stories... Making India grow since 1937" was released by the Hon'ble Union Ministers of State for finance Shri Namo Narain Meena and Shri S.S. Palanimanickam. An exhibition of Self Help Groups products was also organized.

Platinum Jubilee Celebrations is being celebrated with customer and public participation in various places of the country till the end of the Platinum Jubilee year. The Bank has been translating these efforts for expanding the customer base.

The Bank's image building exercise is impacting its presence well in the market. Shri M.Narendra, Chairman and Managing Director of the Bank has figured in the list of Top 10 Indian CEOs – India's and World's most talked–about CEOs in March 2011 published in the press recently (Business Today magazine).

With the strong and committed staff at all levels and with the positive industrial relations climate, the Bank has been converting all the available business opportunities into results and do not foresee any threats in its business growth.

Financial Inclusion

With a view to extending banking services and products in un-banked villages (having population of over 2000) the Bank introduced Smart Card Banking through Business Correspondent as per the guidelines of Reserve Bank of India. Rural people can transact banking business at the village itself with the use of biometric smart cards and Hand Held Devices. Business Correspondents deliver the services at the front end. The devices are voice enabled in vernacular language and user friendly for illiterates.

The Bank so far covered 781 allotted villages under Smart Card Banking across the country. In addition

प्रा िसंवादियों की सेवाएँ प्रदान की गयी है। समवे ा ा: स्मार्ट कार्ड बैंकिंग 16 राज्यों और 1 संघ शासि ा प्रदेश में अमल की जा रही है जो 33 क्षेत्रों में फैली हुई है। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 5,38,219 नो-फ्रिल्स बच ा बैंक खा ो खोले हैं और 36,625 बयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किये है।

चेन्नै स्थि ा भार ाीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने अप्रैल 2010 में जारी प्रेस विज्ञप्ि में वि ाीय समावेशन के ाह ा हमारे बैंक की पेहल की प्रशंसा की है और उल्लेख किया है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ही एक मात्र ऐसा बैंक है जिसने सूचना और संप्रेषण ाकनॉलजी प्रा िमान का उपयोग कर ो हुए राज्य में अपने ग्रामीण परिचालनों की शुरूआ ा की है । भार ाीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक ने भी बैंक द्वारा किये गये अच्छे कार्य के लिए बधाई दे ो हुए एक विशिष्ट पत्र द्वारा बैंक के निष्पादन की प्रशंसा की है।

वि ाीय समावेशन के लिए बैंक ने स्कोच पुरस्कार प्रा ा किया है। यह पुरस्कार बैंक को उसके द्वारा ामिलनाडु के पापनासम क्षैत्र में कानि जाि के इलाकों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की उसकी अप्रा िम कोशिश के लिए दिया गया है । वि ाीय समावेशन दिवस (23.01.2011) को बैंक ने "स्माइल" नामक योजना की शुरूआ ा की और उस के लिए वॉक-इन बैंक अभियान चलाया। इस दौरान 2.20 लाख नो फ्रिल्स खा ो खोले गये।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजि ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) यथा पांड्यन ग्रामा बैंक और नीलाचल ग्राम्या बैंक ने वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन किया है। पांड्यन ग्रामा बैंक ने कर की कटौ ाी के बाद निवल लाभ हासिल किया है जो कि वह पिछले 14 सालों से कर ाा आ रहा है और उसने लगा ाार 8 वर्षों से शून्य निवल एनपीए दर्ज किया है। पांड्यन ग्रामा बैंकृ ने अपनी सभी 203 शाखाओं में श ा-प्रा िश ा कोर बैंकिंग सोल्यूशन स्थापि ा कर दिया है। नीलाचल ग्राम्य बैंक ने अपनी संचयि ा हानि को निर्धारण से 2 साल पहले ही पूर्ण ा: समा ा कर दिया है।

ग्राहक सेवा

बैंक बैंकिंग कोड व मानक बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआइ) के सदस्य हैं और बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कोड व मानक बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआइ) द्वारा ड्राफ्ट किए गए कोड को अपनाया है। इस वर्ष के दौरान बीसीएसबीआइ द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों को शामिल कर ग्राहक सेवा से संबंधि ा चेक वसूली नीि ा दस ाावेज को संशोधि ा किया गया । नवंबर 2010 के दौरान सभी शाखाओं में ग्राहक पखवाडा मनाया गया।

to the above, other 30 villages were provided with the service of Business Correspondent.In all, smart Card Banking is being implemented in 16 States and 1 Union Territory spreading over 33 Regions. During the year under review the Bank has opened 5,38,219 No-frills SB accounts and issued 36,625 biometric smart cards.

Regional Director, Reserve Bank of India, Chennai appreciated our Bank's initiative under Financial Inclusion plan in a press release that Indian Overseas Bank was the only Bank to have begun its rural operation in the State using Information and Communication Technology model in April 2010. The Executive Director, Reserve Bank of India also appreciated Bank's performance by a special letter congratulating the good job done by the Bank.

The Bank bagged SKOCH AWARD for Financial Inclusion. Award was conferred to the Bank for redefining the concept of last mile banking when it took the banking services to the Kaanni Tribal hamlets in Papanasam, Tamil Nadu. On the Financial Inclusion Day (on 23.01.2011) , “Smile” – Walk-in-bank campaign was launched and over 2.20 lacs No- frill accounts were opened.

Regional Rural Banks

The Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, viz., Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank performed well during the year. Pandyan Grama Bank has earned Net Profit After Tax consecutively for the past fourteen years and recorded NIL Net NPA continuously for the past eight years. Pandyan Grama Bank has achieved 100% Core Banking Solution of all 203 branches. Neelachal Gramya Bank has completely wiped out the accumulated loss two years ahead of schedule.

Customer Service

The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to Bank's Customers drafted by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). During this year, the Cheque Collection Policy document relating to customer service, was amended by incorporating the guidelines issued by BCSBI. Customer Fortnight was observed in all branches during November 2010.

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं :

क्रम सं.	विवरण	केंद्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालयों में
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	58	62
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1009	1447
3	वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	1022	1398
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	45	111
	निपटारा की दर %	95.78	92.64

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय और बैंक द्वारा कार्यान्वित निर्णयों की संख्या निम्नवत हैं :

- वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या 1
- वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या 0
- वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या 0
- वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या 1

शिकायतें सीधे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों (पत्रों, ई-मेल और टेलीफोन के माध्यम से)को प्राप्त हो रही हैं। साथ-साथ अन्य माध्यम जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग लोकपाल , भारत सरकार आदि से प्राप्त हो रही हैं। वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा केंद्र, चेन्नै नगर जिसके लिए बैंक चेन्नै नगर में संयोजक है, ने सभी शिकायतों का समाधान किया है।

शिकायतें प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसी की सेवाएँ लेकर ग्रहकों को टोल फ्री टेली सर्विसेज (1800-425-4445) उपलब्ध करवायी गयी है। इन शिकायतों का निपटान 48 घंटों के भीतर किया जाता है।

रिटेल बैंकिंग और विपणन

इस वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के तहत कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शुल्क आधारित आय के तहत जीवन व साधारण बीमा उत्पादों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है । वर्ष 2010-11 के दौरान शुल्क आधारित उत्पादों में वृद्धि होकर 27.26% हासिल किया है।

भारतीय जीवन बीमा के कार्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन पालिसियों के वितरण के तहत प्रीमियम तथा कमीशन आय दोनों में अच्छी वृद्धि हुई। इस प्रकार बैंक भारतीय जीवन बीमा के लिए एक नंबरी कार्पोरेट एजंट का दर्जा हासिल किया है।

The details of customer complaints received and redressed during the year 2010-11 are given below.

Sl. No.	Details	At Central Office	At Regional Offices
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	58	62
2.	No. of complaints received during the year	1009	1447
3.	No. of complaints redressed during the year	1022	1398
4.	No. of complaints pending at the end of the year	45	111
	Settlement Rate %	95.78	92.64

Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

- No. of complaints pending at the beginning of the year 1
- No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year 0
- No. of awards implemented during the year 0
- No. of unimplemented awards at the end of the year 1

The Complaints are being received directly by Central Office and Regional Office (through letters, e-mails and telephone) and also through other channels like Reserve Bank of India, Banking Ombudsman, Government of India etc. Customer Service Centre, for which the Bank is the Convenor in Chennai City, had resolved all the complaints during this year.

Customers are provided with the facility of Toll Free Tele services (No.1800-425-4445) by engaging an outside agency for receiving complaints. These complaints are being resolved within 48 hours.

Retail Banking and Marketing

The business under retail banking segment showed a remarkable improvement during this year. Under fee based income, Life and General Insurance products showed tremendous growth. The income from fee-based products registered a growth of 27.26 % in 2010-11.

Distribution of life policies as a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India showed excellent growth both in premium mobilization as well as commission income. Bank had achieved the status of No.1 Corporate Agent of LIC of India.

जीवन बीमा उ पदों से प्रा ा आय में 39.40% वृद्धि हुई जो वर्ष 2009-10 से अधिक है। गैर जीवन बीमा उ पदों से प्रा ा आय में 57.58% वृद्धि हुई जो वर्ष 2009-10 से अधिक है। बीमा संबद्ध उ पादों जैसे कि आइओबी जीवन, आइओबी हेल्थ केयर प्लस, सुरक्षा सहि ा विद्या ज्यो ि (शिक्षा ऋणों के लिए बीमा कवर होगा) में प्रभावो पादक वृद्धि जारी रही है। यूनिवर्सल सोंपो जनरल इन्श्योरेंस के कार्पोरेट एजेंट के रूप में गैर जीवन बीमा उ पादों के वि ारण में अच्छा कारोबार दर्ज हुआ और आय में वृद्धि हुई ।

स्वर्ण मुद्राओं की रिटेल बिक्री में आकर्षक वृद्धि हुई । म्युच्युअल फंड वि ारण के ह ा संग्रहण को विशेष फोकस प्रा ा हुई और बैंक की शुल्क आधारि ा आय को अधिक योगदान दिया।

आवास ऋणों और शिक्षा ऋणों के प्रमुख योगदान से रिटेल ऋण पिछले वर्ष के मुकाबले 20.35 % ाक वृद्धि हुई ।

रिटेल कारोबार को बढाने के लिए वर्ष 2010-11के दौरान निम्नलिखि ा अभियान चलाए गए :

- स्वर्ण मुद्राओं की बिक्री के लिए अक्षय ृ ीय अभियान
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड का अभियान
- बच ा बैंक खा ों को बढाने के लिए बच ा बैंक माह
- विद्यार्थियों के खा ों के प्रचार के लिए " कैच देम यंग "
- रिटेल स्वर्ण मुद्राओं की बिक्री को बढाने के लिए स्वर्ण मुद्राओं का अभियान
- आवास ऋणों को बढाने के लिए प्लाटिनम जुबिली आवास ऋण प्रदर्शन
- कर बच ा उ पादों के लिए कर बच ा माह का अभियान
- ग्राहक पहुँच कार्यक्रम जैसा कि " वॉक इन बैंक " और " आइओबी स्माइल " अभियान।

लक्ष्य प्रवर्गों से कारोबार प्रा ा करने के लिए और उनसे संबंधि ा कारोबार को बढाने के लिए नये उ पाद विकास जैसे कि - विशिष्ट और फोकस किये गये उ पाद अर्था ा कार्पोरेट वे ान, एसबी स्टुडेंट, एसबी प्लाटिनम, सीडी सुप्रीम, उपहार कार्ड और आइओबी कैरियर ड्रीम आदि का विकास व विपणन किया गया है ।

उक ा सभी समन्वयिक अभियान और नये उ पादों की शुरूआ ा से रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में समग्र वृद्धि के साथ-साथ ग्राहक आधार में भी वृद्धि हुई ।

Income from life insurance products grew by 39.40% over 2009-10, income from marketing of non life insurance products by 57.58% over 2009-10.Insurance linked products like IOB Jeevan, IOB Healthcare Plus, Vidya Jyothi with Suraksha (insurance cover for Educational Loans) continued to register impressive growth . Distribution of non life insurance products as a Corporate Agent of Universal Sompo General Insurance had resulted in good business and income realizations.

Retail Sale of Gold coins continued to show impressive growth. The mobilization under Mutual Fund Distribution also received special focus and contributed to the fee based income of the Bank.

Retail Loans improved by 20.35% over the previous year with Housing Loans and Educational Loans as major contributors.

The following campaigns were conducted during the year 2010-11 for improving the retail business:

- Akshaya Thrithiai Campaign for Sale of Gold Coins.
- Debit & Credit Card Mobilisation Campaign.
- SB Month for Savings Account Expansion.
- “Catch them Young” for canvassing Student Accounts.
- Gold Coin Campaign for increasing retail gold coins sale.
- Platinum Jubilee Home Loan Exhibition to expand Home Loans.
- Tax Saving Month Campaign for Tax Saving Products.
- Customer Reach programmes like “Walk in Bank” and “IOB Smile” Campaigns.

New product developments such as - Special and focused products like Corporate Salary, SB Student, SB Platinum, CD Supreme, Gift Card and IOB Career Dream were developed and marketed to capture and expand business from the target segments.

All these coordinated campaigns and introduction of new products not only improved the retail business segment but also strengthened its customer base.

राजभाषा नीि

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीि के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए। वर्ष के दौरान 192 स्टाफ सदस्यों, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप् नहीं है, को आइओबी प्रवीण था बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप् 1912 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षि किया गया। केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ बनाने हे ु सभी विभाग प्रमुखों के लिए 25-09-2010 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बोर्ड स्रीय सभी बैठकों के कार्यवृ ा का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भार सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रिष्ठापि किया और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग के प्रयोजन की दृष्टि से आइ ओ बी ऑनलाइन में हिन्दी शुस्हा फॉण्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ बैंक ने ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई है। बैंक ने 1412 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। बैंक ने त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका " वाणी " के चार अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध करवा दी गई है।

भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों था वि ीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजि अं र बैंक हिन्दी पत्रिका प्रियोगि ा में वर्ष 2009-10 हे ु बैंक की गृह-पत्रिका " वाणी " को ृ ीय पुरस्कार प्राप् हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान राजभााषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड के ह बैंक को सां वना पुरस्कार प्राप् हुआ। 14 सिांबर 2010 को भार के महामहिम उप राष्ट्रपि महोदय श्री मोहम्मद हमीद अन्सारी से बैंक के महा प्रबंधक श्री अशोक शंकर ने यह पुरस्कार प्राप् किया।

केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिि से संबंधि निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों था शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए।

Official Language Policy

The Bank took all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2010-11. During the year, 192 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 1,912 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. Rajbhasha Sangoshti was held on 25.09. 2010 for heads of Central Office departments to strengthen the Official Language Implementation.

Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Government of India, the Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading the same in IOB ONLINE. The Bank has also provided the Banking terminology in IOB ONLINE for the benefit of staff members. The Bank has given necessary training to 1412 staff members for the use of Hindi in computers. The Bank has published all the four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form. The Bank's website has been made available in Hindi also.

The Bank has been awarded Third Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2009-10 by Reserve Bank of India in the Inter-Bank Hindi Magazine Competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. The Bank has been awarded Consolatiion Prize under Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2009-10 for commendable work in the area of Official Language Implementation. The award was received by our Bank's General Manager Shri Ashok Shankar from His Excellency Vice President of India Shri Mohd. Hamid Ansari on 14th September, 2010.

Regional Offices were inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगि का जायजा लेने हे ु दिनांक 18 से 20 जून 2010 क राजभाषा अधिकारियों के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण और राजभाषा समीक्षा बैठक आयोजि की गयी। संसदीय राजभाषा समि की आलेख व साक्ष्य उप-समि ने कोयंब ूर और झांसी नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समि के अध्यक्ष एवं सदस्य बैंकों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। हमारे बैंक को भी चर्चा हे ु शामिल किया गया और समि ने हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर सं ुष्टि ज ाई ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भार सरकार से वर्ष 2009-10 के दौरान राजभाषा नी के कार्यान्वयन में अपने प्रयासों के लिए चेन्नै नगर राजभाषा कार्यानवयन समि के संयोजक के रूप में बैंक ने द्वि ीय पुरस्कार प्रा किया। यह पुरस्सकार 22 दिसंबर 2010 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन द्वारा प्रदान किया गया । समि की ओर से बैंक ने दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाएँ , 12 अं र-बैंक हिन्दी प्र ियोगि ाएँ, संयुक् हिन्दी माह समारोह कार्यक्रम एवं सदस्य बैंकों / वि ीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों हे ु हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजि किये । बैंक के कारोबार को बढाने / मानव संसाधन विकास था बैंकों में विपणन का मह व और धोखाधडियों का निवारण विषयक हिन्दी में विशिष्ट संगोष्ठी का आयोजन क्रमश: 21 02 2011 और 12 03 2011 को कार्यपालकों के लिए किया गया। इसके अ िरिक् दो अर्ध वार्षिक बैठकें भी आयोजि की गईं। अर्ध वार्षिक गृह पत्रिका "चैन्नै भार ी" के दो अंक प्रकाशि किये गये।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

कार्पोरेट गवर्नेन्स की व्याख्या कार्पोरेट विधि से भी अधिक विस् ृ है। यह एक मूलभू नी है जिसके द्वारा न केवल कानून की अपेक्षा पूरी की जा ी है बल्कि समाज के प्र ि दायि व को भी पूरा किया जा ा है। अच्छे गवर्नेन्स से उ पन्न सामाजिक दायि व से कारोबार की सामाजिक अनुरूप ा बढ ी है। कार्पोरेट संस्कृ ि, खुलेपन और सामाजिक दायि व युक्त कार्पोरेट इकाई को सृजि करने के लिए यह आवश्यक है ।

Annual Official Language Review Meeting and Unicode training for Official Language Officers was held from18th to 20th June 2010 to assess the progress made in the area of Official Language implementation in Regional Offices. The drafting and evidence Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language had discussions with the Chairman and heads of Banks of Town Official Language Committees at Coimbatore and Jhansi. The Bank was also included for discussion and the committee expressed satisfaction over the performance of the Bank at these centers.

As Convenor of Chennai Town Official Language Implementation Committee, the Bank has received the Second Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2009-10 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Prize was given by Shri Ajay Makan, Hon' ble Minister of State for Home Affairs, New Delhi on 22nd December 2010. On behalf of the committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, 12 Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration function and Hindi Unicode training programme for the staff members of member banks / Financial Institutions. A special Seminar in Hindi on Increasing Banking business / Human Resource Development and Importance of Marketing in banks / Prevention of frauds for Executives were held on 21.02.2011 and 12.03.2011 respectively. In addition to this, two half yearly meetings were also conducted. Two issues of half-yearly magazine of "Chennai Bharathi" were brought out.

Corporate Governance

Corporate Governance extends beyond Corporate Law. Its fundamental principle is not only fulfilling the requirement of law but also fulfilling its responsibility towards the society. The social responsibility evokes from the good governance enhances the social relevancy of a business; It is needed to create a corporate culture, openness and social responsive corporate entity.

बैंक ने सुपरिभाषि ा आचरण संहि ा बनाई है जिसमें ईमानदारी, बैंक हि ों की रक्षा और गोपनीय ा के बारे में उल्लेख है। साथ ही बैंक अच्छे आचरण की आवश्यक ा पर बल दे ा है जो अच्छे गवर्नेंस का आधार है। यह आचरण संहि ा मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधक) पर लागू हो ी है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स के लिए भार ीय रिज़र्व बैंक , भार ीय प्र िभू ि एवं विनिमय बोर्ड था अन्य विनियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों का बैंक ने अनुपालन किया है , जिसकी जाँच सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने की है। बैंक अच्छे गवर्नेन्स को उच्च प्राथमिक ा दे ा है जो कि बैंक की पारदर्शी स्वामि व की रूपरेखा , लेखांकन प्रक्रियाओं और प्रबंधन में परिलक्षि ा हो ा है। बैंक का निदेशक मंडल अच्छे गवर्नेन्स का प्रव िन करने में और बेह रीन प्रक्रियाओं , संसाधनों और आचार-नी ि के मानकों का अनुपालन करने में और उनको अमल में लाने संबंधी नी ियों की रूपरेखा सृजि ा करने में अपनी भूमिका को पहचान ा है।

पारदर्शि ा और सक्षम ा को सुनिश्चि ा करने के लिए अपने कारोबार के आचरण में नी िग ा प्रक्रियाओं के लिए अपनी प्र िबिद्ध ा के द्वारा बैंक अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चि ा कर ा है। उच्च प्रकटीकरण मानकों और वि ीय रिपोर्टिंग में पारदर्शि ा का पालन करने के लिए बैंक प्र िबिद्ध है ाकि निवेशकों और शेयरधारकों को पर्याप् ा रूप से सूचि ा किया जा सके। संगठन और उसके शेयरधारकों के बीच समुचि ा जवाबदेही के लिए यह अ यं ा आवश्यक है।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेन्स के अधीन आनेवाली श ों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मंडल

श्री एस.ए.भट, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक 31.10. 2010 को अपने पद से सेवा-निवृ ा हुए। श्री एम.नरेंद्र ने 01.11.2010 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला । श्री वाई.एल.मदान, कार्यपालक निदेशक 31.08.2010 को अपने पद से सेवानिवृ ा हुए। श्री ए.के.बंसल ने 01.09.2010 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

The Bank has laid down a well-defined, Code of Conduct, which addresses issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stress the need of ethical conduct, which is the basis for good governance. This Code of Conduct is applicable to all the members of the Board and the Senior Management (i.e. General Manager) of the Bank.

The Bank has complied with the guidelines of Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for Corporate Governance, which has been examined by the Statutory Central Auditor. The Bank gives high priority to good Governance, which reflects in transparent ownership structure, management and accounting practices of the Bank. The Board recognizes its role in promoting good governance and in creating a framework of best practices, processes and ethics to observe and foster high ethical standards.

The Bank facilitates good Corporate Governance by its commitment for ethical practices in the conduct of its business, to ensure transparency and efficiency. The Bank is also committed to follow high disclosure standards and transparency in financial reporting so as to keep investors and stakeholders adequately informed. It is essential for proper accountability between organization and its stakeholders.

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, Management Discussion & Analysis Report, Report on Corporate Governance as well as certificate by the auditors regarding Compliance of the conditions of Corporate Governance form part of this Annual report.

Board of Directors

Shri S.A.Bhat, Chairman and Managing Director, demitted office on 31.10.2010 on his superannuation. Shri M.Narendra assumed charge as Chairman and Managing Director on 01.11.2010. Shri Y.L. Madan, Executive Director, demitted office on 31.08.2010 on his superannuation. Shri A.K.Bansal, assumed charge as Executive Director on 01.09.2010.

श्रीम ी चित्रा चंद्रमौलीश्वरन , भार ीय रिज़र्व बैंक की नामि ी निदेशक 29.07.2010 को अपने पद से सेवा निवृ ा हुईं । भार ा सरकार ने श्री एस.वी.राघवन को 30.07.2010 से भार ीय रिज़र्व बैंक के नामि ी निदेशक के रूप में मनोनी ा किया ।

श्री एन.श्रीधरन , कर्मकार कर्मचारी निदेशक ने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा होने पर पद याग किया । उनके स्थान पर भार ा सरकार ने श्री श्रीधर लाल लखोटिया को दिनांक 09.08.2010 से कर्ममार कर्मचारी निदेशक के रूप में मनोनी ा किया ।

निदेशक मंडल ने भू ापूर्व निदेशकों द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान को रिकार्ड किया और नए निदेशकों का हार्दिक स्वाग ा किया ।

आभारोक्ि ा

निदेशक मंडल ने भार ा सरकार, भार ीय रिज़र्व बैंक, भार ीय प्रि ाभूि ा एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)और स्टॉक एक्स्चेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों एवं वि ीय संस्थाओं से प्राप्ा मूल्यवान सहयोग को रिकॉर्ड किया। निदेशक मंडल ने हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी, वि ीय पर्यवेक्षी सेवाएँ, कोरिया, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, बैंक नेगारा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड और स्टेट बैंक ऑफ विय ानाम और सेन्ट्ल बैंक ऑफ यूएई के प्रि ा भी उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों , शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों और भार ा में और विदेश में स्थि ा बैंक के संपर्कक ाओं को, उनकी सद्भावना व उनके संरक्षण को रिकार्ड कर ाा है । निदेशकगण बहु ा खुश हैं कि कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के सकारा मक दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक संबंध बहु ा सौहार्दपूर्ण और आनंदपूर्ण हैं।

निदेशक मंडल के लिए ाथा उसकी ओर से

चेन्नै
02 मई 2011

एम.नरेन्द्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Smt. Chitra Chandramouliswaran, Reserve Bank of India nominee director, demitted office on 29.07.2010. The Government of India (GOI) nominated Shri S.V.Raghavan, as Reserve Bank of India nominee director with effect from 30.07.2010.

Shri N.Sridaran, demitted office as Workmen Employee Director on 19.04.2010, on completion of his tenure of three years. The Government of India (GOI) nominated Shri Sridhar Lal Lakhotia, as Workmen Employee Director with effect from 9.8.2010.

The Board of Directors place on record the valuable contributions made by the erstwhile Directors and extend a warm welcome to the new Directors.

Acknowledgements

The Board of Director place on record the valuable co-operation received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Stock Exchanges, various State Governments and Financial Institutions. The Board expresses its gratitude to the Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Financial Supervisory Services, Korea, Central Bank of Sri Lanka, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara, Malaysia, Bank of Thailand, State Bank of Vietnam and Central Bank of UAE for their support.

The Board of Directors records the patronage and goodwill of the valued customers, shareholders, other stakeholders and correspondents of the Bank in India and abroad. The Directors are happy that the industrial relations are very cordial and happy on account of positive attitude on the part of Employees' Union and Officers' Association.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
May 2 , 2011

M.NARENDRA
Chairman and Managing Director

प्रबंधन विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक वा ावरण

वैश्विक अर्थव्यवस्था वसूली की राह पर था। सी एम आई ई के आकलन के अनुसार 2010-11 में भार ीय अर्थव्यवस्था जो एक उभर ी हुई अर्थव्यवस्था है, में 8.6% की वृद्धि दर्ज़ की गयी। कृषि क्षेत्र में 2009-10 की ुलना में बड़ा उछाल आया। औद्योगिक उ पादन के सूचकांक में उ ार चढ़ाव बना रहा। सेवा क्षेत्रों में अनमोल वृद्धि दर्ज़ की गयी। अर्थव्यवस्था को मुख्य चिं ा मुद्रा स्फीी ि को लेकर है। 2010-11 में आकलि ा मुद्रा स्फीी ि 8% से अधिक रहने की आशा है जो मुख्य ा: प्राथमिक वस् ुओं खासकर खाद्य पदार्थों में मुद्रा स्फीी ि के कारण हैं।

बैंकिंग वा ावरण

पूरे वर्ष भर आसान मौद्रिक से कठिन मौद्रिक नी ि की ओर बढ़ने का सिलसिला जारी रहा । ब्याज दर परिदृश्य ये वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उछाल रहा ।

पिछले एक साल में भार ीय रिजर्व बैंक ने नी ि दरों में आठ गुना वृद्धि की ाकि मुद्रा स्फीी ि को नियंत्रि ा किया जा सके । परिणामस्वरूप रेपो दर में 200 बेसिस प्वाइंट की बढ़ो री हुयी जो 6.75% रहा और रिवर्स रेपो दर में 250 बेसिस प्वाइंट जो 5.75 % रहा ।

धीमी जमा गि ि की वजह से बैंकिंग प्रणाली में रल ा की समस्या बनी रही जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि की पृष्ठभूमि में वरि ा ऋण वृद्धि के साथ ालमेल नहीं स्थापि ा कर सका । बैंकिंग उद्योग के रल ा समस्या को सरल बनाने के लिए भार ीय रिजर्व बैंक ने अपनी ीसरी ि िमाही की मौद्रिक समीक्षा के दौरान एस एल आर को 100 बेसिस प्वाइंट यानी 24% कम कर दिया जो 18 दिसंबर 2010 से प्रभावी है । इस उपाय के बावजूद जमा वृद्धि और साथ ही साथ ऋण वृद्धि में अन् राल बना रहा ।

बैंक - परिचालन

जमाएं

बैंक का समग्र देशी जमाएँ मार्च 2010 में रु. 1,05,434 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 में 140381 करोड़ हो गयीं जो 33.15% की वृद्धि है । देशी अंत का कासा अनुपा ा घट कर मार्च 2011 में 30.71% रहा जबकि यह मार्च 2010 में 33.64% था । मार्च 2011 में इसके औस ा कासा अनुपा ा में 32.72% रही जो कि मार्च 2010 में 29.97% थी ।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment

Global economy was on the recovery path. The Indian economy, one of the emerging economies recorded a growth rate of 8.6 percent in 2010-11 according to CMIE estimate. Agriculture rebounded from a down turn in 2009-10. Index of industrial production continues to be volatile. Services sector witnessed robust growth. Inflation is the primary concern of the economy. Inflation is estimated to be higher than 8% in 2010-11mainly due to inflation in primary articles particularly food articles.

Banking Environment

The year traversed from easy money policy to tight money policy. The banking system witnessed upward bias in interest rate scenario from the beginning of the financial year.

In the past one year, Reserve Bank of India has hiked the policy rates eight times towards containing the inflation. As a result, Repo rates were increased by 200 basis points to 6.75 % and Reverse repo by 250 basis points to 5.75 %.

There has been liquidity constraints in the Banking system as a result of slower deposit accretion which could not be matched with the accelerated credit growth in the backdrop of improved growth in the economy. Towards easing the liquidity problem of the banking industry Reserve Bank of India, in its third quarter monetary review policy reduced Statutory Liquidity Ratio by 100 basis points to 24% effective from December 18, 2010. Despite this measure, the gap in deposit growth vis-à-vis credit growth persisted.

THE BANK'S OPERATIONS

Deposits

The Bank's aggregate domestic deposits went up from ₹ 1,05,434 crore in March 2010 to ₹ 1,40,381 crore in March 2011 with a growth of 33.15 %. Though the domestic terminal CASA ratio came down to 30.71 % in March 2011 compared to 33.64% in March 2010, the real growth is exhibited in its average CASA ratio at 32.72 % in March 2011 compared to 29.97% in March 2010.

ऋण

बैंक ने अपने अग्रिमों के पोर्टफोलियो में 41.16% की प्रचलि ा वृद्धि दर्ज की । सकल अग्रिम भार ा में मार्च 2010 के अं ा में रु. 73026 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 के अं ा में रु. 1,03,087 हो गया।

प्राथमिक ा क्षेत्र उधार

भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2010 - 2011 के लिए प्राथमिक ा क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ि की गणना मार्च 2010 के समायोजि ा निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) को आधार मान कर किया गया है । मार्च 2011 को समाप्ा वर्ष के लिए प्राथमिक ा क्षेत्र अग्रिम से समायोजि ा निवल बैंक ऋण 44.47% पर रहा । यह राशि रु.32,648.15 करोड़ रही । इस प्रकार बैंक का प्राथमिक ा क्षेत्र के अग्रिमों के लिए निर्धारि ा लक्ष्य यानी 40% से 4.47% अधिक रहा ।

एम एस एम ई

मार्च 2011 के अं ा क बैंक ने एम एस ई क्षेत्र को रुपये 14,622 करोड़ का ऋण दिया । इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिया गया अग्रिम रुपये 11,839 करोड़ भी शामिल है जो प्राथमिक ा क्षेत्र के ह ा ही आ ा है । एम एस एम ई क्षेत्र को बैंक द्वारा दिया गया ऋण 25.40 % से बढा दिया गया जो निर्दिष्ट लक्ष्य 20 % से अधिक है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र के लिए खास उ पाद प्रारंभ किए । आइ ओ बी सी ए सनदी लेखाकारों के लाभ के लिए प्रारंभ किया गया । सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए विशेष उ पाद आइ ओ बी एम एस ई प्लस भी शुरु किया गया । इस उ पाद के ह ा उधारक ा सी जी टी एम एस ई कवर के ह ा अन्य पक्ष गारंटी और संपार्श्विक के बिना रु. 100 लाख क ऋण ले सक ा है ।

एम एस ई क्षेत्र को आसान निबंधनों व श ाों पर ऋण प्रदान करना सुनिश्चि ा करने के लिए बैंक ने टाई अप व्यवस्था जारी रखी । वर्ष के दौरान बैंक ने ट्रकों व वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को वि ापोषण प्रदान करने के लिए अशोक लेलैंड लिमिटेड से और सस्टेनटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड से गामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में उर्जा सक्षम स्टोव को वि ापोषण करने के लिए समझौ ा ज्ञापन पर हस् ाक्षर किया ।मौजूदा गठजोड़ व्यवस्था और नए समझौ ा ज्ञापन के ह ा वर्ष के दौरान 14000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए । उभर े एम एस एम ई उद्यमियों के कौशल को बढ़ाने, अद्य ान

Credit

The Bank registered all time high growth at 41.16 % in its domestic advances portfolio. The gross advances in India had gone up to ₹ 1,03,087 crore as at the end of March 2011 from ₹ 73,026 crore as at the end of March 2010.

Priority Sector Credit

As per the guidelines of Reserve Bank of India, attainment under Priority Sector for the year 2010-2011 is computed taking the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) of March 2010 as the base. For the year ended March 2011, the Priority Sector advance to Adjusted Net Bank Credit was at 44.47%, the quantum being ₹ 32,648.15 crore. Thus the Bank exceeded the stipulated norm of 40% under Priority Sector Credit by 4.47%.

MSME

The Bank extended credit of ₹ 14,622 crore to MSME sector as at the end of March 2011. This includes advances to Micro and Small Enterprises to the tune of ₹ 11,839 crore, which forms part of priority sector credit. The Bank increased advances to MSME sector by 25.40% surpassing the mandatory requirement of 20%.

The Bank launched new products exclusively made for MSME sector during the year. IOB CA was introduced to cater to the requirements of Chartered Accountants. IOB MSE PLUS, an exclusive credit product for Micro and Small Enterprises was also introduced. This product enables borrowers to avail composite loans up to ₹100 Lacs, without collateral and third party guarantee, under CGTMSE cover.

The Bank continued to focus on tie-up arrangements for ensuring hassle free flow of credit to MSE sector, on easy terms and conditions. During the year, the Bank signed Memorandum of understanding (MOU) with Ashok Leyland Limited for financing Trucks and Commercial Transport Vehicles and with Sustaintech India Private Limited for financing energy efficient stoves in rural and semi urban areas. MOU was also entered into with International Tractors Limited for financing their authorized dealers. Over 14,000 loans were

करने और विकसि ा करने के लिए पहल के रूप में बैंक ने ि ारुच्चि और कानपुर में डन और ब्रैड स्ट्रीट द्वारा आयोजि ा एम एस एम ई उद्यमी कार्यशाला को प्रायोजि ा किया ।

सी जी टी एम एस ई गारंटी योजना के ह ा संपार्श्विक रहि ा रु. 100 लाख क का ऋण मंजूर करने पर जोर दिया गया । वर्ष 2010-11 के दौरान सी जी टी एम एस ई के ह ा 22825 नए ऋण दिए गए । जो कुल मिलाकर रु. 817.47 करोड़ के बराबर रहा।

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान एम एस एम ई क्षेत्र के लिए राह ा पैकेज का कार्यान्वयन भी जारी रखा । कम ब्याज दर के साथ अन्य रियाय ों भी दी गयी । सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापि ा एस एम ई सुलभ केन्द्रों ने एम एस एम ई उद्यमियों को दिशानिर्देश और सहाय ाा जारी रखी ।

ामिलनाडु में सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए बैंक को मुख्य मंत्री की ट्राफी (प्रथम पुरस्कार) प्रा ा हुई । बैंक ने देशभर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को सक्रिय ाा से क्रियान्वि ा किया और करीब 750 परियोजनाओं को मंजूरी दी और बड़ी संख्या में रोज़गार सृजि ा किया ।

कृषि

वर्ष के दौरान बैंक का कृषि ऋण पोर्टफोलियों रु. 12597 करोड़ (मार्च 2010) से मार्च 2011 में रु. 16056 करोड़ हो गया जो रु. 3459 करोड़ की वृद्धि है । बैंक का कृषिग ा अग्रिम और समायोजि ा निवल बैंक ऋण अनुपा ा अपेक्षि ा मानदण्ड 18 % की ुलना में 21.87% अधिक था ।

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 16500 करोड़ के लक्ष्य के प्रि ा विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) के ह ा रु. 18547 करोड़ का संवितरण किया । पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र को संवि ारि ा ऋण की ुलना में इस वर्ष 39% की बढ़ो ारी हुई जबकि भार ा सरकार द्वारा विशेष कृषि ऋण पैकेज के ह ा निर्धारि ा बढ़ी हुयी ऋण 30 % ही है ।

जून 2010 को समा ा वर्ष के लिए कृषि अग्रिमों के ह ा मांग की उगाही 77.56% रही जो सं ाोषजनक है ।

sanctioned during the year under the new MOUs as well as other existing tie-up arrangements. As an initiative for upgrading, updating and developing the skills of budding MSME Entrepreneurs, the Bank sponsored MSME Entrepreneurship workshops conducted by Dun & Bradstreet at Trichy and Kanpur.

Thrust was given to sanction collateral free loans up to ₹ 100 Lacs under CGTMSE guarantee scheme. 22,825 fresh loans were brought under CGTMSE cover during 2010-11, aggregating to ₹ 817.47 Crore.

The Bank continued implementation of relief package for MSME sector during 2010-11 also. Various concessions including reduced rates of interest were continued. SME Facilitation Centers set up at all Regional Offices continued to guide and assist the MSME entrepreneurs.

The Bank was awarded Chief Minister's Trophy (First Prize) for best performance in lending to Micro Enterprises in Tamil Nadu. The Bank actively implemented Prime Minister's Employment Generation Program across the country and sanctioned over 750 projects, creating significant number of employment.

Agriculture

During the year, the agricultural credit portfolio of the Bank registered incremental growth of ₹ 3, 459 crore from ₹ 12,597 crore in March 2010 to ₹ 16, 056 crore in March 2011. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit was higher at 21.87% against the required norm of 18%.

The Bank disbursed ₹ 18, 547 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of ₹ 16,500 crore during the year. The increase in disbursement of credit to agricultural sector over the last year's disbursement was 39%, as against the incremental credit flow of 30% mandated by the Government of India under Special Farm Credit Package.

Recovery to demand under agricultural advances continued to be satisfactory at 77.56 % for the year ended June 2010.

नए कृषि ऋण उ पाद

बैंक ने निम्नलिखि ा कस्टमाइज्ड कृषि ऋण प्रारंभ किए हैं जो कृषको / व्यक्तियों / संस्थाओं की विशेष आवश्यक ााओं को पूरा कर सके ।

- **आइ ओ बी ग्रीन क्रेडिट :** अल्पकालिक उ पादन ऋण या निवेश ऋण या दोनें के लिए ।
- **आइ ओ बी शहरी बागवानी :** किचेन गार्डेन पुष्प गार्डेन, छोटा बगीचा या छ ा गार्डेन बनानें के लिए व्यकि ायों और संस्थाओं के लिए ।
- **आइ ओ बी एग्री ट्रान्सपोर्ट :** कृषिग ा उद्देश्यों के लिए प्रयोज्य दुपहिया ि ापिहिया और चार पहिया वाहन की खरीद के लिए ।
- **भूमिलक्ष्मी :** छोटे और सीमां ा कृषकों साझा कृषकों और किराया कृषकों के लिए कृषि उद्देश्य के लिये या आनुषंगी कार्यकलाप के लिए भूमि की खरीद के लिए

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी)

बैंक ने वर्ष के दौरान 2,23,964 के सी सी जारी किये हैं। मार्च 2011 के अं ा ाक बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संख्या 22,18,386 रही ।

सूक्ष्म वि ापोषण

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 620.21 करोड़ के ऋण के साथ 39778 स्वयं सहाय ाा समूहों को ऋण दिया । बैंक द्वारा कुल 4,00,397 स्वयं, सहाय ाा समूहों को ऋण दिया गया जिसमें मार्च 2011 ाक कुल संवि ारि ा राशि 3,489.81 करोड़ है ।

10 फरवरी 2011 को बड़े पैमाने पर एस एच जी लिंकेज का आयोजन किया गया । इसके बाद दिनांक 10.03.2011 ाक पूरे माह ाक एस एच जी क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम मनाया गया । बैंक के प्लाटिनम जयंती समारोह के भाग के रूप में अगस ा 2010 के दौरान माह को एस एच जी क्रेडिट लिंकेज माह के रूप में मनाया गया ।

जनश्री बीमा योजना (जे बी वाई)

जे बी वाई को जीवन बीमा निगम के द्वारा कार्यान्वि ा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है । जो हमारे बैंक से ऋण से जुड़े महिला स्वयं सहाय ाा समूहों को जीवन सुरक्षा प्रदान कर ाा है । कुल प्रीमियम राशि रु. 200/- है, 50% का भुग ाान सदस्य द्वारा किया जाएगा और शेष 50% सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा की जाएगी । इस योजना के ाह ा प नी को

New Agriculture loan products

The Bank has introduced the following customized Agriculture loan products to suit the specific needs of the farmers/individuals/Institutions:

- **IOB Green Credit** for meeting the short term production credit or investment credit or both.
- **IOB Urban Horticulture** to individuals and institutions for raising kitchen garden, flower garden, small orchards or roof gardens.
- **IOB Agri. Transport** for purchase of two –wheelers, three wheelers and four wheelers to be used for agriculture purpose.
- **Bhumilakshmi** to Small and Marginal farmers, share croppers and tenant farmers for purchase of lands for agriculture purposes or allied activities.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

The Bank issued 2,23,964 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2011 stood at 22,18,386.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 39778 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of ₹ 620.21 crore. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 4,00,397 SHGs with a total disbursement of ₹ 3,489.81 crore as of March 2011.

SHG Credit linkage was organized on a large scale on 10th February 2011 followed by a month long observance of SHG Credit linkage programme upto 10.03.2011, as part of Platinum Jubilee Celebrations of the Bank. Earlier, during August 2010, the month was observed as SHG Credit linkage month.

Janashree Bima Yojana (JBY)

JBY is a Social Security Scheme implemented through Life Insurance Corporation of India to provide life insurance cover to women Self Help Group members' credit linked to Banks. The total premium is ₹ 200, 50% payable by the member and balance 50% to be borne out of Social Security

जीवन सुरक्षा सदस्य द्वारा की प्रीमियम का अ ारिक ा रु. 40/- का भुग ान करने पर उपलब्ध है । लाभ के रूप में रु. 30,000 स्वाभाविक मृ यु पर और रु. 75000 दुर्घटना होने पर, इसके अलावा आश्रितों को छात्रवृ ि ा भी उपलब्ध है । वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 26642 महिला सदस्यों को कवर किया गया जो योजना के ह ा 1817 स्वयं सहाय ा समूहों से संबद्ध हैं ।

महिलाओं को ऋण सहाय ा

31 मार्च 2011 को बैंक द्वारा महिलाओं को रु. 11373.36 करोड़ का ऋण दिया गया जो बैंक के समायोजि ा निवल बैंक ऋण का 15.49% है जबकि मानदण्ड 5% है ।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक ामिलनाडु के 12 जिलों और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है । बैंक ामिलनाडु में राज्य स ारीय बैंकर्स समि ि का संयोजक भी है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एस एल बी सी (ामिलनाडु) का संयोजक होने के ना े बैंक ने ीन एस एल बी सी बैठकें आयोजि ा की और एक राज्य स ारीय समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया । इसके अलावा बैंक ने एम एस एम ई, आटो और आवास क्षेत्र, ब्याज रियाय ा योजना (शहरी गरीबों के आवास हे ु आइ बी ए के पैकेज पर विशेष एस एल बी सी व पंचाय ा स ारीय फेडरेशन के ऋण लिंक के लिए बैठकें आयोजि ा की। ि रुपुर में स्थापि ा कॉमन ट्रीटमेंट संयत्र और ामिलनाडु सरकार के बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए इमदाद मंजूर करने के लिए विशेष एस एल बी सी बैठकों का आयोजन भी किया गया । उपरोक ा बैठकों में सदस्य बैंकों के वरिष्ठ स ार के अधिकारी और ामिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने प्र ि भागि ा की ।

कार्पोरेट सामाजिक दायि व

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्दताओं के भाग के रूप में स्वास्थय शिक्षा सरीखे अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए दान व प्रायोजन के माध्यम से बैंक संरक्षण प्रदान करता रहा है ।

Fund. The Scheme covers the spouse at an extra premium of ₹40 payable by the member. The benefits include ₹ 30,000 on natural death and ₹ 75,000 on account of accidents, apart from scholarship to the wards. During 2010-11, the Bank covered 26,642 women members belonging to 1,817 SHGs under the Scheme.

Credit Flow to Women

As on 31 March 2011, Bank's credit to women amounted ₹ 11,373.36 crore constituting 15.49% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Banker's Committee of Tamil Nadu. During the year under review, as Convenor of State Level Bankers Committee (SLBC), Tamil Nadu, the Bank conducted three SLBC Meetings and one State Level Review Meeting. In addition, the Bank convened Special SLBC Meetings on IBA Package for MSME, Auto & Housing Sectors, Interest Subsidy Scheme for Housing Urban Poor (ISHUP) and on Credit Linking of Panchayat Level Federations. Special SLBC Meetings were also convened on grant of subsidy to Common Effluent Treatment Plants set up in Tiruppur and Government of Tamil Nadu's Unemployment Youth Employment Generation Programme. Senior level officials from member Banks and Government of Tamil Nadu participated in the above meetings.

Corporate Social Responsibility

The Bank has been extending its patronage by way of donations and sponsorship for vrious humanitarian activities in the field of education, health and other social causes as a part of its commitment towards corporate social resposibility.

आइ ओ बी संपूर्ण परियोजना - संपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने आइ ओ बी संपूर्ण योजना प्रारंभ की जो एक अनोखी ग्रामीण विकास योजना है और जिसका उद्देश्य पूरे भार I में 75 गावों का विकास करना है । आइ ओ बी संपूर्ण एक अद्वि ीय परियोजना है जिसमें गाँव में कई जीविकोपार्जक पहलें शामिल है ाकि ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास सुनिश्चि I किया जा सके ।

इसके अं र्ग I ऋण और गैर ऋण घटक जैसे वि ीय समावेशन, सूचना प्रौद्योगिकी युक I बैंकिंग परिचालन साथ ही कारोबार संपर्ककर्ता मॉडल के ह I बायो मेट्रिक स्मार्ट कार्ड, वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी, जल शोधन निकाय, स्वास्थ्य, कंप्यूटर में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबार संसाधन आउटसोर्सिंग गैर ने पारंपरिक उर्जा प्रो साहन और ग्रामीण पर्यटन आदि आ े हैं । संपूर्ण गाँवों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के मेधावी छात्राओं को शैक्षिक छात्रवृ I दी जा ी है । बैंक द्वारा अपनाए गए गावों में ग्रामीण पुस् Iकालय स्थापि I की गयी है ।

शक्ि I इण्डियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट

श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार - बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन , इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भार ीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक I रूप से की गई जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हे ु उनकी व्यावहारिक कुशल I में सुधार करने हे ु उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है। ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केन्द्रों पर 47 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) आयोजि I किए हैं, जिसमें 2865 महिलाएं लाभान्वि I हुई हैं।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर एस ई टी आई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भार I सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने Iमिलनाडु के 8अग्रणी जिलों में किसानों , एस एच जी के सदस्यों , एस जी एस वाई के ह I लाभभोगियों , शिक्षि I बेरोजगार युवकों, कारीगरों और गरीब वर्ग के लाभभोगियों को प्रशिक्षण देने के लिए आर एस ई टी आइ की स्थापना की है।

बैंक द्वारा (नाबार्ड Iथा इण्डियन बैंक के साथ संयुक I रूप से) कारैकुड़ी (शिवगंगा जिला, Iमिलनाडु) में एक ग्रामीण केन्द्र की

IOB-Sampoorna Project – A Total Village Development Project

During the year under review, the Bank has launched IOB Sampoorna which is an innovative rural development project aiming at Total Village Development of 75 villages all over India. IOB-Sampoorna is a unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population.

It comprises of credit and non-credit components such as Financial Inclusion, I.T. enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism. Education scholarship is being extended to meritorious Below Poverty Line (BPL) girl students hailing from Sampoorna villages. Rural Library was set up in villages adopted by the bank.

Sakthi Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M.Ct.M. Chidambaram Chettyar, continued to provide entrepreneurial development training to women, thereby empowering them socially and financially to meet the challenges. The Trust has so far conducted several skill based training programmes and 47 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) exclusively for women at various centres benefiting 2,865 women.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Government of India , the Bank had set up RSETIs at 8 Lead Districts in Tamilnadu to provide training to farmers, members of Self Help Groups , beneficiaries under Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana, Educated Unemployed Youths, Artisans and Beneficiaries belonging to weaker sections.

A Rural Training Centre was set up by the Bank (one jointly with NABARD and Indian Bank) at

स्थापना की गई थी जहाँ बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका में है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 85 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कुल 2293 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

वि ीय साक्षर ा और उधार काउंसिलिंग केन्द्र (एफ एल सी सी सी) जैसे स्नेहा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आम जन ा में वि ीय शिक्षा और जागरूक ा लाने के उद्देश्य से बैंक ने अग्रणी जिलों में 11 एफ एल सी सी सी की स्थापना की। इन केन्द्रों मे ग्रामीण और शहरी लोगों को विभिन्न वि ीय उ पादों/ औपचारिक वि ीय क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी, व्यक्ि ग ा रूप से जाकर वि ीय काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी और कर्जदारों को कर्ज काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी। एफ एल सी सी सी द्वारा वि ीय सेवाएं / उ पाद के मद्देनजर प्रयोक ा जन ा को सूचि ा विकल्प प्रदान किया जाएगा ाकि वे अधिक म लाभ उठा सकें । बैंक ने स्नेहा नाम से उसी प्रकार कुल 13 एफ एल सी सी सी की स्थापना की है ।

कृषि उधार माफी और ऋण राह ा योजना 2008

भार ा सरकार के माननीय वि ा मंत्री की कृषि माफी और ऋण राह ा योजना 2008 के बाब ा बजट भाषण 2008-09 में कृषि ऋण माफी की घोषणा की ।योजना के ह ा बैंक ने 3,08,000 छोटे व सीमां ा कृषकों के 582.86 करोड़ के साथ-साथ 50,000 अन्य पात्र कृषकों को रु. 93.14 करोड़ की ऋण माफी प्रदान की है । इससे कुल :3,58,000 कृषकों को लाभ मिला और कुल माफी रकम रु. 676 करोड़ रही।

68000 पहचाने गए अन्य कृषकों में से बैंक ने केवल 50,000 कृषकों को ही पात्र राशि का अपना हिस्सा भुग ान किया और और योजना के ह ा पात्र हुए जिनके लिए बैंक ने रु. 93.14 करोड़ राह ा राशि के रूप में प्रदान किया । भार ीय रिज़र्व बैंक से माफी दावा रकम के रूप में रु.581.58 करोड़ की प्र ापिूर्ि प्राप् ा की।

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप् ा ा फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भार ीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृ ा दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालना मक जोखिम के लिए आधारभू ा संके ाक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के

Karaikudi (Sivaganga Dist, Tamil Nadu) where the Bank has Lead Bank responsibility. During the year under review, through these Training Institutes our Bank had conducted 85 training programmes benefiting 2,293 trainees.

Financial Literacy & Credit Counseling Centre (FLCCC) viz., SNEHA

With a view to promoting financial education among general public the bank has set up 11 FLCCCs in the Lead Districts during the period under review. These centres will educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial sector, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. FLCCCs will enable the user public to make informed choices regarding financial services/ products to derive the maximum benefits. Totally the Bank had so far set up 13 FLCCCs in the name and style of SNEHA.

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme – 2008

The Hon'ble Union Finance Minister, Govt. of India in the Budget Speech for 2008-09, announced Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008. Under the Scheme, Bank provided waiver to the tune of ₹ 582.86 crore to 3,08,000 Small and Marginal Farmers and a relief of ₹ 93.14 crore to 50,000 Other Farmers . In all, 3,58,000 farmers benefited with total relief of ₹ 676 crore.

Out of the 68,000 other farmers identified under Debt Relief, only 50,000 other farmers paid their share of eligible amount and became eligible under the Scheme for whom the bank provided ₹ 93.14 crore as relief amount. In total, Bank received an amount of ₹ 581.58 crore from Reserve Bank of India as reimbursement of waiver claim amount.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India's instructions to all commercial banks, the Bank is adopting Standardized Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator

लिए पूँजीग ा अपेक्षाओं के लिए मानकीकृ ा अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

आगे, बैंक बेसल-II फ्रेमवर्क के ह ा उल्लिखि ा अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उन्न ा करने एवं अपनी कार्यप्रणालियों को उन्न ा स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है ।

अनुपालन कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों कें मुताबिक बैंक ने अनुपालन नीति बनायी है और अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने और उसका निवारण उसेई लिए प्रणाली व प्रक्रिया में को लागु किया है । शाखाओं में 31.12.2010 को कुल अनुपालन जोखिम 3.95% था जो 31.12.2010 को घटकर के 1.50% पर आ गया

उधार प्रबोधन

समस्याओं की पहचान करके बैंक पोर्टफोलियो की गुणव ाा का प्रबोधन कर ाा है और कमियों को दूर करने के लिए उपाय किये जा े हैं । इसका उद्देश्य अर्जक आस्ि ।यों के एन पी ए वर्ग मे फिसलन को कम करना है । खा ों का दैनिक आधार पर सेगमेंटेशन और अनुव ान के द्वारा खा ों की सूक्ष्म निगरानी करके बैंक को फिसलन कम करने में सहाय ाा मिलेगी ।

वसूली प्रबंधन

1. जानकारी बाँटना, 2) अभिप्रेरण / सहयोग, 3) नई और नवोन्मेषी योजनाओं के जरिए अधिकार सौंपने और 4)प्रग ि का प्रबोधन करने जैसे कई सक्रिय उपाय शुरू किए। इन उपायों से परिचालना मक स् ार पर सकारा मक प्रभाव पड़ा एवं एनपीए प्रबंधन के ह ा क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं के निष्पादन में काफी सुधार हुआ। इन उपायों में सम्मिलि ा हैं -

- सभी पात्र मामलों में सरफासी के ह ा 100% जोर देना । वि ीय संस्था अधिनियम के कारण सरफासी अधिनियम और नियम और कर्ज की वसूली के ह ा निर्धारि ा समयावधि का श्रेष्ठ उपयोग ही मुख्य उद्देश्य था ।

- समझौ ाा निपटारे पर जोर देना । वि ीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कुल 104 समझौ ाा निपटारा प्रस् ाावो को मंजूरी दी गयी । जिसमे रु. 353.71 करोड़ का समझौ ाा राशि शामिल है साथ ही रु. 205.82 करोड़ की वसूली भी है ।

Approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardized Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirement in this regard.

The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and practices for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel-II framework.

Compliance Function

The Bank has well laid 'Compliance Policy' as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing the Compliance Risk and mitigating the same. The overall Compliance risk in branches which was at 3.95% as on 31.12.2009 was brought down to 1.50% as on 31.12.2010.

Credit Monitoring

The Bank monitors the quality of loan portfolio, by identifying the problems and takes steps to correct deficiencies. The objective is to minimize slippages of performing assets to NPA category. Micro monitoring of the accounts by segmentation and follow up of the accounts on a daily basis helps the Bank to minimize slippages.

Recovery Management

Many pro-active efforts were initiated such as 1)dissemination of information 2) motivation/support 3) empowerment through new and innovative schemes and 4) monitoring of progress. These measures infused a positive outlook at the operational level and there was a perceptible improvement in the performance of Regions/Branches under NPA Management. The measures include

- Emphasis on 100% action under SARFAESI in all eligible cases. The prime focus was for best utilisation of time schedule prescribed under the SARFAESI Act & Rules and Recovery of Debts due to Financial Institutions Act.

- Emphasis on Compromise settlements. A total of 104 compromise proposals were sanctioned by Central Office during the financial year involving compromise amount of ₹ 353.71 crore in which recovery effected to the tune of ₹ 205.82 crore.

- वि ीय वर्ष की शुरुआ ा में सभी बड़े अनर्जक खा ों के बाब ा वसूली के लिए कार्य योजना बनायी गयी है और इसके बाद विभागीय स् ार पर था उच्च कार्यपालक (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से आवधिक अनुव र्न किया जा ा है।

- खा े को अद्य न बनाने के लिए जहाँ भी संभव हो अ िदेय राशि की वसूली पर जोर देना।

- अभियान की अवधि में शाखा प्रमुखों को रु. 2 लाख क एन पी ए के संदर्भ में एक बारगी निपटान / न्यायालय से बाहर निपटान की मंजूरी करने के विशेषाधिकार और क्षेत्रीय प्रमुखों को समझौ े के द्वारा निपटान को ेज करने के लिए बढ़े हुए विवेकाधिकार के साथ 11.12.2010 से 31.03.2011 क वसूली प्र ियोगि ा का आरंभ करना। अवधि के दौरान प्र ियोगि ा के ह ा रु 30 करोड़ की वसूली की गयी।

- दिनांक 01.01.2011 से 31.03.2011 क लोक अदाल ा अभियान चलाना। अभियान की अवधि के दौरान रु 561.32 लाख की राशि के लिए 1056 एन पी ए खा ों का निपटान किया गया और अब क हमने कुल रु141.61 करोड़ की वसूली की है।

- एन पी ए की बिक्री आस्ि ा पुनर्निर्माण कंपनियों को करना। रु 415.03 करोड़ के बही बकाए वाली विभिन्न क्षेत्रों से 37 एन पीए को आस्ि ा पुनर्निर्माण कंपनी को रु 265.02 करोड़ की बिक्री रकम में बेच दिया गया।

बैंक ने वर्ष के दौरान रु1402 करोड़ का मह वपूर्ण नकद वसूली की है और बट्टे खातों अनामित ब्याज, एन पी ए से रु 398 करोड़ की वसूली की गई और एन पी ए को अद्य न किया गया जो कुल मिलाकर रु 1800 करोड़ रहा। बैंक ने बट्टे खा े में डाले गए रु. 192.18 करोड़ और रु 130.46 करोड़ की अनामि ा ब्याज की राशि वसूल की।परिणामस्वरूप बैंक की सकल अनर्जक आस्ि ायां अब्सल्यूट टर्म में 31.03.2010 को रु.3611 करोड़ की ुलना में दिनांक 31.03.2011 को घटकर रु. 3090 करोड़ पर आ गयीं और सकल एन पी ए अनुपा ा उसी अवधि में 4.47% से घटकर 2.72% पर आ गया। इसी प्रकार

- Action plan for recovery was formulated in respect of all the major non performing accounts at the beginning of the financial year and followed up by periodical review at the Department level as well as by Top Executives (Chairman and Managing Directors/ Executive Directors) with the Regional Heads

- Emphasis on recovery of overdue amount towards upgrading the accounts wherever possible.

- Launching of Recovery Contest from 11.12.2010 to 31.03.2011 along with special powers to Branch Heads to sanction One Time Settlement /Out of Court Settlment in respect of NPAs upto ₹ 2 lacs and enhanced discretionary powers to Regional Heads to expedite negotiated settlements during the campaign period. Recovery of ₹ 30 crore was made under the contest during the period.

- Launching of Lok Adalat Campaign from 01.01.2011 to 31.03.2011. During the campaign period 1056 NPA accounts were settled for an amount of ₹ 561.32 lacs and so far we have recovered ₹ 141.61 lacs

- Sale of NPAs to Assets Reconstruction Companies: 37 numbers of NPAs of various Regions with book outstanding of ₹ 415.03 crore were sold to Asset Reconstruction Company for a sale consideration of ₹ 265.02 crore.

The Bank made significant cash recovery of ₹ 1,402 crore (including recovery from written off accounts and recovery of undebited inferest) and NPAs to the extent of ₹ 398 crore (of NPAs outstanding as on 31.03.2010) were also upgraded during the year aggregating to ₹ 1,800 crore. The Bank recovered a sum of ₹ 192.18 crore from written-off-accounts and undebited interest of ₹ 130.46 crore. As a result, Gross Non Performing Assets of the Bank significantly came down to ₹ 3,090 crore as on 31.03.2011 from ₹.3,611 crore as on 31.03.2010 in absolute terms and Gross NPA ratio declined to 2.72% from 4.47% during the

निवल अनर्जक आस्तियां 31.03.2010 को रु1995 करोड़ से घटकर 31.03.2011 को रु 1,328 पर आ गयीं और निवल एन पी ए अनुपात संबंधित अवधि के दौरान 2.52 % से घटकर 1.19 % पर आ गया ।

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआइ)के तहत याचिकाओं का निपटारा

वर्ष 2010-11 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी माँगते हुए बैंक को 1,491 याचिकाएँ प्राप्त हुई। सभी अनुरोधों का जवाब निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 दिनों के भीतर दिया गया। पात्र याचिकाओं 88% पर सकारात्मक जवाब दिया गया और शेष आवेदन मांगे गए विवरण के लिए अपात्र पाए गए।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 107 प्रथम अपील प्राप्त किए गए, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इन अपीलों का निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष 36 अपील याचिकाओं को द्वितीय अपील के रूप में रखा गया। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा सभी 36 अपीलों का निपटारा किया गया। आज की तारीख तक की सभी 90 द्वितीय अपीलों पर बैंक को अनुकूल निर्णय प्राप्त हुए।

औद्योगिक पुनर्वास

औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण / अपीलीय प्राधिकारी हेतु बोर्ड के तहत वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए प्रतिवेदित वर्ष के अंत तक कुल मामले 21 थे जिनका समग्र जोखिम रु. 44.23 करोड़ था । इनमें से रु. 29.90 करोड़ के 5 खाते मानक व अर्जक थे । एन पीए खातों में से रु. 62.10 करोड़ वाले 10 मामले बनाए गए । वर्ष के दौरान रु. 157.68 करोड़ की समग्र जोखिम के साथ 6 खातों को रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 से 2 खातों को सरफासी कार्रवाई के द्वारा 2 खातों को संदर्भ विलोपित करके और शेष दो मामलों मे निवल मूल्य वापसी सकारात्मक के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया ।

कॉर्पोरेट ऋण पुनः संरचना (सी डी आर)

31-03-2011 तक सीडीआर तंत्र के तहत पुन: संरचित उधार खातों की संख्या 15 थी एवं कुल बकाया रु.595.96 करोड़ (31-03-2010 तक रु.335.60 करोड़ बकाया के 12 खाते) था। वर्ष के दौरान रु.319.26

same period. Similarly Net Non Performing Assets has also came down to ₹ 1,328 crore as on 31.03.2011 from ₹ 1,995 crore as on 31.03.2010 and Net NPA ratio declined to 1.19% from 2.52% in the relevant period.

Disposal of petitions received under Right To Information (RTI) Act

The Bank received 1491 petitions seeking information under RTI Act during the year 2010-11. All the requests were duly replied within the specified period of 30 days. About 88% of the petitions were positively replied and the balance applications were found ineligible for the requested details.

Our First Appellate Authority received 107 first appeals, who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer, which were duly disposed as per the due provisions of the Act.

36 petitions resulted as second appeals with the Hon'ble Central Information Commission (CIC). All 36 petitions were disposed by CIC and one appeal is pending decision. The Bank had maintained favourable decisions in all the 90 Second Appeals faced till date.

Industrial Rehabilitation

Total cases under Board For Industrial Financial Reconstruction / Appellate Authority For Financial Reconstruction as at the end of reporting year were 21 with an aggregate exposure of ₹ 44.23 crore. Of this 5 accounts aggregating to ₹ 29.90 crore were standard and performing. Out of NPA accounts, recovery in 10 cases amounting to ₹ 62.10 crore was made. During the year, 6 accounts with an aggregate exposure of ₹ 157.68 crore were brought out of Sick Industrial Companies (Special Provisions)Act 1985 purview through SARFAESI action in two accounts, dismissal of reference in two accounts and net worth turning positive in two cases.

Corporate Debt Restructuring (CDR)

As on March, 31, 2011, the number of restructured borrower accounts under CDR mechanism was 15 with an outstanding of ₹ 595.96 crore (12 accounts

करोड़ के कुल उधार सहि ा 8 नए मानक खा ो सीडीआर प्रणाली में शामिल हुए। 4 खा ो सी डी आर प्रणाली से बाहर हो गए क्योंकि सी डी आर फेल हो गया और 1 खा ो को बंद कर दिया गया। सभी 15 खा ो मानक वर्ग के अन ार्ग ा हैं।

निवेश

वर्ष 2010-11 के दौरान निवेश में वृद्धि प्रस्ु ा: सांविधिक ारल ाा अपेक्षाओं में वृद्धि के कारण की जो कि, प्रमुख ा: बैंक की जमाओं में वृद्धि और वि ीय वर्ष की प्रथम छमाही में धीमी ऋण वृद्धि के परिणाम स्वरूप थी।

पिछले वर्ष की ुलना में 29.69% की वृद्धि दर्ज कर ो हुए दिनांक 31-03-2010 ाक रु. 36,795.09 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31-03-2011 ाक सकल घरेलू निवेश रू. 47,720.54 करोड रही। वर्ष के दौरान एसएलआर क्षेत्र में रु.6,029.04 करोड़ या 18.72% की वृद्धि दर्ज की गयी जब कि गैर-एसएलआर निवेश में रु.4,896.40 करोड़ या 106.65% की वृद्धि हुई। यह रु. 3,981.82 करोड़ के बराबर जमाओं के प्रमाणपत्र में निवेश में बढ़ो ारी के कारण हुआ।

वर्ष 2010-2011 के दौरान, रु.1417.70 करोड़ की प्र ाभू ियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) से परिपाक में रखी (एचटीएम) सेगमेंट में अं ारि ा की गई रु.1358.31 करोड़ को परिपाक में रखी (एचटीएम) से बिक्री के लिए उपलब्ध में (एएफएस) में अं ारि ा की गयी।

31-03-2011 ाक, एचटीएम में धारि ा एसएलआर प्र ाभू ियाँ भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा 25% सीमा के प्र ा 31-03-2010 ाक 22.39% की ुलना में 20.95% रही।

वर्ष मध्य से मार्च 2010 से ही मुद्रा स्फी ा से निपटने के लिए भार ाीय रिजर्व बैंक द्वारा कई नी ा दर बढ़ो ारी के कारण करीब पूरे वर्ष भर संप्रभु बॉण्डो पर दबाव बना रहा ।बैंक ने पूरे वर्ष में निय ा आय प्र ाभू ियों और ईक्विटी शेयरों में अपना व्यापार बनाए रखा। वर्ष 2010-11 के दौरान द्वि ाीयक बाजार में कारोबार किए गए शेयरों कुल पण्याव ार् (बही मूल्य) रु.78,035 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2009-10. में यह रु.65,787 करोड़ रहा । वर्ष 2010-11 में प्र ाभू ियों की बिक्री से प्राप ा कुल लाभ रु.108.57 करोड़ था जब कि वर्ष 2009-10 में यह 291.86 करोड़ था। कुल निवेशों पर प्र ािलाभ (प्र ाभू ियों व परिशोधन की बिक्री पर लाभ को छोड़कर) वर्ष 2009-10 के 6.85% की ुलना में वर्ष 2010-11 में बढ़कर 7.10% हो गया।

with an outstanding of ₹ 335.60 crore as on 31.03.2010). During the year, 8 new standard accounts entered CDR mechanism with total exposure of ₹ 319.26 crore, 4 accounts moved out of CDR as CDR failed and 1 account closed. All the 15 accounts are under standard category.

Investments

The growth in investments during the year 2010-2011, was mainly driven by increase in Statutory Liquidity Ratio requirements resulting mainly on account of Deposit Growth of the bank coupled with slow credit growth in the first-half of the financial year.

Gross domestic investments as of 31st March 2011 stood at ₹ 47,720.54 crore as against ₹ 36,795.09 crore as on 31st March 2010 registering a growth of 29.69% over the previous year. The Investments in SLR segment registered a growth of ₹ 6,029.04 crore or 18.72% during the year while Non SLR investments increased by ₹ 4,896.40 crore or 106.65%. This was mainly due to increase in investments in Certificate of Deposits to the tune of ₹ 3,981.82 crore.

During the year 2010-11, securities for ₹ 1,417.70 crore were transferred from Available for Sale Category (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment, ₹ 1,358.31 crore from Held to Maturity to Available for Sale.

As on 31st March 2011, the extent of SLR securities held in HTM stood at 20.95% of DTL against the limit of 25% prescribed by RBI compared to 22.39% as on 31.03.2010.

The Yield of Sovereign bonds continued to be under pressure during most part of the year, due to series of policy rate hikes by Reserve Bank of India to tackle inflation since Mid - March 2010. The bank continued to trade both in fixed income securities and Equities throughout the year. The turn over (Book Value) in the secondary market reached ₹ 78,035 crore during the year 2010-11 against ₹ 65,787 crore in 2009-10. Total profit on sale of securities amounted to ₹ 108.57 crore during the year 2010-2011 as against ₹ 291.86 crore during the year 2009-2010. Return on total investments (excluding profit on sale of securities and including amortization) has increased from 6.85% in 2009-2010 to 7.10% in 2010-2011.

रुपया डेरीवेटिव

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने सक्रियता से रुपया ब्याज स्वैप कारोबार किया और 2 टियर देयताओं की सुरक्षा भी की । वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को व्यापार लाभ रु. 3.13 करोड़ प्राप्त हुआ । 31-03-2010 को रु.1,075 करोड़ के प्रति बैंक द्वारा धारित कुल रुपये ब्याज दर स्वैप 31-03-2011 को रु.1,748 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान रु.11928.30 का मर्चेंट कारोबार टर्नओवर प्राप्त किया । प्राधिकृत डीलर शाखाओं सहित कुल व्यापारी टर्नओवर वर्ष 2010-11 के लिए रु. 70,279.37 करोड़ रहा । 31.03.2010 को समाप्त वर्ष की तुलना में कुल व्यापारी टर्नोवर लक्ष्य 14.37% बढ़ गया ।वर्ष 2009-10 में मर्चेंट टर्नओवर रु.61451.21 करोड़ रहा ।

बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए 33.33% की वृद्धि के साथ रु. 125.53 करोड़ का विनिमय पर लाभ अर्जित किया । जबकि पिछले वर्ष का लाभ रु. 94.16 करोड़ था । वर्ष 2010-11 के दौरान अर्जित अन्य लाभ रु. 26.78 करोड़ रहा जिसमें पिछले वर्ष के रु. 23.69 करोड़ की तुलना में 13.04 % की वृद्धि है ।

क्रेडिट कार्ड

बैंक का अपना वीसा युक्त क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है एवं कुल कार्ड आधार 15008 से बढ़कर 37665 हो गया । जो कि 151% की वृद्धि है । बैंक के पण्यावर्त में पिछले वर्ष की तुलना में कुल 26% की वृद्धि हुयी और निवल लाभ रु. 4.14करोड़ रहा जो 39 % की वृद्धि है । वर्ष के दौरान, राजस्व हिस्सेदारी माडेल के आधार पर ग्राहकों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिक्री टर्मिनल्स केन्द्रों में पर्याप्त वृद्धि हुयी । ग्राहकों को कासा जमाओं और मूल्य वर्द्धित सेवाओं को सुदृढ़ करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इंटरनेट भुगतान गेट वे (आईपीजी), जिसे ई-कॉमर्स भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था, इसमें अब गति आई है।

बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और हमारे पी ओ एस टर्मिनल को मास्टर युक्त बनाने और ई कामर्स लेन देन को प्रचलित करने के लिए मास्टर इन्टरनेशनल के साथ गठजोड़ व्यवस्था के तहत नई पहले प्रारंभ की । क्रेडिट कार्ड कारोबार को सुधारने के लिए सह ब्रांडेड आइ ओ बी

Rupee Derivatives

During the year 2010-11, bank has actively traded in Rupee interest swaps and also hedged its tier-2 liabilities. During the year 2010-2011, the bank has earned a trading profit of ₹ 3.13 Crores. The rupee interest rate swaps held by the bank as on 31st March 2011 is ₹ 1,748 Crores against ₹ 1,075 Crores as on 31st March 2010.

Forex Operations

The Bank has achieved merchant turnover of ₹ 11,928.30 crore for 2010-11. The total merchant turnover for 2010-11 including Authorized Dealer branches is ₹ 70,279.37 crore. The total merchant turnover has increased by 14.37% when compared to previous year ended 31.03.2010. The merchant turnover for 2009-2010 was at ₹ 61,451.21crore.

The Bank has earned Profit on Exchange of ₹ 125.53 crore for 2010-11 with a growth of 33.33% over the previous year earnings of ₹ 94.16 crore. Other income earned during the year 2010-11 was at ₹ 26.78 crore with a growth of 13.04% over the last year earnings of ₹ 23.69 crore.

Credit Card

The Bank's own Visa enabled Credit Card is catering to the requirements of our clientele and the card base increased from 15,008 to 37,665 with a growth of 151%. The turnover showed an increase of 26 % over the last year and the net profit was at ₹ 4.14 crore showing an increase of 39% over the last year. The revenue sharing model, a tie up venture for Card Acquiring business by deploying Point of Sale terminals (PoS) at our clients' merchant establishments have increased considerably. This serves as a tool to build up CASA deposits and a value added service to the clients. The Internet Payment Gateway (IPG) launched to popularize E.commerce payment is gaining momentum.

The Bank took new business initiatives with a tie-up arrangement with Masters International to issue Credit Cards and to equip our PoS terminals Masters enabled and to popularize E.commerce transactions. The Bank also signed Memorandum

और एमेक्स लोगो क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक ने एमेक्स के साथ समझौ ा ज्ञापन पर हस् ाक्षर किया ।

व्यापारी बैंकिंग

बैंक ने डिबेंचर न्यासी, निर्गमों के लिए वसूली क ार् बैंकर और लाभांश / ब्याज अदाक ार् बैंकर के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर / अनुव र्ती पब्लिक ऑफर / राइट्स ऑफर से अस्बा आवेदा प्रपत्र प्राप् ा करने के लिए 15 पदनामि ा शाखाओं में एप्लीकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लॉक्ड एमांउट (अस्बा) योजना की शुरुआ ा की ।ई ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज के लिए समाशोधन और निपटान बैंक बनने के लिए आवश्यक कदम उठाए।यह कार्यान्वयन की विकसि ा स्थि ि में है । आइ पी ओ के उ ार निर्गम प्रबंधन में दायि व के साथ आने वाले आइ पी ओ में से एक में अग्रणी प्रबंधक - सह अग्रणी बैंक के रूप में बैंक को नियुक् ा किया गया । इश्यू व र्मान वर्ष के दौरान होना है ।

निक्षेपागार परिचालन

बैंक एनएसडीएल का निक्षेपागार प्र ि भागी है एवं 56 सेवा केन्द्र शाखाओं (चेन्नै स्थि ा नियंत्रणक र्ता निक्षेपागार शाखा सहि ा) के जरिए निक्षेप संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जिसमें 14 शाखाएँ चेन्नै में, 25 शाखाएँ मुम्बई में एवं शेष अन्य नगरों में हैं। डी मैट खा ाों की संख्या में सुधार के लिहाज से बैंक ने केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाओं में निक्षेपागार प्र ि भागी बनने के लिए शुरुआ ा की है ।

ऋण समूहन कार्यकलाप

समूहन क्रिया-कलापों को और सुदृढ़ बनाया गया है और बैंक मनोरंजन ,इस्पा ा और शक्ि ा के क्षेत्रों में परियोजनाओं के ऋण घटक के समूहन में संलग्न है । वर्ष के दौरान बैंक ने अन्य बैंकों को डाउन सेलिंग करने से पूर्व कार्पोरेट की कर्ज आवश्यक ााओं को हामीदारी करके अपने शुल्क आधारि ा आय में वृद्धि की है।

of Understanding with AMEX for issue of co-branded IOB and AMEX logo credit cards to improve the credit card business.

Merchant Banking

The Bank continues to act as Debenture Trustee, Collecting Bankers to Issues and Dividend/Interest Paying Banker. During the year, the Bank introduced Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) scheme in 15 designated branches for accepting ASBA applications from Initial Public Offer /Follow on Public Offer/Rights applicants. The bank took necessary steps for introducing E-trading and becoming a Clearing & Settlement Bank for Stock Exchanges. These are in advanced stages of implementation. The Bank has been appointed as Co-Lead Book-Running Lead Manager in one of the forthcoming IPOs with the responsibilities in post-issue management of the IPO. The issue is slated to take place during the current year.

Depository Operations

As a depository Participant of National Securities Depository Limited (NSDL), the Bank is extending depository related services through 56 service centre branches (including the controlling Chennai Depository branch). Of these, 14 branches are in Chennai, 25 in Mumbai and the remaining in other cities. With a view to improving the number of demat accounts, the Bank has commenced the process for becoming a Depository Participant of Central Depository Services also.

Loan Syndication Activities

The syndication function has been further strengthened and the bank is engaged in syndicating debt components of projects in the areas of entertainment, steel and power. During the year, the Bank increased its fee-based income by underwriting debt requirements of corporates before down-selling them to other banks.

सरकारी कारोबार

प्र यक्ष कर वसूलियाँ

बैंक पूरे भारत में 354 शाखाओं के जरिए ऑन लाइन टैक्स अकाउन्टिंग सिस्टम (ओएलटीएएस)से भौ िक चालानों की स्वीकृ ि द्वारा आयकर और अन्य प्र यक्ष कर की वसूली के लिए प्राधिकृ ा है। बैंक को प्र यक्ष कर का संग्रहण ई-भुग ान के जरिए स्वीकार करने के लिए अखिल भार ीय स् ार पर प्राधिकृ ा किया गया है जिसके लिए जेमिनि सर्कल शाखा को फोकल पाइंट शाखा बनाया गया है। डाटा प्रस् ु ि श ा प्र िश ा रही । कर कटौ ी और वसूली खा ा संख्या डाटा गुणव ा 99.68% है और 26.03.2011 को सभी बैंको के औस ा की ुलना में क्रमश : सभी 99.40% और 98.50% से स्थायी खा ा संख्या डाटा गुणव ा 99.30 % है ।

शुल्क / वसूले गए कर की संख्या	:	8,16,467
पण्याव र् (रकम)	:	रु.6189 करोड़
एजेंसी कमीशन	:	रु.3.67 करोड़

अप्र यक्ष कर संग्रहण

बैंक को 217 शाखाओं पर इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के जरिए उ पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) जैसे अप्र यक्ष कर प्रा ा करने के लिए प्राधिकृ ा किया गया है। बैंक को उ पाद शुल्क और सेवा कर की ई-पेमेन्ट प्रा ा करने के लिए अखिल भार ीय प्राधिकरण प्रा ा हुआ है । हैडोज रोड शाखा, चेन्नै, केन्द्रीय उ पाद शुल्क संग्रहण का ई-फोकल प्वांइट शाखा के रूप में एवं नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई को सेवा कर जैसे अप्र यक्ष कर संग्रहण के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के ौर पर कार्य कर रहा है। सीमा शुल्क के ई भुग ान का भुग ान और शुल्क ड्रा बैक का ई री फंड मार्च 2011 से प्रारंभ हो गया है ।वर्ष के

दौरान निम्नलिखि ा कारोबार किए गए :

शुल्क / वसूले गए कर की संख्या	:	1,42,076
पण्याव र् (रकम)	:	रु 2,836.47 करोड़
भुग ान / धन वापसी (राशि)	:	रु 1,068 करोड़
एजेंसी कमीशन	:	रु 1.60 करोड़

डाटा प्रस् ु ि श ा प्र िश ा रही । मास्टर में मूल्यांकक कोड अद्य ान 98.18 % है और डाटा गुणव ा 95.07 % जबकि सभी बैंक औस ा और 26.03.2011 को क्रमश: 97.99 % व 95.09% रहा ।

राज्य सरकार राजस्व की वसूली

इस वर्ष में महाराष्ट्र और ामिलनाडु राज्य में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए व्यावसायिक कर के ई वसूली की शुरुआ ा की है । हमारा बैंक गुजरा ा, दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलका ा में चुनिंदा स्थानों पर भौ िक वसूली कर

Government Business

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes in physical mode through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct taxes for which Gemini Circle branch (Chennai) is the e-Focal Point branch. Data submission is 100%. Tax Deduction and Collection Account Number data quality is 99.68% and Permanent Account Number data quality is 99.30% compared to the all bank average of 99.40% and 98.50% respectively as on 26.03.2011.

No. (txns) of duty /tax collected	:	8,16,467
Turnover (Amount)	:	₹ 6,189 crore
Agency Commission	:	₹ 3.67 crore

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by 217 branches authorized by Central Board of Excise and Customs . The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. Haddows Road branch (Chennai) is the e-Focal Point branch for Central Excise and Nariman Point branch (Mumbai) is the e-Focal Point branch for Service Tax. E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty draw back have started in March 2011.

Following is the business handled during the year:

No. (txns) of duty /tax collected	:	1,42,076
Turnover (Amount)	:	₹ 2,836.47 crore
Payments / Refunds (Amount)	:	₹ 1,068 crore
Agency Commission	:	₹ 1.60 crore

Data submission is 100%. Assessee code data updation in master is 98.18% and data quality is 95.07% compared to the all bank average of 97.99% and 95.09% respectively as on 26.03.2011.

Collection of State Government revenues

Our Bank launched e-collection of Commercial Taxes (VAT) through internet banking in the states of Tamilnadu and Maharashtra in this year. The bank is also handling physical collections in

रहा है । कुल लेनदेन करीब 45000 रहे जिनका समग्र योग रु. 442 करोड़ रहा ।

पेंशन का भुग ाान

बैंक इलेक्ट्ानिक समाशोधन सेवा द्वारा जमा के अलावा केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, टेलीकॉम और राज्य सिविल,कर्मचारी पेशन निधि संगठन, कोयला खनन कर्मी भविष्य निधि पेंशनरों, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नै डाक श्रम बोर्ड, स्थानीय निधि लेखा ामिलनाडु, मलेशियन सरकार पेंशन से संबंधि ा पेंशन सेवा के करीब 2.5 लाख पैशनरों को प्रदान कर ाा है।

बैंक के केन्द्रीय पेंशन संसाधन केन्द्र (सीपीपीसी) की स्थापना की है एवं जनवरी 2009 से सीपीपीसी द्वारा केन्द्रीय सिविल पेंशन का भुग ाान किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2011 को ामिलनाडु केरल उडीसा पंजाब पुदुच्चेरी राज्यों और नयी दिल्ली मुंबई, कोलका ाा, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ के शहरों को कवर कर ो हुए डिफेंस और सिविल, केन्द्रीय 31000 भुग ाानों को केन्द्रीयकृ ा कर चुका है ।

ट्रेजरी कारोबार

1.45 लाख प्राप्ियों और रु. 720 करोड़ के भुग ाान के साथ बैंक में ामिल नाडु सरकार का ट्रेजरी व्यापार 11 शाखाओं में एवं उड़ीसा सरकार का ट्रेजरी व्यापार 3 शाखा में चल रहा है।

केन्द्रीय मंत्रालयों के खा ो

बैंक में योजना आयोग व राष्ट्रीय इनफार्मेटिक्स केन्द्र के खा ो हैं और बैंक ने करीब रु. 1,070 करोड़ का कारोबार को संभाला है ।

डाक कार्यालय वसूली खा ाा

ामिलनाडु में 43 शाखाओं में डाकघर वसूली (आहरण और जमा) खा ाा चल रहा है । करीब 1250 प्राप्ियां व रु. 144 करोड़ का भुग ाान संभाला गया है ।

अन्य सरकारी कारोबार

बैंक भार ा सरकार की बच ा योजनाओं, जैसे वरिष्ठ नागरिक बच ा योजना 2004, 8% कर योग्य बॉण्ड, लोक भविष्य निधि में

selected locations in Gujarat, Delhi, Maharashtra and Kolkata. The transactions were about 45,000 aggregating to ₹ 442 crore.

Payment of Pension

The Bank is servicing about 2.50 lakh pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, Employees' Pension Fund Organisation, Coal Miners' Provident Fund Organisation, Tamil Nadu Electricity Board, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of TamilNadu, Malaysian Government Pension apart from credit through Electronic Clearing Service.

The Bank has established Centralised Pension Processing Center (CPPC) and commenced payment of Central Civil Pension from January 2009. As on 31.03.2011, the Bank completed centralising payments of about 31,000 Central, Civil and Defence pensions covering the states of Tamilnadu, Kerala, Orissa, Punjab, Puducherry and the cities of New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangaluru, Hyderabad and Lucknow.

Treasury Business

The Bank handles Treasury business of the Government of Tamil Nadu at 11 branches and Government of Orissa at 3 branches covering about 1.45 lakh receipts and ₹ 720 crore of payments.

Accounts of Central Ministries

The Bank services the account of Planning Commission and National Informatics Centre and handled payments for about ₹ 1,070 crore.

Post Office Collection Account

Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 43 branches in Tamil Nadu. About 1,250 receipts and payments of ₹ 144 crore were handled.

Other Government business

The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens

सक्रियतापूर्वक भाग लेता है और रु. 115 करोड़ का सब्सक्रिप्शन में प्रतिभागी है ।

मुद्रा ि ाजोरी

बैंक की कुल 34 मुद्रा ि ाजोरियाँ हैं जिनका समग्र शेष रु. 11,315 करोड़ है । कारैकुड़ि में बैंक का नया मुद्रा ि ाजोरी खोलने के लिए भार ीय रिजर्व बैंक की अनुमि ा प्राप् ा हो गयी है । 6 क्षेत्रों में 7 मटमैले नोट के विनिमय मेला का आयोजन किया गया जिनमें रु. 90.05 लाख मटमैले नोटों का विनिमय किया गया । 81 शाखाओं में नोट सार्टिंग मशीन लगाने के लिए पहचान की गयी ।

अं ार शाखा समाधान (आइ बी आर)

भार ीय रिज़र्व बैंक के निर्देसानुसार आइबीआर खा ों के सभी नामे और जमा प्रविष्टियों का 6 माह की अवधि में समाधान/निरसन किया जाना अपेक्षि ा है। बैंक समाधान चक्र को कम करने, कम्पास और मांग ड्राफ्टों की नामे प्रविष्टियों को 15 दिनों में निरसन करने में सफल रहा। बैंक यह भी सुनिश्चि ा कर ा है कि कोई भी निधि अं ारण और ाार अं ारण प्रविष्टि एक महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

निरीक्षण

निरीक्षण वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय कार्यालय का निरीक्षण, ईडीपी लेखा-परीक्षा ाथा निपसा सहि ा 1577 शाखाओं में किया गया। चूँकि सभी शाखाएँ सीबीएस हो गई हैं, अ ा: सभी शाखाओं का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया।

इस अवधि के दौरान प्र ािनिधि कार्यालयों को शामिलकर हांग कांग, सिंगापुर, सिओल, बैंकॉक व कोलंबो शाखाओं का भी निरीक्षण किया।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शाखाओं में अल्पकालीन निरीक्षण किया गया। इस अवधि के दौरान 41 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 32 विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षा भी पूरी की गई। बैंक के कारोबार के कम से कम 50% को पूरा करने के भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार कर े हुए 58.40% के जमा कारोबार और 71.90% के अग्रिमों वाली कुल 382 शाखाओं को समव ीं लेखा-परीक्षा के ाह ा लाया गया।

Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond, Public Provident Fund contributing subscriptions of about ₹ 115 crore.

Currency Chest

There are 34 currency chests in the bank with an aggregate balance of ₹ 11,315 crore. The Bank Obtained Reserve Bank of India approval for opening a new currency chest at Karaikudi. Organised 7 soiled notes exchange melas in 6 Regions wherein ₹ 90.05 lakhs of soiled currencies were exchanged. Identified 81 branches for installation of Note Sorting Machines.

Inter Branch Reconciliation (IBR)

The Reserve Bank of India directive stipulates that all debit and credit entries in the IBR accounts are required to be reconciled /eliminated within a period of 6 months. Whereas the Bank has significantly reduced the reconciliation cycle, elimination of the Completely Automated Settlement System (COMPASS) and Demand Draft debit entries to 15 days. Besides, the bank ensures that no Funds Transfer and Telegraphic Transfer entries are outstanding for more than one month.

Inspection

Central Office Inspection, along with Electronic Data Processing Audit and Non Industiral Priority Sector Advances (NIPSA), was carried out in 1577 branches during the year 2010-11. Since all branches were converted to Core Banking Solution, inspection was conducted in all the branches on-line.

Inspection on Hong Kong Main, Tsim Sha Tsui, Singapore, Seoul, Bangkok and Colombo branches were also conducted during the period.

Regional Offices carried out periodical Short Inspection of Branches. Management Audit of all 41 Regional Offices and 32 Central Office Departments was also conducted during this period. Total of 382 branches were brought under Concurrent Audit covering 58.40% of Deposits and 71.90% of Advances, thereby confirming to the RBI guidelines of covering at least 50% of Bank's Business. Revenue Audit was carried out in 1434 branches and Check Audit in 382 branches.

1,434 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा और 382 शाखाओं में नमूना जाँच लेखा-परीक्षा की गई। चुनिंदा आधार पर 916 खा ाों की स्टॉक लेखा-परीक्षा की गई।

सभी 1577 शाखाओं में जोखिम आधारि ा आं ारिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) की गई, जहाँ केंद्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया था। क्षेत्र की जोखिम आधारि ा रूपरेखा बनाकर आरबीआइए के ाह ा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी की गई।

सभी 43 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों, एक निक्षेपागार शाखा एवं 363 शाखाओं, जिसमें 7 अपवादस्वरूप बृह ा शाखाएँ एवं 111 अपवादस्वरूप बड़ी शाखाएँ और 245 बहु ा बड़ी शाखाएँ सम्मिलि ा हैं, में सूचना प्रणाली (आइएस) लेखा परीक्षा की गई। योग्य बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा सूचना प्रणाली की समीक्षा / केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की लेखा परीक्षा यानी डाटा केन्द्र व डीआर साइट, नेटवर्क, बैंकिंग सॅल्यूशन, एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन, आरटीजीएस/एनइएफटी परिचालन, आइटी विभाग द्वारा संभाली गई इन्टरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड परिचालन, ट्रेज़री [देशी] व [विदेशी] परिचालनों की लेखा-परीक्षा कराई गई।

लेखा-परीक्षा उप समि ि (एएससी)

दिनांक 26 अगस ा 2008 को संपन्न मंडल की बैठक में लेखा-परीक्षा उप समि ि (एएससी) के गठन का अनुमोदन किया गया। वि ीय वर्ष 2010-11 के दौरान 7 एएससी बैठकें आयोजि ा की गई। इएलबी की सीओआइआर रिपोर्ट, ईईएलबी/विशेषज्ञ ाप्रा ा शाखाएँ/विदेशी शाखाएँ जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधन लेखा-परीक्षा, स्टॉक लेखा-परीक्षा की समीक्षा/समव ाीं लेखा-परीक्षा/टेस्ट चेक लेखा-परीक्षा/राजस्व लेखा-परीक्षाओं को शामिल कर समीक्षा पर एएससी बैठक में चर्चा की गई। की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहि ा एएससी के प्रमुख निष्कर्षों को ािमाही में एक बार एसीबी को प्रस् ाु ा किया गया। दिनांक 22.07.2010 को आयोजि ा बैठक में एसीबी के निदेशों के अनुसार प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालयों के विभागों की प्रबंधन लेखापरीक्षा समीक्षा का नोट एसीबी को प्रस् ाु ा किया गया है।

स ार्क ा

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा लंबि ा स ार्क ा अनुशासनिक मामलों को केन्द्रीय स ाक ा विभाग द्वारा निर्धारि ा समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान 178 स ार्क ा

Stock Audit was conducted for 916 accounts on selective basis.

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in 1577 branches, where Central Office Inspection was carried out. Management Audit of Regional Offices was also conducted under RBIA by preparing Risk Profile of the Regions.

Information Systems (IS) Audit was conducted in all the 43 Regional Computer Centres, one Depository branch and 363 branches, consisting of 7 Exceptionally Extra Large, 111 Exceptionally Large and 245 Very Large branches. Information Systems Review Audit of Central Office Departments, viz., Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan, Network, Core Banking Solution, ATM / Debit Card operations, Real Time Gross Settlement /National Electronic Funds Transfer Operations, Internet Banking and Mobile Banking handled by Information Technology Department, Treasury (Domestic), Treasury (Foreign) Operations were conducted by engaging Qualified External Auditors.

Audit Sub Committee (ASC)

Board of Directors in the meeting held on August 26,2008 approved the formation of Audit Sub Committee(ASC). During the financial year 2010-11, 7 ASC Meetings were held. The Review of Central Office Inspection reports of Extra Large Branch/Exceptionally Extra Large Branch /Specialized Branches/Overseas Branches including Management Audit of Regional Offices, Review of Stock Audit / Concurrent Audit / Test Check Audit / Revenue Audits were taken up for discussion in the ASC Meetings. The major findings of ASC with Action Taken Report were placed to Audit Committee of the Board (ACB), once in a quarter. As per the directions of ACB in the Meeting held on 22.07.2010, the review notes on the Management Audit of major Regional Offices and Central Office Departments were submitted to ACB.

Vigilance

During the year 2010-2011, the Bank has taken effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary Cases within the time frame fixed by

अनुशासनिक मामलों को निपटाया गया। परिचालना मक जोखिम प्रबंधन समिि ा एवं बृह ा मूल्य की धोखाधड़ी को प्रबोधि ा करने के लिए बोर्ड की विशेष समिि ा ने आवधिक ाौर पर रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ियों का विश्लेषण किया और समिि ा द्वारा सुझाए / ब ााए गए प्रेक्षणों / सुधारा मक उपायों को बैंक द्वारा कार्यान्वि ा किया गया।

बैंक ने निवारक स ार्क ाा के ाह ा सी वी ओ के विशेष परिपत्र क्रम के अधीन विभाग द्वारा संभाले गए स ार्क ाा अनुशासनिक मामलों का विस्ृ ा विवरण दे ो हुए 15 परिपत्र (आं ारिक) जारी किए। दंड़ संबंधी विस्ृ ा ब्यौरे सहि ा और स्टाफ़ सदस्यों द्वारा लिए जाने योग्य निवारक स ार्क ाा उपायों की सूचना भी इन परिपत्रों मे दी गई।

इसके अलावा मुख्य स ार्क ाा अधिकारी और चयनि ा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थि ा स ार्क ाा अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण द्वारा बैंक ने निवारक स ार्क ाा उपायों पर जोर दिया। मुख्य स ार्क ाा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के आवधिक दौरे के दौरान प्रणालियों एवं कार्यपद्धि ायों के अनुपालन में सभी स ारों पर स्टाफ़-सदस्यों की भूमिका के बारे में खासकर केवाइसी मानदंडों, एएमएल दिशानिर्देशों, धोखाधड़ी उन्मुख क्षेत्रों आदि पर जोर दिया गया।

स ार्क ाा संबधी मामलों को संभालने हे ाु सभी क्षेत्रों में स ार्क ाा अधिकारी ैना ा किया गया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों अपवाद स्वरूप बडी और सबसे बडी शाखाओं में धोखाधडियों को रोकने के लिए शाखा के कार्य में कमियाँ ढूँढने और उनका परीक्षण करने के लिए और स ार्क ाा निवारक उपयों को क्रियान्वि ा करने स ार्क ाा समिि ायाँ गटित की गई है।

बैंक ने स ार्क ाा संबंधी मामलों में दिशा निर्देशों ाथा केन्द्रीय स ार्क ाा आयोग के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चि ा किया है। अक ाूबर 2010 में (25.10.2010 से 01.11.2010) ाक स ार्क ाा जागरूक ाा स ााह मनाया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

31 मार्च 20011 ाक सभी 2184 देशी शाखाओं और 5 उप शाखाओं को आं ारिक ाौर पर विकसि ा कोर बैंकिंग प्रणाली **"क्रौन"** के ाह ा लाया गया।

Central Vigilance Commission. During the year 178 Vigilance Disciplinary Cases were disposed. The Operational Risk Management Committee and the Committee of the Board to monitor large Value Frauds analysed the frauds reported periodically and observations/ remedial measures made/ suggested by the Committee have been implemented by the Bank.

During the year, our Bank issued 15 Circulars captioned Preventive Vigilance – Chief Vigilance Officer's special Circular elaborating the vigilance disciplinary cases handled by the Department. Besides incorporating the details of punishments awarded the important preventive measures to be taken by the staff members are also included in these circulars.

Further emphasis has been given by the Bank towards Preventive Vigilance measures through periodical Branch Inspection by Chief Vigilance Officer and also by Vigilance Officers attached to Vigilance Cell at select Regional Offices. The role of staff at all levels in adherence to Systems and Procedures especially compliance to Know Your Customer norms, Anti Money Laundering guidelines, fraud prone areas etc has been emphasized during periodical visits to Regional offices and Branches by Chief Vigilance Officer.

A Vigilance Official has been posted in all the Regions to handle the Vigilance matters. Vigilance Committees are formed in all Regional Offices, Exceptionally Large and Very Large Branches to examine and plug loopholes in Branch functioning to prevent frauds and also to implement the Preventive Vigilance Measures suggested by Vigilance Department.

The Bank has also ensured compliance of Central Vigilance Commission directions and guidelines in the vigilance related matters. Vigilance Awareness Week was observed in October 2010 (i.e. from 25.10.2010 to 01.11.2010.)

Information Technology

As on 31 march 2011, all the 2184 domestic branches and 5 Extension Counters were brought under In-house developed Core Banking System "**CROWN**".

सभी नई शाखाएँ सीधे कोर बैंकिंग सोलुयूशन के ाह ा आती हैं। 31 मार्च 20011 ाक 17 केन्द्रीय समाशोधन कार्यालय 43 क्षेत्रीय कार्यालय 11 केन्द्रीय कार्यालय के विभागों और 6 निरीक्षणालयों को कोर बैंकिंग सोलुयूशन के ाह ा लाया गया है।

31.3.2010 ाक। कुल 771 590 ऑन साईट 146 आफ साई और 35 रेलवे एटीएम थेवर्ष 2010-11 के दौरान 272 और एटीएम नेटवर्क में शामिल किए हैं जिससे उसकी संख्या बढ़कर 1043 (719 ऑन साईट 281 आफसाईट और 43 रेलवे एटीएम) हैं । बैंक के पास 2674841 डेबिट कार्ड का आधार है जिसमें 2674790 वीसा कार्ड शामिल है। एटीएम का सोर्सिंग और प्रबंधन मेसर्स टाटा कम्युनिकेशनस बैांकिंग इनफरा सोलयूशन को आौट सोस्रिंग किया है। 31.03.2011 ाक 43 क्षेत्रों में 793 एटीएम को प्रबंधि ा सेवाओं के ाह ा लाया गया । मालिकाना मोडल के ाह ा एटीएम को आगामी वर्ष के दौरान स्थापि ा किया जाना है। 2144 शाखाएँ आरटीजीएस और एनईएफटी के ाह ा कवर की गई हैं।

हमारा इंटरनेट बैंकिंग सूट स्वत: विकसि ा किया गया है और इसकी ुलना बाजार में उपलब्ध किसी भी क्वार्टस (सीओटीएस) द्वारा प्रस् ु ा कार्योव विशिष्ट ााओं के साथ की जा सक ाी है । इसमें कई सेवाएँ शामिल है जैसे, शेष पूछ ाछ, कुछ लेनदेन, प्रद ा चेक केलिए सर्च, खा ाा विवरण, इंटर बैंक और इंटरा बैंक, थोक विप्रेषण, युटीलिटी बिल भुग ाान जैसे टीएनइबी बिल भुग ाान और ऑनलाइन कर भुग ाान। व्यकि ायों और कार्पोरेटों के लिए उपलब्ध उनके पैन के प्रयोग से पंजीकृ ा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों द्वारा एनएसडीएल साइट से आयकर विवरण देखा जा सक ाा हैं। यह सुविधा सुरक्षि ा है और पब्लिक की इनफरास्ट्रक्चर टोन पीकेआइ से प्रयोग के जरिए दो फैक्टर अधिप्रमाणन प्रदान कर ाा है।

बैंकिंग ग ाविविधियों के लिए विभिन्न सेवाओं के अ ारिक ा एम-कामर्स सेवाएँ जैसे एयर / मूवी टिकेट, डी-मैट सेवाएँ एटीएम/डेबिट कार्ड रद्द करने की सुविधा एटीम, शाखा की पहचान करने की आदि सेवाएँ उपलब्ध है। 3 जी सिम कंप्लैंट के लिए मोइबाइल बैंकिंग सेवा उपलब्ध है।

All new branches are directly brought under the Core Banking Solution. As on 31 march 2011, 17 Central Clearing Offices, 43 Regional Offices and 11 Central office Departments and 6 Inspectorates have been brought under Core Banking Solutions.

The total number of Automated Teller Machine (ATMs) as on 31.03.2010 was 771 (590 Onsite, 146 Offsite and 35 Railway ATMs). During the year 2010–11, 272 more ATMs were brought into the network taking the total to 1043 (719 Onsite, 281Offsite and 43 Railway ATMs). The Bank has a total debit card base of 26,74,841 cards which includes 26,74,790 Visa Cards. ATMs Sourcing and Management is outsourced to M/s Tata Communications Banking Infrasolutions Ltd. As on 31 March 2011, 793 ATMs in 43 regions have been brought under the managed services. ATMs under owned model are also to be installed during the coming year. 2,144 branches are covered under Real Time Gross Settlement (RTGS) National Electronic Funds Transfer payment systems (NEFT).

Our Internet Banking Suite is developed in-house and is comparable with any of the features and functionalities offered by any of the Commercially Off the Shelf (COTS) models available in the market. It has a wide gamut of services like Balance Enquiry, Last Few Transactions, Search for Cheque Paid, Statement of Account, Inter-bank and Intra-bank funds transfer, bulk remittance, utility bill payments like Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) bill payments and online tax payments. Viewing of income tax particulars from NSDL site by the registered internet banking customers, using their Permanent Account Number is available for individuals and corporates. The facility is secure and provides for two factor authentication through the use of Public Key Infrastructure (PKI) -tokens.

In addition to a bouquet of services for banking activities, M-Commerce services like air/movie ticketing, Demat services, facility to suspend ATM / debit card, ATM locator, Branch locator etc. are offered. Mobile Banking service is 3G Mobile and 3G SIM compliant.

बैंक अपने ग्राहकों के साथ-साथ अन्य ग्राहकों के लिए पेमेंट गेटवे सेवाएँ उपलब्ध करा ा है। हमने कई मर्चेनट प्रि ष्टानो के सर गनजोड किया है जिससे ई-कामर्स और एम-कामर्स लेन देन किए जा सक ो हैं। मोइबाइल भुग ान बीपा प्रीमीयम, अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड के भुग ान टेलीफोन बिल भुग ान आदि युटीलिटी बिल का भुग ान, पेमेंट गेटवे के साथ किया जा सक ा है।

ीन रफा आपदा निपटान व्यवस्था लगभग शून्य प्रि शि ा आंकडा हानि सुनिश्चि ा कर ी है । मूल आंकडा केन्द्र (पीडीसी) और आदेश केन्द्र (सीसी) चेन्नै में स्थि ा हैं जबकि आपदा निपटान (डी आर) व्यवस्था दूसरे सिसमिक क्षेत्र में है । सीसी आंकडों का अद्य ान ा कालिक ौर पर किया जा ा है और डीआर साइट का अद्य ान ससिनकोनस मोडसे कुछ हद ाक देरी से किया जा ा है ।

एमपीएलएस-वीपीएन नेटवर्क हमारे सीबीएस पर काम कर ा है जिसकी सुरक्षा मदें यंत्र स ार पर, मीडिया स ार पर और सेवा प्रदानक ार्ा स ार पर स्थापि ा की गई हैं । क्षेत्रीय नेटवर्क नोड्स और ीन आंकडा केन्द्रों में द्वि एमपीएलएस वीपीएन कनेक्टिविटी दो अलग-अलग सेवा प्रदानक ार्ाओं से उपलब्ध कराए गए हैं । कनेक्टिविटी उस स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ार, आरएफ व वीएसएटी मीडिया के ज़रिए दी जा ी है । सभी शाखाएं /ऑफ साइट एटीएम / अन्य कार्यालय संबंधि ा क्षेत्रीय नेटवर्क नॉड के प्वाइंट-टु-प्वाइंट कनेक्शन के ज़रिए या मूल एमपीएलएस-वीपीएन क्लाउड के ह ा प्र यक्ष रूप से संपर्क करती है । दूसरे सेवा प्रदानक ार्ा से एमपीएलएस-वीपीएन सुविधा लगभग 1586 शाखाओं को दी जा ी है । ये सुविधाएं कार्यर ा हैं और नेटवर्क समय की देखभाल कर ी हैं और कारोबार जारी रखने के कार्य सुनिश्चि ा कर ी हैं । नेटवर्क कार्य करने का समय 99.96% से अधिक है ।

पाण्डियन ग्राम बैंक की 100% शाखाएं (203 शाखाएं) और नीलाचल बैंक की 174 शाखाओं में से 86 शाखाएं सी बी एस सोल्यूशन के ह ा लाई गई हैं ।

मानकीकरण की आवश्यक ा व एक ा सुनिश्चि ा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि सभी विदेशी शाखाओं को एक सामान्य साफ्टवेयर प्लेटफार्म याने हब और स्पोक्स मॉडल के ह ा लाई जाएं, जिसमें हब सिंगापुर में और आपदा निपटान साइट बैंकॉक में हो ।

The bank also offers Payment Gateway services for both its own customers as well as for other customers. We have tied up with a number of merchant establishments which facilitates both E-commerce and M-commerce transactions. Payment of utility bills like mobile payment, insurance Premium, other banks' credit cards, telephone bill payments etc., using the debit cards is also enabled using the Payment Gateway.

Three way Disaster recovery setup provides for near zero percent data loss. The Primary data Centre (PDC) and the Command Centre (CC) are located in Chennai while the Disaster Recovery (DR) setup is in a different seismic zone. The CC database is updated real-time on a synchronous mode. The DR site is updated on an Asynchronous mode with marginal time lag.

A robust MPLS-VPN network supports our CBS with redundancies built in at device level, media level and service provider level. All the Regional network nodes and three data centres are provided with dual MPLS VPN Connectivity sourced from two different service providers. Connectivity is provided through wired, RF and VSAT media depending upon the feasibility at a particular location. All the branches/Offsite ATMs/other offices are connected either by point to point leased line connection to the respective regional network node or directly under primary MPLS-VPN Cloud. Redundant MPLS-VPN links from alternate service provider has been sourced for about 1,586 branches. These links are functional and take care of network downtime and ensure business continuity. The network uptime has been more than 99.96 %.

100% branches of Pandyan Grama Bank (203 branches) and 86 branches out of 174 branches of Neelachal Gramya Bank have been brought under the CBS solution.

To address the need for standardization and for ensuring uniformity it was decided to bring all the overseas branches under a common software platform, under HUB and SPOKES Model, with the HUB at Singapore and Disaster Recovery Site at Bangkok.

सिंगापुर, बैंकॉक और कोलंबो की शाखाओं को पहले से ही सामान्य साफ्टवेयर प्लेटफार्म के ाह ा ला लिया गया है, जबकि सिओल में इस पैकेज का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है । हांगकांग और टीएसटी, हांगकांग शाखाएं फिलहाल स्टैण्ड अलोन पैकेज पर चल रही हैं और इन्हें भी सामान्य प्लेटफार्म के ाह ा पाता जाएगा ।

बिज़िनस इंटलिजेन्स सूट ने ऐसे डैशबोर्ड और उपकरण प्रदान किए हैं जिसके ज़रिए विभिन्न आकलनग ा रिपोर्टों का सृजन किया जा सक ा है जो रूसान विश्लेषण करने और निर्णय लेने में मदद कर ाी हैं । इसमें फोरकास्टिंग और मॉडलिंग पोर्टल जोडे गए हैं जिससे सांख्यिकीय फोरकास्टिंग करने मे सुविधा हो ाी है । कई रिपोर्टों को डैशबोर्ड के ाह ा पहले ही पाया गया है जिससे केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न प्रयोक ाा विभागों जैसे प्रायोजना, लाग ा, ट्रेशरी और साथ ही शाखा प्रबंधकों सहि ा क्षेत्र स्ार के पदाधिकारियों को निर्णय लेने मे समर्थन प्रदान कर रही हैं ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन दिल्ली में किया गया है और बहु ा जल्दी इसे चेन्न में भी कार्यान्वि ा किया जाएगा । ईआरपी - एसएपी समाधान का कार्यान्वयन भी किया गया है जिसके द्वारा भुग ाानों, समाहरणों और गारंटी पत्र / साख पत्र के अनुरोधों आदि के प्र यक्ष संसाधन के ज़रिए बैंक के नेटवर्क के साथ सीधे जुडने में कार्पोरेट ग्राहकों को मदद मिल ाी है । बैंक में आधार योजना का भी सफल कार्यान्वयन किया गया है और इसका विस ाार शाखाओ में भी हो रहा है ााकि अनोखी पहचान संख्या प्रदान करने के लिए सभी ग्राहकों को इस योजना के ाह ा लाया जा सके । ऋण संसाधन से जुडे टैट (टर्न अराउंड टाइम) को कम करने के लिए ऑनलाइन क्रेडिट संसाधन समाधान को कार्यान्वि ा किया जा रहा है । एक उन्न ा सुरक्षा उपाय के रूप में शाखाओं में बायो-मेट्रिक समाधान को कार्यान्वि ा किया जा रहा है ााकि बयो-मेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद प्रयोक ाागण सीबीएस प्रणाली का उपयोग कर सकें । आगामी वर्ष के दौरान, आइटी से संबंधि ा कई नई शुरुआ ाें होंगी जिसके बारे मे बैंक के पास योजनाएं मौजूद हैं ।

परिचालनों की लाग ा

लाग ा कक्ष मासिक / ािमाही आधार पर हाशियाग ा लाग ा, वृद्धिग ा उपज या आय, निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) और लाभप्रद ाा की प्रवृ ाि के ाह ा संवेदनशील क्षेत्रों का निरं ार आकलन कर ाा रह ाा है । आस्ि ा देय ाा समि ाि की बैठक में आकलनों से जुडे प्रमुख नोटों पर चर्चा की गई जिसके कारण आस्ि ा देय ाा प्रबंधन ाकनीकों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन हो सका । इसके अ ािरिक ा अन्य क्षेत्रों में शामिल है - समवे ा

Singapore, Bangkok and Colombo branches has already been brought under the common software platform, while implementation of the package is underway at Seoul. Hongkong and Tsim Sha Tsui (TST), Hongkong branch are running on a stand-alone packages and will also be brought under the common platform.

Business Intelligence Suite has provided dashboards and tools which enable generation of various analytical reports which help in trend analysis and decision making. Forecasting and Modeling portal has been added which facilitates static forecasting. A number of reports have already been brought under the dashboard and provides decision making support to various user departments at Central Office like Planning, Costing, and Treasury and to the field level functionaries including Branch Managers.

Cheque Truncation System has been implemented in Delhi and will be implemented in Chennai Zone shortly. Enterprise Resource Planning—Systems Application and Product (ERP-SAP) solution has been implemented enabling corporate customers to connect to the bank's network directly for straight through processing of payments, collections and Letter of Guarantee /Letter of Credit requests etc. Aadhaar has been successfully implemented in the bank and is being rolled out to the branches for bringing all its customers under the Aadhaar scheme to provide Unique Identification Number. Online Credit processing solution is being implemented to reduce TAT (Turn Around Time) of loan processing. Biometric solution is being implemented in branches as an enhanced security measure, to allow branch users to access the CBS system after biometric authentication. The bank has plans of rolling out many new IT initiatives during the ensuing year.

Costing of Operations

The Costing cell continued to analyze critical areas under marginal costing, incremental yield, Net Interest Margin (NIM) and the profitability trend on a monthly/quarterly basis. The key analytical notes were discussed in the Asset Liability Committee meeting, which serves as a tool for effective management of Asset Liability Management

रूप से बैंक के लिए लाभ अर्जन की योजना, क्षेत्रीय लाभ से संबंधि ा बजट और भार ा सरकार के वि ा मंत्रालय के लिए बैंक के आशय से संबंधि ा विवरण की ैयारी और साथ साथ लाग ा से संबंधि ा विभिन्न अध्ययनों का आयोजन ।

सुरक्षा

सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं, चाहे वे अनिवार्य हों या संस ुि के रूप में,उनका सभी शाखाओं में और प्रशासनिक कार्यालयों में कडाई से कार्यान्वयन किया गया । स्थानीय कानून और व्यवस्था की स्थिि को ध्यान में रख े हुए सुरक्षा कदमों की आवधिक रूप से समीक्षा की गई और ग्राहकों एवं स्टाफ दोनों के लिए सुरक्षि ा वा ाावरण बनाए रखने के लिए यथावांछि ा कदम उठाए गए और सुरक्षा स्थिि को मज़बू ा किया गया । बैंक सुरक्षा के लिए ज़रूरी निवारणा मक उपायों और अग्नि शमन व्यवस्थाओ पर बल दे ाा रहा और जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चि ा करने के लिए स्टाफ के बीच सुरक्षा के प्रि जागरूक ाा उ पन्न करने पर भी ज़ोर दिया गया ।

मानव संसाधन विकास

स्टाफ संख्या

31 मार्च 2011 को भार ा में बैंक की स्टाफ संख्या 25626 हैं जिसमें 9681 अधिकारी हैं, 11661 लिपिक हैं और 4284 अधीनस्थ स्टाफ हैं ।

कुल स्टाफ संख्या में से, 6079 सदस्य अनुसूचि ा जाि (एससी) प्रवर्ग, 1437 अनुसूचि ा जनजाि)एसटी) प्रवर्ग और 2279 अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) प्रवर्ग के हैं । स्टाफ संख्या में 5436 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसमें 1770 कर्मचारी धार्मिक अल्प संख्यक समुदाय, 748 भू ापूर्व सैनिक और 556 शारीरिक रूप से विकलांग के सदस्य हैं ।

एचआर उपाय

विभिन्न स् ार के पदाधिकारियों के छोडने के ा पश्चा ा उनकी जगह पर सक्षम व अनुभवी कार्मिकों को कार्यभार सौंपने के उद्देश्य से बैंक ने एक उचि ा नीि अपनाई है । बैंक उन अधिकारियों को पहचान करने की प्रक्रिया में हैं जो अपने करियर में प्रगि चाह े हैं विशिष्ट क्षेत्र जैसे ट्रे ज़री, विदेशी विनिमय, विपणन, उधार/वि ीय विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, वसूली, धन प्रबंधन, पूंजी वाज़ार सेवाएं, एच आर इ यादि । महिला अधिकारियों द्वारा अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए उन्हें प्रशिक्षण व उचि ा ैना ी के ज़रिए प्रो साहि ा करने के लिए इच्छुक अधिकारियों की पहचान करने हे ु उचि ा कदम उठाए गए हैं ।

techniques. Apart from this, other areas include profit planning for the bank as a whole, Regional profit budgeting, preparation of Bank's Statement of Intent (SOI) to Ministry of Finance, Government of India besides conducting various cost studies.

Security

Security measures, mandatory as well as recommendatory, were correctly and strictly implemented at all the branches and administrative offices. Security measures were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and additional steps as necessary were taken to strengthen it to create a safe environment for customers and the staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among the staff to ensure safety to life and property.

Human Resources Development

Staff Strength

The Bank's staff strength in India stood at 25,626 Comprising 9,681 Officers, 11,661 Clerks and 4,284 Sub-staff as of 31^{st} March 2011.

Of the total staff strength, 6,079 members belonged to Scheduled Caste (SC) category, 1,437 to Scheduled Tribe (ST) Category, and 2,279 to Other Backward Class (OBC) Category. Staff Strength includes 5,436 Women employees, 1,770 employees from Religious minority community, 748 ex-servicemen and 556 physically challenged members.

HR Initiative

The Bank has drawn a succession policy so as to ensure a steady flow of competent and experienced leaders to succeed the personnel who exit at various levels of hierarchy. The Bank has also initiated the process of identifying aspiring Offficers who are interested in their career progression in critical areas like Treasury, Foreign Exchange, Marketing, Credit/Financial Analysis, Risk Management, Recovery, Wealth, Management, Capital Market Services, HR etc. Steps have been initiated to identify women officers for grooming them to take up higher responsibilities through training and appropriate placement.

बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं को कवर कर े हुए स्टाफ के उपायों को साकार करने के उद्देश्य से ए आइ एम (सभी उपाय मह वपूर्ण) स्टाफ सुझाव योजना लागू की गई है । भार ीय बैंकिंग व वि   संस्थान (आइ आइ बी एण्ड एफ) और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजि कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क की प्र िपूर् िके लिए एक योजना शुरु की गई है ाकि ज्ञान बढाने हे ु आवश्यक सहाय ा मिल सके जिससे स्टाफ सदस्य प्रो साहि हो जाएं ।

वर्ष 2010-2011 के दौरान, बैंक ने 62 अधिकारियों और 25 लिपिकों की भर्ती की है ।

कारोबार विकास व वृद्धि, शाखा विस ार करने हे ु और वि ीय समावेशन के सरकारी उपायों का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा 1525 अधिकारियों जिसमें 525 विशेष अधिकारी भी शामिल हैं और 1100 लिपिकीय स्टाफ की भ र्ी करने का प्रस ाव है ।

प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहकोन्मुख बैंक बनाने के कार्पोरेट लक्ष्य के मद्देनज़र बैंकिंग के मूलभू क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग से जुडे समकालीन मुद्दों पर आं रिक व बाहरी पद्ध ि के ज़रिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

उधार मूल्यांकन / उधार प्रबोधन, अनर्जक आस्ि प्रबंधन और वसूली के साथ साथ जोखिम प्रबंधन पर ध्यान यथाव बना रहा । उक के अलावा, बैंकिंग विषयों पर अधिकारियों, लिपिकों को नियमि रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया जैसे विदेशी विनिमय, प्राथमिक ा उधार, अपने ग्राहक को जानें / धन-शोधन निवारण, बैंकिंग आचार संहि ा, लघु एवं मध्यम उद्यम / सूक्ष्म वि   व ग्रामीण उधार, आइटी उ पाद और निवारक स र्क ा । साथ ही, स्टाफ कालेज और विभिन्न सटाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कार्मिक सक्षम ा और टीम निर्माण के कार्यक्रम भी चलाए गए ।

वर्ष के दौरान, अं रराष्ट्रीय वि ीय रिपोर्टिंग प्रणाली विषयक कार्यक्रम(आइएफआरएस), क्षेत्रीय विपणन प्रबंधकों के लिए कार्यशाला, सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्लाक हुई रकम (अस्बा) द्वारा समर्थि आवेदनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम. संकाय विकास कार्यक्रम भी चलाए गए ।

वर्ष के दौरान, परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रवेश/पुष्टिपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए । एक श्रेणी/प्रवर्ग से दूसरी श्रेणी/प्रवर्ग को पदोन्न ि हे ु पात्र अनुसूचि जा ि / अनुसूचि जनजा ि के स्टाफ सदस्यों के लिए पदोन्न िपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण

AIM (All Ideas Matter) Staff Suggestion Scheme has been introduced to unleash ideas of staff covering various aspects of Banking. A Scheme for Reimbursement of Exam fees for identified Courses Conducted by Indian Institute of Banking and Finance (IIB&F) and other institutes introduced to provide much needed support to upgrade the knowledge and to motivate the staff members.

During the year 2010-2011, the Bank had recruited 62 Officers and 25 Clerks.

To drive Business Development and Growth, Branch expansion, and to take forward Government initiative of Financial Inclusion, the Bank has planned to induct 1525 Officers including 525 Specialist Officers and 1100 Clerical Staff.

Training

Keeping in view the corporate goal of making the Bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

The focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Non Performing Assets Management and Recovery in addition to Risk Management. Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers, clerks in the field of Foreign Exchange, Priority Credit, Know Your Customer / Anti Money Laundering, Banking Codes, Small and Medium Eenterprises /Micro Finance &Rural Credit, IT Products and Preventive Vigilance. Also Programme of Personnel Effectiveness and Team Building were conducted to all staff members at Staff College and various Staff Training Centres.

Training Programme on International Financial Reporting System (IFRS), workshop for Regional Marketing Managers, Security Officers Training Programme, Training Programme on Applications Supported by Blocked Amount (ASBA), Faculty Development Programme were conducted during the year.

Induction/pre confirmation training programme were conducted for probationary officers during the year. Pre Promotion Training for Scheduled Caste /Scheduled Tribe staff members who are eligible for promotion from one

केन्द्रों और स्टाफ कालेज में आयोजि ा किया गया ।

वर्ष के दौरान, सेवा-निवृ ा हुए अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए सेवा-निवृ ि पूर्व परामर्शी कार्यक्रम चलाया गया । प्र ाष्ठि ा संस्थाओं और पेशेवरों की संकाय सहाय ाा से ने ृ व और संगठन विकास, जन संपर्क, स र्क ाा प्रशासन और अनुशासनिक कार्रवाई विषयक आं ारिक कार्यक्रम भी आयोजि ा किए गए । इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओ विशेषकर सडक, बिजली, समुद्र / वायु प ानों के वि ा पोषण पर कंपनी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और यह आयोजन विशेष रूप से हमारे बैंक के मान्य ाा प्रा ा अधिकारियों के लिए पुणे स्थि ा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में किया गया ।

बैंकिंग और ाकनॉलाजी पर अं ारराष्ट्रीय अवधारणा को आ मसा ा करने के लिए और अपने अनुभव आर दक्ष ाा को अन्य सहभागियों के साथ बांटने के लिए कार्यपालकों / अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामि ा किया गया । ई-शिक्षा के एक मह वपूर्ण अंश के रूप में ई-पाठशाला नामक एक पोर्टल भी शुरु किया गया है जो बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों पर ई-पाठ प्रदान करने के एक साधन के रूप मे काम कर ाा है ।

आं ारिक प्रशिक्षण

आं ारिक प्रशिक्षण प्रणाली के ाह ा एक स्टाफ कालेज, नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र है । कुल 13323 स्टाफ सदस्यों को 1000 कार्यक्रमों के ज़रिए आं ारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें 7564 अधिकारी हैं, 4984 लिपिकीय सदस्य हैं और 775 अधीनस्थ स्टाफ हैं । प्रशिक्षि ा कुल स्टाफ में से 3015 अनुसूचि ा जाि ा के हैं और 1061 अनुसूचि ा जनजाि ा के हैं ।

बाहरी प्रशिक्षण व विदेश में प्रशिक्षण

बैंक ने प्र ाष्ठा मक बाह्य संस्थाओं द्वारा आयोजि ा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 126 कार्यपालकों और 465 अधिकारियों को प्र ानियुक ा किया। इनके अलावा 8 कार्यपालकों एवं 4 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्र ानियुक ा किया गया।

क्षे.ग्रा. बैंक के स्टाफ - सदस्यों को प्रशिक्षण

बैंक ने 39 प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा नीलाचल ग्राम्य बैंक और पांडियन ग्राम बैंक के कुल 515 कर्मचारियों को प्रशिक्षि ा किया । प्रशिक्षि ा कुल स्टाफ सदस्यों में से 129 अनुसूचि ा जाि ा (अ.ज) और 16 अनुसूचि ा जन जाि ा (अ.ज.जा) के हैं ।

grade/cadre to another was conducted at various Staff Training Centres and Staff College.

The Pre Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year. In house Programme on leadership and organization development, public relations, vigilance administration and disciplinary action were conducted with faculty assistance from reputed institutions and professionals. In company programme on Financing of Infrastructure Projects especially with reference to Road, Power, Sea/Air Ports were conducted exclusively for identified officers of our Bank at National Institute of Bank Management , Pune.

Executives/Officers were nominated for overseas training to acquire international perspective on banking & technology and share their expertise and experience with other participants. As a part of E-Learning a portal (e-paatshala) is in place to serve as a vehicle for providing e-lessons on the different areas of banking operations.

Internal Training

The internal training system comprises of one Staff College, nine Staff Training Centres and one Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 13,323 staff comprising of 7,564 Officers, 4,984 Clerical and 775 Sub-staff by conducting 1,000 programmes. Of the total staff trained, 3,015 belonged to Scheduled Caste (SC), and 1,061 belonged to Scheduled Tribe (ST).

External Training and Overseas Training

The Bank had also deputed 126 Executives and 465 Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these 19 executives and 4 Officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of Regional Rural Banks

We had also trained 515 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 39 Training Programmes. Of the total staff trained 129 belonged to Scheduled Caste (SC) and 16 belonged to Scheduled Tribe (ST).

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध का वा ाावरण भार ा भर की शाखाओं में काफी सौहार्द्रपूर्ण रहा और किसी भी कर्मचारी ट्रेड यूनियन, अधिकारी संघ और अनुसूचि ा जाि ा / जनजा ाि / अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण संगठनों के साथ कोई प्र ाविाद नहीं रहा । औद्योगिक संबंधों के ाह ा लंबि ा अनुशासनिक मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है ।

ग्राहक सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो प्रणाली का कार्यान्वयन जारी है ।

प्र येक वर्ष 31 मार्च को अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी चल, अचल एवं मूल्यवान संप ाियों से संबंधि ा विवरणी की प्रस्ाुि ा को 1.4.2011 से ऑनलाइन कर दिया गया है ।

संसदीय समि ाियों के दौरे

वि ाीय वर्ष 2010-2011 के दौरान, निम्न लिखि ा संसदीय समि ाियों ने दौरा किया ।**

- 27 - 29 मई, 2010 के दौरान अधीनस्थ विधान विषयक राज्यसभा की समि ाि
- 30 मई से 3 जून 2010 के दौरान उद्योग विषयक संसदीय समि ाि
- 17से 19 जून 2010 के दौरान कार्मिक जन शिकाय ों व विधि व न्याय विषयक स्थाई संसदीय समि ाि
- 12 से 13 जुलाई 2010 के दौरान अधीनस्थ विधान विषयक ससदीय समि ाि
- 28 से 31 अक ाूबर 2010 के दौरान उद्योग विषयक ससदीय समि ाि
- 17 से 22 दिसंबर 2010 के दौरान अधीनस्थ विधान विषयक राज्यसभा समि ाि
- 31 जनवरी से 3 फरवरी 2011 के दौरान वि ा विषयक स्थाई ससदीय समि ाि
- 2 से 4 फरवरी 2011 के दौरान वि ा विषयक ससदीय समि ाि
- 6 से 12 फरवरी 2011 के दौरान आश्वासनों से जुडी राज्यसभा समि ाि

दृष्टिकोण

वर्ष 2011-2012 के लिए आर्थिक परिवेश बहु ा अच्छा दिखाई दे ाा है । कारोबार बढाने के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे निरं ार उपायों और सभी स् ारों पर स्टाफ सदस्यों के बीच सकारा मक प्रेरणा से बैंक सभी प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों में और भी उपलब्धियां/ मील के प थर हासिल करने के लिए कृ ा संकल्प है और आनेवाले वर्षों मे भार ा के बडे बैंकों में अपना नाम स्थापि ा करने का लक्ष ा रख ाा है ।

Industrial Relations

The industrial relations climate was cordial. There were no conflicts with any of the employees' trade unions, officers' association and Scheduled Caste (SC) /Scheduled Tribe (ST)/Other Backward Class (OBC) welfare associations. Pending Disciplinary cases under Industrial relations have come down substantially.

'Single Window System' is under implementation to enhance customer service.

Submission of Return of Movable, Immovable and Valuable property by Officer employees as on 31st March every year has been made “online” effective from 01.04.2011.

Visit of Parliamentary Committees

The following parliamentary committees visited during the financial year 2010-11 :

- Rajya sabha Committee on Subordinate Legislation - May 27 - 29, 2010.
- Parliamentary Committee on Industries - May 30, 2010 to June 3 , 2010.
- Parliamentary Standing Committee on Personnel Public Grievance Law and justice - June 17 – 19, 2010.
- Parliamentary Committee on Subordinate Legislation–July 12– 13, 2010.
- Parliamentary Committee on Industry - October 28 -31, 2010
- Rajya sabha Committee on Subordinate Legislation –December 17- 22, 2010.
- Parliamentary Standing Committee on Finance - January 31- February 3, 2011
- Parliamentary Committee on Finance – February 2 -4 , 2011
- Rajya sabha Committee on Assurances – February 6 -12, 2011

Outlook

Economic outlook for 2011-12 appears to be very good. With the Bank's ongoing initiatives for driving the business and positive motivation among the staff at all levels, the Bank is all set to reach further milestones in all Key Performance Areas and aims to rank among the big banks in India in the years to come.

वर्ष 2010-11 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशा मक आवश्यक ाएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेंस ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संगठनों को निर्देशि ा एवं नियंत्रि ा किया जा ा है । यह व्यवस्था संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान कर ी है जिसकी मदद से वे अपने उद्देश्यों को निय ा कर पा े हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ि ा के लिए यह व्यवस्था एक स्वस्थ कारोबार आचारनीि ा की बुनियाद को निर्मि ा कर ी है । कार्पोरेट गवर्नेन्स में प्रबंधन और निवेशकों के बीच एक सुदीर्घ संबंध निहि ा रह ा है । साथ ही लेन-देन से जुड़ा संबंध भी हो ा है जो कि प्रकटीकरणों की उच्च मानक ा से संबद्ध हो ा है । स्वस्थ कार्पोरेट गवर्नेन्स का प्रमुख उद्देश्य है कि कार्पोरेट निष्पादन में सुधार लाया जाए और नीि ाग ा पद्धि ायों से सुदीर्घ शेयरधारक मूल्य सृजि ा करने में जवाबदेही को निश्चि ा किया जाए।

बैंक अच्छे कार्पोरेट गवर्नेन्स को सक्रिय रूप से अपना े हुए और उसको व्यवहार में ला े हुए शेयरधारकों के हि ों की रक्षा कर ा है । इस दिशा में बैंक अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारि ा मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। बैंक का निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों के प्रि ा अपनी जवाबदेही को भलीभाँि ा समझ ा है और इस के लिए वह उनकी संपदा को सृजि ा कर ा है , उसकी रक्षा कर ा है और उसमें वृद्धि कर ा है। साथ ही वह अपने शेयरधारकों को अपने निष्पादन की जानकारी समय के भी ार ही पारदर्शी रूप में प्रदान कर ा है । बैंक की कोशिश है कि कार्पोरेट गवर्नेन्स में गुणव ा ा लाने के उद्देश्य से बह ारीन आचार-नीि ा प्रक्रियाओं के अमल को सुनिश्चि ा किया जाए और बदले में शेयरधारकों के हि ों को इससे लाभ मिल सके।

बैंक समग्र गवर्नेन्स प्रक्रिया की प्रभावकारि ा को सुनिश्चि ा करने, प्रभावकारी वित्तीय रिपोर्टिंग व प्रकटन मानदण्ड के रखरखाव को सुनिश्चि ा करने और उच्च नीि ा मानकों का पालन करने के अपने न्यासीय क ार्व्य और जिम्मेदारियों की सराहना कर ा है।

हमारी कार्पोरेट गवर्नेन्स नीि ायाँ निम्नलिखि ा सिद्धां ों पर आधारि ा है।

⇒ कानून का अक्षरश: अनुपालन हो ।

⇒ पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स् ार बनाए रखना ।

⇒ बैंक का आं ारिक कामकाज कैसे चल ा है उसके बारे में बाहर सही जानकारी देना ।

⇒ जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उन सभी देशों के कानून का अनुपालन करना।

⇒ प्रबंधन जन ा की निधियों का केवल न्यासी और संरक्षक है न कि उकसा स्वामी।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2010-11

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

Corporate Governance is a system by which organizations are directed and controlled. It provides a structure to the organizations, by which they set their objectives and creates a foundation of sound business ethics for attaining those objectives. Corporate Governance consists of a long term relationship between management and investors as well as a transactional relationship which deals with high standard of disclosures. The primary objective of sound corporate governance is to contribute towards improved corporate performance and accountability in creating long term shareholder value by ethical means.

The Bank protects its stakeholders' interest by proactively adopting and practicing good Corporate Governance. Bank is complying all the norms laid down by regulatory authorities, in all its functional areas. The Board of the Bank recognizes its accountability to all the stakeholders by creating, protecting and enhancing their wealth as well as it is reporting performance in a timely and transparent manner to the stakeholders. It is the Bank's endeavour to ensure the implementation of best ethical practices for the purpose of enhancing corporate governance and in turn benefiting shareholder interests.

The Bank appreciates its fiduciary duty and responsibility for ensuring the effectiveness of its overall governance process, for ensuring the maintenance of effective financial reporting and disclosure norms and adherence to high ethical standards.

The Bank's Corporate Governance policies are based on the following principles:

⇒ Satisfy the law both in letter and in spirit

⇒ Be transparent and maintain a high degree of disclosures levels.

⇒ Communicate externally in a truthful manner about how the bank is run internally

⇒ Comply with laws of all the countries in which the Bank operates

⇒ Management is only the trustee and custodian of the public funds and not the owner

बैंक की व ीमान कार्पोरेट दृष्टि: लाभ व वृद्धि के क्षेत्र में सबसे आगे रहकर ग्राहकों को सुरक्षि ा ाथा नै ािक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना। बैंक अपने संसाधनों व प्रबल ाा और रणनी ाियों से इस दृष्टि को प्राप ा करना जारी रखेगा ।

2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ाथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम कर ो हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2011 ाक बारह सदस्य रहे, जिनमें ाीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व नौ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें ाीन निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हि ाों के विधिव ा प्र ाानिधि व के लिए चुने गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यर ा निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समिति
01	श्री एस ए भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	04.06.2007	31.10.2010 को सेवानिवृत्त
02	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.11.2010	
03	श्री वाई.एल.मदान	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	16.05.2008	31.08.2010 को सेवानिवृत्त
04	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	7.12.2009	
05	श्रा ए.के.बंसल	कार्यपालक निदेशक		01.09.2010	
06	डॉ.विनीता कुमार	सरकारी नामिती निदेशक		10.06.2008	
07	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक		27.02.2007	29 07 2010 को कार्यकाल त्याग दिया
08	श्री एस.वी.राघवन	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक		30.07.2010	
09	श्री एन.श्रीधरन	कर्मकार कर्मचारी निदेशक		20.04.2007	19.04.2010 को कार्यकाल त्याग दिया
10	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	अधिकारी कर्मचारी निदेशक		09.08.2010	
11	श्री के.आनद कुमार	अधिकारी कर्मचारी निदेशक		26.03.2010	
12	श्री बी.वी.अप्पाराव	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी		29.08.2008	
13	श्री सूरज खत्री	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी		26.10.2009	
14	श्रा ए.के.भार्गव	शेयरधारक निदेशक		08.12.2008	
15	डॉ. चिरंजीब सेन	शेयरधारक निदेशक		08.12.2008	
16	श्री ए.वेल्लयन	शेयरधारक निदेशक		08.12.2008	

बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध में दिया गया है ।

The Bank's existing corporate vision: to be a Leader in terms of Profit and Growth Providing Safe & Ethical Banking Services to Customers. The Bank will continue to focus its resources, strengths and strategies to achieve this vision.

2. BOARD OF DIRECTORS

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2011 is twelve directors comprising three whole time Directors and nine non-executive Directors, which includes three directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2010-2011:

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri S A Bhat	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	04.06.2007	31.10.2010 Retired
02	Shri.M.Narendra	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	01.11.2010	--
03	Shri Y L Madan	Executive Director	Executive / Whole Time	16.05.2008	31.08.2010 Retired
04	Smt. Nupur Mitra	Executive Director	Executive / Whole Time	07.12.2009	--
05	Shri A.K.Bansal	Executive Director	Executive / Whol Time	01.09.2010	--
06	Dr. Vinita Kumar	Govt. Nominee Director	Official Non Executive	10.06.2008	--
07	Smt. Chitra Chandramouliswaran	RBI Nominee Director	Non Executive	27.02.2007	29.07.2010 Demitted office
08	Shri.S.V.Raghavan	RBI Nominee Director	Non Executive	30.07.2010	--
09	Shri N Sridaran	Workmen Employee Director	Non Executive	20.04.2007	19.04.2010 Demitted office
10	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Workmen Employee Director	Non Executive	09.08.2010	--
11	Shri K. Ananda Kumar	Officer Employee Director	Non Executive	26.03.2010	--
12	Shri B V Appa Rao	Director/ Part-time Non– Official	Non Executive	29.08.2008	--
13	Shri Sooraj Khatri	Director /Part-time Non– Official	Non Executive	26.10.2009	--
14	Shri A.K. Bhargava	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	--
15	Dr. Chiranjib Sen	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	--
16	Shri A Vellayan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	--

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

यह घोषि ा किया जा ा है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश ेदार नहीं हैं या बैंक के किसी कर्मचारी के रिश ेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहि ा अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्रा ा की गई है जिसमें संहि ा अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री ए.पी.सिंह, महा प्रबंधक अर्ह ा प्रा ा कंपनी सचिव हैं और डॉ. गांगुली समि ि की सिफारिशों के अनुसार वे बोर्ड के भी सचिव हैं ।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की ारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रह े सूचि ा की जा ी है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अ िरिक्त सूचना प्रा ा करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रि ा किया जा ा है ाकि वे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें। समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कम-से-कम ि माही में एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यून ाम छ: बार आयोजि ा किए जाने की ुलना में, 16 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखि ा ारीखों एवं स्थानों में 16 बार मंडल की बैठकें आयोजि ा की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
01	29 - 04 - 10	चेन्नै
02	29 - 05 - 10	उदकमंड
03	24 - 06 - 10	चेन्नै
04	20 - 07 - 10	चेन्नै
05	31 - 07 - 10	चेन्नै
06	21 - 08 - 10	चेन्नै
07	28 - 08 - 10	चेन्नै
08	27 09 10	चेन्नै
09	29 - 10 - 10	चेन्नै
10	15 - 11 - 10	दिल्ली
11	11 - 12 - 10	चेन्नै
12	22 - 01 - 11	चेन्नै
13	28 - 01 - 11	चेन्नै
14	19 - 02 - 11	चेन्नै
15	26 - 02 - 11	मंगलूर
16	22 - 03 - 11	चेन्नै

- सभी बैठकें उचि ा कोरम के साथ स्थगि ा किए बिना आयोजि ा की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 20.07.2010 को आयोजि ा पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थि ि नीचे दी गयी है :

It is declared that none of the directors are related to each other or related to any of the employees of the bank.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri A.P.Singh, General Manager, a qualified Company Secretary, attached to Board Services Department, is also the Secretary to the Board, in accordance with the recommendations of the Dr. Ganguly Committee.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 16 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

- During the financial year 2010-11, the Board meetings were held 16 times on the following dates and places :

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	29 - 04 - 10	Chennai
02	29 - 05 - 10	Ootacamund
03	24 - 06 - 10	Chennai
04	20 - 07 - 10	Chennai
05	31 - 07 - 10	Chennai
06	21 - 08 - 10	Chennai
07	28 - 08 - 10	Chennai
08	27 - 09 - 10	Chennai
09	29 - 10 - 10	Chennai
10	15 - 11 - 10	Delhi
11	11 - 12 - 10	Chennai
12	22 - 01 - 11	Chennai
13	28 - 01 - 11	Chennai
14	19 - 02 - 11	Chennai
15	26 - 02 - 11	Mangalore
16	22 - 03 - 11	Chennai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 20.07.2010 are furnished below:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	भाग ली गयी बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
01	श्री एस.ए.भट, अ व प्र नि	09/09	हाँ
02	श्री एम.नरेंद्र , अ व प्र नि	07/07	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
03	श्री वाई एल मदान	06/07	हाँ
04	श्रीमती नूपुर मित्रा	14/16	नहीं
05	श्री ए.के.बंसल	08/09	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
06	डॉ . विनीता कुमार	09/16	हाँ
07	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	02/04	नहीं
08	श्री एस.वी.राघवन	11/12	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
09	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	11/11	एजीएम की तारीख के बाद नियक्त
10	श्री के.आनंद कुमार	15/16	हाँ
11	श्री सूरज खत्री	14/16	हाँ
12	श्री बी वी अप्पाराव	16/16	हाँ
13	श्री ए.के.भार्गव	16/16	हाँ
14	डॉ. चिरंजीब सेन	10/16	हाँ
15	श्री ए .वेल्लयन	05/16	नहीं

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य अध्यक्ष हैं :

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोडकर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड कर)
श्री ए.के.बंसल	03 - सदस्य	01- अध्यक्ष 02- सदस्य
श्री ए.वेल्लयन	02 - अध्यक्ष 04 - सदस्य	01 - सदस्य
डॉ. चिरंजीब सेन	01 - सदस्य	शून्य

ङ. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया में सुविधा तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings Attended / Held	Attendance in the Last AGM
01	Shri. S A Bhat, CMD	09/09	Yes
02	Shri.M.Narendra, CMD	07/07	Appointed after the date of AGM
03	Shri Y L Madan	06/07	Yes
04	Smt. Nupur Mitra	14/16	No
05	Shri A.K.Bansal	08/09	Appointed after the date of AGM
06	Dr. Vinita Kumar	09/16	Yes
07	Smt. Chitra Chandramouliswaran	02/04	No
08	Shri.S.V.Raghavan	11/12	Appointed after the date of AGM
09	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	11/11	Appointed after the date of AGM
10	Shri.K.Ananda Kumar	15/16	Yes
11	Shri Sooraj Khatri	14/16	Yes
12	Shri B V Appa Rao	16/16	Yes
13	Shri A K Bhargava	16/16	Yes
14	Dr. Chiranjib Sen	10/16	Yes
15	Shri A Vellayan	05/16	No

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri A.K. Bhargava	03 – Member	01 - Chairman 02 - Member
Shri A Vellayan	02 - Chairman 04 - Member	01 - Member
Dr. Chiranjib Sen	01 - Member	Nil

e.Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship /membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation and the minutes thus approved, are placed before the Board Meeting for their information.

• 3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी)

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य हैं :

क. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

ख. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव

ग. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव

घ. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित

च. वाद/अपील दायर करना, उनपर प्रतिवाद करना इत्यादि

छ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना

ज. दान

झ. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो मद (क) से (ज), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में है।

समिति वर्ष के दौरान 29 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस.ए.भट , अ व प्र नि	अध्यक्ष	04.06.2007	31.10.2010	14/14
2	श्री एम.नरेंद्र , अ व प्र नि	अध्यक्ष	01.11.2010		14/15
3.	श्री वाई.एल.मदान	सदस्य	16.05.2008	31.08.2010	08/10
4.	श्रीमती नूपुर मित्रा	सदस्य	07.12.2009		28/29
5	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		17/19
6.	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	12.07.2007	29.07.2010	04/07
7	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	30.07.2010 13.09.2010	31.07.2010	19/20
8	श्री ए.के.भार्गव	सदस्य	01.12.2009 01.12.2010	31.05.2010	16/17
9	डॉ.चिरंजीब सेन	सदस्य	08.12.2009 08.12.2010	07.06.2010	10/17
10	श्री बी.वी.अप्पाराव	सदस्य	01.06.2010	30.11.2010	12/12
11	श्री सूरज खत्री	सदस्य	29.10.2009 08.06.2010	28.04.2010 07.12.2010	12/13
12	श्री के.आनंद कुमार	सदस्य	29.04.2010	28.10.2010	12/13
13	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	सदस्य	29.10.2010		15/15

• 3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded)

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD.

The committee met 29 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S.A. Bhat, CMD	Chairman	04.06.2007	31.10.2010	14/14
2	Shri.M.Narendra, CMD	Chairman	01.11.2010		14/15
3.	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008	31.08.2010	08/10
4.	Smt. Nupur Mitra	Member	07.12.2009		28/29
5	Shri A.K.Bansal	Member	01.09.2010		17/19
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	12.07.2007	29.07.2010	04/07
7	Shri.S.V.Raghavan	Member	30.07.2010 13.09.2010	31.07.2010	19/20
8	Shri A.K. Bhargava	Member	01.12.2009 01.12.2010	31.05.2010	16/17
9	Dr. Chiranjib Sen	Member	08.12.2009 08.12.2010	07.06.2010	10/17
10	Shri B.V. Appa Rao	Member	01.06.2010	30.11.2010	12/12
11	Shri Sooraj Khatri	Member	29.10.2009 08.06.2010	28.04.2010 07.12.2010	12/13
12	Shri K. Ananda Kumar	Member	29.04.2010	28.10.2010	12/13
13	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Member	29.10.2010		15/15

• 3.2 मंडल की लेखा परीक्षा समि ि (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समि ि भार ीय रिज़र्व बैंक /भार ा सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठि ा की गयी है। समि ि में छः सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भार ीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार है और भार ा सरकार के परिपत्र, दिनांक 18.02.2008 की श ों के अनुसार बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अं ारण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के ह ा नामि ा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समि ि में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हे ु सूचि ानुसार एक गैर आधिकारिक सनदी लेखाकार है।

मंडल लेखा परीक्षा समि ि के कार्य व क र्व्य निम्नानुसार हैं

⇒ बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आं ारिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक था भार ीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुव र्न करना

⇒ बैंक में होनेवाले आं ारिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना अनुव र्न के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता था प्रभावा मक ा की समीक्षा करना और विशिष्ट था बहु ा बडी शाखाओं और असं ोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना

⇒ कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्रा ा करना है और उसकी समीक्षा करना

⇒ सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट था लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुव र्न था समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों था रिपोर्टों को अं िम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना

⇒ भार ीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों /चिं ाजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुव र्न करना

यह समि ि विशेषकर निम्नलिखि ा बा ों पर भी ध्यान दे ी है

⇒ अन् ार - शाखा समंजन खा े

⇒ अन् ार-बैंक था नोस्ट्रो खा ों में लंबी अवधि से असमंजि ा लंबि ा प्रविष्टियाँ

⇒ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन

• 3.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a Chartered Accountant and non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audits and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow - up of:

⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇒ Arrears in balancing of books at various branches

धोखाधडियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भार ीय वाणिज्यिक बैंकों को भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समि ि की श ों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समि ि को निम्नलिखि अ िरिक्त कार्य /शक्ि यॉं सौंपे गए :

- समि ि के अधीन किसी भी ग िविधि की जाँच पड़ ाल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्रा करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्रा करना ।
- जरु पड़ने पर संबंधि विषय में विशेषज्ञ ा वाले बाहरी व्यक्ि यों को आमंत्रि करना।

लेखा-परीक्षा समि ि के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अ िरिक्त निम्नलिखि कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना था उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ाकि यह सुनिश्चि किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, प्रर्या था विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नी ियों व आचरणों पर जोर दे े हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूर ों को पूरा कर े हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वि ीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा ।
- आन् िरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्या ा की समीक्षा प्रबंधन, बाहरी एवं आं िरिक लेखा परीक्षकों के साथ करना ।
- मह वपूर्ण स्वरूप के आं िरिक नियंत्रण प्रणाली की विफल ा या अनियमि ा या धोखाधड़ी संबंधी संदेहा मक मामलों में आं िरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आं िरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस् ार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिं ाजनक क्षेत्र का प ा लगाने के लिए चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय था जोखिम प्रबंधन नी ियों की समीक्षा करना ।

⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

वर्ष के दौरान समिति दिनांक 29.04.10, 19.05.10, 22.07.10, 31.07.10, 27.09.10, 20.10.10, 11.12.10, 31.12.10, 28.01.2011, 29.01.11 एवं 28.03.11 को 11 बार मिली।

सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
1.	श्री बी.वी.अप्पाराव	एसीबी की प्रत्येक बैठक में निर्वाचित सदस्य / अध्यक्ष	11.10.2009		11/11
2	श्री वाई.एल.मदान	सदस्य	16.05.2008	31.08.2010	03/04
3	श्रीमती नुपुर मित्रा	सदस्य	07.12.2009		10/11
4	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		07/07
5.	डॉ.विनीता कुमार	सदस्य	10.06.2008		04/11
6.	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	27.02.2007	29.07.2010	02/03
7	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	30.07.2010		07/08
8	श्री ए.वेल्लयन	सदस्य	09.12.2008	28.05.2010	02/02
9	श्री ए.के.भार्गव	सदस्य	29.05.2010		09/09

- **3.3 जोखिम प्रबंधन समिति**

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 01.04.2010 से 31.3.2011 के बीच 9 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
		से	तक	
1	श्री एस.ए.भट	04.06.2007	31.10.2010	05/05
2	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		04/04
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008	31.08.2010	03/03
5	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009		09/09
6	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		06/06
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007	29.07.2010	01/02
7	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010	29.10.2010	03/03
8	श्री बी.वी.अप्पराव	08.12.2008		08/09
9	श्री ए.के.भार्गव	29.05.2010		08/09

- **3.4 बड़ी मूल्यवाली धोखाधड़ियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति**

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान सात बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या।

The committee met 11 times during the year on 29.4.10, 19.5.10, 22.7.10, 31.7.10, 27.9.10, 20.10.10, 11.12.10, 31.12.10, 28.1.11, 29.1.11 and 28.3.11.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings attended
			From	To	
1.	Shri B.V. Appa Rao	Member/ Chairman elect at each meeting of ACB	11.10.2009		11/11
2.	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008	31.08.2010	03/04
3.	Smt. Nupur Mitra	Member	07.12.2009		10/11
4.	Shri A.K.Bansal	Member	01.09.2010		07/07
5.	Dr. Vinita Kumar	Member	10.06.2008		04/11
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	27.02.2007	29.07.2010	02/03
7.	Shri.S.V.Raghavan	Member	30.07.2010		07/08
8.	Shri A Vellayan	Member	09.12.2008	28.05.2010	02/02
9.	Shri A. K. Bhargava	Member	29.05.2010		09/09

- **3.3 Risk Management Committee:**

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 9 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended
		From	To	
1	Shri S. A. Bhat	04.06.2007	31.10.2010	05/05
2	Shri.M.Narendra,	01.11.2010		04/04
3	Shri Y L Madan	16.05.2008	31.08.2010	03/03
4	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		09/09
5	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		06/06
6	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007	29.07.2010	01/02
7	Shri.S.V.Raghavan	30.07.2010	29.10.2010	03/03
8	Shri B V Appa Rao	08.12.2008		08/09
9	Shri A. K. Bhargava	29.05.2010		08/09

- **3.4 Committee For Monitoring Large Value Frauds:**

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 7 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस.ए.भट	04.06.2007	31.10.2010	03/04
2	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		03/03
3	श्री वाई.एल.मदान	29.11.2008	31.08.2010	03/03
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009		05/07
5	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		03/04
6	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008		03/07
7	श्री ए.के.भार्गव	29.11.2009		07/07
8	श्री ए.वेल्लयन	29.11.2009	28.05.2010	01/01
9	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		06/06

• 3.5 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2010 से 31.03.211 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस.ए.भट	04.06.2007	31.10.2010	02/02
2	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		02/02
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008	31.08.2010	02/02
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009		03/04
5	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		02/02
6	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008		02/04
7	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007	29.07.2010	0/01
8	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010	29.10.2010	01/01
9	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	09.08.2010		03/03
10	श्री के. आनंद कुमार	26.03.2010		04/04
11	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		04/04

• 3.6 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस.ए.भट	04.06.2007	31.10.2010	02/02
2	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		01/01
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008	31.08.2010	01/01
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009		03/03
5	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		01/02
6	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008		02/03
7	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010		03/03

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A . Bhat	04.06.2007	31.10.2010	03/04
2.	Shri.M.Narendra	01.11.2010		03/03
3.	Shri Y L Madan	29.11.2008	31.08.2010	03/03
4.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		05/07
5.	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		03/04
6.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		03/07
7.	Shri A.K. Bhargava	29.11.2009		07/07
8.	Shri A Vellayan	29.11.2009	28.05.2010	01/01
9.	Shri Sooraj Khatri	29.05.2010		06/06

• 3.5 Customer Service Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri S. A . Bhat	04.06.2007	31.10.2010	02/02
2	Shri.M.Narendra	01.11.2010		02/02
3	Shri Y L Madan	16.05.2008	31.08.2010	02/02
4	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		03/04
5	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		02/02
6	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		02/04
7	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007	29.07.2010	0/01
8	Shri.S.V.Raghavan	30.07.2010	29.10.2010	01/01
9	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	09.08.2010		03/03
10	Shri K. Ananda Kumar	26.03.2010		04/04
11	Shri Sooraj Khatri	29.05.2010		04/04

• 3.6 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 3 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No	Name of the Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri S. A . Bhat	04.06.2007	31.10.2010	02/02
2	Shri.M.Narendra	01.11.2010		01/01
3	Shri Y L Madan	16.05.2008	31.08.2010	01/01
4	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		03/03
5	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		01/02
6	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		02/03
7	Shri.S.V.Raghavan	30.07.2010		03/03

• 3.7 संपर्ककर्ता खातों की स्थापना के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस.ए.भट	04.06.2007	31.10.2010	01/01
2	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		02/02
3	श्री वाई.एल.मदान	30.05.2008	31.08.2010	01/01
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009		03/03
5	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		02/02
6	श्री बी.वी.अप्पाराव	09.12.2008		03/03
7	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		03/03

• 3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैंठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-1, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति -गठित की गई है।

समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1. डॉ.विनीता कुमार
2. श्री एस.वी.राघवन
3. श्री ए. के. भार्गव
4. श्री सूरज खत्री

समिति दिनांक 21.08.2010 को एक बार मिली और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

• 3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय "योग्य तथा उचित" हैसियत आदि निर्णय लेने के

• 3.7 Committee For Establishment of Correspondent Accounts:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 3 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri S. A . Bhat	04.06.2007	31.10.2010	01/01
2	Shri.M.Narendra	01.11.2010		02/02
3	Shri Y L Madan	30.05.2008	31.08.2010	01/01
4	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		03/03
5	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		02/02
6	Shri B V Appa Rao	09.12.2008		03/03
7	Shri Sooraj Khatri	29.05.2010		03/03

• 3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee are :-

1. Dr. Vinita Kumar
2. Shri.S.V.Raghavan
3. Shri A.K. Bhargava
4. Shri Sooraj Khatri

The Committee met once on 21.08.2010 and all members of the Committee have attended the meeting.

• 3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01 11 2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority,

प्राधिकार, पद्धि ि / कार्यविधि ाथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भार ाीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि "योग्य ाथा उचि ा" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - दोनों व ार्मान ाथा भविष्य में भी लागू किया जाए।

समि ाि उचि ा समय पर गठि ा की जाएगी।

4.शेयरधारकों की समि ाियाँ

क.शेयरधारक शिकाय ा समि ाि

अप्रैल 2001 को गठि ा शेयरधारकों की शिकाय ा समि ाि का अं ाि म बार पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 27.09.2010 को किया।

अभी समि ाि के अध्यक्ष श्री ए.वेल्लयन हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामि ा दो निदेशक हैं।01.04.2010 से 31.03.2011 ाक की अवधि के दौरान समि ाि 4 बार मिली। सभी बैठकें उचि ा कोरम के साथ स्थगि ा किए बगैर आयोजि ा की गईं। समि ाि के प्र ायेक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थि ाि के ब्यौरे निम्नव ा हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री ए.वेल्लयन	08.12.2008		3 / 4
2.	श्री वाई.एल.मदान	29.05.2008	31.08.2010	1 / 1
3.	श्रीमती नूपुर मित्रा *	07.12.2009		3 / 3
	श्री ए.के.बंसल **	01.09.2010		
4.	डॉ.चिरंजीब सेन	08. 12 .2008		3 / 4

* श्री वाई.एल.मदान , कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकाय ा समि ाि की बैठक में अनुपस्थि ा रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समि ाि के सदस्य के रूप में भाग लेने हे ाु नियुक्ा किया गया।

** श्रीम ाी नूपुर मित्रा , कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकाय ा समि ाि की बैठक में अनुपस्थि ा रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयरधारकों की शिकाय ा समि ाि के सदस्य के रूप में भाग लेने हे ाु नियुक्ा किया गया।

शेयरधारक शिकाय ा व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धि ाि का आवधिक अं ारालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकाय ा समि ाि ने श्री वी. सुरेश, कार्यर ा कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समि ाि की प्र ायेक बैठक में उनकी ा्रैमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

ख. शेयर अं ारण समि ाि

शेयर अं ारण समि ाि में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थि ाि में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल

manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the “Fit and Proper” criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The committee would be constituted at an appropriate time.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

a. Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 27.09.2010.

At present, the Chairman of the Committee is Shri A Vellayan and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri A.Vellayan	08.12.2008		3 / 4
2.	Shri Y L Madan	29.05.2008	31.08.2010	1 / 1
3.	Smt. Nupur Mitra*	07.12.2009		3 / 3
	Shri A.K.Bansal**	01.09.2010		
4.	Dr. Chiranjib Sen	08.12 .2008		3 / 4

* Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee In the absence or inability of Sri Y L Madan, ED to attend meetings.

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee In the absence or inability of Smt. Nupur Mitra, ED to attend meetings.

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

b. Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his

द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोसिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 22 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री वाई.एल.मदान	29.05.2008	31.08.2010	8/8
2	श्रीमती नूपुर मित्रा*	07.12.2009		13/13
3	श्री ए.के.बंसल **	01.09.2010		1/1
4	डॉ.चिरंजीब सेन	04.05.2009		10/22
5	श्री के.आनंद कुमार	30.03.2010		20/22

* अ. व. प्र. नि. या श्री वाई.एल.मदान, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

**अ. व. प्र. नि. या श्रीमती नूपुर मित्रा , कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डूप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्री वी. सुरेश को नियुक्त किया। उनका कार्य 01.01.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया । अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

- **ग. शेयर आबंटन समिति :**

भारत सरकार को वरीयता आधार पर ईक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए एक शेयर आबंटन समिति का गठन किया गया है और दिनांक 19 02 2011 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशक युक्त समिति को प्राधिकृत किया है :

1. श्री एम.नरेंद्र, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. श्रीमती नूपुर मित्रा - कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति अथवा उपस्थित रहने में उनकी असमर्थता के समय श्री ए.के.बंसल - कार्यपालक निदेशक ।
3. श्री के.आनंद कुमार - निदेशक
4. श्री बी.वी.अप्पाराव - निदेशक

absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc., The committee met 22 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of t he Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri Y L Madan	29.05.2008	31.08.2010	8/8
2.	Smt. Nupur Mitra*	07.12.2009		13/13
	Shri A.K.Bansal* *	01.09.2010		1/1
3.	Dr. Chiranjib Sen	04.05.2009		10/22
4.	Shri K. Ananda Kumar	30.03.2010		20/22

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Sri Y L Madan, ED to attend Meetings.

**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Smt. Nupur Mitra, ED to attend Meetings.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

- **c. Share Allotment Committee**

Share Allotment Committee has been constituted for allotment of Equity shares to Government of India on Preferential basis and the Board of Directors of the Bank at their meeting held on 19.02.2011 had authorized a committee of the following Directors:

1) Shri.M.Narendra Chairman and Managing Director
2) Smt.Nupur Mitra – Executive Director or Shri.A.K.Bansal Executive Director in the absence or inability of Smt.Nupur Mitra to attend
3) Shri.K.Ananda Kumar – Director
4) Shri. B.V.Appa Rao - Director

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समि ि के अध्यक्ष हैं और भार ा सरकार को वरीय ा आधार पर शेयरों के आबंटन पर विचार करने और उसे अनुमोदि ा करने के लिए समि ि ने 24 03 2011 को बैठक की।

घ. अनुपालन अधिकारी :

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 47 के अनुसार श्री ए.पी.सिंह, महा प्रबंधक ाथा कंपनी सचिव, भार ीय प्र िभूि ा एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एकस्चेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से अनुपालन अधिकारी हैं ।

घ. शेयरधारकों की शिकाय ों

वर्ष के दौरान प्राप् ा व दूर की गई ाथा विचाराधीन शिकाय ों की संख्या

क्रम सं	शिकायत की प्रकृति	प्रापत 01.04.2010 तक लंबित		निपटाई गई	31.03.2011 तक लंबित
1	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	40	40	शून्य
2	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	923	923	शून्य
3	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों ओर ग्राहक शिकायत निवारण फोरम की शिकायतें	शून्य	26	26	शून्य
4	विविध (पते में परिवर्तन , बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें	शून्य	49	49	शून्य
	योग	शून्य	1038	1038	शून्य

ड सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचि ा किया है कि अन्य ई मेल आइ डी investorcomp@iobnet.co.in दी गई है और हमारे महाप्रबंधक और कंपनी सचिव श्री ए.पी.सिंह को निवेशकों द्वारा शिकाय ों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप मे भी नामि ा किया गया है । हमने यह ई मेल आई डी और अन्य संबंधि ा ब्यौरे प्रमुख ा से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शि ा किए हैं। सहायक महा प्रबंधक जो निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख हैं निवेशक संबंधी शिकाय ों का निवारण कर ो हैं।

5. अन्य समि ियां

विभिन्न अन्य समि ियां जैसे आस्ि ा देय ा प्रंबंधन समि ि , निवेश पुनरीक्षण समि ि , उच्च प्रबंधन समि ि में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं , जिसे दैनिक कार्यों ाथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा निगरानी ाथा प्रबोधन करने के लिए गठि ा किया गया हैं।

6. सामान्य सभा की बैठकें

क. स्थान व समय जहॉं पिछली ाीन बैठकें आयोजि ा की गई :

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank and the committee met once on 24.03.2011 to consider and approve allotment of shares to Government of India on preferential basis.

c. Compliance Officer :

In terms of clause 47 of the listing agreement, Shri A P Singh, General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

d. Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

SL NO.	NATURE OF COMPLAINT	PENDING AS ON 01.04.2010	RECEIVED	REDRESSED	PENDING AS ON 31.03.2011
1	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	40	40	Nil
2	Non receipt of Dividend	Nil	923	923	Nil
3	Complaints to SEBI / Stock Exchange s and Consumer Redressal Forum	Nil	26	26	Nil
4	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	49	49	Nil
	Total	Nil	1038	1038	Nil

e. In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and our General Manager and Company Secretary Shri A P Singh, is also the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department Executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय		स्थान
1	8वीं एजीएम	14.06.2008 11.00 बजे	शनिवार	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
2	9 वीं एजीएम	04.07.2009 11.00 बजे	शनिवार	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
3	10वीं एजीएम	20.07.2010 11.00 बजे	मंगलवार	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

ख. पिछले ीन एजीएम मे कोई विशेष संकल्प पारि ा नहीं किए गए ।

ग. कोई डाक म ादान नहीं था ।

घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजि ा हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	पहली ईजीएम	07.12.2002 शनिवार 11.00 बजे	राणी सीतैय्या हॉल 603, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 006
2	दूसरी ईजीएम	30.11.2005 बुधवार 11.00 बजे	राणी सीतैय्या हॉल 603, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 006
3	तीसरी ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
4	चौथी ईजीएम	22.03.2011 मंगलवार 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

7. प्रकटीकरण

क. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा निय ा किया जा ा है। वर्ष 2009-10 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रद ा पारिश्रमिक के विवरण निम्नव ा हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1.	श्री एस.ए.भट	अ व प्र नि (सेवानिवृत्त)	वेतन व भत्ते	8,31,200.00
			सेवानिवृत्ति पर छुट्टियों की भुनाई	5,02,667.00
			ग्रैच्युटी	2,00,000.00
2.	श्री एम.नरेंद्र	अ व प्र नि	वेतन व भत्ते	5,85,125.00
3.	श्री वाई.एल.मदान	का.नि (सेवानिवृत्त)	वेतन व भत्ते	5,07,284.50
			सेवानिवृत्ति पर छुट्टियों की भुनाई	1,58,263.10
			ग्रैच्युटी	68,960.00
3.	श्रीाती नूपुर मित्रा	का.नि	वेतन व भत्ते	12,37,503.00
4.	श्री ए.के.बंसल	का.नि	वेतन व भत्ते	7,50,250.00

बैंक स्व ांत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दे ाा , भार ा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्र ाभागि ाा शुल्क दिया जा ाा है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्र ा बैठक रु. 5000/- और समि ा की बैठकों के लिए प्र ा बैठक रु. 2500/- दिया जा ाा है ।

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
01	8th AGM	14.06.2008 Saturday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
02	9th AGM	04.07.2009 Saturday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
03	10th AGM	20.07.2010 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

b. No special resolutions were put through in the last three AGMs

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	1st EGM	07.12. 2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai -600 006
2.	2nd EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai -600 006
3.	3rd EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai-600 018
4.	4th EGM	22.03.2011 Tuesday 11.00 AM	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai-600 018

7. DISCLOSURES:

a. The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to Whole Time Directors during the year 2009-10 are as follows :

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (Rs.)
1.	Shri S A Bhat	CMD(Retired)	Salary & Allowances	8,31,200.00
			Encashment of leave on retirement	5,02,667.00
			Gratuity	2,00,000.00
2.	Shri M Narendra	CMD	Salary & Allowances	5,85,125.00
3.	Shri Y L Madan	ED (Retired)	Salary & Allowances	5,07,284.50
			Encashment of leave on retirement	1,58,263.10
			Gratuity	68,960.00
4.	Smt Nupur Mitra	ED	Salary & Allowances	12,37,503.00
5.	Shri A K Bansal	ED	Salary & Allowances	7,50,250.00

The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – Rs. 5000/- per meeting and for Committee meetings – Rs. 2500/- per meeting.

ख. प्रबंधन के प्रमुख व्यकि ायों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधि ा पार्टी लेनदेन के प्रकटन की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिि ा द्वारा की जा ाी है ।

ग. बैंक के निदेशकों , प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई मह वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हि ाों पर प्रि ाकूल प्रभाव पड़ ाा हो ।

घ. स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2011 को समाप्‍ा पिछले ाीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न ाो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

च. फिलहाल बैंक की चे ाावनी नीि ा नहीं है । फिर भी लेखा परीक्षा समिि ा से मिलने से किसी को मना नहीं किया गया।

छ. बैंक ने राष्ट्रीयकृ ा बैंकों के लिए भार ाीय रिजर्व बैंक/ भार ा सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशा मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ज. गैर-अधिदेशा मक अपेक्षाओं को संबंधि ा मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

झ. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के ाह ा सीइओ ाथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस् ाु ा कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रि ा संलग्न है।

ट. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्‍ा किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के ि ामाही अलेखा वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदि ा किए जा ो हैं और इसे निय ा समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस् ाु ा कर दिया जा ाा है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक सभी शेयर धारकों को छमाही परिणाम भेज ाा रहा है ।

ख. सूचिबद्ध करार के खण्ड 41 के मु ााबिक ि ामाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशि ा किए गये हैं ाथा प्रकाशन करने की ाारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2011.

e. Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

I. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the statutory central auditors on corporate governance in the Bank for the year 2010-11 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly results to all the shareholders.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2010	इ न्यू इंडियन एक्सप्रेस	दिनमणि (तमिल)	30.04.2010
30.06.2010	द फाइनांशियल एक्सप्रेस	दिनमणि (तमिल)	01.08.2010
30.09.2010	द हिंदु - बिज़नेस लाइन	दिन तंदी (तमिल)	30.10.2010
31.12. 2010	द हिंदु - बिज़नेस लाइन	दिन तंदी (तमिल)	29.01.2011

ग. िमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट www.iob.co.in में भी प्रदर्शि ा किए जा रहे हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएम: ारीख, समय और स्थान:

दिनांक	12.07.2011
समय	10.00 बजे
स्थान	चेन्नै

ख. वि ीय वर्ष:

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 ाक

ग. बही बंद करने की ारीख:

लाभांश के प्रयोजन हे ु पात्र ा निर्धारि ा करने के लिए 06.07. 2011 से 12.07.2011(दोनों दिन शामिल हैं)

घ. लाभांश भुग ान ारीख:

22.07.2011 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की श ा पर

ङ अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण ाथा अं ारण) ाथा वि ीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण ाथा अं ारण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखि ा के लिए प्रावधान है:

⇒ घोषणा की ारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खा ो में पड़ी है, उसे ....वर्ष के लिए आइ ओ बी के अद ा लाभांश खा ो नामक अलग खा ो में अं ारि ा किया जाना है।

⇒ अद ा लाभांश खा ो को अं ारि ा कोई भी रकम जो इस प्रकार के अं ारण की ारीख से सा ा वर्ष की अवधि के लिए अद ा या अदावी पड़ी हैं, ाो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के 205(1) (सी) के ाह ा स्थापि ा निवेशक शिक्षा ाथा संरक्षण निधि को अं ारि ा कर देना है।

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2010	The New Indian Express	Dinamani (Tamil)	30.04.2010
30.06.2010	The Financial Express	Dinamani (Tamil)	01.08.2010
30.09.2010	The Hindu - Business Line	Dinathanthi (Tamil)	30.10.2010
31.12. 2010	The Hindu - Business Line	Dinathanthi (Tamil)	29.01.2011

c. The quarterly results are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.in.**

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a. AGM: Date, Time and Venue:

Date	12.07.2011
Time	10.00 A.M.
Venue	Chennai

b. Financial Year:

01st April 2010 to 31st March 2011

c. Date of Book Closure:

06.07.2011 to 12.07.2011 (Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d. Dividend Payment Date:

On or after 22.07.2011 subject to declaration of dividend by shareholders.

e. Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

⇒ Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed /claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____"

⇒ Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be

ादनुसार पिछले वर्षों के अद ा लाभांशों को आइओबी के अद ा लाभांश खा ों को अं ारि ा कर दिया गया हैं और अ ा: इस प्रकार की अं ारण राशि को जो अं ारण की ारीख से सा ा साल की अवधि ाक अद ा या अदावि ा हैं, निवेशक शिक्षा ाथा संरक्षण निधि में अं ारि ा कर दिया जाएगा :

लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 ((आइ)	04.12.2006
2003-04 (एफ)	04.12.2006
2004-05 ((आइ)	09.12.2006
2004-05 (एफ)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009-10	26.10.2010

च. बैंक के शेयर निम्नलिखि ा स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि.**	आइओबी
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

** दिनांक 14 जून 2008 को आयोजि ा 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने बैंक के शेयरों को मद्रास स्टॉक एकस्चेंज लिमिटेड की सूचीबद्ध ाा से हटा लेने के संबंध में सर्वसम्म ा संकल्प पारि ा किया। ादनुसार बैंक शेयरों को हटा देने के लिए एमएसई को 2008 में आवेदन दिया गया है और वे उसका संसाधन कर रहे हैं।

मद्रास स्टॉक एक्सचेंज के अलावा स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2010-11 के लिए सूचीबद्ध करने हे ाु वार्षिक शुल्क निर्धारि ा देय ारीखों के अंदर दिया गया है।चूँकि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज , चेन्नै के पास हमारा सूची से

transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000 - 01	08.12.2006
2001 - 02	05.12.2006
2002 - 03	05.12.2006
2003 - 04 (I)	04.12.2006
2003 - 04 (F)	04.12.2006
2004 - 05 (I)	09.12.2006
2004 - 05 (F)	05.12.2006
2005 - 06	04.12.2006
2006 - 07	13.07.2007
2007 - 08	19.07.2008
2008 - 09	11.08.2009
2009 - 10	26.10.2010

f. The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Madras Stock Exchange Ltd.**	I O B
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

** The shareholders of our Bank at the 8th Annual General Meeting held on 14th June, 2008 had unanimously passed a resolution approving the delisting of the Bank's shares from Madras Stock Exchange Limited. An application for delisting of the Bank's shares has accordingly been submitted to MSE in 2008 and the same is being processed by MSE.

हटाने संबंधी आवेदन अभी भी लंबि I है , वर्ष 2010- 11 के लिए वार्षिक शुल्क का भुग IIन नहीं किया गया है ।

प्राधिकृ I पूँजी में बढ़ो IरI

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण IथI अं Iरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2ए) के अनुपालन में भार I सरकार ने अपनी अधिसूचना एस ओ सं 3123 और एस ओ सं 3124 दिनांकि I 10 नवंबर 2009 के द्वारा राष्ट्रीयकृ I बैंकों मे प्राधिकृ I पूँजी को रु. 1500 करोड़ से बढ़कर रु. 3000 करोड़ कर दिया गया है । अ I: 10 नवंबर 2009 से हमारे बैंक की प्राधिकृ I पूँजी रु. 1500 करोड़ से बढ़कर रु. 3000 करोड़ हो गयी ।

प्रद I पूँजी में बढ़ो IरI

बैंक ने वरीय II आधार पर भार I सरकार को रु.1054 करोड़(रुपये एक हजार चौवन करोड़ मात्र) के समेकि I मूल्य के रु.142.53 प्रि I शेयर (रु.132.53 प्रि I शेयर के प्रीमियम सहि I) की दर पर 7,39,49,343 ईक्विटी शेयर जारी किये हैं जिनका कि प्र यक्ष मूल्य प्रि I शेयर रु.10 है। अ I: बैंक की प्रद I पूँजी रु.544.80 करोड़ से बढ कर रु.618.75 करोड़ हो गयी है और बैंक में भार I सरकार की शेयरधारि II रु.333.60 करोड़ (61.23%) से बढ कर रु.407.55 करोड़ (65.87%) हो गयी है।

छ. बाजार मूल्यों के आँकडे

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च (रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2010	104.00	92.00	104.00	91.20
मई 2010	97.20	**87.25**	97.25	**87.35**
जून 2010	106.80	87.45	106.70	87.40
जुलाई 2010	117.60	102.50	117.50	95.10
अगस्त 2010	137.20	108.60	137.00	105.05
सितंबर 2010	143.90	124.30	144.00	124.20
अक्तूबर 2010	173.25	131.60	173.40	132.00
नवंबर 2010	**180.00**	131.20	**176.35**	131.00
दिसंबर 2010	159.85	126.65	159.75	126.45
जनवरी 2011	150.20	121.00	150.35	121.30
फरवरी 2011	154.20	116.40	139.00	116.50
मार्च 2011	152.05	134.00	152.00	134.00

2010-11 के दौरान संबंधि I स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीम Iों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं ।

Annual listing fee for the year 2010-11 has been paid to the stock exchanges except Madras Stock Exchange within the prescribed due dates. As our delisting application is still pending with Madras Stock Exchange, Chennai, Annual Listing Fee for the year 2010-11 has not been paid.

Increase in Authorised Capital

Pursuant to Section 3 (2-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the Government of India has, vide GOI Notification S.O. No. 3123 and S.O. No. 3124 dated November 10, 2009, increased the Authorised Capital of Nationalized Banks from Rs. 1500 crore to Rs. 3000 crore. Thus with effect from November 10, 2009, our Bank's Authorised Capital of Rs. 1500 crore stands increased to Rs. 3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 7,39,49,343 Equity Shares, of face value Rs. 10.00 each, at the rate of Rs. 142.53 per share (including premium of Rs. 132.53 per share) aggregating to Rs. 1054.00 crore(Rupees One Thousand Fifty Four Crore Only) to Government of India on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the bank has increased from Rs. 544.80 crore to Rs. 618.75 crore and Government of India's shareholding has increased from Rs. 333.60 crore (61.23%) to Rs. 407.55 crore (65.87%) into the Bank.

g. Market price data:

Period - Month	National Stock Exchange High (Rs)	Low (Rs)	Bombay Stock Exchange High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2010	104.00	92.00	104.00	91.20
May 2010	97.20	**87.25**	97.25	**87.35**
Jun 2010	106.80	87.45	106.70	87.40
Jul 2010	117.60	102.50	117.50	95.10
Aug 2010	137.20	108.60	137.00	105.05
Sep 2010	143.90	124.30	144.00	124.20
Oct 2010	173.25	131.60	173.40	132.00
Nov 2010	**180.00**	131.20	**176.35**	131.00
Dec 2010	159.85	126.65	159.75	126.45
Jan 2011	150.20	121.00	150.35	121.30
Feb 2011	154.20	116.40	139.00	116.50
Mar 2011	152.05	134.00	152.00	134.00

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2010-11 on the respective Stock Exchanges.

01-04-2010 से 31-03-2011 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

h. Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2010 to 31.03.2011

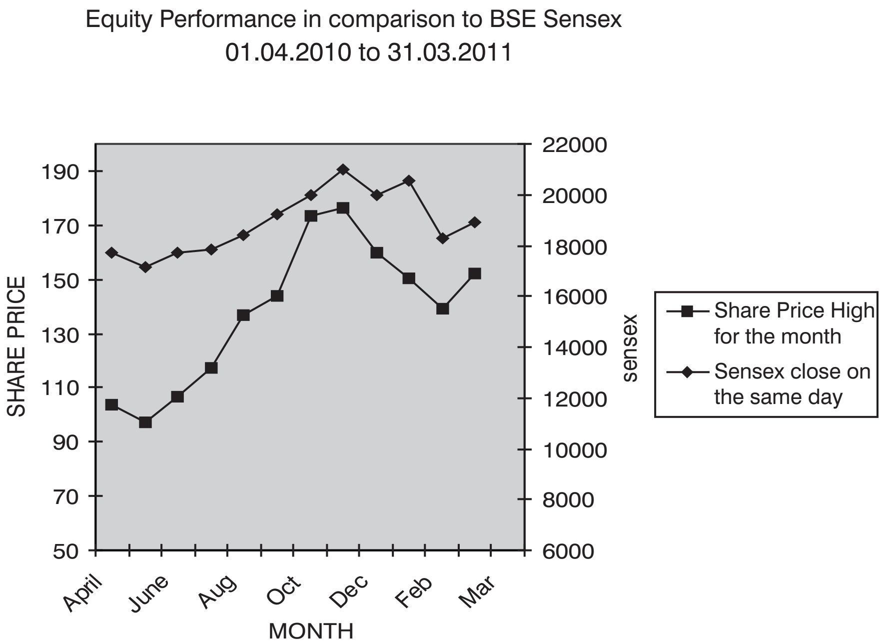

01-04-2010 से 31-03-2011 के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2010 to 31.03.2011

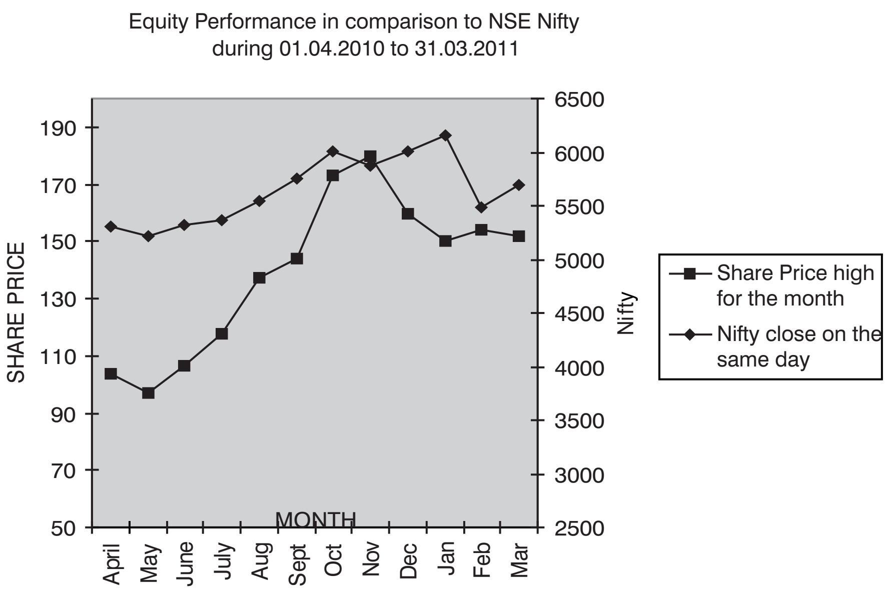

झ. रजिस्ट्रार और अं ारण एजेण्ट:

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नइ - 600 002
टेलिफोन - 044-28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ. शेयर अं ारण प्रणाली:

अं ारण, प्रेषण, स्थानां ारण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिव िन आदि के लिए शेयरधारकों से प्रा ा अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समि ि है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समि ि के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (डॉ . चिरंजीब सेन) और बोर्ड द्वारा नामि ा निदेशक (श्री ए आनंद कुमार) समि ि के अन्य सदस्य हैं।

ट. 31.03.2011 ाक शेयरधारण का वि ारण:

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तक का धारण		
1	भारत सरकार	407549343	65.87
	उप योग	**407549343**	**65.87**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2	संस्थागत निवेशक		
क	म्यूचुअल फण्ड्स एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	7443456	1.20
ख	बैंक व वित्तीय संस्थाए	72364505	11.70
ग	बीमा कंपनियाँ	3594712	0.58
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक	38759872	6.26
	उप योग	**122162545**	**19.74**
3	अन्य		
क	निजी नैगम निकाय	16136451	2.61
ख	वैयक्तिक	68009675	10.99
ग	अन्य	4891329	0.79
	उप योग	**89037455**	**14.39**
	कुल योग	**618749343**	**100.00**

ठ. 31.03.2011 ाक वि ारण अनुसूची :

शेयरधारकों की कुल सं.	शेयरधारकों की कुल सं. का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयर मूल्य (अंकित मूल्य)	कुल सं. का %
191149	87.57	Upto 5000	334500980	5.41
19312	8.85	5001 ₹ 10000	161588700	2.61
5142	2.36	10001 ₹ 20000	72498420	1.17
967	0.44	20001 ₹ 30000	24030670	0.39
464	0.21	30001 ₹ 40000	16514880	0.27
267	0.12	40001 ₹ 50000	12530460	0.20
407	0.19	50001 ₹ 100000	29355710	0.47
557	0.26	100001 and above	5536473610	89.48
218265	100.00	कुल	6187493430	100.00

I. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Dr. Chiranjib Sen) and a Director nominated by the Board (Shri K Ananda Kumar).

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2011:

Sl. No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	407549343	65.87
	Sub -Total	**407549343**	**65.87**
	NON -PROMOTERS HOLDING		
2	Institutional Investors		
A	Mutual funds and UTI	7443456	1.20
B	Banks, Financial Institutions	72364505	11.70
C	Insurance Companies	3594712	0.58
D	Foreign Institutional Investors	38759872	6.26
	Sub -Total	**122162545**	**19.74**
3	OTHERS		
A	Private Corporate Bodies	16136451	2.61
B	Individuals	68009675	10.99
C	Others	4891329	0.79
	Sub -total	**89037455**	**14.39**
	GRAND TOTAL	**618749343**	**100.00**

l. Distribution schedule as on 31.03.2011

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
191149	87.57	Upto 5000	334500980	5.41
19312	8.85	5001 – 10000	161588700	2.61
5142	2.36	10001 – 20000	72498420	1.17
967	0.44	20001 – 30000	24030670	0.39
464	0.21	30001 – 40000	16514880	0.27
267	0.12	40001 – 50000	12530460	0.20
407	0.19	50001 – 100000	29355710	0.47
557	0.26	100001 and above	5536473610	89.48
218265	100.00	TOTAL	6187493430	100.00

ड. 31.03.2011 तक विदेशी शेयर धारण

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2010 तक शेयरों की संख्या	31.03.2010 तक कुल पूँजी की तुलना में %	31.03.2011 तक शेयरों की संख्या	31.03.2011 तक कुल पूँजी की तुलना में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	46099394	8.46	38759872	6.26
2	ओ सी बी	48000	0.01	48000	0.01
3	अनिवासी भारतीय	4433117	0.81	3547792	**0.57**
	कुल	**50580511**	**9.28**	**42355664**	**6.84**

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2011 तक कुल विदेशी शेयरधारण (अनिवासी, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 6.84% था जो कि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ढ. 31.03.2010 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारण का %
1	भारत के महामहिम राष्ट्रपति -भारत सरकार	407549343	65.87
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	43731960	7.07
3	भारतीय जीवन बीमा निगम -मार्केट प्लस	9891423	1.60
4	भारतीय जीवन बीमा निगम -प्राफिट प्लस	6915555	1.12
5	फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - फिडेलिटी एमर्जिंग मार्केटस फंड	5515424	0.89

ण. शेयर प्रमाण-पत्रों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति

डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए01014।

31.03.2011 तक 61.87 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 51.02 करोड़ शेयर या 82.45% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 33.36 करोड़ शेयर धारित करता है जो कि औसतन 61.23% है) और 10.86 करोड़ शेयर या 17.55% भौतिक रूप में हैं (जिसमें भारत सरकार की शेयरधारिता 25 04 2011 तक 7.39 करोड अमूर्तिकृत की गई) ।

त. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2011

Sl. No.	Category	As on 31.03.2010 No. of shares	As on 31.03.2010 % To total capital	As on 31.03.2011 No. of shares	As on 31.03.2011 % To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	46099394	8.46	38759872	6.26
2	OCBs	48000	0.01	48000	0.01
3	NRIs	4433117	0.81	3547792	0.57
	Total	50580511	9.28	42355664	6.84

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2011 was 6.84% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the bank as on 31.03.2011:

Sl. No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	HE The President of India - The Government of India	407549343	65.87
2	Life Insurance Corporation of India	43731960	7.07
3	LIC of India – Market Plus	9891423	1.60
4	Life Insurance Corporation of India – Profit Plus	6915555	1.12
5	Fidelity Investment Trust – Fidelity Emerging Markets Fund	5515424	0.89

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2011, out of 61.87crore equity shares, 51.02 crore shares or 82.45% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 33.36 crore shares in Demat form, aggregating to 61.23% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008) and 10.86 crore shares or 17.55% are in physical form (of which Government of India holds 7.39 crore shares in Physical form since dematerialized on 25.04.2011).

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

थ. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्र याव र्तनीय बॉण्ड एकत्र किए है:31-03-2011 ाक ऐसे बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम टायर II	आबंटन की तारीख	आकार (रु. करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	प्रत्यावर्तन की तारीख
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
बीएचओबी **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
उच्च टायर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
टायर I (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	कुल	**6838.30**			

@ 10 वर्ष के अं ा में माँग विकल्प उपलब्ध है (भार ीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ाो कूपन दर को 50 बीपीएस ाक बढ़ाया जाएगा ।

*इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ भार ा ओवरसीज़ बैंक के विलयन के फलस्वरूप भार ा ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड (बीएचओबी) द्वारा जारी किए गए टायर II बॉण्ड आइओबी द्वारा अधिगृही ा किए गए। 31-03-2011 ाक व र्मान बकाया उक ा निर्गम में विलयन के समय रु.4 करोड़ के हमारे निवेश का समंजन करने के बाद है।

द. पत्राचार करने का प ाा:

शेयरों के अन ारण, लाभांश भुग ाान और निवेशकों से संबंधि ा अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन ारण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जा ो हैं । शेयरधारक अपने अन ारण विलेख और अन्य कोई भी दस ाावेज, शिकाय ों निम्नलिखि ा प ो पर दर्ज कर सक ो हैं ।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़, चेन्नै- 600 002
टेलिफोन - 044 - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखि ा प ो पर शेयरधारकों की शिकाय ों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै -600 002
टेलिफोन : 044 - 28519491, 28415702, 28889392
फैक्स : 044 - 28585675, ई.मेल : investor@iobnet.co.in
investorcomp@iobnet.co.in

q. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2011 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
BhoB **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	09.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2026
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	TOTAL	**6838.30**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

** Being Tier II Bonds issued by Bharat Overseas Bank Ltd.(Bhob), since taken over by IOB consequent to merger of Bhob with IOB. The present outstanding as on 31.03.2011, is after setting off our investment of Rs. 4 cr in the said issue, at the time of the merger.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai, Chennai-600 002
Tel: 044-28519491, 28415702, 28889392
Fax : 044-28585675, email: investor@iobnet.co.in
/ investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशा मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
पारिश्रमिक समिति	पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति " पारिश्रमिक समिति "गठित की गई है।
शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियों और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूँकि वर्तमान में यह हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी	वर्तमान में बैंक के पास कोई चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) नहीं है। ऑडिट समिति से संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

चेन्नै
02 मई 2011

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt.The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished hereinbefore (refer para 3.8).
Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
02nd May 2011

(M Narendra)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2010-11 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

निदेशकों का जीवन परिचय

01	नाम	**श्री एम.नरेंद्र** **अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 12 07 1954
	योग्यता	बी.काम, बी.एल, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	01.11.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.07.2014
	अनुभव	35 वर्षों का बैंकिंग अनुभव रखनेवाले श्री एम.नरेंद्र ने 1975 में अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्पोरेशन बैंक जाइन किया था । उन्होंने 06 नवंबर 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला और वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक रहे।

श्री नरेंद्र कार्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान संगठनात्मक बदलाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध टीम के प्रमुख सदस्य रहे।

श्री नरेंद्र ने देश और विदेश का व्यापक दौरा किया है । उन्होंने बीटीसी, आइआइएम-अहमदाबाद और बैंगलूर, एनआइबीएम और आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग ऐंड फिनान्स में कार्यशालाओं / संगोष्ठियों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पाया है।

श्री नरेंद्र ने 1984-85 से 1990-91 तक लगातार आठ वर्षों के लिए कार्पोरेशन बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्पोरेट पुरस्कार जैसे चेयरमेन्स क्लब मेंबरशिप रेसिपियंट पुरस्कार और सोजियन पुरस्कार और क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किये। बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में वे जांबिया के लुसाखा स्थित इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक रहे । यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के 3 भारतीय बैंकों और जाँबिया सरकार के संयुक्त उद्यमवाला एक वाणिज्यिक बैंक है।

श्री नरेंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति मार्केट तथा रुपया विषयक तकनीकी सलाहकारी समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा वे भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित बेसल ।। कार्यान्वयन समिति तथा जोखिम प्रबंधन विषयक स्थायी समिति के सदस्य भी रहे।

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2010-11

DIRECTORS PROFILE

01	**Name**	**Shri. M.Narendra** **Chairman and Managing Director**
	Age and Date of Birth	57 years – 12.07.1954
	Qualification	B.Com., B.L , CAIIB
	Date of Appointment	01.11.2010
	Date of expiry of the Current term	31.07.2014
	Experience	Having 35 years of banking experience. Shri M Narendra joined Corporation Bank as an officer trainee in 1975. He took over as Executive Director, Bank of India, on 6th November 2008 and held this position, till his present assignment at Indian Overseas Bank.

Shri Narendra has been one of the key members of the teams to implement Organisational Transformation Projects in both Corporation Bank and Bank of India.

Shri Narendra has travelled widely both within the country and outside. He has undergone various training programmes including workshops/seminars at BTC, IIM-Ahmedabad and Bangalore, NIBM and Australian Institute of Banking & Finance.

Shri Narendra secured various Corporate Awards instituted by Corporation Bank such as Chairman's Club Membership recipient for 8 consecutive years from 1984-85 to 1990-91, SoGian Award and Regional Leadership Award.In his capacity as Executive Director of Bank of India, he was the nominee director on the Board of Indo Zambia Bank Limited, Lusaka, Zambia, a joint venture, Commercial Bank between 3 Indian Public Sector Banks and Government of Zambia.

He is a member of Technical Advisory Committee on Money, Foreign Exchange & Government Securities Market constituted by Reserve Bank of India. He was a member of Standing Committee on Risk Management & Basel II Implementation constituted by the Indian Banks Association.

आइओबी में शेयरधारि ा शून्य

अन्य निदेशक यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंशुरेन्स कंपनी लिमिटेड आइओबी के नामिति निदेशक

02 नाम **श्रीम ी नूपुर मित्रा**

कार्यपालक निदेशक

आयु और जन्म-ि थि 58 वर्ष - 08.12.1952

योग्य ा बीएससी, एलएलबी

नियुक्ि ा की ारीख 07.12.2009

व र्मान कार्यावधि की समाप्ि की ारीख 31.12.2012

अनुभव बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है।

आपने वर्ष 1975 में बैंक ऑफ इण्डिया में सीधी भ र्ी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। आपने शाखाओं और अंचल कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्ष 2001 के मध्य में आप लंदन शाखा के प्रमुख के रूप में विदेश गईं और बाद में यूरोप के परिचालनों के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में रहीं। बैंक ऑफ इंडिया के कार्पोरेट कार्यालय में आप महा प्रबंधक के रूप में रहीं, जहाँ आपने आइ ओ बी में कार्यपालक के रूप में नियुक्ि होने क उधार, एसएमई, रिटेल बैंकिंग (जमा व अग्रिम), कार्ड उ पादों, जन संपर्क, डिपॉज़िटरी सेवाओं आदि का कार्यभार संभाला।

आइओबी में शेयरधारि ा शून्य

अन्य निदेशक ा शून्य

03 नाम **श्री ए.के.बंसल**

कार्यपालक निदेशक

आयु और जन्म-ि थि 58 वर्ष 22.05.1953

योग्य ा कृषि में पोस्ट ग्रैजुयेट, सीएआइआइबी-।

नियुक्ि ा की ारीख 01.09.2010

व र्मान कार्यावधि की समाप्ि की ारीख 31.05.2013

अनुभव बैंकिंग क्षेत्र में 34 वर्षों का अनुभव है।

श्री ए.के.बंसल ने नैनि ाल, पं नगर के प्रसिद्ध जी.बी.पं अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी से अग्रिकल्चर में पोस्ट ग्राजुयेशन किया और उन्होंने आइसीएआर जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप प्राप्ि किया। उन्होंने वर्ष 1976 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कृषिक्षेत्र अधिकारी के रूप में 23 वर्ष की आयु में जाइन किया । अहमदाबाद में स्थि ा बैंक की सर्वप्रथम विशिष्ट एसएसआइ शाखा में उनकी उ कृष्ठ

Shareholding in IOB Nil

Other Directorships Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

02. Name **Smt. Nupur Mitra**

Executive Director

Age and Date of Birth 58 years - 08.12.1952

Qualification B.Sc., L.L.B.

Date of Appointment 07.12.2009

Date of expiry of the Current term 31.12.2012

Experience Having 35 years of experience in banking field.

She joined Bank of India in 1975 as Direct Recruit Officer. She served in various capacities at Branches and Zonal Offices. She moved over to head London Branch in mid 2001 and thereafter she was Chief Executive of Europe Operations. She was General Manager at the Corporate Office of Bank of India, in charge of Credit, SME, Retail Banking (Deposit & Advances), Card Products, Public Relations, Depository Services etc. until her appointment in IOB as its Executive Director.

Shareholding in IOB Nil

Other Directorships Nil

03 Name **Shri A.K.Bansal**

Executive Director

Age and Date of Birth 58 Years 22.05.1953

Qualification Post Graduate in Agriculture,CAIIB – Part –I

Date of Appointment 01.09.2010

Date of expiry of the Current term 31.05.2013

Experience Having 34 years of experience in banking field.

Shri A. K. Bansal is a Post Graduate in Agriculture from the renowned G B Pant Agriculture University, Pant Nagar, Nainital and recipient of ICAR Junior Research Scholarship. He joined Union Bank of India as Agricultural Field Officer at the age of 23 years in the year 1976. He was awarded Super Achiever and Star Performer status by the

कार्यनिष्पादन के लिए बैंक ने उनको सूपर अचीवर और स्टार परफार्मर का दर्जा दिया।

श्री बंसल को योजना के कार्यान्वयन की दिशा में पहले वर्ष में उ कृष्ट कार्यनिष्पादन हे ु बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा चैयरमेन क्लब मेंबरशिप प्रदान किया गया।

श्री बंसल आइआइटी-कानपुर के सिडबी इन्नोवेशन ऐण्ड इनकुबेशन सेंटर (एसआइआइसी) की शिखर सलाहकार समि ि के सदस्य हैं।

आइओबी में शेयरधारि ाा	शून्य
अन्य निदेशक ाा	शून्य

04	नाम	**डॉ.विनी ाा कुमार**
		भार ा सरकार की नामि ी
	आयु और जन्म-ि ाथि	56 वर्ष - 25.12.1954
	योग्य ाा	पीएच.डी, एम.ए. (अर्थशास्त्र), भार ीय आर्थिक सेवाएँ (1977)
	नियुकि ा की ाारीख	10.06.2008
	व ा्मान कार्यावधि की समापि ा की ाारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने ाक
	अनुभव	सम्प्रा ि आप व ा्मान में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भार ा सरकार के सलाहकार हैं।
		आप भार ा सरकार , वि ा मंत्रालय के आर्थिक सेवाएँ विभाग में आर्थिक सलाहकार और वाणिज्य विभाग में अ ारिक ा आर्थिक सलाहकार हैं।
		आप दो पुस ाकों की लेखिका है - (1) "इकोनॉमिक ग्रोथ ऐण्ड रूरल पॉवर्टी : द इण्डियन एक्सपीरियंस (1960-65)" . (2) "लर्निंग टू शेयर : एक्सपीरियंसेस ऐण्ड रिफलेक्शंस ऑन पीआरए ऐण्ड कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन" ।
	आइओबी में शेयरधारि ाा	शून्य
	अन्य निदेशक ाा	शून्य

05	नाम	**श्री एस.वी.राघवन**
		भार ीय रिज़र्व बैंक नामि ी
	आयु और जन्म-ि ाथि	57 वर्ष - 19.11.1953
	योग्य ाा	बी.एस.सी., एम.बी.एम., सीएआइआइबी, एम.ए
	नियुकि ा की ाारीख	30.07.2010
	व ा्मान कार्यावधि की समापि ा की ाारीख	भार ा सरकार से आगे आदेश मिलने ाक
	अनुभव	आप व ा्मान में भार ीय रिज़र्व बैंक नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) में मुख्य

Bank in the year 1994 for his outstanding performance at the first Specialized SSI Branch of the bank at Ahmedabad.

Shri Bansal was also conferred with the Chairman Club Membership by the Chairman & Managing Director of the Bank as recognition of his outstanding performance in the very first year of implementation of the scheme.

Shri Bansal is a Committee Member in the Apex Advisory Committee of SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) in IIT Kanpur.

Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nil

04	Name	**Dr. Vinita Kumar**
		GOI Nominee
	Age and Date of Birth	56 years - 25.12.1954
	Qualification	Ph.D, M.A.(Eco), Indian Economic Service (1977)
	Date of Appointment	10.06.2008
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	She is presently Advisor, Ministry of Labour and Employment, Govt. Of India
		She held the position of Economic Advisor, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and also Additional Economic Advisor, Dept. of Commerce.
		She has authored two books – (1) “Economic Growth and Rural Poverty:The Indian Experience (1960-65)” and (2) “Learning to Share: Experiences and Reflections on PRA and Community Participation”
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil

05	Name	**Shri.S.V.Raghavan**
		RBI Nominee
	Age and Date of Birth	57 years - 19.11.1953
	Qualification	B.Sc., M.B.M., CAIIB, M.A
	Date of Appointment	30.07.2010
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt.Of India
	Experience	He is currently Chief General Manager, Central Accounts

	महा प्रबंधक हैं। श्री एस.वी.राघवन वर्ष 1982 में आरबीआइ में जाइन किया और भार ीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षी विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग विभाग और इश्यू विभाग और भार ीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में काम किया है। वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने व मान कार्यभार के ग्रहण करने ाक भार ीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सरकारी और बैंक लेखा विभाग के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक रहे।
आइओबी में शेयरधारि ाा	शून्य
अन्य निदेशक ाा	शून्य

06 नाम	**श्री श्रीधर लाल लखोटिया** **कर्मकारी कर्मचारी निदेशक**
आयु और जन्म-ि ाथि	57 वर्ष - 11.10.1953
योग्य ाा	बी.काम.,
नियुक्ि ा की ाारीख	09.08.2010
व ार्मान कार्यावधि की समाप्ि ा की ाारीख	08.08.2013 ाक या आइ.ओ.बी के कर्मकारी कर्मचारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ि ा ाक या अगले आदेश ाक जो भी पहले हो ।
अनुभव	22.07.1975 में बैंक में भ ार्ी हुए हैं और आइओबी में 36 वर्षों से अधिक अनुभव है। आप आइओबी की कोलका ाा - चौरंगी शाखा में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
आइओबी में शेयरधारि ाा	400 शेयर
अन्य निदेशक ाा	शून्य

07 नाम	**श्री के.आनंद कुमार** **अधिकारी कर्मचारी निदेशक**
आयु और जन्म-ि ाथि	55 वर्ष - 30.08.1955
योग्य ाा	बी.कॉम, ए.सी.ए., सीएआइआइबी
नियुक्ि ा की ाारीख	26.03.2010
व ार्मान कार्यावधि की समाप्ि ा की ाारीख	25.03.2013 ाक या आइ.ओ.बी के अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ि ा ाक या अगले आदेश ाक जो भी पहले हो ।
अनुभव	बैंक में 14.12.1981 को भ ार्ी हुए।

	Section (CAS) at Reserve Bank of India, Nagpur. Shri.S.V.Raghavan joined RBI in 1982 and has worked in the Department of Banking Supervision, Department of Non-Banking Supervision, Banking Department and Issue Department at various Regional Offices of RBI and in the Department of Currency Management and Department of Banking Supervision at RBI's Central Office in Mumbai. Immediately prior to his present assignment, he was Chief General Manager – in-Charge of Department of Government and Bank Accounts at RBI's Central Office in Mumbai.
Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nil

06 Name	**Shri. Sridhar Lal Lakhotia** **Workmen Employee Director**
Age and Date of Birth	57 years - 11.10.1953
Qualification	B Com.,
Date of Appointment	09.08.2010
Date of expiry of the Current term	08.08.2013 or until he ceases to be a workmen employee of IOB or until further orders, which ever is the earliest.
Experience	He joined the Bank on 22.07.1975 and is having about 36 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Cadre Assistant attached to Kolkata-Chowringhee
Shareholding in IOB	400 shares
Other Directorships	Nil

07 Name	**Shri K. Ananda Kumar** **Officer Employee Director**
Age and Date of Birth	55 years - 30.08.1955
Qualification	B Com., A.C.A., CAIIB
Date of Appointment	26.03. 2010
Date of expiry of the Current term	25.03.2013 or until he ceases to be an officer of IOB or until further orders, whichever is the earliest.
Experience	Joined the Bank on 14.12.1981.

आइ.ओ.बी में 29 वर्षों का अनुभव है। आप आइ.ओ.बी में व ामान में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं।

आइओबी में शेयरधारि ा — 2400 शेयर

अन्य निदेशक ा — शून्य

08 नाम — **श्री बी.वी.अप्पाराव**

अंशकालिक गैर सरकारी

आयु और जन्म-ि ाथि — 60 वर्ष - 06.06.1950

योग्य ा — बी.काम, एफसीए

नियुकि ा की ारीख — 29. 08. 2008

व ामान कार्यावधि की समाप्ि ा की ारीख — 28 08 2011

अनुभव — 1980 में सनदी लेखाकार की योग्य ा प्राप् ा कर श्री बी वी अप्पा राव ने ा काल आन्ध्रा बैंक में एक अधिकारी के रूप में सेवा प्रारंभ करके 6 वर्ष कार्य किया। इसके पश्चा ा आपने आन्ध्र प्रदेश के मेसर्स द आन्ध्रा शुगर्स लिमिटेड ऑफ आन्ध प्रदेश में वरिष्ठ प्रबन्धन में 7 वर्षों ाक सेवा की। व ामान में आप वर्ष 1994 में गुंटूर में प्रारंभ मेसर्स बी वी राव असोशियेट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंटस् में वरिष्ठ साझेदार है।

आइओबी में शेयरधारि ा — शून्य

अन्य निदेशक ा — शून्य

09 नाम — **श्री सूरज खत्री**

अंशकालिक गैर सरकारी

आयु और जन्म-ि ाथि — 55 वर्ष - 06.08.1955

योग्य ा — बीएससी, एलएलबी, श्रम विधि में डिप्लोमा

नियुकि ा की ारीख — 26.10.2009

व ामान कार्यावधि की समाप्ि ा की ारीख — 25.10.2012

अनुभव — राजस्थान उच्च न्यायालय में विधि से संबंधि ा एडवकेट हैं। आप एक पत्रकार, संपादक और प्रकाशक भी हैं।

आइओबी में शेयरधारि ा — शून्य

अन्य निदेशक ा — शून्य

10 नाम — **श्री अशोक कुमार भार्गव**

शेयरधारक निदेशक

आयु और जन्म-ि ाथि — 67 वर्ष - 10.05.1943

योग्य ा — बी.काम, एल.एल.बी., सी.ए.आइ.आइ.बी.,

नियुकि ा की ारीख — 08.12.2008

व ामान कार्यावधि की समाप्ि ा की ारीख — 07.12.2011

अनुभव — पंजाब नैशलन बैंक के महा प्रबंधक के रूप में

Possesses 29 years experience. At present a Senior Manager in IOB.

Shareholding in IOB — 2400 shares

Other Directorships — Nil

08 Name — **Shri B V Appa Rao**

Part Time Non Official

Age and Date of Birth — 60 years - 06.06.1950

Qualification — B.Com., FCA

Date of Appointment — 29 08 2008

Date of expiry of the Current term — 28 08 2011

Experience — A qualified Chartered Accountant in 1980, Shri B V Appa Rao, joined Andhra Bank as Officer and served for 6 years. Leaving Andhra Bank, he joined M/s The Andhra Sugars Limited of Andhra Pradesh in the Senior Management and served for 7 years. He is presently a Senior Partner in M/s B.V. Rao Associates, Chartered Accountants, Guntur started in the year1994.

Shareholding in IOB — Nil

Other Directorships — Nil

09 Name — **Shri Sooraj Khatri**

Part Time Non Official

Age and Date of Birth — 55 years – 06.08.1955

Qualification — B.Sc., L.L.B., Dip. In Labour Law

Date of Appointment — 26.10.2009

Date of expiry of the Current term — 25.10.2012

Experience — Practicing legal profession as an Advocate in Rajasthan High Court. He is also a Journalist, Editor and Publisher.

Shareholding in IOB — Nil

Other Directorships — Nil

10 Name — **Shri Ashok Kumar Bhargava**

Shareholder Director

Age and Date of Birth — 67 years - 10.05.1943

Qualification — B.Com, L L B., CAIIB

Date of Appointment — 08.12.2008

Date of expiry of the Current term — 07.12.2011

Experience — Retired as General Manager of Punjab National Bank. A

	सेवानिवृ ा हुए। 40 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यावसायिक बैंकर । व ामान में प्रबंधन और वि ीय सलाहकार है।
आइओबी में शेयरधारि ा	500 शेयर
अन्य निदेशक ा	एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड डीएआरसीएल लाजिस्टिक लिमिटेड (पहले दिल्ली असम रोडवेज़ कार्पोरेशन लिमिटेड) ट्रांसरैल लाजिस्टिक्स लिमिटेड एस्कार्ट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड
11 नाम	**डॉ.चिरंजीब सेन**
	शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-ि थि	64 वर्ष - 29.09.1946
योग्य ा	एम ए (अर्थशास्त्र), पीएच.डी
नियुक्ि ा की ारीख	08.12.2008
व ामान कार्यावधि की समाप्ि ा की ारीख	07.12.2011
अनुभव	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेण्ट, बैंगलूर में इकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं और भार ा और विदेश में लगभग 13 विश्वविद्यालयों में अ ाथि प्रोफेसर हैं ।
आइओबी में शेयरधारि ा	150 शेयर
अन्य निदेशक ा	केआइओसीएल लिमिटेड (पहले कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि.)
12 नाम	**श्री ए.वेल्लयन**
	शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-ि थि	58 वर्ष - 09 01 1953
योग्य ा	बी .कॉम, यू.के के वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से बिजनेस स्टडीस में स्ना ाको ार किया।
नियुक्ि ा की ारीख	08.12.2008
व ामान कार्यावधि की समाप्ि ा की ारीख	07.12.2011
अनुभव	यू.के में वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से प्रबन्धन स्ना ाक और बर्मिंगहाम, यू.के के एस्टन विश्वविद्यालय से औद्योगिक प्रशासन में डिप्लोमा पायी। आप मुरुगप्पा ग्रुप से जुडे हैं जो एक बिजनेस संगठन है ाथा इसका प्रधान कार्यालय चेन्नै में है। इस समूह का प्रमुख कार्यक्षेत्र कारोबार के विभिन्न क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, अब्रेसिव्स, वि ा, सामान्य बीमा, साइकिल्स, शुगर, फार्म इन्पुट्स, उर्वरक, वृक्षारोपण, जैव

	professional banker with 40 years of experience. He is at present a Management and Financial Consultant.
Shareholding in IOB	500 shares
Other Directorships	SMC Power Generation Limited DARCL Logistic Limited (formerly known as Delhi Association Roadways Corporation Limited) Transrail Logistics Limited Escorts Investment Trust Ltd.
11 Name	**Dr. Chiranjib Sen**
	Shareholder Director
Age and Date of Birth	64 years - 29.09.1946
Qualification	M.A(Econ), Ph D
Date of Appointment	08.12.2008
Date of expiry of the Current term	07.12.2011
Experience	Professor of Economics in the Indian Institute of Management, Bangalore and a visiting Professor of about 13 universities in India and abroad.
Shareholding in IOB	150 shares
Other Directorships	KIOCL Limited (formerly Kudremukh Iron Ore Company Limited)
12 Name	**Shri A Vellayan**
	Shareholder Director
Age and Date of Birth	58 years - 09.01.1953
Qualification	B.Com, Masters in Business Studies, University of Warwick Business School, UK
Date of Appointment	08.12.2008
Date of expiry of the Current term	07.12.2011
Experience	A Management graduate from the University of Warwick Business School in UK and a diploma holder in Industrial Administration from the University of Aston, Birmingham, UK. He is associated with the Murugappa group, a business conglomerate headquartered in Chennai, with interests in diverse areas of business including Engineering, Abrasives, Finance, General Insurance, Cycles, Sugar, Farm Inputs, Fertilizers, Plantations, Bio-products and Nutraceuticals. Shri Vellayan is the Chairman of two

उ पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स है। श्री वेल्लयन ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड और कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष हैं । श्री वेल्लयन दक्षिण भार ीय चैम्बर ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं । आप फिक्की, दिल्ली , ए.एम.एम. एड्युकेशनल फौंडेशन की प्रबंधन समि ि के सदस्य हैं एवं फर्टीलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ।

आइओबी में शेयरधारि ा	100 शेयर
अन्य निदेशक ा	- ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड
	- कोरमंडल इंटरनेशनल लि.
	- द फर्टिलाइजर असोसियेशन ऑफ इण्डिया
	- चोलमंडलम एम एस जनरल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड
	- कनोरिया कैमिकल्स ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	- इण्डियन पोटाश लिमिटेड
	- सीएफएल मौरिशस लिमिटेड
	- रोका बाथरूम प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लि.
	- सिल्करोड शुगर प्राइवेट लिमिटेड
	- पैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
	- निमि ा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
	- फोस्कर प्राइवेट लिमिटेड, जोहन्नेसबर्ग, दक्षिण अफ्रिका

Public Limited Companies viz. EID Parry (India) Limited and Coromandel International Limited and is also on the Board of several reputed Public Limited companies. Shri Vellayan is the President of Southern Indian Chamber of Commerce & Industry and a member of the Executive Committee of FICCI, Delhi, member of Management Committee, A.M.M Educational Foundation and Chairman of The Fertiliser Association of India.

Shareholding in IOB	100 shares
Other Directorships	EID Parry (India) Limited
	Coromandel International Limited
	The Fertiliser Association Of India
	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
	Kanoria Chemicals & Industries Limited
	Indian Potash Limited
	CFL Mauritius Limited
	Roca Bathroom Products Private Limited
	Silkroad Sugar Private Limited
	Parry Infrastructure Company Private Limited
	Nimita Solutions Private Limited
	Foskor Private Limited, Johannesburg, South Africa

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

घोषणा

इस बा ा की पुष्टि की जा ाी है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकगण) के लिए आचार संहि ा निर्धारि ा की है और इसे बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहि ा का अनुपालन करने की पुष्टि की है ।

कृ ा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

चेन्नै
02.05.2011

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (ie . General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the code of conduct.

For Indian Overseas Bank

(M. NARENDRA)
Chairman & Managing Director

Chennai
02.05.2011

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

02.05.2011

निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

<u>31 03 2011 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वि ीय विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V सीईओ, सीएफओ का प्रमाणीकरण</u>

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार हम प्रमाणि ा कर ो हैं कि:

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक ा वर्ष के लिए वि ीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

i. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गल ा नहीं है या इनमें कोई भी ाथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;

ii. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर स य और सही स्थिा प्रस्ा ा कर ो हैं और ये व ामान लेखाकरण मानकों, लागु कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहि ाा का उल्लंघन कर ो हों ।

ग हम वि ीय रिपोर्टिंग के लिए आं ारिक नियंत्रण स्थापि ा करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी ले ो हैं ाथा हमने वि ीय रिपोर्टिंग से संबंधि ा बैंक की आं ारिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारि ाा का मूल्यांकन किया है और इन आं ारिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्ा ावि ा उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समि ि को दी है ।

घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समि ि को निम्नलिखि ा जानकारी दी है :

i. वर्ष के दौरान वि ीय रिपोर्टिंग पर आं ारिक नियंत्रण में मह वपूर्ण परिव ान किया जाना,

ii. वर्ष के दौरान लेखाकरण नी ियों में हुए मह वपूर्ण परिव ान और उन्हें वि ीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और

iii. मह वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी यदि कोई शामिल है जो वि ीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन ारिक नियंत्रण प्रणाली में मह वपूर्ण भूमिका निभा ाा है।

(बी.एस.केशवमूर् ि)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

02.05.2011

THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK

<u>Financial Statements of the Bank FOR THE 12 Month ended 31-03-2011 Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges CEO / CEO Certification</u>

In terms of Clause 49 of the listing Agreement, we cetify that:

a. We have reviewed financial Statements and the cash flow Statement for the year and to the best of our knowledge and belief :

i. These Statement do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contains statements that might be misleading:

ii . These statement together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standard , applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee deficiencies in the design or operation of such internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to recently these deficiencies

d. We have indicated to the auditor and the audit committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(B.S KESAHAVA MURTHY)
General Manager & CFO

(M. NARENDRA)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै के शेयरधारकों को

हमने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों के साथ इण्डियन आवेरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्टों द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

साथ ही, हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते वर्मा ऐण्ड वर्मा
सनदी लेखाकारगण
(के.एम.सुकुमारन)
साझेदार
स.सं.015707
एफआरएन 004532 एस

कृते पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड संतानम
सनदी लेखाकारगण
(एस.राजेश्वरि)
साझेदार
स.सं.024105
एफआरएन 003990 एस

कृते भास्करन ऐण्ड रमेश
सनदी लेखाकारगण
(ए.भास्करन)
साझेदार
स.सं.021948
एफआरएन 000462 एस

कृते एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
(के आर रत्नम)
साझेदार
स.सं.002316
एफआरएन 000459एस

कृते मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
(अक्षय के गुप्ता)
साझेदार
स.सं.070744
एफआरएन 001874सी

कृते एस आर मोहन ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
(टी.एन.कोदंड राम गुप्ता)
साझेदार
स.सं.018868
एफआरएन 002111एस

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 02.05.2011

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2011, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with stock exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with the management has conducted the affairs of the Bank.

For VARMA & VARMA
Chartered Accountants
(K M SUKUMARAN)
Partner
M.No.015707
FRN 004532S

For PKF SRIDHAR & SANTHANAM
Chartered Accountants
(S RAJESHWARI)
Partner
M.No.024105
FRN 003990S

For BHASKARAN & RAMESH
Chartered Accountants
(A BHASKARAN)
Partner
M.No.021948
FRN 000462S

For M BHASKARA RAO & CO
Chartered Accountants
(K R RATHANAM)
Partner
M.No.002316
FRN 000459S

For MITTAL GUPTA & CO
Chartered Accountants
(AKSHAY GUPTA)
Partner
M.No.070744
FRN 001874C

For S R MOHAN & CO
Chartered Accountants
(T.N. KODANDA RAMA GUPTA)
Partner
M.No.018868
FRN 002111S

Place: Chennai
Date: 02.05.2011

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2011

(रु '000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2011	31.03.2010
पूँजी - देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	618 74 93	544 80 00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	8706 18 07	6979 78 31
जमा राशियाँ	Deposits	03	145228 75 11	110794 71 10
उधार	Borrowings	04	19355 40 46	8982 20 19
अन्य देयताएँ व प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	4875 19 28	3790 13 34
जोड़	**TOTAL**		**178784 27 85**	**131091 62 94**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	10010 89 43	7666 44 72
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	2007 76 14	2158 19 35
विनिधान	Investments	08	48610 45 40	37650 56 27
अग्रिम	Advances	09	111832 97 75	78999 15 93
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	1681 10 68	1699 56 55
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	4641 08 45	2917 70 12
जोड़	**TOTAL**		**178784 27 85**	**131091 62 94**
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	45075 88 43	39340 50 50
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		4253 20 07	3205 14 84
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है । Schedules Form Part of the Balance Sheet

एम.नरेंद्र — अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
M.NARENDRA — CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

नूपुर मित्रा — कार्यपालक निदेशक
NUPUR MITRA — EXECUTIVE DIRECTOR

ए.के.बन्सल — कार्यपालक निदेशक
A.K.BANSAL — EXECUTIVE DIRECTOR

निदेशकगण / **DIRECTORS**

डी.विनीता कुमार — **Dr.Vinita Kumar**
श्रीधर एल. लखोटिया — **Sridhar L. Lakhotia**
के.आनंद कुमार — **K.Ananda Kumar**
बी.वी.अप्पा राव — **B.V.Appa Rao**
सूरज खत्री — **Sooraj Khatri**
ए.के.भार्गव — **A.K.Bhargava**

चेन्नै — CHENNAI
02.05.2011 — 02.05.2011

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

वर्मा ऐण्ड वर्मा
एफआरएन 004532एस
के.एम.सुकुमारन
साझेदार
स.सं.015707

VARMA & VARMA
FRN 004532S
K M SUKUMARAN
Partner
M.No.015707

मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
एफआरएन 001874सी
अक्षय के गुप्ता
साझेदार
स.सं.070744

MITTAL GUPTA & CO
FRN 001874C
AKSHAY K. GUPTA
Partner
M.No.070744

एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.
एफआरएन 000459एस
के आर रत्नम
साझेदार
स.सं.002316

M.BHASKARA RAO & CO
FRN 000459S
K.R.RATNAM
Partner
M.No.002316

भास्करन ऐण्ड रमेश
एफआरएन 000462एस
ए.भास्करन
साझेदार
स.सं.021948

BHASKARAN & RAMESH
FRN 000462S
A.BHASKARAN
Partner
M.No.021948

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड संथानम
एफआरएन 003990एस
एस.राजेश्वरी
साझेदार
स.सं.024105

PKF SRIDHAR & SANTHANAM
FRN 003990S
S.RAJESHWARI
Partner
M.No,024105

एस आर मोहन ऐण्ड कं.
एफआरएन 002111एस
कोदंड राम गुप्ता टी.एन.
साझेदार
स.सं.018868

S.R.MOHAN & CO,
FRN 002111S
KODANDA RAMAGUPTA T. N.
Partner
M.No.018868

सनदी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS

31.03.2011 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

(₹ in 000's) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2011 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2011	31.03.2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2010
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	12101 46 50	10245 77 35
अन्य आय	Other income	14	1225 10 25	1143 25 37
जोड़	**TOTAL**		**13326 56 75**	**11389 02 72**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	7893 43 95	7077 90 95
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	2572 49 49	2466 49 71
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		1788 09 04	1137 65 91
जोड़	**TOTAL**		**12254 02 48**	**10682 06 57**
लाभ / हानि	**PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year		1072 54 27	706 96 15
अग्रनीत लाभ/हानि	Profit /Loss brought forward		0	0
जोड़	**TOTAL**		**1072 54 27**	**706 96 15**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		321 76 30	212 10 00
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		387 99 89	127 59 03
पूँजी आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		3 21 78	144 18 51
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Final Dividend (including Dividend Tax)		359 56 30	223 08 61
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष	Balance carried over to Balance Sheet		0	0
जोड़	**TOTAL**		**1072 54 27**	**706 96 15**
प्रति शेयर मूल व तनुकृत आय	Basic & Diluted Earnings per share (₹)		19.63	12.98
प्रति ईक्विटी शेयर नामिनल वैल्यू	Nominal Value per Equity Share (₹)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है । Schedules Form Part of the Balance Sheet

एम.नरेंद्र **M.NARENDRA**
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

नूपुर मित्रा **NUPUR MITRA**
कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR

ए.के.बन्सल **A.K.BANSAL**
कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR

निदेशकगण **DIRECTORS**
डॉ.विनीता कुमार **Dr.Vinita Kumar**
श्रीधर एल. लखोटिया **Sridhar L. Lakhotia**
के.आनंद कुमार **K.Ananda Kumar**
बी.वी.अप्पा राव **B.V.Appa Rao**
सूरज खत्री **Sooraj Khatri**
ए.के.भार्गव **A.K.Bhargava**

चेन्नै CHENNAI
02.05.2011 02.05.2011

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

वर्मा ऐण्ड वर्मा एफआरएन 004532एस के.एम.सुकुमारन साझेदार स.सं.015707	VARMA & VARMA FRN 004532S K M SUKUMARAN Partner M.No.015707	मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं. एफआरएन 001874सी अक्षय के गुप्ता साझेदार स.सं.070744	MITTAL GUPTA & CO FRN 001874C AKSHAY K. GUPTA Partner M.No.070744
एम. भास्कर राव ऐण्ड कं. एफआरएन 000459एस के आर रत्नम साझेदार स.सं.002316	M.BHASKARA RAO & CO FRN 000459S K.R.RATNAM Partner M.No.002316	भास्करन ऐण्ड रमेश एफआरएन 000462एस ए.भास्करन साझेदार स.सं.021948	BHASKARAN & RAMESH FRN 000462S A.BHASKARAN Partner M.No.021948
पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड संथानम एफआरएन 003990एस एस.राजेश्वरी साझेदार स.सं.024105	PKF SRIDHAR & SANTHANAM FRN 003990S S.RAJESHWARI Partner M.No,024105	एस आर मोहन ऐण्ड कं. एफआरएन 002111एस कोदंड राम गुप्ता टी.एन. साझेदार स.सं.018868	S.R.MOHAN & CO, FRN 002111S KODANDA RAMAGUPTA T. N. Partner M.No.018868

सनदी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में प्रत्येक रु.10/-के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर)	300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 61,87,49,343 ईक्विटी शेयर	61,87,49,343 Equity Shares of ₹ 10/- each		
(इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 40,75,49,343 ईक्विटी शेयर शामिल है)	(Includes 40,75,49,343 Shares of ₹ 10/- each held by Government of India)		
पिछले वर्ष में प्रत्येक रु.10/-के 54,48,00,000 इक्विटी शेयर	Previous year 54,48,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each		
(इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 33,36,00,000 ईक्विटी शेयर शामिल है)	(Includes 33,36,00,000 shares of ₹ 10/- each held by Government of India)	618 74 93	544 80 00

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
I. शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**		
अथशेष	Opening balance	140 00 00	140 00 00
जोडें : परिवर्धन	Add: Additions	980 05 06	0
योग -I	TOTAL -I	1120 05 06	140 00 00
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	2131 95 57	1919 85 57
जोडें : परिवर्धन	Add: Additions	321 76 30	212 10 00
योग -II	TOTAL -II	2453 71 87	2131 95 57
III. पूँजी आरक्षितियाँ	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	1175 60 40	1209 56 88
जोडें : परिवर्धन	Add: Additions	68 76	0
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*	Less: Deductions / Depreciation *	16 29 71	33 96 48
योग-अ	TOTAL - A	1159 99 45	1175 60 40
आ. निवेशों की बिक्री पर	B. On sale of Investments		
अथशेष	Opening Balance	845 28 44	702 70 67
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	2 71 13	142 57 77
योग-आ	TOTAL - B	847 99 57	845 28 44

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	148 53 06	146 92 32
जोड़ें : परिवर्धन*	Add: Additions *	50 65	1 60 74
योग - इ	TOTAL - C	149 03 71	148 53 06
योग -III (अ , आ , इ)	TOTAL - III (A,B,C)	2157 02 73	2169 41 90
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
(i) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ	(i) Other Revenue Reserves		
अथशेष	Opening Balance	2322 99 62	2193 53 54
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	388 73 54	129 49 05
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	95 58 64	2 97
योग -(i)	TOTAL - (i)	2616 14 52	2322 99 62
(ii) विशेष आरक्षिति	(ii) Special Reserve		
अथशेष	Opening balance	126 60 00	126 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
योग -(ii)	TOTAL - (ii)	126 60 00	126 60 00
(iii). निवेश आरक्षिति खाता	(iii) Investment Reserve Account		
अथशेष	Opening Balance	0	0
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	95 58 58	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग -(iii)	TOTAL - (iii)	95 58 58	0
(iv) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षिति	(iv) Foreign Currency Translation Reserve		
अथशेष	Opening balance	88 81 22	166 97 34
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	48 24 09	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	78 16 12
योग -(iv)	TOTAL - (iv)	137 05 31	88 81 22
योग - IV (i, ii,iii, iv)	TOTAL - IV (i,ii,iii,iv)	2975 38 41	2538 40 84
V. लाभ व हानि खाता	V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	0	0
योग (I,II,III,IV &V)	TOTAL (I, II , III, IV & V)	8706 18 07	6979 78 31

*31.3.2011 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकडों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण हुआ समायोजन शामिल है ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2011

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची-3 निक्षेप	SCHEDULE - 3 DEPOSITS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
अ.I. माँग निक्षेप	A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	36 78 60	362 10 77
ii) अन्यों से	ii) From Others	11768 83 86	9249 20 20
योग -I	TOTAL - I	11805 62 46	9611 30 97
II. बचत बैंक निक्षेप	II. SAVINGS BANK DEPOSITS	32055 59 36	26450 89 07
III. कालिक निक्षेप	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	602 24 47	1980 71 00
ii) अन्यों से	ii) From Others	100765 28 82	72751 80 06
योग - III	TOTAL - III	101367 53 29	74732 51 06
जोड़ - अ (I,II व III)	TOTAL - A (I,II & III)	145228 75 11	110794 71 10
आ. I) भारत की शाखाओं में निक्षेप	B. I) Deposits of branches in India	140381 47 25	105434 42 70
II) भारत के बाहर की शाखाओं में निक्षेप	II) Deposits of branches outside India	4847 27 86	5360 28 40
योग - आ	TOTAL - B	145228 75 11	110794 71 10

अनुसूची-4 लिये गये उधार	SCHEDULE - 4 BORROWINGS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
I. भारत में लिए गए उधार	I. BORROWINGS IN INDIA		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	3750 00 00	0
अन्य बैंक	Other Banks	6	4
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	2154 74 18	1268 45 57
नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत (आइपीडीआइ)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	780 00 00	780 00 00
बाण्ड के रूप में ज़ारी मिश्र ऋण पूँजी लिखतें	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2632 30 00	1665 30 00
गौण ऋण	Subordinated Debt	3426 00 00	2426 00 00
योग (I)	TOTAL (I)	12743 04 24	6139 75 61
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	6612 36 22	2842 44 58
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	19355 40 46	8982 20 19
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	III. Secured borrowings included in I & II above	5904 74 18	1268 45 57

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची-5 अन्य देय ाायें व प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	31.03.2011 क As at 31.03.2011	31.3.2010 क As at 31.03.2010
I. संदेय बिल	I. Bills Payable	669 82 48	665 65 01
II. अं ार-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. प्रोद्भू ा ब्याज	III. Interest Accrued	324 66 49	219 41 85
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलि ा हैं)	IV. Others (including provisions)	3880 70 31	2905 06 48
योग	TOTAL	4875 19 28	3790 13 34

अनुसूची-6 भार ीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2011 क As at 31.03.2011	31.3.2010 क As at 31.03.2010
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलि ा हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	979 56 78	670 32 73
II. भार ीय रिज़र्व बैंक के साथ	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खा े में इति शेष	i) in Current Account	9031 32 65	6996 11 99
ii) अन्य खा ों में इति शेष	ii) in Other Accounts	0	0
योग	TOTAL	10010 89 43	7666 44 72

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर ाथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2011 क As at 31.03.2011	31.3.2010 क As at 31.03.2010
I. भार ा में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क. चालू ख़ा ों में	a) In Current Accounts	261 05 74	168 25 34
ख. अन्य जमा खा ों में	b) In Other Deposit Accounts	653 32 67	731 88 04
ii) माँग पर ाथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क. बैंकों के साथ	a) With banks	0	539 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग -I	TOTAL - I	914 38 41	1439 13 38
II. भार ा के बाहर	II. Outside India		
क . चालू खा ों में	a) In Current Accounts	309 94 24	351 17 98
ख. अन्य जमा खा ों में	b) In Other Deposit Accounts	636 18 49	194 11 19
ग. माँग पर ाथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	147 25 00	173 76 80
योग -II	TOTAL - II	1093 37 73	719 05 97
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	2007 76 14	2158 19 35

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची- 8 विनिधान	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	31.03.2011 ाक As at 31.03.2011	31.3.2010 ाक As at 31.03.2010
I. भार ा में विनिधान	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्र ाभू ायाँ	i) Government Securities	38076 76 60	32052 77 66
ii) अन्य अनुमोदि ा प्र ाभू ायाँ	ii) Other Approved Securities	81 63 60	105 73 10
iii) शेयर	iii) Shares	605 11 09	435 89 96
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	1960 49 21	1973 22 84
v) अन्य	v) Others		
म्यूचुअल फंड में विनिधान, वेंचर पूँजी निधि, निक्षेपों का प्रमाण पत्र और नाबार्ड के साथ आरआइडीएफ	Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and RIDF with NABARD	6796 39 78	2053 44 99
योग - I	TOTAL - I	47520 40 28	36621 08 55
II. भार ा के बाहर विनिधान*	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA***		
i) सरकारी प्र ाभू ायाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिल ा हैं)	i) Government Securities (including Local Authorities)	909 00 88	860 96 24
ii) अनुषंघी और / या विदेश में संयुक ा वेंचर	ii) Subsidiaries and / or joint ventures abroad	21 20	0
iii) अन्य	iii) Others		
क) शेयर	a. Shares	5 73 98	8 36 29
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	b. Debentures & Bonds	130 65 97	115 34 15
ग) अन्य	c. Others	44 43 09	44 81 04
योग - II	TOTAL - II	1090 05 12	1029 47 72
कुल जोड़ (I व II)	TOTAL (I & II)	48610 45 40	37650 56 27
भार ा में सकल विनिधान	Gross Investments in India	47720 53 93	36795 09 39
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	200 13 65	174 00 84
निवल विनिधान	Net Investments	47520 40 28	36621 08 55
भार ा के बाहर सकल विनिधान*	Gross Investments Outside India*	1115 06 27	1086 15 98
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	25 01 15	56 68 26
निवल विनिधान	Net Investments	1090 05 12	1029 47 72
कुल निवल विनिधान	Total Net Investments	48610 45 40	37650 56 27

*31.3.2011 ाक विदेशी शाखाओं से संबंधि ा आँकड़ों में ा कालीन मुद्रा- विनिमय दर पर किए गए परिव ानों के कारण समायोजन शामिल है ।

* includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2011.

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
अ.i) क्रय किए गए व मि ीकाटे गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	6682 52 20	4792 86 96
ii) नकदी उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्र ।सिंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	49033 53 18	34290 21 35
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	56116 92 37	39916 07 62
योग	TOTAL	111832 97 75	78999 15 93
आ. i) मू ी आस्ि ।यों द्वारा प्र ।भू । (बहीग । ऋणों के प्र ॥ अग्रिमों सहि ।)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	84344 79 95	63258 46 98
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षि ।	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	4966 12 25	4210 36 57
iii) अप्र ।भू ।	iii) Unsecured	22522 05 55	11530 32 38
योग	TOTAL	111832 97 75	78999 15 93
इ. I. भार । में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिक ।। क्षेत्र	i) Priority Sector	32648 15 00	27237 22 48
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	12894 52 40	5778 46 12
iii) बैंक	iii) Banks	772 61 93	547 36 15
iv) अन्य	iv) Others	54954 65 27	37759 41 08
योग	TOTAL	101269 94 60	71322 45 83
II. भार । के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से शोध्य	i) Due from Banks	343 92 32	108 17 90
ii) अन्यों से शोध्य	ii) Due from Others		
क) क्रय किए गए व मि ीकाटे गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	4428 73 10	3412 79 90
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	2373 23 09	2024 82 11
ग) अन्य	c) Others	3417 14 64	2130 90 19
योग	TOTAL	10563 03 15	7676 70 10
योग (ग I व ग II)	TOTAL (C-I & C-II)	111832 97 75	78999 15 93

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
I. परिसर	I. Premises		
01-04-2010 तक लागत / पुन: मूल्यांकित रकम पर	At cost / revalued amount as on 01.04.2010	1638 38 49	1611 66 27
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	Additions during the year *	20 82 44	35 74 22
		1659 20 93	1647 40 49
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year*	3 16 15	9 02 00
		1656 04 78	1638 38 49
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	183 44 86	159 71 98
योग -I	TOTAL -I	1472 59 92	1478 66 51
II. पूँजीगत चालू कार्य	II. Capital work in progress	4 89 61	7 67 28
योग - II	TOTAL - II	4 89 61	7 67 28
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित है)	III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
01-04-2010 तक की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost as on 01.04.2010	822 14 09	741 07 99
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	93 49 39	122 65 90
		915 63 48	863 73 89
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	36 10 94	41 59 80
		879 52 54	822 14 09
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	675 91 39	608 91 33
योग- III	TOTAL - III	203 61 15	213 22 76
कुल योग (I, II व III)	Total (I, II & III)	1681 10 68	1699 56 55

* 31.3.2011 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा-विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है।

* Including adjustments on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2011.

अनुसूची 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
I) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	259 38 23	128 00 34
ii) उपचित ब्याज	ii) Interest Accrued	1490 73 57	1040 32 16
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर स्रोत पर काटा गया कर	iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	1055 25 75	962 40 54
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	7 48 31	6 74 15
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1 54 52	1 55 07
vi) अन्य	vi) Others	1826 68 07	778 67 86
योग	TOTAL	4641 08 45	2917 70 12

अनुसूची 12 समाश्रित दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	31.03.2011 तक As at 31.03.2011	31.3.2010 तक As at 31.03.2010
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	39 67 20	78 22 30
ii) अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	15865 91 98	15631 41 67
iv) संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में	a) In India	10210 37 89	8445 29 69
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	216 99 91	247 02 75
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	11585 25 34	8047 64 96
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable	7157 54 51	6890 77 53
योग	TOTAL	45075 88 43	39340 50 50

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
i) अग्रिमों / बिलों पर प्राप्त ब्याज / बट्टा	i) Interest / discount on advances / bills	8848 56 64	7659 48 17
ii) विनिधानों पर आय	ii) Income on investments	2965 46 52	2381 60 10
iii)भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	261 99 52	192 60 64
iv) अन्य	iv) Others	25 43 82	12 08 44
जोड़	TOTAL	12101 46 50	10245 77 35

अनुसूची 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	689 16 56	577 70 31
ii) विनिधानों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	108 57 45	291 85 67
iii) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	iii) Profit on Revaluation of Investments (Net)	-52 92 13	-53 33 17
iv)भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	iv) Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	1 02 25	1 60 74
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	156 96 00	127 04 26
vi)विविध आय	vi) Miscellaneous Income	322 30 12	198 37 56
योग	TOTAL	1225 10 25	1143 25 37

अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES *(Contd.)*

(रु. '000 में) (₹ in 000's)

अनुसूची 15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
i) निक्षेपों पर ब्याज	i) Interest on Deposits	6753 30 41	6271 78 76
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1140 03 29	805 93 38
iii) अन्य	iii) Others	10 25	18 81
योग	TOTAL	7893 43 95	7077 90 95

अनुसूची 16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010
I) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	1741 13 68	1734 74 90
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	238 76 23	204 47 48
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	16 94 36	15 46 19
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	23 16 52	35 82 57
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	105 00 10	111 75 94
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 03 65	73 47
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's fees and expenses)	22 63 40	17 83 31
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	9 13 84	5 42 91
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	20 19 15	15 87 59
x) मरम्मत और अनुरक्षण	x) Repairs and Maintenance	9 14 10	8 55 83
xi) बीमा	xi) Insurance	119 92 33	113 94 11
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	265 42 13	201 85 41
योग	TOTAL	2572 49 49	2466 49 71

अनुसूची -17
प्रमुख लेखांकन नीा ियाँ

1. ैयारी का आधार

1.1. यह वि ीय विवरण ऐ िहासिक लाग ा परंपरा के अं र्ग ा ैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो ाे वे भार ा में साधारण ाया स्वीकृ ा लेखांकन सिद्धां ाों (जीएएपी) की पुष्टि मे हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक /भार ीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश , लेखांकन मानक / भार ीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मर्गदर्शन नोट (आइसीएआइ) और भार ा में बैंकिंग उद्योग में प्रचलि ा पद्ध ियाँ समाविष्ट की हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा जो संबंधि ा विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

<u>आकलन का प्रयोग :</u>

1.2 वि ीय विवरणों की ैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको कि वि ीय विवरणों की ारीख को आस्ि ायों व देय ाओं (प्रासंगिक देय ाओं सहि ा) की प्र िविदि ा रकम ाथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्र िविदि ा रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वि ीय विवरणों की ैयारी में प्रयुक ा ये आकलन विवेक सम्म ा व र्कसंग ा हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सक े हैं।

2. राजस्व मान्य ाा और लेखांकन खर्च

2.1 भार ीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारि ा विवेकपूर्ण मानदण्डों के मु ाबिक अर्जक आस्ि ायों पर उपचि ा आधार पर और अनर्जक आस्ि ायों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जा ा है । अनर्जक आस्ि ायों में वसूली का समंजन अपवाद हैं - वाद दायर खा ो वे एकमुश ा निपटान से संबंधि ा खा ो जहाँ इसे पहले मूल रकम के प्र ि समंजि ा किया जा ा है।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थि ा प्र िभू ियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जा ा है।

2.3 बहुमूल्य धा ाुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जा ा है ।

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

<u>Use of Estimates</u>

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जा ा है, सिवाय ाब जब उसे अन्यथा उल्लिखि ा किया गया हो ।

2.5 अ ादिय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण कर े समय ब्याज का परिकलन किया जा ा है। निष्क्रिय बच ा बैंक खा े, अदावी बच ा बैंक खा े एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचि ा किया जा ा है।

2.6 वाद दायर खा ों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खा े में प्रभारि ा किया जा ा है । जब भी ऐसी रकम वसूली जा ी है ो उसे आय में लिया जा ा है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/ हिसाब संबंधि ा देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जा ा है ।

3. विदेशी मु ा लेनदेन

3.1 भार ीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिव ानों के प्रभाव" विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक् ा लेन-देनों लेखांकन किया जा ा है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्य ा को रिकार्ड किया जा ा है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन ात्कालीन लागू फ़ेडाइ की सा ाहिक औस ा दर के अनुसार किया जा ा है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खा ों में समापन समापन दरों पर दिखाया जा ा है । सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देय ाओं सहि ा उधारों को प्र येक ि ामाही के अं िम स ाह के लिए लागू फेडाई की सा ाहिक औस ा दर के अनुसार दिखाया जा ा है। अन्य आस्ि ायों, देय ाओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृ ा बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की ारीख की दरों पर दिखाया जा ा है।

ग) फ़ेडाइ द्वारा सूचि ा वर्षां ा विनिमय दरों पर आकस्मिक देय ाओं सहि ा बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्ि ायों, देय ाओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिण ा लाभ व हानि को

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transaction in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised

"अन्य देय ाएँ व प्रावधान" /"अन्य आस्ति खा ा" में ा सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहि ा राजस्व में ले लिया जा ा है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खा ों को छोडकर जहाँ खा ों का समायोजन समापन दरों पर किया जा ा है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्टि ारीख पर लागू विनिमय दर पर परिव र्ि ा किया जा ा है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिव र्न:

क. लेखांकन मानक 11, में निर्धारि ानुसार सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जा ा है ।

ख. अस्ि ायाँ और देय ाओं (प्रासंगिक देय ाओं सहि ा) को हर ि माही के अं ा में के फेडाई द्वारा अधिसूचि ा समान स्पॉट दरों पर परिव र्ि ा किया जा ा है।

ग. आय और व्यय को हर ि माही के अं ा में फेडाई द्वारा सूचि ा त्रैमासिक औस ा न दर पर परिव र्ि ा किया जा ा है ।

घ. परिण ा के विनिमय के अं ार को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जा ा है लेकिन निवल निवेश के निपटान ाक " विदेशी मुद्रा परिव र्न रिज़र्व " नामक अलग खा े में जमा किया जा ा है।

4. निवेश

4.1 भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भार ा में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारि ा', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्व ा ाक धारि ा' प्रवर्गों में वर्गीकृ ा किया जा ा है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्न लिखि ा 6 वर्गों में दिखाया जा ा है :

क) सरकारी प्रि ाभू ि ायाँ
ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रि ाभू ि ायों सहि ा अन्य अनुमोदि ा प्रि ाभू ि ायाँ
ग) शेयर
घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर
ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम
च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जा ी है।

by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities
b) Other Approved securities including those issued by local bodies,
c) Shares,
d) Bonds &Debentures,
e) Subsidiaries /Joint Ventures,
f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds , is recognized on realisation basis as per prudential norms.

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नव ा रूप में किया गया है:

4.3.1. "व्यापार के लिए धारि ा" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के ह ा व्यकि ाग ा शेयरों को ि ामाही अं ाराल पर विपणन को मार्क किया गया। केन्द्रीय सरकार के प्रिभूि ायों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा घोषि ा बाजार दरों पर किया जा ाा है। राज्य सरकार के प्रिभूि ायों , अन्य अनुमोदि ा प्रिभूि ायाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धि ायों और रेटिंग / उधार स्प्रेड लब्धि कर्व के अनुसार किया जा ाा है। सूचि ा ईक्विटी शेयरों और बाजार दरों पर है अ-सूचि ा ईक्विटी शेयरों और जोखिम पूंजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध ुलन पत्र से प्राप ा एनएवी के आधार पर किया जा ाा है अन्यथा इसका मूल्यन रु.1/- के प्रि ा कंपनी/ निधि किया जा ाा है।

ट्रे ज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लाग ा पर मूल्यांकि ा किया जा ाा है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारि ा यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या रिपर्चेज़ मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकि ा किया जा ाा है।

पीडीएआइ /एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से केन्द्र सरकार की प्रिभूि ायों के लिए निर्धारि ा दरों पर समुचि ा मार्क अप सहि ा वाइटीएम आधार पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन किया जा ाा है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्र येक के ह ा उपर्युक ा मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, ाो प्रावधान किया जा ाा है और निवल वृद्धि, यदि कोई है , को नजर अंदाज किया जा ाा है। हालाँकि यदि व्यकि ाग ा प्रिभूि ायों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिव र्ान नहीं है , ुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जा ाा है।

4.3.2 "परिपक्व ाा के लिए धारि ा": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लाग ा / परिशोधन लाग ा पर लिया जा ाा है । प्र येक प्रिभूि ा के अंकि ा मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लाग ा में यदि अधिक ाा हो, उसे परिपक्व ाा की शेष अवधि पर परिशोधि ा किया जा ाा है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजि ा संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लाग ा पर मूल्यांकि ा किया जा ाा है ।

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading"and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2."Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचि ा प्रावधान / आय की अ-मान्य ा के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य मानदण्ड प्रयोज्य हो े हैं और जहाँ कहीं लागू हो ादनुसार प्रावधान किया जा ा है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खा े में लिखा जा ा है। "परिपक्व ा के लिए धारि ा" वर्ग में निवेशों के विक्रय के लाभ के मामले में, करों की लाभ निवल राशि "पूँजी आरक्षि ा खा े" में विनियोजि ा की जा ी है।

4.6 प्र िभू ियों के अधिग्रहण से प्राप् ा खंडि ा अवधि के ब्याज, प्रो साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस ब्रोकरोज़ को लाभ-हानि खा े में लिखा जा ा है।

4.7 भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षि ा रेपो लेनदेनों का हिसाब-किसाब किया जा ा है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारि ा निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधि ा विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा ा है।

5. अग्रिम

5.1 भार ा में अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदेहास्पद' और 'हानि-जनक आस्ि ायाँ' के रूप में वर्गीकृ ा किया गया है और समय-समय पर भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जा ा है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधि ा देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जा ा है या फिर भार ीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्च ार हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहि ा आस्ि ायों / देय ाओं की प्र िरिक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्र िरिक्षा उद्देश्य से किये गये व्यु पन्न संविदा के संबंध में प्राप्ि ायों / देयों की निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की गयी है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगि ा की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ि ा / देय ा जो

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de -recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the

भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है।ऐसी व्यु पन्न संविदा को बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय ाब जब कि व्यु पन्न संविदा को आस्ि ा/ देय ाा के साथ पदनामि ा किया जा ाा है जिसे भी बाजार को मार्क किया जा ाा है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़ी हुए आस्ि ा / देय ाा के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज़ किया जा ाा है।

6.3. उद्योग में प्रचलि ा सामान्य स्वीकृ ा पद्धि ा के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्यु पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिव र्ानों को लाभ-हानि खा ो में पहचाना / मान्य गया / किया गया। इन संविदाओं से संबंधि ा आय व व्यय को समझौ ो / निपटान की ाारीख को पहचाने जा ो हैं। कारोबार व्यु पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज़ किया जा ाा है।

7. स्थिर आस्ि ायाँ

7.1 पुनर्मूल्यांकि ा परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्ि ायों को ऐ ाहासिक लाग ा पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक् ा समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धि ा पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जा ाा है।

परिसर	2.50 %
फ़र्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन साज-सामान	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %

स्थाई आस्ि ायों के पुनर्मूल्यांकि ा भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षि ा निधि खा ो से निकालकर लाभ-हानि खा ो में जमा कर दिया जा ाा है ।

7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की ाारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जा ाा है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लाग ाों का अनुमान नहीं लगाया जा सक ाा है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or losses on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expenses.

7. Fixed Assets

7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुक ाान किया जा ाा है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आसि ायों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधि ा देश में लागू कानून / पद्धि ा के अनुसार प्रावधान किया जा ाा है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खा ो को प्रभारि ा किया जा ाा है।

8.2. उपदान व पेंशन देय ााओं के लिए प्रावधान वास ाविक आधार पर किया जा ाा है और उसे अनुमोदि ा उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानि ा किया जा ाा है । सेवा निवृ ि ा व्यवस्था मामलों में संचि ा अवकाश के नकदीकरण का भुग ाान वर्षां ा पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जा ाा है। ाथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से और उपदान सीमा में बढ़ो ारी के मद्देनजर वर्ष के दौरान उपचि ा अ ारिक्ि ा देय ाा का परिशोधन किया जा रहा है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधि ा देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन , आइसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के ाह ा निर्धारि ा अनुसार चालू कर और आस्थगि ा कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधि ा अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समय बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षि ा करने वाला) इसमें समाहि ा है। आस्थगि ा कर को मान्य ाा दी जा ाी है परं ाु इस श ार्ा पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उ पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके । आस्थगि ा कर से जुडी आसि ायों और देय ााओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग कर ो हुए की जा ाी है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर निय ा की जा ाी है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना हो ाी है। आस्थगि ा कर आसि ायों और देय ााओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्य ाा दी जा ाी है जो परिव ार्न को लागू करने की अवधि से संबंधि ा है।

10. प्रा ि शेयर के अर्जन

बैंक लेखांकन मानक 20 ईपीएस के अनुसार भार ाीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा रिपोर्ट कर ाा है मूल प्रा ि ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, Accounting for taxes on income. Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, Earnings Per Share, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per

दौरान बकाया शेयरों की धारि I औस I से संभाजि I किया गया है। सांद्रि I मूल अर्जन प्रि I शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शा II है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रि Iभू Iियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिव Iन के कारण से हो सक II है। प्रि I ईक्विटी शेयर संद्रि I आय का परिकलन भारि I औस I ईक्विटी शेयरों की सांख्या और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रह I है।

11. आसि Iयों का अनर्जन

बैंक प्र येक ुलन पत्र दिनांक को निर्धारि I कर II है क्या किसी आसि I में घटा होने का संके I है। घाटा यदि कोई हो को लाभ एवं हानि खा II में अनुमानि I वसूली योग्य रक़म से अधिक आसि I रक़म क दर्शाया गया है।

12. प्रावधानों प्रासंगिक देय IIओं और प्रासंगिक आसि Iयों के लिए लेखाकरण

भार Iीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देय IIओं और प्रासंगिक आसि Iयों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्य II दे II है जब अ I I I की घटनाओं के कारण बैंक को व Iमान में बाध्य II हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का वहिप्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यक II से IIकि बाध्य IIओं को निपटा जा सके और जब बाध्य II की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सक II है।

प्रावधानों का निर्धारण ुलन पत्र की IIरीख को बाध्य IIओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्र येक ुलन पत्र की IIरीख पर की जा I I है और व Iमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हे ु समायोजि I की जा I I है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संके I दे I I है कि प्रासंगिक II का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रक़म का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वि Iीय विवरण में किया गया है।

वि Iीय विवरण में प्रासंगिक आसि I यदि कोई हो को मान्य I या प्रकट नहीं किया गया।

equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions ore determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अं र-बैंक और अं र-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31 मार्च, 2011 क पूरा कर लिया गया है । बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है । चूंकि विलोपि की जाने वाली बकाया प्रविष्टियाँ उ नी मह वपूर्ण न होने के कारण किसी प्रकार के प्र िगामी प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जा ी।

2. निवेश

2.1 भार ीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी)को ीन प्रवर्गों में वर्गीकृ किया गया है, जो इस प्रकार है :

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु. करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्र िश	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
परिपक्व ा के लिए धारि	30543.78	25520.35	64.00	69.36
बिक्री के लिए उपलब्ध	17168.12	11263.35	35.98	30.61
ट्रेडिंग के लिए धारि	8.64	11.39	0.02	0.03

2.2 "परिपक्व ा के लिए धारि " के ह एसएलआर प्र िभू ियाँ भार ीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारि 25 % की सीमा के अंदर हैं जो मार्च 2011 की समाप्ि क बैंक की मांग व सावधि देय ाओं का 20.95% (पिछले वर्ष 22.39%) रहीं ।

2.3 'परिपक्व ा के लिए धारि ' प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.53.00 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.114.47 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया ।

2.4 समझौ ा गारंटी निधि के प्र ि रु.200 करोड़ (पिछले वर्ष रु.100 करोड़) के अंकि मूल्य की प्र िभू ियों और संपार्श्विकीकृ उधार और ऋण बाध्य ाओं के ह उधार के लिए संपार्श्विक के प्र ि रु.5855 करोड़ (पिछले वर्ष रु.4855 करोड़) की प्र िभू ियों को क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के यहाँ रखा गया है। इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव्स प्रवर्ग के प्र ि रु.1.80 करोड (पिछले वर्ष शून्य) की राशि को एनएससीसीएल के यहाँ, फॉरेक्स परिचालनों के लिए डिफाल्ट निधि के प्र ि रु. 5.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि को सीसीआइएल के यहाँ , करेंसी डेरिवेटिव्स प्रवर्ग के प्र ि रु. 1.17 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of inter-bank and inter-branch transactions has been completed up to 31st March 2011. Steps for elimination of outstanding entries are in progress. Since the outstanding entries to be eliminated are insignificant, no material consequential effect is anticipated.

2. Investments

2.1 In accordance with RBI guidelines, the Investments Portfolio of the bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Gross Book Value (Rs. In Crore)		Percentage to Total Investments	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Held to Maturity	30543.78	25520.35	64.00	69.36
Available for Sale	17168.12	11263.35	35.98	30.61
Held for Trading	8.64	11.39	0.02	0.03

2.2 SLR Securities under "Held to Maturity" accounted for 20.95% (previous year 22.39%) of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2011, as against the ceiling of 25% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.53.00 crore was amortised during the year (Previous year Rs.114.47 crore).

2.4 Securities of face value of Rs.200 crores (previous year Rs.100 crores) towards Settlement Guarantee Fund and securities for Rs.5855 crore crores (previous year Rs.4855 crore) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Ltd. Besides, a sum of Rs.1.80 crore (previous year NIL) has been lodged with NSCCL towards Currency Derivatives Segment, Rs.5.00 crore (previous year NIL) with CCIL towards Default Fund for

राशि को इण्डियन क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के यहाँ रखा गया है।

2.5 अनुसूची 8 में निवेशों के ाहा शेयरों में रु. 21,89,07,080/- (पिछले वर्ष रु 21,89,07,080/-) के शेयर शामिल हैं, जो आबंटन के लंबि ा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूँजी के प्रि ा अग्रिम रूप में हैं।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावि ा हानि के लिए प्रावधान भार ाीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार किया गया।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबि ा व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए विचार किया गया है इस आधार पर कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ि ा वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थि ा का निर्धारण करने के लिए प्र ाभू ा के अनुमानि ा मूल्य, केंद्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

3.4 अलेखा-परीक्षि ा शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

3.5 बैंक की वि ाीय स्थिर ा को मजबू ा करने की दृष्टि से भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा न्यून ाम प्रावधान से ऊपर सकल अनर्जक अग्रिमों के सबंध में बैंक के पास रु. 171.36 करोड़ (पिछले वर्ष 171.36 करोड़) का अस्थिर प्रावधान है।

4 अचल आस्ि ायाँ

4.1 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं से इ ार अपने परिसरों (भूमि और भवन) का पुनर्मूल्यांकन किया और आस्ि ायों के विद्यमान रखाव मूल्य में रु.1123.55 करोड़ जोड़ दिया है। आस्ि ायों का पुनर्मूल्यांकन प्राधिकृ ा मूल्यांकनक ाओं द्वारा किया गया है।

forex operations, Rs.1.17 crore (previous year NIL) with Indian Clearing Corporation Ltd., towards Currency Derivatives Segment.

2.5 Shares under Investments in Schedule 8 includes Rs.21,89,07,080/- (Previous year Rs.21,89,07,080/-) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 The Bank has a floating provision of Rs.171.36 crores (Previous Year Rs.171.36 crores) in respect of Gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthening the financial stability of the Bank.

4. Fixed Assets

4.1 During the year 2008-09, the bank has revalued its premises (land and buildings) other than those at overseas branches and added an amount of Rs. 1123.55 crores to the existing carrying value of assets. The revaluation has been done by approved valuers.

4.2 वर्ष के दौरान अचल आस्ति की बिक्री पर लाभ के रु.0.51 करोड़ (पिछले वर्ष 1.61 करोड)की रकम को 31.03.2011 तक पूंजी आरक्षिति में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.2.33 करोड़ (पिछले वर्ष 4.69 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थगित आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूंजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 **24.03.2011** के दिन भारत सरकार को 7,39,49,343 ईक्विटी शेयरों के अधिमानीय आबंटन द्वारा वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 980.05 करोड़ के शेयर प्रीमियम सहित रु.1054 करोड़ की ईक्विटी शेयर पूँजी हासिल की है। उक्त के अनुक्रम में भारत सरकार की शेयरधारिता 61.23% से बढ़ कर 65.87% हो गयी है।

6.2 वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न / उच्च टायर II बॉण्ड जारी करके रु.1967.00 करोड़ रकम (पिछले वर्ष रु 800.00 करोड़) की टायर II पूंजी एकत्र की।

7. कर

अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु.566.68 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 406.92 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8. कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008

8.1 भारत सरकार द्वारा तैयार कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 की शर्तों के अनुसार रु.676 करोड़ की ऋण राहत की पात्र रकम में से बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋणों के लिए रु.581.58 करोड़ की रकम प्राप्त हुई है।

4.2 A sum of Rs.0.51 crore (previous year Rs.1.61 crore) being profit on sale of Fixed Assets during the year has been appropriated to Capital Reserve as on 31.03.2011.

5. Rupee Interest Rate Swap:

An amount of Rs.2.33 crore (previous year Rs.4.69 crore) is kept in deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 The bank had during the year raised equity share capital of Rs.1054 crore including share premium of Rs.980.05 crore by way of preferential allotment of 7,39,49,343 equity shares to Government of India on **24.3.2011.** Pursuant to the above the share holding of Government of India has increased from 61.23 % to 65.87%.

6.2 During the year, the Bank has raised Tier II capital amounting to Rs.1967.00 crore (previous year Rs. 800.00 Crore) by issue of Lower/Upper Tier II bonds.

7. Taxes

Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision has been considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax amounting to Rs.566.68 crore (previous year Rs. 406.92 crore)

8. Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

8.1 In terms of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, framed by the Government of India, the Bank has received Rs.581.58 crore from Reserve Bank of India on account of loans to small and marginal farmers, out of the amount eligible for debt waiver of Rs.676 crore.

8.2 उक ा योजना के ाह ा भार ा सरकार से बकाया रु.94.42 करोड़ की शेष रकम "एडीडब्ल्यू और डीआरएस 2008 के लिए भार ा सरकार से प्राप्य दावे" के रूप में दर्शाई गई है और भार ाीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की अनुसूची 9 में अग्रिमों के ाह ा शामिल की गई है।

9. श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड

वि ाीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने भार ाीय रिजर्व बैंक ाथा अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन से 19.05.2009 को मेसर्स श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (जो पहले अधिस्थगन में था)की विशिष्ट आस ियों व देय ााओं को ले लिया है । कथि ा ाारीख ाक ली गयी आस ियों से अधिक देय ााओं की रु 246.52 करोड़ की घाटा रकम को भार ाीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुम ा अनुसार ाीन वर्षों में आमेलि ा किया जाना है । बैंक ने घाटे की रकम जो रु 164.34 करोड़ है (वर्ष 2009-10 के दौरान 82.17 करोड़ और वर्ष 2010-11 के दौरान रु.82.17 करोड), को व ार्मान वर्ष के दौरान आमेलि ा किया । घाटे की शेष रु 82.18 करोड़ रकम 31.03.2012 से पहले आमेलि ा कर ली जाएगी ।

10. पेंशन और ग्रैच्युटी देय ाा :

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प दुबारा खोल दिया जिन्होंने पहले पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था। 11571 कर्मचारियों द्वारा इस विकल्प को अपनाने के कारण बैंक को रु.758.65 करोड़ की देय ाा उठानी पड़ी। साथ ही , ग्रैच्युटी भुग ाान अधिनियम 1972 में संशोधन के अनुक्रम में वर्ष के दौरान बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रैच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया गया । परिणामत: बैंक की ग्रैच्युटी देयता रु 246.56 करोड़ तक बढ़ गयी ।

लेखांकन मानक (एएस-15) , कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के ाह ा रु. 1005.21करोड़ की संपूर्ण राशि लाभ व हानि खा ो में प्रभारि ा की जानी है। फिर भी भार ाीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुन: खोले जाने व ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि करने संबंधी प्रुडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रिटमेंट विषयक अपना परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11

8.2 The balance amount due from the Government of India under the above scheme amounting to Rs.94.42 crore is shown as 'Claim Receivable from Government of India for ADW&DRS 2008' and included under advances in Schedule 9 as per Reserve Bank of India circular.

9. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd

During the year 2009-10, the Bank has taken over specific assets and liabilities of M/s. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune (which was under moratorium), with effect from the close of business on 19.05.2009 with the approval of RBI and other authorities.The deficit representing excess of liabilities over assets taken over as on the said date amounting to Rs.246.52 crore has to be absorbed over a period of three years, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank has absorbed the deficit, amounting to Rs.164.34 crore (Rs.82.17 crore during the year 2009-10 and Rs.82.17 crore during the year 2010-11). The balance of deficit amounting to Rs.82.18 crore will be absorbed before 31.03.2012.

10. Pension and Gratuity Liability

During the year, the bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the Pension Scheme earlier. As a result of exercise of this option by 11571 employees, the bank had incurred a liability of Rs.758.65 crore. Further, during the year, the limit of Gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the Gratuity liability of the bank has increased by Rs.246.56 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS-15),Employee Benefits, the entire amount of Rs.1005.21 crore is required to be charged to the Profit and Loss account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular No.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/ 2010-11, on Reopening of Pension Option to employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity limits – Prudential

दिनांकि ा 09 02 2011 जारी किया है। उक ा परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक रु.1005.21 करोड़ की रकम का 5 वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधन किया जायेगा। ादनुसार रु.201.04 करोड़ (रु.1005.21 करोड़ का पाँचवाँ हिस्सा) को लाभ व हानि खा ो में प्रभारि ा किया गया है। भार ीय रिज़र्व बैंक के उक ा परिपत्र की अपेक्षाओं के संदर्भ में रु.804.17 करोड़ की आगे ले जायी गयी शेष रकम में पृथक हुए / सेवा निवृ ा हुए कर्मचारियों से संबंधि ा कोई राशि शामिल नहीं है। यदि भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस ारह का परिपत्र जारी नहीं किया जा ा , ाो एएस-15 की अपेक्षाओं को लागू करने के फल स्वरूप बैंक का लाभ रु.804.17 करोड़ से घट जा ा।

अ ारिक ा प्रकटीकरण

भार ीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01 07 2010 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखि ा अ ारिक ा प्रकटीकरण किए जा ो हैं:

1.पूंजी

(रु.करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2010-11		2009-10	
		बेसल I	बेसल II	बेसल I	बेसल II
i)	सीआरएआर(%)	13.28%	14.55%	14.26%	14.78%
ii)	सीआरएआर टायर I पूंजी (%)	7.45%	8.16%	8.36%	8.67%
iii)	सीआरएआर टायर II पूंजी (%)	5.83%	6.39%	5.90%	6.11%
iv)	राष्ट्रीयकृ ा बैंकों में भार ा सरकार की शेयरधारि ा की प्रशि ा ा	65.87%		61.23%	
v)	आइपीडीआइ के निर्गमन से एकत्रि ा रकम	शून्य		300.00	
vi)	प्रवर टायर II लिख ों के निर्गमन से एकत्रि ा रकम (रु.करोड़ में)	1967.00		800.00	

* अधिमानीय आबंटन के आधार पर भार ा सरकार को जारी किये गये 7,39,49,343 ईक्विटी शेयरों के कारण।

Regulatory Treatment, dated 09.02.2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the bank would amortise the amount of Rs.1005.21 crore over a period of 5 years. Accordingly, Rs.201.04 crore (representing one-fifth of Rs.1005.21 crore) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid, RBI Circular, the balance amount carried forward, i.e., Rs.804.17 crore does not include any employees relating to separated / retired employees. Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by Rs.804.17 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 1.07.2010, the following additional disclosures are made :-

1.Capital:

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	2010-11		2009-10	
		Basel I	Basel II	Basel I	Basel II
i)	CRAR (%)	13.28%	14.55%	14.26%	14.78%
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	7.45%	8.16%	8.36%	8.67%
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	5.83%	6.39%	5.90%	6.11%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks	65.87%		61.23%	
v)	Amount raised by issue of IPDI (Rs. in Crore)	Nil		300.00	
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments (Rs. in Crore)	1967.00		800.00	

* Due to issuance of 7,39,49,343 equity shares to Government of India on preferential allotment.

2. निवेश :

2.1 निवेशों का मूल्य

(रु करोड में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
क) भारत में	47720.54	36795.09
ख) भारत के बाहर	1115.06	1086.16
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
क) भारत में	200.14	174.01
ख) भारत के बाहर	25.01	56.68
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
क) भारत में	47520.40	36621.08
ख) भारत के बाहर	1090.05	1029.48

2.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु करोड में)

विवरण	2010 - 11	2009 - 10
(i) आरंभिक शेष	230.69	338.21
(ii) जोडें :वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	59.34	0.23
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / पुनरांकन करना	64.88	107.75
(iv) समापन शेष	225.15	230.69

2.3 रिपो लेनदेनों (अंकित मूल्य में)

(रु करोड में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक बकाया		31 मार्च तक के लिए औसत	
	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	2011	2010
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	1490.68	159.23	60.83	15.64	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	441.84	शून्य	17.08	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. Investments:

2.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	47720.54	36795.09
(b) Outside India	1115.06	1086.16
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	200.14	174.01
(b) Outside India	25.01	56.68
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	47520.40	36621.08
(b) Outside India	1090.05	1029.48

2.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments.

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
(i) Opening Balance	230.69	338.21
(ii) Add: Provisions made during the year	59.34	0.23
(iii) Less: Write - off/Write - back of excess provisions during the year	64.88	107.75
(iv) Closing Balance	225.15	230.69

2.3 Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	2011	2010
Securities sold under Repo								
i. Government securities	Nil	Nil	1490.68	159.23	60.83	15.64	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i. Government securities	Nil	Nil	441.84	Nil	17.08	Nil	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश के कम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ	गैर दर्शाकित प्रतिभूतियाँ	असूचित प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	637.12	558.04	0.00	2.00	13.15
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	780.00	756.55	0.00	0.00	16.39
(iii)	बैंक	6053.33	5988.29	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कार्पोरेट	1502.14	1364.16	0.00	108.97	108.34
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	572.22	475.75	0.00	355.79	123.61
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	147.39	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	**9692.41**	**9143.00**	**0.00**	**466.76**	**261.49**

2.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2010 तक का आरंभिक शेष	4.11
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड	10.00
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.09
31 मार्च 2011 तक का अंतिम शेष	14.02
कुल धारित प्रावधान	**5.74**

3. डेरिवेटिव्स :

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रु.करोड में)

विवरण	2010-11			2009-10		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
I) स्वैप करारों के काल्पनिक मूल	1748.00	1821.42	3569.42	1075.00	1932.60	3007.60
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होते हैं तो उससे होने वाली हानि	2.66	12.34	15.00	23.92	9.16	33.08
iii) स्वैप करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	-30.07	-4.83	-34.90	13.88	-7.94	5.94

2.4 Non-SLR Investment Portfolio Issuer Composition Of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below investment grade securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	637.12	558.04	0.00	2.00	13.15
(ii)	FIs	780.00	756.55	0.00	0.00	16.39
(iii)	Banks	6053.33	5988.29	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1502.14	1364.16	0.00	108.97	108.34
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	572.22	475.75	0.00	355.79	123.61
(vii)	Provision held towards depreciation	147.39	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	**9692.41**	**9143.00**	**0.00**	**466.76**	**261.49**

2.5 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2010	4.11
Additions during the year since 1st April	10.00
Reductions during the above period	0.09
Closing Balance as on 31st March 2011	14.02
Total Provisions held	**5.74**

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2010-11			2009-10		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	1748.00	1821.42	3569.42	1075.00	1932.60	3007.60
ii) Losses which would be incurred if counter - parties failed to fulfil their obligations under the agreements	2.66	12.34	15.00	23.92	9.16	33.08
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	-30.07	-4.83	-34.90	13.88	-7.94	5.94

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु.करोड में)

क्रम सं	विवरण	रकम
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर विवरण की काल्पनिक मूल रकम (लिख I वार)	शून्य
(ii)	31 मार्च 2011 I क विनिमय व्यापार ब्याज दर विवरण की काल्पनिक मूल रकम (लिख I वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर विवरण की काल्पनिक मूल रकम और जो "उच्च प्रभावी" नहीं (लिख I वार)	शून्य
(iv)	प्र I भू I यों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर विवरण की काल्पनिक मूल रकम जो "उच्च प्रभावी" नहीं (लिख I वार)	शून्य

3.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

3.3.1 गुणा मक प्रकटीकरण

ट्रेजरी (विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्र I रिक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस), मुद्रा स्वैप व खुले बाज़ार का प्रयोग कर I I है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उ पाद भी उपलब्ध करा I I है I I कि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस I रह के लेनदेन ग्राहकों व बैंकों के साथ ही रखे जा I े हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर [बी] पोर्टफ़ोलियो / आस्ि I देय I I के असं I ुलन के कारण ब्याज / विनमय दरों में उ पन्न होने वाली जोखिम की प्र I रिक्षा के लिए डेरिवेटिव्स उ पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी शाखाओं आदि के निधियन हे I ु बैंक की जोखिम प्रबंधन नी I ियाँ अनुम I ि दे I ी हैं और साथ ही ये उ पाद दु I रफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुम I ि दे I ी हैं।

आ) डेरिवेटिव्स ऋण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्ि I ग I ग्राहकों की निवल साख एवं प्र I िभू I ि समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में ले I े हुए डेरिवेटिव्स लेन-देन के निष्पादन के लिए समुचि I उधार श्रेणियाँ प्रस् I ु I करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्र I िरिक्षा लिख I ों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुडे जोखिम को निर्धारि I करने के लिए उचि I नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधि I सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचि I जोखिम रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध करवाई हैं । प्र येक प्र I िपक्षी पार्टी के लिए उपयुक I उधार मंजूरीक I ा प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदि I ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन ही सिर्फ प्र I िपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument wise)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil

3.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

3.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policies of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest / Exchange rates that arise on account of overseas borrowing / FCNR (B) portfolio / the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The derivative transactions were undertaken only with banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ ाय की हैं और इनकी स्थि ि का निरं ार प्रबोधन किया जा ाा है ।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुव र्ी कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम में परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरं ार प्रबोधन करने की भी प्रणाली है ।

ऊ) बैंक के ुलन पत्र की प्र ारिक्षा करने और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए बैंक द्वारा व्युत्पन्न का प्रयोग किया जा ाा है । प्र ारिक्षा लेनदेनों के संबंध में प्र ारिक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया। पारस्परिक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्ण ा: मेल किए गए हैं और आरक्षि ा ऋण नहीं हैं ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधि ा किया गया है और उसे संविदा की अवधि के दौरान उपचि ा के आधार पर लाभ व हानि खा ो में लिया गया है । ुलन पत्र हे ु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभ के कारण प्राप् ा आय की पहचान स्वैप की शेष संविदा मक अवधि या आस्ि ायों / देय ााओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए दु ारफा आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप् ा होनेवाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी ।

ए) सभी प्र ारिक्षा लेनदेन उपचयन के आधार पर परिकलि ा किए गए हैं । बकाया संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य को बही में अंकि ा करने के आधार पर किया गया । डेरिवेटिव्स में लेनदेन करने के लिए बैंक के पास विधिव ा अनुमोदि ा जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नी ि उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेनदेन भार ािय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जा े हैं।

ट्रेज़री - (देशी)

बैंक, सरकारी प्र ािभू ियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्र ारिक्षा हे ु और अधीनस्थ ऋणों व सावधि जमाओं की लाग ा कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) का प्रयोग कर ाा है। इसके अ ािरिक ा बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा नी ि के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याजदर स्वैप को अपना ाा है ।

appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance Sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortised and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet management, income on account of such gains would be recognised over the remaining contractual life of the swap or life of the assets / liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such things will be recognised on termination.

h) All the hedge transactions have been accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses the Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the

स्वैप लेनदेन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जा े है जिनके पास आइएसडीए करार विद्यमान है।

क. बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्ा ढाँचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेज़री विभाग, बोर्ड की आस्ि देय ा प्रबंधन समि ि और जोखिम प्रबंधन समि ि शामिल है ।

ख. व्युत्पन्न लेनदेनों में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्र िकूल संचलन के कारण उ पन्न), उधार जोखिम (संभावि ा काउंटर पार्टी चूकने से उ पन्न), रल ा जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादि ा करने हे ु या निधियन की जरूर ों की पूर् ि करने से चूकने पर उ पन्न), परिचालनग ा जोखिम, विनिया मक जोखिम और प्र िष्ठा जोखिम शामिल रह ा है । बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहि ा जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्ा नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापि ा कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधि ा सभी पक्षों का प्रबोधन करने हे ु उचि ा जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइआरएस लेनदेन केवल बैंकों के साथ प्र ि पार्टी के रूप में किए जा े हैं और ये हर प्र ि पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा उधार सीमा के अन्दर हो े हैं।

ग. बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्र िरिक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए कर ा है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदि ा नी ि उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं निय ा की हैं और इसकी स्थि ि का नियमि ा रूप से प्रबोधन किया जा ा है। केवल दु रफा आधार पर प्रयुक्ा प्र िरिक्षाओं अथवा बैंक के ुलन-पत्र की प्र िरिक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नही किया है।

घ. व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नी ि भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 - मह वपूर्ण लेखाकरण नी ियाँ (नी ि सं. 6) में प्रकट किए अनुसार ैयार की गई हैं।

cost of Subordinated Debt and term deposits. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), credit risk (arising from probable counter party failure), liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), operational risk, regulatory risk and reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of the Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The Accounting Policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6).

3.3.2 मात्रा मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

क्रसं.	ब्यौरे	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल रकम)		
	क] प्र िरक्षा के लिए	2104.65	2614.03
	ख] व्यापार के लिए	309.55	955.39
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकि ा करने की स्थि ि		
	क] आस्ि ायाँ (+)	334.41	15.00
	ख देय ााएँ(-)	22.22	-37.80
(iii)	ऋण एक्स्पोजर	518.82	35.21
(iv)	ब्याज दर में संभावि ा एक प्र ि शि ा के परिव िन का प्रभाव (100*पीवी01)		
	क] प्र िरक्षा डेरिवेटिव्स पर	50.43	48.13
	ख] व्यापार डेरिवेटिव्स पर	7.00	24.53
v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यून ाम और अधिक ाम		
	क] प्र िरक्षा पर	अधिक ाम 63.14 न्यून ाम 46.32	अधिक ाम 60.26 न्यून ाम 19.42
	ख] व्यापार पर	अधिक ाम 9.19 न्यून ाम 4.03	अधिक ाम 30.45 न्यून ाम 24.66

4. आस्ि ा गुणव ाा

4.1.1 अनर्जक आस्ि ायाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

क्रसं.	ब्यौरे	2010 - 11	2009 - 10
I)	निवल अग्रिम से निवल एनपीए (%)	1.19	2.52
ii)	एनपीए की ग ाशील ाा (सकल)		
	क) प्रारंभिक शेष	3611.08	1923.41
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2169.26	3126.83
	ग) वर्ष के दोरान कटौ ाियाँ	2690.75	1439.16
	घ) समापन शेष	3089.59	3611.08
iii)	निवल एनपीए की ग ाशील ाा		
	क) प्रारंभिक शेष	1994.97	999.14
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	912.47	2097.21
	ग) वर्ष के दोरान कटौ ाियाँ	1579.02	1101.38
	घ) समापन शेष	1328.42	1994.97
iv)	एनपीए की ग ाशील ाा के लिए प्रावधान (मानक आस्ि ायों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
	क) प्रारंभिक शेष	1363.79	752.04
	ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1256.79	118 3.66
	ग) बट्टे खा े में डाले गए / पुनरांकि ा अ ािरिक्ा प्रावधान	970.52	571.91
	घ) समापन शेष	1650.06	1363.79

3.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	2104.65	2614.03
	b) For Trading	309.55	955.39
(ii)	Marked to Market Positions		
	a) Asset (+)	334.41	15.00
	b) Liability (-)	22.22	-37.80
(iii)	Credit Exposure	518.82	35.21
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	50.43	48.13
	b) on trading derivatives	7.00	24.53
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 63.14 Minimum 46.32	Maximum 60.26 Minimum 19.42
	b) on trading	Maximum 9.19 Minimum 4.03	Maximum 30.45 Minimum 24.66

4. ASSET QUALITY:

4.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	2010 - 11	2009 - 10
i)	Net NPA to Net Advances(%)	1.19	2.52
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	3611.08	1923.41
	b) Additions during the year	2169.26	3126.83
	c) Reductions during the year	2690.75	1439.16
	d) Closing Balance	3089.59	3611.08
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	1994.97	999.14
	b) Additions during the year	912.47	2097.21
	c) Reductions during the year	1579.02	1101.38
	d) Closing Balance	1328.42	1994.97
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	1363.79	752.04
	b) Provisions made during the year	1256.79	118 3.66
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	970.52	571.91
	d) Closing balance	1650.06	1363.79

4.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपा ा:

भार ीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2011 ाक परिकलि ा प्रावधान कवरेज का अनुपा ा (पीसीआर) 70.45 % रहा।

4.2. पुनर्संरचि ा खा ाों के विवरण

(रु.करोड़ में)

		सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचि ा मानक अग्रिम	उधारक ाओं की सं.	15	796	3913
	बकाया ऋण ाग	595.96	704.39	5251.52
	(उचि ा मूल्य में कमी)	21.28	9.78	89.26
पुनर्संरचि ा अवमानक अग्रिम	उधारक ाओं की सं.	शून्य	93	235
	बकाया ऋण ाग	शून्य	31.35	259.67
	(उचि ा मूल्य में कमी)	शून्य	0.21	6.69
पुनर्संरचि ा संदिग्ध अग्रिम	उधारक ाओं की सं.	शून्य	2	67
	बकाया ऋण ाग	शून्य	0.01	121.69
	(उचि ा मूल्य में कमी)	शून्य	शून्य	4.36
कुल	उधारक ाओं की सं.	15	891	4215
	बकाया ऋण ाग	595.96	735.75	5632.88
	(उचि ा मूल्य में कमी)	21.28	9.99	100.31

4.3 परिसंपि ा पुनर्निर्माण के लिए प्रि ाभूि ाकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वि ाीय आस्ि ायों के विवरण

(रु.करोड़ में)

	ब्यौरे	2010-11	2009 - 10
(i)	खा ाों की संख्या	37	शून्य
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खा ाों का कुल मूल्य [प्रावधानों का निवल]	213.52	शून्य
(iii)	कुल प्र ाफिल	265.02	शून्य
(iv)	ग ा वर्षों में अं ारि ा खा ाों से प्राप ा अ ािरिक्ा प्र ाफिल	-	शून्य
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / हानि	51.50	शून्य

4.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 70.45% as on 31.03.2011.

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(Rs. in Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	15	796	3913
	Amount outstanding	595.96	704.39	5251.52
	Sacrifice (diminution in the fair value)	21.28	9.78	89.26
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	Nil	93	235
	Amount outstanding	Nil	31.35	259.67
	Sacrifice (diminution in the fair value)	Nil	0.21	6.69
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	Nil	2	67
	Amount outstanding	Nil	0.01	121.69
	Sacrifice (diminution in the fair value)	Nil	Nil	4.36
TOTAL	No. of Borrowers	15	891	4215
	Amount outstanding	595.96	735.75	5632.88
	Sacrifice (diminution in the fair value)	21.28	9.99	100.31

4.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

(Rs. in Crore)

	Particulars	2010-11	2009 - 10
(i)	No. of accounts	37	Nil
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	213.52	Nil
(iii)	Aggregate consideration	265.02	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	Nil
(v)	Aggregate gain/loss over net book value	51.50	Nil

4.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वि ीय आस्ति यों का विवरण

4.4.1 क्रय की गई अनर्जक वि ीय आस्ति यों का विवरण

(रु.करोड़ में)

ब्योरे	2010 - 11	2009 - 10
1. [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खा ों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचि ा खा ों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य

4.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वि ीय आस्ति यों का विवरण

(रु.करोड़ में)

ब्योरे	2010 - 11	2009 - 10
1. विक्रय किए गए खा े	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्रा ा अ िरिक्त प्र िफल	शून्य	शून्य

4.5 मानक आस्ति यों पर प्रावधान

(रु.करोड़ में)

ब्योरे	2010 - 11	2009 - 10
मानक आस्ति यों के प्र ि प्रावधान	430.29	362.79

5. कारोबार अनुपा ा

ब्योरे	2010 - 11	2009 - 10
(i) औस ा कार्यकारी निधियों के प्र िश ा के रूप में ब्याजग ा आय	8.95%	8.85%
(ii) औस ा कार्यकारी निधियों के प्र िश ा के रूप में ब्याजे ार आय	0.91%	0.99%
(iii) औस ा कार्यकारी निधियों के प्र िश ा के रूप में परिचालना मक लाभ	2.11%	1.59%
(iv) औस ा आस्ति यों से लाभ	0.71%	0.53%
(v) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्र ि कर्मचारी (रु. करोड़ों में)	10.05	7.12
(vi) प्र ि कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	0.0416	0.0263

4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

4.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

4.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

4.5 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
Provisions towards Standard Assets	430.29	362.79

5 BUSINESS RATIOS

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
(i) Interest Income as a percentage to Average Working Funds	8.95%	8.85%
(ii) Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.91%	0.99%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.11%	1.59%
(iv) Return on Average Assets	0.71%	0.53%
(v) Business (Deposits plus Advances) per Employee (Rs. in crore)	10.05	7.12
(vi) Profit per employee (Rs. in crore)	0.0416	0.0263

6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2011

(Rs. in Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	1605.88	2435.54	476.39	154.13	2097.37	1337.95
2 to 7 days	4009.50	3782.80	6493.70	4213.61	1732.26	1718.33
8 to 14 days	4277.64	5326.98	1725.91	595.85	603.19	651.20
15 to 28 days	4373.71	2194. 25	1226.97	331.01	2176.91	1592.95
29 days to 3 Month	16200.40	11680.80	6305.28	2192.50	5842.89	5158.83
Over 3 Month & up to 6 Month	15577.65	7622.63	4192.62	2527.99	5318.52	4796.90
Over 6 Month & up to 1 year	22826.38	12734.21	7707.78	1743.16	2237.97	3526.43
Over 1 year & up to 3 years	70259.88	42273.58	17106.09	994.87	1564.19	2188.82
Over 3 years & up to 5 years	2366.21	10488.41	1240.22	850.00	1182.84	1000.21
Over 5 years	3731.50	15252.27	2360.64	5752.28	1386.34	111.13
Total	145228.75	113791.47	48835.60	19355.40	24142.48	22082.75

6) आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2011 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु.करोड़ में)

	जमाएँ	अग्रिम(सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	1605.88	2435.54	476.39	154.13	2097.37	1337.95
2 से 7 दिन	4009.50	3782.80	6493.70	4213.61	1732.26	1718.33
8 से 14 दिन	4277.64	5326.98	1725.91	595.85	603.19	651.20
15 से 28 दिन	4373.71	2194.25	1226.97	331.01	2176.91	1592.95
29 से 3 महीनें	16200.40	11680.80	6305.28	2192.50	5842.89	5158.83
>3महीने से अधिक 6 महिने तक	15577.65	7622.63	4192.62	2527.99	5318.52	4796.90
>6 महीने से अधिक 1वर्ष तक	22826.38	12734.21	7707.78	1743.16	2237.97	3526.43
>1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	70259.88	42273.58	17106.09	994.87	1564.19	2188.82
>3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	2366.21	10488.41	1240.22	850.00	1182.84	1000.21
>5 वर्ष से अधिक	3731.50	15252.27	2360.64	5752.28	1386.34	111.13
कुल	145228.75	113791.47	48835.60	19355.40	24142.48	22082.75

7. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु.करोड़ में)

प्रवर्ग	2010-11	2009-10
अ) प्र यक्ष ऋण		
I) रिहाइशी बंधक - उधारक र्ा की उस रिहाइशी संपि ा पर बंधक द्वारा पूर्ण ा: प्र ाभू ा उधार जिसमें उधारक र्ा खुद रहा ा है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा	3740.78	3177.78
जिसमें से प्राथमिक ा क्षेत्र के ह ा वर्गीकरण के लिए पात्र वैयकि ाक आवास ऋण	2815.24	2240.13
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्र ाभू ा उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस् ाारण व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारि ा सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलि ा हैं।	6330.86	6960.75
iii) स्थावर संपदा अन्य ::		
-लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के ह ा नहीं है	501.75	639.24
-होटेल और अस्प ााल	1679.06	984.04
iv) बंधक द्वारा समर्थि ा प्र ाभू ा ियों में निवेश और अन्य प्र याभू ा उधार जोखिम		
• रिहाइशी	0.09	0.32
• वाणिज्यिक स्थावर संपदा	--	--
• अन्य	158.38	15.00
आ) अप्र यक्ष ऋण जोखिम : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वि ा कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारि ा और गैर-निधि आधारि ा उधार जोखिम	2630.41	949.10
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल जोखिम (अ +आ)	15041.33	12726.23

7.2 पूँजी बाज़ार को ऋण जोखिम

(रु.करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिव ानिशील बाँडों, परिव ानिशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्र यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्ट ा: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	490.07	348.80
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहि ा), परिव ानिशील बाँडों और परिव ानिशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यकि ायों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्र ाभू ायों के प्र ा या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.71	10.81
iii) किसी अन्य प्रयोजन हे ाु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिव ानिशील बाँडों या परिव ानिशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को प्रधान प्र ाभू ा के रूप में लिया जा ा है	711.96	896.26
iv) जहाँ शेयरों / परिव ानिशील बाँडों / परिव ानिशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इ ार प्रधान प्र ाभू ा अग्रिमों को पूरी ारह से कवर नही कर ाी, वहाँ शेयरों या परिव ानिशील बाँडों या परिव ानिशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल	167.95	186.28

7 LENDING TO SENSITIVE SECTOR

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2010-11	2009-10
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	3740.78	3177.78
Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	2815.24	2240.13
ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	6330.86	6960.75
iii) Real estate others:		
- Liquirent Loans not under CRE	501.75	639.24
- Hotels and Hospitals	1679.06	984.04
iv) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures -		
a. Residential	0.09	0.32
b. Commercial Real estate	--	--
c. Others	158.38	15.00
(b) Indirect Exposure : Fund based and non -fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2630.41	949.10
Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	15041.33	12726.23

7.2 Exposure to Capital Market:

(Rs. in Crore)

Particulars	2010-11	2009-10
(i) direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	490.07	348.80
(ii) advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.71	10.81
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	711.96	896.26
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	167.95	186.28

(रु.करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रभिूि द्वारा प्र याभू ा कर किन्ही अन्य उद्देश्यों कि लिए प्रद ा अग्रिम;		
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए प्रभिू ा व अप्रभिू ा अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	146.77	141.89
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रव र्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रभिू ियों की प्रभिू ि के प्र ि या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण;	Nil	Nil
vii) प्र याशि ा ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	Nil	Nil
viii) शेयरों या परिव र्तनशील बाँडों या परिव र्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा की गयी हामीदारी प्र ि बद्ध ाएँ;	Nil	Nil
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वि ा प्रदान करना;	Nil	0.42
x) उद्यम पूंजीग ा निधियों (पंजीकृ ा व अपंजीकृ ा दोनों ही) के प्र ि सभी ऋण ज़ोखिम;	207.08	314.71
पूँजी बाजार को कुल उधार जोखिम	**1724.54**	**1899.17**

7.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु.करोड़ में)

जोखिम वर्ग	31.3.2011 को (निवल) अग्रिम	31.3.2011 को धारि ा प्रावधान	31.3.2010 को (निवल) अग्रिम	31.3.2010 को धारि ा प्रावधान
अमह वपूर्ण	8389.87	4.38	6196.37	3.43
कम	4193.84	2.17	1988.30	शून्य
सामान्य	1133.91	शून्य	1545.76	शून्य
उच्च	24.22	शून्य	5.92	शून्य
उच्च ार	4.22	शून्य	0.80	शून्य
प्रि बंधि ा	0.00	शून्य	0.00	शून्य
उधार-इ ार	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	13746.06	6.55	9737.15	3.43

7.4 एकल उधारक र्ा सीमा (एसबीएल), समूह उधारक र्ा सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अ ि क्रमण किया है :

भार ीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्ष 2011 के लिए हमारे बैंक की ऋण नीि दस ावेज के श र्ों के अनुसार एकल उधारक र्ा उधार सीमा का अनुमेय स् ार रु 1758.15 करोड (पूंजी निधि का 15 %) है और समूह उधारक र्ा सीमा रु 4688.40 करोड़ (पूंजी निधि का 40 %) है। विदेशी शाखाओं के मामले में एसबीएल और जीबीएल में वृद्धि करके यूएसडी 40 मियो और यूएसडी 60 मियो किया है जो 11.12.2010 से प्रभावी है।

(Rs. in Crore)

Particulars	2010-11	2009-10
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	146.77	141.89
(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	0.42
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	207.08	314.71
Total Exposure to Capital market	**1724.54**	**1899.17**

7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs. in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2011	Provision held as at 31.3.2011	Exposure (net) as at 31.3.2010	Provision held as at 31.3.2010
Insignificant	8389.87	4.38	6196.37	3.43
Low	4193.84	2.17	1988.30	Nil
Moderate	1133.91	Nil	1545.76	Nil
High	24.22	Nil	5.92	Nil
Very High	4.22	Nil	0.80	Nil
Restricted	0.00	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	13746.06	6.55	9737.15	3.43

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2011, the permissible level of Single Borrower exposure ceiling is Rs. 1758.15 crore (15% of Capital funds) and Rs.4688.40 crore for Group Borrower limit (40% of Capital funds). SBL and GBL in case of overseas branches was enhanced to USD 40 Mio and USD 60 Mio respectively with effect from 11.12.2010.

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	उधारक र्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2011 तक के लिए बकाये की स्थिति
1.	एचडीएफसी लिमिटेड	1758.15	2000	From 15.11.10 to 05.12.10	11.12.10	2297
			2300	From 6.12.10	22.01.11	
2.	ग्लोबल सप्लाइस यूएई एफजेडई	89.19 (USD 20.00 Mio)	445.95 (USD100.00 Mio)	Since availment	15.11.10	317.94 (USD71.50 Mio)
3.	इंट्रा एशिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	89.19 (USD 20.00 Mio)	133.79 (USD 30.00 Mio)#	Since availment	27.09.10	178.34 (USD 39.99 Mio)#
4.	ग्लोबर मैट्रिक्स रिसोर्सेस प्रा. लिमिटेड	89.19 (USD20.00 Mio)	439.26 (USD 48.50 Mio)	Since availment	29.04.10	167.03 (USD 37.456 Mio)

शीर्षांकित उधारकर्ता को मंजूर की गई सीमा को यूएसडी 40 मियो तक 10-02-2011 के एमसीबी ज़रिए बढ़ाया गया है जो यूएसडी 40 मियो की परिशोधित एसबीएल के अंतर्गत है।

8. विविध

8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की रकम

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	418.22	45.94
निम्नतम वैकल्पिक कर (मैट) के लिए प्रावधान	472.03	250.74
मैट उधार पात्रता	(94 .03)	(250.74)

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण : शून्य

8.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(रु.करोड़ में)

लाभ व हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत "आकस्मिकताएँ व प्रावधान" का ब्रेकअप	2010-11	2009-10
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1.23	-120.02
एनपीए के प्रति प्रावधान	1033.62	919.46
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	65.97	6.01
आयकर (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किए गए प्रावधान	519.68	271.99
अन्य आमस्किताएँ व प्रावधान	167.59	60.22
कुल	1788.09	1137.66

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure ceiling	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.03.2011 Outstanding
1.	HDFC Ltd	1758.15	2000	From 15.11.10 to 05.12.10	11.12.10	2297
			2300	From 6.12.10	22.01.11	
2.	Global Supplies UAE FZE	89.19 (USD 20.00 Mio)	445.95 (USD100.00 Mio)	Since availment	15.11.10	317.94 (USD71.50 Mio)
3.	Intra Asia Trading Pte Ltd.	89.19 (USD 20.00 Mio)	133.79 (USD 30.00 Mio)#	Since availment	27.09.10	178.34 (USD 39.99 Mio)#
4.	Gold Matrix Resources Pte Ltd.	89.19 (USD20.00 Mio)	439.26 (USD 48.50 Mio)	Since availment	29.04.10	167.03 (USD 37.456 Mio)

Limits to the captioned borrower was enhanced to USD 40 Mio vide MCB sanction of 10.2.2011 and this sanction is within the revised SBL of USD 40 Mio.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Provision for Income Tax (net)	418.22	45.94
Provision for Minimum Alternate Tax (MAT)	472.03	250.74
MAT Credit Entitlement	(94 .03)	(250.74)

8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

NIL

8.3 Provisions and Contingencies – Break-up

(Rs. in Crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2010-11	2009-10
Provisions for depreciation on Investment	1.23	-120.02
Provision towards NPA	1033.62	919.46
Provision towards Standard Assets	65.97	6.01
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	519.68	271.99
Other Provision and Contingencies	167.59	60.22
TOTAL	1788.09	1137.66

8.4 अस्थायी प्रावधान

(रु.करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
क) अस्थायी प्रावधान खा ो में आरंभिक शेष	171.36	171.36
ख) लेखाकरण वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग) लेखांकन वर्ष के दौरान ड्रा डाउन रकम	शून्य	शून्य
घ) अस्थायी प्रावधान खा ो में समापन शेष	171.36	171.36

8.5 शिकाय ों का प्रकटीकरण

8.5.1 ग्राहकों की शिकाय ों

(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबि ा शिकाय ों की संख्या	120
(ख) वर्ष के दौरान प्राप् ा शिकाय ों की संख्या	2456
(ग) वर्ष के दौरान जिन शिकाय ों का निवारण किया गया उनकी संख्या	2420
(घ) वर्ष के अं ा में लंबि ा शिकाय ों की संख्या	156

8.5.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारि ा निर्णय

(क) वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वि ा न किए गए निर्णयों की संख्या	1
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारि ा निर्णयों की संख्या	शून्य
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वि ा निर्णयों की संख्या	शून्य
(घ) वर्ष के अं ा में कार्यान्वि ा न किए गए निर्णयों की संख्या	1

8.6 चुकौ ी आश्वासन-पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौ ी आश्वासन-पत्र	एक
31.03.2011 ाक बकाया आश्वासन-पत्र	दो
मूल्यांकि ा वि ीय प्रभाव	शून्य
संचयी मूल्यांकि ा वि ीय बाध्य ाएं	शून्य

8.4 Floating Provisions

(Rs. in Crore)

Particulars	2010-11	2009-10
(a) Opening balance in the floating provisions account	171.36	171.36
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d) Closing balance in the floating provisions account	171.36	171.36

8.5 Disclosure of complaints

8.5.1 Customer Complaints

(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	120
(b) No. of complaints received during the year	2456
(c) No. of complaints redressed during the year	2420
(d) No. of complaints pending at the end of the year	156

8.5.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0
(c) No. of Awards implemented during the year	0
(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

8.6 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	One
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2011	Two
Assessed financial impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने एक चुकौ ी आश्वासन पत्र (एलओसी) इस वचन के साथ जारी किया है कि वह अपनी बैंकाक शाखा के सम्बन्ध में 12% के न्यून ाम सीआरएआर को बनाए रखेगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में बैंक ने चुकौ ी आश्वासन पत्र जारी किया है। बैंक, अन्य जेवी पार्टनर्स के साथ इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया)बीएचडी को निधि प्रदान , कारोबार और अन्य विषयों में जब कभी जरूर ा पड ाी है ाे समर्थन देगा और अपने कारोबार के परिचालनों और प्रबंधन को चलाने में मलेशियन कानून, विनियमों और नी ियों की अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन करने का सुनिश्चि ा करेगा।

8.7 अप्र याभू ा अग्रिम

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
कुल रकम जिसके लिए अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस प्राधिकरण आदि जैसी अमू ा प्र ाभू ियाँ ली गयी हैं	1092.69	1292.01
इस प्रकार की अमू ा संपार्श्विक प्र ाभू ियों का अनुमानि ा मूल्य	3418.68	7218.87

8.8 बैंकएश्यूरन्स कारोबार

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2010 - 11	2009 - 10
1.	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	12.49	8.96
2.	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	6.13	3.89
3.	म्युचुअल फंड उ पादों को बेचने के लिए	0.36	0.45
4.	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	18.98	13.30

* बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार द्वारा प्रा ा शुल्क / पारिश्रमिक।

9 लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

I) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भार ाीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “कर्मचारी लाभ” संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधि ा) को अपनाया था।

ii) इस वर्ष के शुरूआ ा में कर्मचारी पेंशन के लिए अनभिज्ञ संक्रमण कालीन देय ाा का शेष रु.178 करोड़ है। दि. 31 03 2011 को समा ा चालू वर्ष के लिए रु.89 करोड़ की राशि लाभ व हानि

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch.

During the year 2010-11, the bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management.

8.7 Unsecured Advances

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licences authority, etc., has been taken	1092.69	1292.01
Estimated value of such intangible collateral	3418.68	7218.87

8.8 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

Sl. No	Nature of income²Ö	2010 - 11	2009 - 10
1.	For selling Life Insurance Policies	12.49	8.96
2.	For selling Non Life Insurance Policies	6.13	3.89
3.	For Selling Mutual Fund products	0.36	0.45
4.	Others (specify)	--	--
	Total	18.98	13.30

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

9.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) “Employees Benefits” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

खा ो को प्रभारि ा की गयी है। रु.89 करोड़ की शेष अनभिज्ञ देय ा को अगले वर्ष में भारि ा करने के लिए आगे ले जाया जा रहा है।

iii) लेखांकन मानक -15(परिशोधि ा) के अनुसार अपेक्षि ा लाभ व हानि खा ो और ुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उ ार लाभों व दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की सारांशग ा स्थि ि निम्नव ा है:

(क) परिभाषि ा लाभ योजनाएँ

बाध्य ाओं के व ्मान मूल्यों में परिव ्न

(रु.करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
वर्ष के आरंभ में बाध्य ाओं का व ्मान मूल्य	2049.47	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00
ब्याज लाग ा	155.08	136.79	36.40	39.26	20.00	18.48
व ्मान सेवा लाग ा	68.62	31.10	44.71	26.91	16.43	15.22
प्रद ा लाभ	(222.01)	(104.43)	(136.66)	(33.20)	(28.79)	(15.13)
बाध्य ाओं पर वास ्विक नुकसान / (लाभ)	26.56	276.11	155.42	(17.03)	13.41	(8.22)
वर्ष के अं ा में बाध्य ाओं का व ्मान मूल्य	3863.32	2049.47	869.45	523.28	285.40	264.35

ख) योजना आसि ा के उचि ा मूल्य में परिव ्न

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
वर्ष के आरंभ में योजना आसि ा का उचि ा मूल्य	1816.97	1709.90	676.06	507.34	0.00	0.00
योजना आसि ा पर प्र याशि ा लाभ	195.38	115.43	62.18	55.58	0.00	0.00
नियोक ा का अंशदान	1472.47	366.12	84.00	180.00	28.79	15.13
प्रद ा लाभ	(222.01)	(104.43)	(136.66)	(33.20)	(28.79)	(15.13)
बाध्य ाओं पर वास ्विक नुकसान / (लाभ)	(6.41)	(92.05)	(13.38)	(33.66)	0.00	0.00
वर्ष के अं ा में योजना आसि ा का उचि ा मूल्य	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
गैर निधीय संक्रमणकालीन देय ा	--	178.00	--	--	--	--

ii) The balance of unrecognised Transitional Liability on account of Employee Pension amounted to Rs.178 Crore at the beginning of this year. A sum of Rs.89 Crore has been charged to Profit & Loss Account of the current year ended 31.03.2011. The balance Unrecognized Liability of Rs.89 crore is being carried forward to be charged off in the next year.

iii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard–15 (Revised) are as under:

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Present Value of obligation as at the beginning of the year	2049.47	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00
Interest Cost	155.08	136.79	36.40	39.26	20.00	18.48
Current Service Cost	68.62	31.10	44.71	26.91	16.43	15.22
Benefits Paid	(222.01)	(104.43)	(136.66)	(33.20)	(28.79)	(15.13)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	26.56	276.11	155.42	(17.03)	13.41	(8.22)
Present Value of Obligation at year end	3863.32	2049.47	869.45	523.28	285.40	264.35

Change in Fair Value of Plan Asset

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1816.97	1709.90	676.06	507.34	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	195.38	115.43	62.18	55.58	0.00	0.00
Employer's contribution	1472.47	366.12	84.00	180.00	28.79	15.13
Benefit Paid	(222.01)	(104.43)	(136.66)	(33.20)	(28.79)	(15.13)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	(6.41)	(92.05)	(13.38)	(33.66)	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
Unfunded Transitional Liability	--	178.00	--	--	--	--

ग) ुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु.करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
वर्ष के अं ा में बाध्य ााओं का अनुमानि ा व ामान मूल्य	3863.32	2049.97	869.45	523.28	285.40	264.35
वर्ष के अं ा में योजना आसि ा का उचि ा मूल्य	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
अनिधिक निवल देय ाा	606.92*	232.50	197.25*	(141.46)	285.40	264.35

पेंशन और ग्रैच्युटी निधियों में निहि ा अ-निधीग ा निवल देय ाा को अगले चार वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधि ा किया जायेगा।

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु.करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
व ामान सेवा लाग ा	68.62	31.10	44.71	26.91	16.43	15.22
ब्याज लाग ा	155.08	136.79	36.40	39.26	20.00	18.48
योजना आसि ा पर अनुमानि ा लाभ	(195.38)	(115.43)	(62.18)	(55.58)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल वास ाविक (लाभ) / हानि	32.97	368.16	168.80	16.63	13.41	(8.22)
एएस 15 आर के अनुसार सीमा का प्रभाव	--	--	--	11.32	--	--
लाभ व हानि खा ो में पहचाने गए कुल व्यय	391.00	420.62	169.00	38.54	49.84	25.48
पेंशन हेतु द्वितीय विकल्प चुननेवालों से प्रा ा रकम पेंशन / पीएफ में से नियोक ाा का अंशदान	840.00	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-

च) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षि ा निवेश प्रि ाश ा ाा :

(रु.करोड़ में)

	पेंशन न्यास (%)		गैच्युटी न्यास (%)	
	2011	2010	2011	2010
क) ऋण लिखि ों केंद्र सरकार प्रि ाभूि ायाँ	9.39	18.68	8.80	18.88
राज्य सरकार प्रि ाभूि ायाँ	27.61	31.25	42.33	29.51
पीएसयू / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	41.49	40.92	42.70	38.51
अन्य निवेश	21.51	9.15	6.17	13.10
ख) ईक्विटी लिख ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	3863.32	2049.97	869.45	523.28	285.40	264.35
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
Un-funded Net Liability	606.92*	232.50	197.25*	(141.46)	285.40	264.35

* The un-funded net liability in Pension and Gratuity Funds, are to be amortised over a period of next 4 years.

Expenses Recognized in Profit & Loss

(Rs. in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Current Service Cost	68.62	31.10	44.71	26.91	16.43	15.22
Interest Cost	155.08	136.79	36.40	39.26	20.00	18.48
Expected return on Plan Asset	(195.38)	(115.43)	(62.18)	(55.58)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	32.97	368.16	168.80	16.63	13.41	(8.22)
Effect of limit as per AS15R	--	--	--	11.32	--	--
Total expenses recognized in Profit & Loss Account	391.00	420.62	169.00	38.54	49.84	25.48
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	840.00	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Rs. in Crore)

	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2011	2010	2011	2010
a) Debt Instruments Central Government Securities	9.39	18.68	8.80	18.88
State Government Securities	27.61	31.25	42.33	29.51
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	41.49	40.92	42.70	38.51
Other Investments	21.51	9.15	6.17	13.10
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

छ) ुलन-पत्र की ारीख ाक मूल वास ाविक अनुमान (भारि ा औस ा के रूप में अभिव्यक ा)

(रु.करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
बट्टा दर	8.50%	8.00%	8.29%	8.00%	8.29%	8.00%
योजना आसि ायों पर प्र याशि ा लाभ दर	9.10%	8.00%	9.57%	9.57%	0%	0%
वे ान वृद्धि की प्र याशि ा दर	3%	4%	3%	4%	3%	4%
अपनायी गयी प्रक्रिया	प्रक्षेपि ा इकाई उधार		प्रक्षेपि ा इकाई उधार		प्रक्षेपि ा इकाई उधार	

अनुभवग ा समंजन

(रु.करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
योजना आसि ायों पर अनुभवग ा समंजन (हानि) / लाभ	(6.41)	*	(13.38)	(33.66)	Nil	Nil
योजना देय ाओं पर अनुभवग ा समंजन (हानि) / लाभ	(219.39)	*	(207.58)	(21.67)	(30.54)	(9.30)

* पिछले वर्ष से संबंधि ा अनुभव समंजन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वास ाविक मूल्यांकन के ाह ा भावी वे ान वृद्धि के अनुमानों में, योजना आसि ायों पर वास ाविक लाभ, मुद्रास्फीि ा, वरीय ाा, पदोन्नि ा और अन्य संबंधि ा कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ि ा को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षि ा है ाो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

(Rs. in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Discount Rate	8.50%	8.00%	8.29%	8.00%	8.29%	8.00%
Expected rate of return on Plan Assets	9.10%	8.00%	9.57%	9.57%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	3%	4%	3%	4%	3%	4%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Experience Adjustments

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Experience adjustment on Plan Assets (Loss)/Gain	(6.41)	*	(13.38)	(33.66)	Nil	Nil
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(219.39)	*	(207.58)	(21.67)	(30.54)	(9.30)

* The information for experience adjustments for the previous year are not available.

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(ख) **परिकलनों के लिए किए गए वि ीय अनुमान निम्नव ा है**

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की ारीख (ुलन - पत्र दिनांकि ा 31.03.2011) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में ाय किया गया है ।

प्र याशि ा लाभ दर: पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में प्र याशि ा लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर ाय किया गया है। ग्रैच्युटी के संबंध में वास ाविक लाभ को लिया गया है ।

वे ान वृद्धि : ग ा डाटा के आधार पर ।

(ग) अगले वि ीय वर्ष में अपेक्षि ा अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वो ाम आकलन रु.90 करोड़ है (पिछले वर्ष -शून्य है)।

(घ) परिभाषि ा अंशदान योजना - भविष्य निधि के कारण होनेवाले अंशदान की राशि है रु.780.65 करोड़ (पिछले वर्ष - रु.716.16 करोड़) जिसमें से रु.763.08 करोड़ की रकम पेंशन के द्वि ाीय विकल्प हे ु भविष्य निधि से पेंशन निधि खा ो में स्थानां ारण की गयी है।

(b) **The financial assumptions considered for the calculations are as under:**

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet date 31.03.2011)

Expected Rate of Return: In case of Pension and Leave Encashment, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(c) Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.90 crore (Previous year – NIL).

(d) The contribution on account of Defined Contribution Scheme – Provident Fund Rs.780.65 crore (previous year Rs.716.16 crore), out of which an amount of Rs.763.08 crore has been transferred to Pension Fund from PF Fund on account of II option of pension.

9.2 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(Rs. in Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Revenue	3336.13	2892.04	5472.83	4862.74	3992.78	3269.72	498.37	350.84	13300.11	11375.34
Result	71.84	33.29	1113.03	901.06	1516.36	975.14	133.13	-78.36	2834.36	1831.13
Unallocated Income		-		-			-	-	26.46	13.68
Unallocated Expenses									0.19	0.19
Operating Profit/Loss									2860.63	1844.62
Income Taxes									519.68	271.99
Provisions & Contingencies									1186.24	783.50
Extraordinary profit / loss		-	-	-			-	-	-82.17	-82.17
Net Profit									1072.54	706.96
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	53667.30	41385.24	80580.09	52492.03	41024.36	33759.65	2026.62	2076.97	177298.37	129713.89
Unallocated Assets									1485.91	1377.74
Total assets									178784.28	131091.63
Segment Liabilities	50622.34	36982.33	76573.40	51131.13	40771.36	33523.92	844.47	1526.60	168811.57	123163.98
Unallocated Liabilities									647.77	403.07
Total Liabilities									169459.34	123567.05

9.2 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु.करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व	3336.13	2892.04	5472.83	4862.74	3992.78	3269.72	498.37	350.84	13300.11	11375.34
परिणाम	71.84	33.29	1113.03	901.06	1516.36	975.14	133.13	-78.36	2834.36	1831.13
अनाबंटित आय		-		-			-	-	26.46	13.68
अनाबंटित व्यय									0.19	0.19
परिचालनगत लाभ/हानि									2860.63	1844.62
आय कर									519.68	271.99
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									1186.24	783.50
असाधारण लाभ / हानि		-	-	-			-	-	-82.17	-82.17
निवल लाभ									1072.54	706.96
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	53667.30	41385.24	80580.09	52492.03	41024.36	33759.65	2026.62	2076.97	177298.37	129713.89
अनाबंटित आस्तियाँ									1485.91	1377.74
कुल आस्तियाँ									178784.28	131091.63
खण्डवार देयताएँ	50622.34	36982.33	76573.40	51131.13	40771.36	33523.92	844.47	1526.60	168811.57	123163.98
अनाबंटित देयताएं									647.77	403.07
कुल देयताएं									169459.34	123567.05

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु.करोड़ में)

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
राजस्व	12825.36	10928.21	501.21	460.81	13326.57	11389.02
आस्तियाँ	166353.49	121739.36	12430.79	9352.27	178784.28	131091.63

9.3 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1. मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2. सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्राम बैंक नीलाचल ग्राम्य बैंक
3. अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4. संयुक्त ा: नियंत्रि ा इकाई	इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.

5. प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* रकम (रु.) (2010-11)
1.	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	5,85,125
2.	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	12,37,503
3.	श्री ए.के.बंसल	कार्यपालक निदेशक	7,05,250
4.	श्री एस.ए.भट	भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	15,33,867
5.	श्री वाई.एल.मदान	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	7,34,508

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

9.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	2010-11	2009-10
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	1072.54	706.96
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	54,64,20,808	54,48,00,000
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs.19.63	Rs.12.98
प्रति ईक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

9.5 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूंकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है।

Part B - Geographic segments

(Rs. in Crore)

	Domestic		International		Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Revenue	12825.36	10928.21	501.21	460.81	13326.57	11389.02
Assets	166353.49	121739.36	12430.79	9352.27	178784.28	131091.63

9.3 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the bank

1	Parent	Indian Overseas Bank
2	Associates	Pandyan Grama Bank Neelachal Gamya Bank
3.	Subsidiaries	None
4.	Jointly controlled entity	India International Bank (Malaysia) Bhd.

5. Key Management Personnel

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2010-11)
1.	Shri. M. Narendra	Chairman & Managing Director	5,85,125
2.	Smt. Nupur Mitra	Executive Director	12,37,503
3.	Shri. A.K. Bansal	Executive Director	7,05,250
4.	Shri S.A. Bhat	Ex-Chairman & Managing Director	15,33,867
5.	Shri Y.L. Madan	Ex-Executive Director	7,34,508

*Remuneration includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

9.4 Accounting Standard 20 – Earning Per Share

Particulars	2010-11	2009-10
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. In Crore)	1072.54	706.96
Weighted Average Number of Equity Shares	54,64,20,808	54,48,00,000
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.19.63	Rs.12.98
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

9.5 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

9.6 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखा

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.101.09 करोड़ की आस्थगि ा कर देय ाा (पिछले वर्ष की आस्थगि ा कर आसि ा रही रु.225.70 करोड़) को हिसाब में लिया है। बैंक के पास रु.270.61 करोड़ की बकाया निवल आस्थगि ा कर देय ाा है (पिछले वर्ष की आस्थगि ा कर देय ाा रु. 169.12 करोड़ रही)। आस्थगि ा कर आसि ायों और देय ााओं का प्रमुख मदों में ब्रेकअप निम्नव ा दिया गया है:

	31.03.2011		31.03.2010	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		496.92		388.74
अचल आसि ायों पर मूल्यह्रास	6.21		7.46	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	148.95		138.41	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	9.89		9.23	
अन्य	61.26		64.52	
कुल	226.31	496.92	219.62	388.74
निवल डीटीए/डीटीएल		270.61		169.12

9.7 लेखांकन मानक 26 - अमू ी आसि ायां

बैंक में प्रयुक ा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को स्वयं ही ौयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसि ा हुआ है। अ ा: सॉफ्टवेयर की लाग ा बैंक के परिचालना मक व्यय जैसे वे ान आदि का अनिवार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खा ो के संबंधि ा व्यय शीर्षों में प्रभारि ा किया गया है।

9.8 लेखांकन मानक 27 - संयुक ा उद्यमों में हि ाों की वि ीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में बैंक खोलने के वास ो बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्र बैंक के साथ एक संयुक ा उद्यम पर हस ाक्षर किये हैं। बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक ा उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक ा उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद नाम से मलेशिया में स्थापि ा किया गया जिसकी कुल पूँजी है एमवाइआर 300 मियो। इसमें हमारे बैंक का हिस्सा है 35% यानि एमवाइआर 105 मियो। संयुक ा उद्यम के शुरुआ ाी खर्चों के प्रि ा हमारे बैंक ने एमवाइआर 10 प्रि ा शेयर के हिसाब से 14035 शेयरों को अब ाक सबस्क्राइब किया है जिसका कुल समेकन है एमवाइआर 140350 (भार ाीय रु. 0.21 करोड़)। इस संयुक ा उद्यम का परिचालन अ ाि शीघ्र शुरू हो जायेगा।

9.6 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Deferred Tax Liability of Rs.101.09 crore during the year (Previous year Deferred Tax Liability of Rs.225.70 crore). The Bank has outstanding net Deferred Tax Liability of Rs.270.61 crore (Previous year Deferred Tax Liability of Rs.169.12 crore). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

	31.03.2011		31.03.2010	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		496.92		388.74
Depreciation on Fixed Assets	6.21		7.46	
Provision for Employee Benefits	148.95		138.41	
Provision for Frauds	9.89		9.23	
Others	61.26		64.52	
Total	226.31	496.92	219.62	388.74
Net DTA / DTL		270.61		169.12

9.7 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

9.8 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Bank has signed a Joint Venture with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a bank in Malaysia. Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, has issued the licence to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture has been incorporated at Malaysia on 13.08.2010 in the name of INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD, with a total capital of MYR 300 Mio, Our bank share is 35% - MYR 105 Mio. Our bank has so far subscribed to 14035 shares of MYR 10 each towards preliminary expenses of the Joint Venture aggregating to MYR140350 (INR0.21 crore). The Joint Venture is expected to commence operations shortly.

9.9 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्तियाँ" माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 के जरिए परिभाषित अनुसार "नकद सृजन इकाइयाँ" नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति का कोई हानिकरण नहीं है।

9.10 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

10. जमाओं, अग्रिमों, ऋण जोख़िमों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

10.1 जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	16740	14125
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	11.53	12.75

10.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	23359	9057
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	20.53%	11.21%

10.3 ऋण जोखिमों का केन्द्रीकरण

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण सम्बन्धी कुल जोखिम	23889	16727
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋणों के कुल जोखिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण सम्बन्धी जोखिमों का प्रतिशत	14.34%	14. 08 %

10.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु.करोड़ में)

	2010 - 11	2009 - 10
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल ऋण जोखिम	307.41	660.48

9.9 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.10 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

10 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

10.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Total Deposits of twenty largest depositors	16740	14125
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the bank	11.53	12.75

10.2 Concentration of Advances

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Total Advances to twenty largest borrowers	23359	9057
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	20.53%	11.21%

10.3 Concentration of Exposures

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	23889	16727
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	14.34%	14. 08 %

10.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

	2010 - 11	2009 - 10
Total Exposure to top four NPA accounts	307.41	660.48

10.5 प्रवर्ग-वार अनर्जक आस्ति ायाँ

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्ति ायों का प्रतिशत	
		2010 - 11	2009 - 10
1	कृषि व सम्बन्धि ा गति विधियाँ	2.78	1.33
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम व बड़े)	3.45	5.99
3	सेवाएँ	1.94	4.20
4	वैयक्ति ाक ऋण	2.01	3.37

10.6 अनर्जक आस्ति ायों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2010 - 11	2009 - 10
01 अप्रैल 2010 तक सकल अनर्जक आस्ति ायाँ (प्रारंभिक शेष)	3611.08	1923.41
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्ति ायाँ)	2169.26	3126.83
उप-योग (अ)	5780.34	5050.24
घटाएँ :		
i. उन्नयन	688.33	547.82
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खा ाों में से की गई वसूलियों को छोडकर)	1031.90	502.78
iii. बट्टे खा ो में डाली गई रकम	970.52	388.56
उप-योग (आ)	2690.75	1439.16
31-03-2011 के लिए सकल अनर्जक आस्ति ायाँ (समापन शेष) (अ-आ)	3089.59	3611.08

10.7 विदेशी आस्ति ायाँ, अनर्जक आस्ति ायाँ और राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	2010 - 11	2009 - 10
कुल आस्ति ायाँ	12430.79	9352.27
कुल अनर्जक आस्ति ायाँ	296.16	169.41
कुल राजस्व	501.21	460.81

10.8 तुलन पत्र इ ार प्रायोजि ा एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकि ा किया जाना अपेक्षि ा है)

प्रायोजि ा एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य

11 तुलना मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहि ा/पुनर्व्यवस्थि ा किया गया।

10.5 SECTOR-WISE NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		2010 - 11	2009 - 10
1	Agriculture & allied activities	2.78	1.33
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.45	5.99
3	Services	1.94	4.20
4	Personal Loans	2.01	3.37

10.6 MOVEMENT OF NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
Gross NPAs as on 1st April 2010 (Opening Balance)	3611.08	1923.41
Additions (Fresh NPAs) during the year	2169.26	3126.83
Sub - total (A)	5780.34	5050.24
Less: -		
(i) Up gradations	688.33	547.82
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1031.90	502.78
(iii) Write-offs	970.52	388.56
Sub - total (B)	2690.75	1439.16
Gross NPAs as on 31.0 3.2011 (Closing Balance) (A - B)	3089.59	3611.08

10.7 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2010 - 11	2009 - 10
Total Assets	12430.79	9352.27
Total NPAs	296.16	169.41
Total Revenue	501.21	460.81

10.8 OFF-BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (WHICH ARE REQUIRED TO BE CONSOLIDATED AS PER ACCOUNTING NORMS)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

11 Comparative Figures:

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

नकद प्रवाह विवरण

31-03-2011 को समाप ा वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु. '000 में)

	31.3.2011 को समाप ा वर्ष		31.3.2010 को समाप ा वर्ष	
परिचालनग ा ग ाविधियों से नकद प्रवाह				
निवल लाभ		**1072 54 27**		**7 06 96 15**
निम्नव ा के लिए समायोजन				
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	52 99 61		1 14 47 33	
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	52 92 13		53 33 17	
निय ा आसि ायों पर मूल्यह्रास	105 00 10		1 11 75 94	
आसि ायों की बिक्री पर लाभ / हानि	(1 02 25)		(1 60 74)	
आसि ायों / अनुबंधों का पुनर्मूल्यांकन	(2 02 61)		(28 70 12)	
करों के लिए प्रावधान	519 68 49		2 71 99 81	
अनर्जक आसि ायों के लिए प्रावधान	10 33 61 76		9 19 45 61	
मानक आसि ायों के लिए प्रावधान	65 97 03		6 00 87	
निवेशों पर मूल्य ह्रास	4 12 18		(1 20 01 99)	
अन्य मदों के लिए प्रावधान	1 64 69 58		60 21 60	
टायर II पूँजी पर प्रद ा ब्याज	4 78 45 49		3 93 19 13	
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	3 44 34 04 01		1 06 78 82 15	
उधारों में वृद्धि / (ह्रास)	84 06 20 27		(24 37 38 05)	
अन्य देय ााओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	(8 39 50 79)		(5 62 18 53)	
निवेशों में वृद्धि / (ह्रास)	(110 65 80 87)		(66 02 92 88)	
अग्रिमों में वृद्धि / (ह्रास)	(3 28 33 81 82)		(41 18 65 31)	
अन्य आसि ायों में वृद्धि / (ह्रास)	(11 40 87 24)		(1 85 66 62)	
प्रद ा प्र यक्ष कर	(5 34 27 00)		(4 69 27 00)	
परिचालनग ा ग ाविधियों से निवल नकद प्रवाह (ए)	'	**(27 07 66)**		**(12 10 19 48)**
निवेश संबंधी ग ाविधियों से नकद प्रवाह				
i) निय ा आसि ायों की बिक्री / निपटारा	11 75 02		20 94 69	
ii) निय ा आसि ायों की खरीद	(1 10 85 40)		(1 52 99 69)	
निवेश संबंधी ग ाविधियों से निवल नकद (बी)		**(99 10 38)**		**(1 32 05 00)**
वि ापोषण ग ाविधियों से नकद प्रवाह				
i) ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम	10 53 99 99		0	
ii) टायर I व टायर II बाँडों से धनागम		**19 67 00 00**	11 00 00 00	
iii) टायर II बाँडों का प्र ादान	0		(1 75 00 00)	
iv) टायर II पूँजी पर प्रद ा ब्याज	(4 78 45 49)		(3 93 19 13)	
v) प्रद ा लाभांश	(2 22 34 96)		(2 86 82 49)	
वि ापोषण ग ाविधियों से निवल नकद (सी)		**23 20 19 54**		**2 44 98 38**
नकद में निवल वृद्धि व नकद सम ाुल्य (ए+बी +सी)		**21 94 01 50**		**(10 97 26 10)**

वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद सम ुल्य				
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष	76 66 44 72		59 40 44 42	
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य	21 58 19 35	**98 24 64 07**	49 81 45 75	**1 09 21 90 17**
वर्ष के अं ा में नकद व नकद सम ुल्य				
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष	1 00 10 89 43		76 66 44 72	
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य	20 07 76 14	**1 20 18 65 57**	21 58 19 35	**98 24 64 07**
नकद में निवल वृद्धि व नकद सम ुल्य		**21 94 01 50**		**(10 97 26 10)**

नोट : अप्रद ा लाभांश खा ो के ाह ा नकद व नकद सम ुल्यों में रु.11.77 करोड़ (पिछले वर्ष रु.9.96 करोड़) की राशि शामिल है जो ुरं ा उपयोग हे ु उपलब्ध नहीं है।

जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया वहाँ पिछले साल के आँकडों को पुनर्समूहि ा / पुनर्व्यवस्थि ा किया गया है।

बी.एस.केशवमूर् ि
महा प्रबंधक

एम नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, अधोहस् ाारक ार्ा-गण, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31/03/2011 को समाप् ा वर्ष के लिए बैंक के उक् ा नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है । यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधि ा ुलन-पत्र और लाभ व हानि खा ो जो कि भार ा के राष्ट्रप ि ा को उसी ि ाथि पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरि ा है, के अनुसार व उस पर आधारि ा है ।

वर्मा ऐण्ड वर्मा

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन् ाानम

भास्करन ऐण्ड रमेश

एम.भास्कर राव ऐण्ड कंपनी

मित्तल गुप् ाा ऐण्ड कंपनी

एस आर मोहन ऐण्ड कंपनी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 02. 05. 2011

INDIAN OVERSEAS BANK

Cash Flow Statement

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2011

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2011		Year ended 31.03.2010	
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Net Profit		**1072 54 27**		**7 06 96 15**
Adjustments for :				
Amortisation of HTM Investments	52 99 61		1 14 47 33	
Loss on Revaluation of Investments	52 92 13		53 33 17	
Depreciation on Fixed Assets	105 00 10		1 11 75 94	
Profit / Loss on Sale of Assets	(1 02 25)		(1 60 74)	
Revaluation of Assets / Contracts	(2 02 61)		(28 70 12)	
Provision for taxes	519 68 49		2 71 99 81	
Provision for NPAs	10 33 61 76		9 19 45 61	
Provision for Standard Assets	65 97 03		6 00 87	
Depreciation on Investments	4 12 18		(1 20 01 99)	
Provision for Other Items	1 64 69 58		60 21 60	
Interest Paid on Tier II Capital	4 78 45 49		3 93 19 13	
Increase / (Decrease) in Deposits	3 44 34 04 01		1 06 78 82 15	
Increase / (Decrease) in Borrowings	84 06 20 27		(24 37 38 05)	
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(8 39 50 79)		(5 62 18 53)	
(Increase) / Decrease in Investments	(110 65 80 87)		(66 02 92 88)	
(Increase) / Decrease in Advances	(3 28 33 81 82)		(41 18 65 31)	
(Increase) / Decrease in Other Assets	(11 40 87 24)		(1 85 66 62)	
Direct Taxes Paid	(5 34 27 00)		(4 69 27 00)	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**(27 07 66)**		**(12 10 19 48)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
i) Sale / disposal of Fixed Assets	11 75 02		20 94 69	
ii) Purchase of Fixed Assets	(1 10 85 40)		(1 52 99 69)	
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		**(99 10 38)**		**(1 32 05 00)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
i) Proceeds of Equity Share Issue	10 53 99 99		0	
ii) Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	**19 67 00 00**		11 00 00 00	
iii) Redemption of Tier II Bonds	0		(1 75 00 00)	
iv) Interest Paid on Tier II Capital	(4 78 45 49)		(3 93 19 13)	
v) Dividend Paid	(2 22 34 96)		(2 86 82 49)	
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		**23 20 19 54**		**2 44 98 38**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)		**21 94 01 50**		**(10 97 26 10)**

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash & Balances with RBI	76 66 44 72		59 40 44 42	
Balances with Banks & Money at Call	21 58 19 35	**98 24 64 07**	49 81 45 75	**1 09 21 90 17**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash & Balances with RBI	1 00 10 89 43		76 66 44 72	
Balances with Banks & Money at Call	20 07 76 14	**1 20 18 65 57**	21 58 19 35	**98 24 64 07**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		**21 94 01 50**		**(10 97 26 10)**

Note :- Cash and Cash Equivalents includes Rs 11.77 crores (Previous year Rs 9.96 crores) under Unpaid Dividend Account which is not available for immediate use.

Previous year's figures have been re-grouped / re-arranged , wherever considered necessary.

B S Keshava Murthy
General Manager

M Narendra
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2011 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

Varma & Varma **PKF Sridhar & Santhanam** **Bhaskaran & Ramesh**

M Bhaskara Rao & Co **Mittal Gupta & Co** **S R Mohan & Co**

Place:Chennai
Date : 02.05.2011

अ ारिक ा प्रकटीकरण

भार ीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स् ाम्भ III की अपेक्षाओं के ह ा दिनांक 27-04-2007 की नई पूंजी पर्याप् ा ा रूपरेखा (बेसल II) के ह ा निर्धारि ा प्रारूप के अनुसार निम्नलिखि ा प्रकटीकरण किए जा े हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम उठाना बैंकिंग कारोबार का एक अटूट हिस्सा है । विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर े समय अपनी ग ाविधियों में बैंक अपनी जोखिम क्षम ा के आधार पर कई प्रकार के जोखिम ले े हैं। सामान्य कारोबार के दौरान बैंक को इस प्रकार के उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालना मक जोखिम जैसे जोखिम उठाना पड़ ा है। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबन्धन उपाय और पद्ध ियाँ ैयार की हैं जिनमें नी ियां, साधन, कनीक, प्रबोधन ंत्र और प्रबन्धन सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक निरं र आधार पर जोखिम और प्र िलाभ के बीच उपयुक ा ालमेल प्राप् ा करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिक म करने और बढ़ाने का लक्ष्य रख ा है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचि ा पहचान, उसे मापना, प्रबोधन, नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ाकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्र िपादि ा किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनी ि जोखिमों की स्पष्ट समझ और जोखिम की वहन क्षम ा के स् ार पर आधारि ा है। बैंक की जोखिम वहन क्षम ा जोखिम प्रबंधन से संबंधि ा विभिन्न नी ियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शि ा हो े हैं।

बैंक ने उपयुक ा जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापि ा कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समि ि, जोखिम प्रबंधन समि ि गठि ा की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उ रदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबन्धन के लिए ऋण नी ि समि ि (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबन्धन के लिए आस्ि ा देय ा प्रबंधन समि ि (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समि ि के नाम से आं ारिक जोखिम प्रबंधन समि ियाँ भी गठि ा की हैं।

बैंक में उ कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के उत्तम कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यर ा है जो कारोबार विभागों से अलग है। बैंक के महा प्रबंधक की श्रेणी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उ रदायी हैं। इसके अ िरिक ा ट्रेजरी (देशीय) और ट्रेजरी (विदेशी) और उधार समर्थन सेवा विभाग भी जोखिम प्रबंधन कार्य कर े हैं जो नी ियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा फ्रेमवर्क और आन ारिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Mumbai, under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007 under Pillar III requirement, the following disclosures are made as per the specified Formats:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank.Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for managing operational risk.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank. In addition, the Mid-Office in Treasury (Domestic) and Treasury (Foreign) and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies,

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्ा ा रूपरेखा (बेसल II) को कार्यान्वि ा की है और भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में ैयार रूपरेखा के अनुसार इसका अनुपालन किया गया है। बेसल II फ्रेमवर्क ीन परस्पर पुनर्बलि ा स ाम्भों पर आधारि ा है। परिशोधि ा फ्रेमवर्क का पहला स ाम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यून ाम पूंजी आवश्यक ाा का समाधान कर ाा है ाो पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा स ाम्भ सुनिश्चि ा कर ाा है कि अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार से जुडे सभी प्रकार के जोखिमों को संभालने के लिए बैंक के पास यथेष्ट पूंजी है। भार ाीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षा अनुसार बैंक ने आं ारिक पूँजी पर्याप्ा ाा आकलन पक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा नीि ा को ैयार किया है ाकि दूसरे स ांभ की आवश्यक ााओं को पूरा किया जा सके। इस नीि ा का उद्देश्य प्रथम स ांभ के जोखिमों ाह ा विनियामक निर्धारणों से अधिक व ऊपर के उन सभी भौि ाक जोखिमों का मूल्यांकन करना है जो बैंक को उठाने पड़ सक ो हैं और स ाा आधार पर आवश्यक ााओं को पूरा करने के लिए पर्याप्ा पूंजी संरचना सुनिश्चि ा करना है।

बैंक ने भार ाीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप “ ानाव जांच संबंधी रूपरेखा'' ैयार की है जिससे अपवादस्वरूप किन ाु संभाव्य घटनाओं के प्रि ा संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिि ा का प ाा लगाया जा सके। ानाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष ा: बैंक के भौि ाक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहि ा संभावि ा जोखिम की पहचान करने और ादनुसार इसका निराकरण करने के लिए उचि ा उपाय करने में सहायक हो ाा है। नीि ागि ा उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के ाुलन-पत्र पर विभिन्न ानाव परीक्षण कर ाा है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्टें प्रस् ाु ा कर ाा है।

बेसल II फ्रेमवर्क का ाीसरा स ाम्भ बाजार अनुशासन से संबंधि ा है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य, स ाम्भ 1 के ाह ा उल्लिखि ा न्यून ाम पूंजी आवश्यक ाा और स ाम्भ 2 के ाह ा उल्लिखि ा पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भार ाीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में ाालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रा ामक व गुणा ामक दोनों) का एक सेट प्रकाशि ा किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स ार आदि के बारे में मह ावपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गुंजाइश (डीएफ-1), (2) पूंजी संरचना (डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्ा ाा (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम : पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बश ार्ो कि मानकीकृ ा दृष्टिकोण (डीएफ-5) (6) उधार जोखिम कम करना : मानकीकृ ा दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रि ाभूि ाकरण: मानकीकृ ा दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) और (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्ा होगी।

risk limit framework and internal approvals.

The bank has implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a “Stress Testing framework” in line with the RBI guidelines to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and place the reports to ALCO / RMCB / Board.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (1) Scope of application (DF-1), (2) Capital Structure (DF-2), (3)Capital Adequacy (DF-3), (4) Credit Risk: General Disclosures (DF-4), (5) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (6) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (7) Securitisation: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (8) Market Risk in Trading Book (DF-8), (9) Operational Risk (DF-9), and (10) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10) etc. This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

ालिका डीएफ-1
लागू करने की गुंजाइश

गुणा मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर प्रयोज्य ा
क.	जिस समूह पर फ्रेमवर्क लागू हो ी है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी समूह से संबंध नहीं रख ा
ख.	समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप् ा विवरण सहि ा, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन् ार की रूपरेखा (i) जो पूरी रह समेकि ा हैं (ii) जो समानुपा िक रूप से समेकि ा हैं (iii) जिनमें कटौ ी की गई है (iv) जिन्हें समेकि ा नहीं किया गया है न ही कटौ ी की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारि ा है)	लागू नहीं

मात्रा मक प्रकटीकरण

क.	सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौ ी की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं
	बीमा इकाइयों में बैंक के कुल हि ा की औस ा रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारि ा हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामि व हि ा का अंश और यदि कोई भिन्न है ाो इन इकाइयों में म ाधिकार का हिस्सा। इसके अ ािरिक् ा,इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौ ी का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रा मक प्रभाव दर्शाएं।	यूनिवसर्ल सोंपो जेनेरल इन्स्योरेंस कं लि सबस्क्रिप्शन के ज़रिए रु 28.50 करोड, जो कि उसकी कुल निर्गमि ा पूंजी का 19% है ।

TABLE DF –1
SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures		Applicability to our Bank
a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable

Quantitative Disclosures

a)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs.28.50crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co.Ltd., representing 19% of its total issued capital.

ाालिका डीएफ-2
पूंजी संरचना

गुणा मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्य ाा
क. सभी पूंजी लिख ाों की विशेष ााओं की श ार्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेष ा: टायर 1 या उच्च ार टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिख ाों के मामले में हमारे बैंक पर प्रयोज्य ाा	बैंक पर लागू है चूंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यक ाा को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।

मात्रा मक प्रकटीकरण

ख. निम्नलिखि ा के अलग से प्रकटीकरण सहि ा टायर 1 पूंजी की रकम:	रु 8555.12 करोड
● प्रद ा शेयर पूंजी	रु.618.75 करोड़
● आरक्षि ायां	रु.7313.55करोड़
● नवोन्मेषी लिख ा (टायर 1पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	रु.780.00 करोड (वर्ष के दौरान उठाई गई राशि) शून्य
● अन्य पूंजी लिख ाें	
● टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	रु.157.18 करोड़
ग. टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौ ायों का निवल)	रु.6700.78 करोड़
घ. उच्च ार टायर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिख ाें	
कुल बकाया रकम	रु.2632.30 करोड़
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान ली गई रकम	रु.967.00 करोड़
पूंजीग ा निधियों के रूप में परिकलन हे ाु पात्र रकम	रु.2632.30 करोड़
च. निम्न ार टायर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	रु 3426.00 करोड
कुल बकाया रकम	रु.1000.00 करोड़
इसमें से चालू वर्ष के दौरान ली गई रकम	रु.3060.00करोड़
पूंजीग ा निधियों के रूप में परिकलन हे ाु पात्र रकम	रु.55.00करोड़

Table DF – 2
CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time

Quantitative Disclosures

b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	Rs.8555.12 crore
● paid up share capital	Rs.618.75 crore
● reserves	Rs.7313.55 crore
● innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	Rs.780.00 crore (raised during the year – Nil)
● other capital instruments	Nil
● amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Rs.157.18 crore
c) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs.6700.78 crore
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
Total amount outstanding	Rs.2632.30 crore
Of which amount raised during the current year	Rs.967.00 crore
Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs.2632.30 crore
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	Rs.3426.00 crore
Total amount outstanding	Rs.1000.00 crore
Of which amount raised during the current year	Rs.3060.00 crore
Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs.55.00 crore

छ. पूंजी में से अन्य कटौ ियाँ, यदि हो	रु.15255.90 करोड़
कुल पात्र पूंजी	

ािलका डीएफ-3

पूंजी पर्याप् ा ा

गुणा मक प्रकटीकरण

व ामान और भविष्यग ा ग ाविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी पूंजी की पर्याप् ा ा का आकलन करने के लिए बैंक के रुख की सारांशग ा चर्चा:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समि ा (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप् ा ा फ्रेमवर्क (बेसल I) और भार ािय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भार ा के बैंकों ने पूंजी पर्याप् ा ा उपाय कार्यान्वि ा किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबू ा करने और साथ ही पूंजी पर्याप् ा ा बनाए रखने के मामले में अन् ारराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए था जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधि ा किया गया। भार ािय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संग ा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को "पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन् ारराष्ट्रीय सम्परिव ान, एक परिशोधि ा फ्रेमवर्क" जारी किया। व्यापारिक ग ाविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के व्यवहार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में परिशोधि ा फ्रेमवर्क को अद्य ान किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपां ार को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन् ारराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन् ार ा ाथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भार ािय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देश जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप् ा ा (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भार ािय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधि ा (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इसके अ ािरिक् ा भार ािय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने निर्धारि ा रिपोर्टिंग प्रारूप के जरिए बेसल - I फ्रेमवर्क का प्रयोग जारी रखा है। भार ािय रिज़र्व बैंक ने और आगे सूचना मिलने ाक समानां ार चालन और विवेकपूर्ण मानक को 31 मार्च 2013 ाक जारी रखने हे ाु दिनांकि ा 31 दिसबर 2010 के परिपत्र के जरिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक ने इन दिशानिर्देशों का पूर्ण ा: अनुपालन किया है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान कर ा है। यह फ्रेमवर्क बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वि ािय बाजार केलिए उपयुक्त दुष्टिकोण चुनने की अनुमति प्रदान करता है। बैंक ने पूंजी

f) Other deductions from capital, if any	Rs.15255.90 crore
Total eligible capital	

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through prescribed reporting formats. The RBI has issued directions vide their circular dated 31st Dec. 2010 that parallel run will continue till 31st March 2013. The Bank is in full compliance with these guidelines.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and

का परिकलन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण जोखिम के लिए मानक उपागम, बाजार जोखिम के लिए मानक मापन विधि (एसएमएम) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है । इस संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 31.03.2011 को ऋण बाजार व परिचालन जोखिम के लिए पूँजी का अनुरक्षण करता है ।

बैंक ने संबंधि ा डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारि ा दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन किया है। मानकीकृ ा दृष्टिकोण के ह ा उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारि ा पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारक ावार डाटा को लिया है। कुछ प्रकार के ऋणों जैसे कृषि ऋण, आभूषण ऋण, लघु ऋण, मियादी जमाओं के प्र ि ऋण, स्टाफ ऋण आदि के लिए, जहां सभी खा े समान प्रकृ ि के हों (या ो समान रूप से प्र िभू ा या फिर समान रूप से अप्र िभू ा), एक समेकि ा पद्ध ि का प्रयोग किया जा ा है जिसके द्वारा पूंजीग ा आकलन की गुणव ा को प्रभावि ा किए बिना उधार जोखिम के लिए पूंजी का संगणन करने हे ु प्र येक प्रकार के ऋण के लिए समेकि ा स्थि ि को आधार बनाया जा ा है। अन्य सभी रह के ऋण प्रकारों में उधार जोखिम पूंजी का संगणन या ो उधारक ा के आधार पर या फिर सुविधा के प्रकार के आधार पर किया जा ा है जैसा कि आर बी आइ के दिशानिर्देशों के ह ा सूचि ा प्रवर्गीकरण के अनुसार हो ा है। इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मि ा सॉफ्टवेयर ैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन कर ा है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों था केन्द्रीय कार्यालय स र पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन कर ा है। पूंजी संगणन में आंकडों की सटीक ा और पर्याप ा ा सुनिश्चि ा करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वयकों के साथ बारीकी से इसका अनुव न किया जा ा है।

सामान्य ा: बैंक उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई रह के उपाय कर े हैं। बैंक ने पूंजी राह ा प्राप ा करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम घटाने का प्रयोग किया है। संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम परिसीमन विषयक एक सुगठि ा नी ि को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदि ा करवाकर अमल में रखा गया है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारि ा आस ियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारि ा आस ि अनुपा ा के प्र ि पूंजी (सीआरएआर) परिकलि ा करने के लिए बैंक ने भार ीय रिज़र्व बैंक के व मान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भार ीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस ावेजों में निर्धारि ा 8% की ुलना में निरन ार रूप से 9% के जोखिम भारि ा आस ि अनुपा ा (सीआरएआर) के प्र ि न्यून ाम पूंजी अनुपा ा रखने के लिए निय ा कर ा है। भार ीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारि ा कर ा है कि 31.03.2011 क उधार और बाज़ार

financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. As such, the Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk as on 31.3.2011, in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Regional Offices and Central Office of the bank. For some of the loan types such as Agriculture Loans, Jewel Loans, Small loans, Loans against Term deposits, staff loans etc where all the accounts are of similar nature (either similarly secured or similarly unsecured) a consolidated approach is used whereby the aggregated position for each type of loan is taken for computation of capital for credit risk, without affecting the quality of the capital assessment. In all other loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document. RBI has also prescribed Prudential Floor at 80% of minimum capital requirements computed as

जोखिमों के लिए बेसल I फ्रेमवर्क के मु ाबिक परिकलि ा न्यून ाम पूँजी अपेक्षाओं का 80% पर विवेकपूर्ण स् ार हो। भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अ ािरिक्ा रूप से 31 मार्च 2010 ाक या इसके पहले 6% का न्यून ाम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण कर ाा है। इन निर्धारणों के प्रि ा बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 14.55 और 8.16 पर है जो भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा न्यून ाम स् ार से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधि ा फेमवर्क के स् ाम्भ 2 आवश्यक ााओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधि ा जोखिम कारकों को ध्यान में रख ो हुए बैंक ने आन् ारिक पूंजी पर्याप् ाा मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)पर नीि ा और फ्रेमवर्क ैयार किया है। नीि ा ैयार कर ो समय बैंक ने भार ाीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारि ा अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ ाक भविष्यग ा ग ाविधियों को अनजाम देने के लिए पूँजी पर्याप् ाा की बा ा है, वहाँ बैंक कारोबार की भविष्यग ा वृद्धि को ध्यान में ले ो हुए पूँजीग ा अपेक्षाओं का आवधिक मूल्यांकन कर ाा है। बैंक द्वारा अनुरक्षि ा अ ािरिक्ा सीआरएआर भविष्यग ा ग ाविधियों को पूरा करने के लिए बफर का काम कर ाा है। साथ ही टायर I और टायर II पूंजी संघटकों में बैंक के पास उपलब्ध छूट भविष्यग ा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अ ािरिक्ा पूँजी समर्थन प्रदान कर ाा है। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा जा ाा है।

ाालिका डीएफ 3

मात्रा मक प्रकटीकरण

(रु करोडों में)

ख) उधार जोखिम के लिए पूंजीग ा अपेक्षाएं
मानकीकृत दृष्टिकोण

मानकीकृ ा पद्धि ा की श ार् पर पोर्टफोलिया	8202.73
प्रतिभूतिकरण एक्सपोशर	0.00
कुल	**8202.73**

ग) बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीग ा अपेक्षाएं
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

ब्याज दर जोखिम	432.01
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहि ा)	6.40
ईक्विटी जोखिम	224.91
कुल	**663.32**

घ) परिचालनग ा जोखिम के लिए पूंजीग ा अपेक्षाएं
मूल संकेतक दृष्टिकोण

परिचालनग ा जोखिम	573.24

च) बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपा ा

कुल सीआरएआर	14.55
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण आधार के प्रयोजन की श ार् पर)	14.55
टायर 1 सी आर ए आर	8.16

per Basel-I Framework for Credit and Market risks as on 31.3.2011.The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 6% on or before March 31, 2010. Against this, the Bank's total CRAR and Tier-1 CRAR stand at 14.55 and 8.16 respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The Bank has put in place the policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs.Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

Table DF – 3

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

b) Capital requirements for credit risk: Standardised Approach

Portfolios subject to standardised approach	**8202.73**
Securitisation exposures	**0.00**
Total	**8202.73**

c) Capital requirements for market risk: Standardised Duration Approach

Interest rate risk	**432.01**
Foreign Exchange risk (including gold)	**6.40**
Equity risk	**224.91**
Total	**663.32**

d) Capital requirements for operational risk Basic indicator approach

Operational Risk	**573.24**

e) Total Capital Ratio for the Bank

Total CRAR	14.55
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	14.55
Tier 1 CRAR	8.16

ालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणा मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम

उधार जोखिम का ा पर्य उधारक ाओं या प्रा िपक्षियों की ऋण गुणव ा में ह्रास सहि ा शामिल हानियों की संभावना से है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांश ा: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उ पन्न हो ा है, क्योंकि उधारक ा ऋणदा ा के प्रा ि अपनी वि ीय बाध्य ाओं को पूरा नहीं कर पा ा। यह उधारक ा या प्रा िपक्षियों की उधार गुणव ा / साख में संभाव्य परिव र्नों से उ पन्न हो ा है। उधार जोखिम में काऊंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्र येक उधारक ा और पोर्टफोलियो स् ार पर जोखिम के निरन् ार प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन कर ा है। बैंक में मजबू ा आं ारिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापि ा मानकीकृ ा उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उ प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक के प्रस् ाव में निहि ा गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक हो ी है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस् ाव की स्वीकार्य ा पर विचार करने में बैंक की सहाय ा कर ी है।

संभावना और कवरेज की व्यापक ा को और अधिक बढाने के उद्देश्य से बैंक अपने द्वारा प्रयुक् ा रेटिंग साफ्टवेयर के उन्नयन की प्रक्रिया मे फिलहाल लिप् ा है जिसके कारण बैंक को भविष्य मे बेसल II के फ्रेमवर्क की नवीन ाम पद्ध ियों की ओर पदार्पण करने में मदद मिलेगी

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणा मक और मात्रा मक, उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वि ीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि से संबंधि ा आं ारिक रेटिंग के कारक हैं। उद्योग जोखिम विषयक यह आँकडें बाजार की परिस्थि ियों के आधार पर नियमि ा रूप से अद्य ान किये जा े हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी रह अन् ार्निहि ा हो गया है। मजबू ा उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टायर प्रणाली कार्यान्वि ा की है जिसमें निर्धारि ा स् ारों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्च ार दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारक ाओं के लिए बिना किसी पक्षपा ा के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्व ां त्र रूप से किया जा ा है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस् ावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा ा है। बैंक उधार खा ों पर

Table DF-4

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative Disclosures

Credit Risk

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also include counterparty risk and country risk.

Credit Rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

In order to widen the scope and coverage further, the bank is presently in the process of upgrading the rating software used by the bank, which would facilitate the bank to migrate towards advanced approaches of the Basel II framework in future.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's central office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The Bank uses credit rating for deciding

ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए उधार रेटिंग का प्रयोग कर ा है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस् ावों का प्रवर्गीकरण किया जा ा है और अर्थपूर्ण ुलना की जा सक ी है।

बैंक ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषि ा बहु स् ारीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण कर ा है। नए / संवर्धि ा प्रस् ावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स् ारों पर अनुमोदन ग्रिड गठि ा किया गया है। बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उ पादों के अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस् ु ा करने के पहले उनमें निहि ा प्रक्रिया / जोखिम के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आं ारिक परिचालना मक जोखिम प्रबंधन समि ि (ओआरएमसी) / उधार नी ि समि ि / आस् ि देय ा प्रबंधन समि ि द्वारा जांच कर ली जा ी हैं। ऐसे नए उ पादों के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्ध ि व प्रक्रिया का निर्धारण पद्ध ि व प्रक्रिया समि ि (एसएपीसीओ) द्वारा किया जा ा है।

उधार जोखिम प्रबंधन नी ियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा सुसंरचि ा ऋण नी ि और उधार जोखिम प्रबंधन नी ि ैयार की है। इस नी ि में संगठन की संरचना, भूमिका और उ ारदायि व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सक ा है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सक ा है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सक ा है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षम ा के साथ निरन् ार जोखिम मान ा है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंकवार आधार पर किया जा ा है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चि ा किया जा ा है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षम ा को ध्यान में रखकर और दनुसार सुरक्षा, रल ा, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधि ा मामलों को संभाल ा है।

बैंक में उ कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापि ा करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नी ि ऋण के अ िरिक् ा निवेश नी ि, प्र िपक्षी जोखिम प्रबंधन नी ि और देशीय जोखिम प्रबंधन नी ि आदि ैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आं ारिक भाग है। इसके अ िरिक् ा बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नी ि भी कार्यान्वि ा की गई है जो बैंक द्वारा सामान्य ा: स्वीकार की जाने वाली प्र िभू ियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हि ा की रक्षा के लिए ऐसी प्र िभू ियों के प्रशासन के विवरण निर्धारि ा कर ी है। वर्तमान में ये चयनित प्र िभू ियां उन उधार जोखिमों (पूंजी की गणना में) को कम कर ी हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सक ा है।

interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for considering fresh/enhancement proposal. The new products introduced by bank are examined by the internal Operational Risk Management Committee (ORMC)/ Credit Policy Committee/ Asset Liability Management Committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval. The system and procedure committee (SAPCO) lays down the system and procedure to be followed for such new products.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organization structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, selected securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणव ा की निगरानी कर ा है, समस्याओं की पहचान कर ा है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा ा है।विभाग का उद्देश्य है फिसलन में कमी करना ाकि निष्पादक खा ों को अनर्जक खा े में बदलने से रोका जा सके । विभाग द्वारा सेगमेंटेशन द्वारा खा ों की सूक्ष्म निगरानी की जा ी है और खा ों का दैनिक आधार पर अनुव िन किया जा ा है ाकि फिसलन को कम किया जा सके । साथ ही, एक्सपोशर के आकार के आधार पर भी प्राधिकरण के विभिन्न स् रों पर खा ों का प्रबोधन किया जा ा है .

रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के निधि आधारि ा सीमाओं वाले सभी उधार खा े ऋण पुनरीक्षा ं त्र के ह ा पुनरीक्षि ा किए जा े हैं जो अनिवार्य ा: एक ऑफ साइट लेखा परीक्षा ं त्र है । उधार लेखा परीक्षा भार ीय रिज़र्व बैंक और हमारे बैंक की उधार जोखिम प्रबंधन नी ि द्वारा जारी उधार जोखिम पर दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा ा है ।

उधार की लेखा परीक्षा के अं र्ग ा किसी भी प्राधिकारी द्वारा मंजूर रु. 5 करोड और उससे अधिक के कुल जोखिमवाले सभी उधार खा े समाहि ा है। यह एक निरं र प्रक्रिया है जिसके द्वारा उधार खा ों मे कमियों और रुग्ण ा / कमजोरी के शुरुआ ी चे ावनी संके ों को पहचानने में मदद मिल ी है.

अनिवार्य ा : यह अग्रिमों की गुणव ा में गिरावट को रोकने था इस प्रकार बैंक के हि ों की रक्षा करने के लिए एक ऑन साइट प्रणाली है।

पुनर्संरचित / अनर्जक खा ों का वर्गीकरण

बैंक अनर्जक आस्ि ायों के वर्गीकरण के लिए समय समय पर भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन कर ा है और समय समय पर आवश्यक ाानुसार प्रावधान कर ा है :

उधार खा ों की पुार्संरचान

पुनर्संरचि ा खा ों के वर्गीकरण के संबंध में बैंकों भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है और प्रावधान किया है।

(रु. करोड़ों में)

मात्रा मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्य ा	
क) कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारि ा और गैर निधि आधारि ा पृथक-पृथक	एफबी	113791.47
	एनएफबी	22012.63
ख) प्रकटीकरण का भौगोलिक वि ारण, निधि आधारि ा और गैर निधि आधारि ा पृथक-पृथक	एफबी	एनएफबी
विदेशी	103087.47	10704.00
देशीय	19870.97	2141.66
ग) उधार जोखिम का औद्योगिक प्रकार का वि ारण, निधि आधारि ा और गैर-निधि आधारि ा पृथक-पृथक	अनुबंधि ा	

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of Rs. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of Rs. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts.

Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank.

Classification of restructured / non-performing accounts

The bank follows the prudential guidelines issued by the RBI on classification of restructured and non-performing assets from time to time and make provisions as required.

Restructuring of Borrower Accounts

The bank has followed the RBI guidelines in respect of classification and provisioning for re-structured accounts.

(Rs. in Crore)

Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	113791.47
	NFB	22012.63
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
Overseas	103087.47	10704.00
Domestic	19870.97	2141.66
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed	

(रु. करोड़ों में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
च) एनपीए (सकल) की राशि	
अवमानक	1070.13
संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	1957.56
हानि	61.90
छ) निवल एनपीए	1328.42
ज) एनपीए अनुपात	
सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	2.72%
निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	1.19%
झ) एनपीए का प्रचलन (सकल)	
प्रारंभिक शेष	3611.08
जोड़	2169.26
घटाव	2690.75
अंतिम शेष	3089.59
ट) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
प्रारंभिक शेष	1363.79
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1256.79
बट्टे खाते में डालना	
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखा	970.52
अंतिम शेष	1650.06
ठ) अनर्जक निवेशों की राशि	14.02
ड) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	5.74
ढ़) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
प्रारंभिक शेष	234.57
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	59.26
बट्टे खाते में डालना	0
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखा	64.89
अंतिम शेष	228.94

(Rs. in Crore)

Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
d Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	
Substandard	1070.13
Doubtful (D1,D2, D3)	1957.56
Loss	61.90
f) Net NPAs	1328.42
g) NPA Ratios	
Gross NPAs to Gross Advances	2.72%
Net NPAs to Net Advances	1.19%
h) Movement of NPAs (Gross)	
Opening balance	3611.08
Additions	2169.26
Reductions	2690.75
Closing balance	3089.59
i) Movement of provisions for NPAs	
Opening balance	1363.79
Provisions made during the period	1256.79
Write off	970.52
Write back of excess provisions	-
Closing balance	1650.06
j) Amount of Non-Performing Investments	14.02
k) Amount of provisions held for Non-Performing Investments	5.74
l) Movement of provisions for depreciation on investments	
Opening Balance	234.57
Provisions made during the period	59.26
Write-off	0
Write-back of excess provisions	64.89
Closing Balance	228.94

आस्ि ायों का अवशिष्ट संविदाग ा परिपक्व ाा ब्रेकडाउन

(रु.करोड़ों में)

दिन 1	2-7दि	8-14 दि	15-28दि	29दि - 3म	3-6 म	6म-1वर्ष	>1 से 3वर्ष	> 3 से 5वर्ष	> 5 वर्ष
3936.81	10930.50	7296.83	2535.84	15901.52	10354.77	21058.11	62322.09	11091.27	88395.22

देशीय परिचालनों के लिए सकल आस्ि ायों का कवरेज

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व कोयरिंग	1274.75
लौह और इस्पा ा	7068.92
अन्य धा ु व धा ु उ पाद	1649.15
सभी इंजीनियरिंग	4148.19
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	147.78
सू ाी वस्त्र	2898.48
जूट वस्त्र	22.84
अन्य वस्त्र \	2436.13
चीनी	835.46
चाय	31.59
खाद्य संसाधन	1014.82
वनस्पा ि ेल और वनस्पा ि	331.17
ाम्बाकू और ाम्बाकू उ पाद	81.72
कागज और कागज उ पाद	1499.82
रबड़, प्लेस्टिक और उनके उ पाद	632.96
रसायन, डाइ, पेंटस आदि	2104.71
उनमें से उवर्रक	282.92
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल्स	612.82
सीमेंट व सीमेंट उ पाद	1011.83
चमड़ा और चमड़ा उ पाद	311.60
लकडी व लकडी उ पाद	335.59
कांच व कांच का सामान	171.68
बहुमूल्य र न व आभूषण	506.40
निर्माण	1428.83
पेट्रोलियम, कोयला उ पाद व न्यूक्लियर ईंधन	1129.54
वाहन, वाहन के पुर्जे व या ाया ा उपकरण	1782.98
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	309.16
इन्फ्रास्ट्रक्चर	12779.05
उनमें से पावर	7502.76
उनमें से दूर संचार	1973.56
उनमें से सडक व प ान	2458.94
अन्य उद्योग	330.65
एनबीएफसी	4079.70
व्यापार	4283.26
शेष सकल अग्रिमों के प्र ि अवशिष्ट अग्रिम	59300.49
कुल	**113791.47**

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M -1 Year	>1 to3 Years	>3 to 5 Years	> 5 Years
3936.81	10930.50	7296.83	2535.84	15901.52	10354.77	21058.11	62322.09	11091.27	88395.22

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and Quarrying	1274.75
Iron and Steel	7068.92
Other Metal and Metal Products	1649.15
All Engineering	4148.19
Of which Electronics	147.78
Cotton Textiles	2898.48
Jute Textiles	22.84
Other Textiles	2436.13
Sugar	835.46
Tea	31.59
Food Processing	1014.82
Edible Oils and Vanaspati	331.17
Tobacco and Tobacco Products	81.72
Paper and Paper Products	1499.82
Rubber, Plastic and their Products	632.96
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2104.71
Of which Fertilisers	282.92
Of which Drugs and Pharmaceuticals	612.82
Cement and Cement Products	1011.83
Leather and Leather Products	311.60
Wood and Wood products	335.59
Glass and Glassware	171.68
Gems and Jewellery	506.40
Construction	1428.83
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1129.54
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	1782.98
Computer Software	309.16
Infrastructure	12779.05
Of which Power	7502.76
Of which Telecommunications	1973.56
Of which Roads & Ports	2458.94
Other Industries	330.65
NBFCs	4079.70
Trade	4283.26
Residual Advances to Balance Gross Advances	59300.49
TOTAL	**113791.47**

ाालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृ ा दृष्टिकोण की श ार्ि पर पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणा मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम : मानकीकृ ा दृष्टिकोण की श ार्ि पर पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

सामान्य सिद्धां ा

भार ाीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन हे ाु नई पूंजी पर्याप्ा ाा फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) के मानकीकृ ा दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ा अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ि ा प्रवर्गों में आबंटि ा कर दिया है।

मानकीकृ ा उपागम के ाह ा उधार जोखिम के लिए पूँजी की गणना के लिए छोटे मूल्य के अनेक ऋणों को समेकि ा आधार पर समेट दिया जा ाा है। उदाहरणार्थ पूर्ण ा: प्र ाभू ा ऋण जैसे आभूषण ऋण, मियादी जमा / अनुमोदि ा बीमा पॉलसीस/ डाक जमाएँ आदि। यह ऋण उपलब्ध उधार जोखिम निवारकों (सीआरएम) के प्र ाि पूर्ण ा: नेट किए गए हैं, चूँकि लागू मार्जिन को क्रियान्वि ा करने के बाद मार्जिन निर्धारण के कारण सीआरएम ऋण जोखिम से अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्ण ा: अप्र ाभू ा ऋण जैसे कृषि ऋण, लघु ऋण, उपभोक्ता ऋण, स्टॉफ ऋण आदि के मामले में पूँजी की गणना समूचे ऋण पर की जा ाी है जैसा कि संबंधि ा वर्ग/वर्गीकरण में लागू हो। समेकि ा उपागमों वाले इन ऋणों का विस्ृ ा विवरण प्र येक खा ो के लिए सीबीएस प्रणाली में उपलब्ध है और पूँजी की गणना के लिए समेकि ा उपागम का प्रयोग किया जा ाा है।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्ा ाा फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देख ो हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेसियों (ईसीआरए) द्वारा उधारक ााओं की रेटिंग का मह व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र पर जोखिम भार आबंटि ा किया गया है। इसके लिए भार ाीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण एवं रिसर्च लि., (सीएआरई) क्रिसिल लि., फिच इंडिया और आइसीआरए लि., की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमि ा दी है।

उपर्युक्त ा दिशानिर्देशों को ध्यान में रख ो हुए बैंकों इन सभी बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों ई सी आर ए द्वारा पूँजी राह ा के लिए आबंटि ा रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में ोजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरल ाा से बाहरी रेटिंग प्राप्ा करने में सहाय ाा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेसियों के साथ अलग समझौ ाा ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार रेटिंग एजेसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियाय ाी शुल्क प्रदान किया जा ाा है।बहरहाल समझौ ाा ज्ञापन में ऐसा कोई विशेषीकरण उपबंध नहीं है। उधारक ाा अपने विचार से इन चारों एजेंसियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सक ो हैं। बैंक ने बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी द्वारा आबंटि ा किसी भी एजेंसी द्वारा निर्धारि ा रेटिंग का प्रयोग किया है। पिछले 15 महनिों के दौरान दी

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Credit Risk: Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach:

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardised Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk. In computation of capital the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, a large number of small value exposures are captured on a consolidated basis for example, where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies/postal deposits etc. These loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), since due to margin prescription, the CRM would be higher than the exposure after applying the applicable hair cut. Similarly, in case of fully unsecured loans such as Agriculture Loans, Small loans, consumer loans, staff loans etc the capital computation is done on the entire exposure as applicable to relevant segment / classification. Full details of these loans where consolidated approach is adopted are available in the CBS system for each account and only for capital computation the consolidated approach is used.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporates / PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the four domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India and ICRA Ltd.

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose.

In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure smoothly, the bank has taken the initiative by entering into separate MOU with all these four credit rating agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRAs for rating bank's customers. The MOUs do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of the ECRAs. External ratings assigned fresh or reviewed during the

गई नई या पुनरीक्षि ा रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जा ा है। जहां कहीं किसी उधारक ा को बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भार ीय रिज़र्व बैंक के निर्धारि ा दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा ा है।

किसी उधारक ा से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचि ा आ ारिक ा उधार रेटिंग प्रणाली है और ादनुसार प्रस ाावों की स्वीकार्य ाा और एक्सपोज़र का स ार ाथा कीम ा निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृ ा दृष्टिकोण के ाह ा जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए इस प्रकार की रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सक ाा। ादनुसार बैंकों, 31-03-2010 ाक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन कर ो समय, बैंक की अनुमोदि ा बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों द्वारा आबंटि ा उधारक ाा की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के ाह ा लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदि ा बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को संगणि ा किया जा ा है और ादनुसार भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समव ाी वि ाीय स्थि ा के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जा ा है।

भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और स्टैंडर्ड एण्ड पूर अं ाराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटि ा रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृ ा दृष्टिकोण के ाह ा पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भार ा में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारक ााओं के बीच प्रचलि ा किया जाना है ाकि अपने ग्राहकों की बेह ार रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राह ा का लाभ उठाया जा सके। उधारक ााओं को अपने करोबार विस ाार के लिए एक अवसर के रूप मे बाह्य रेटिंग पर विचार करने की आवश्यक ाा हैं जिसमें कुछ समय लग सक ाा है।

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण

(रु. करोड में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चा ा एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरि ा इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	54409.69	10106.55	44303.13
100% जोखिम भार	41821.57	2541.89	39279.68
100% जोखिम भार से अधिक	9763.98	423.63	9340.35
घटाया हुआ	0.00	0.00	0.00
कुल	**105995.24**	**13072.07**	**92923.16**
अन्य आस्ति ायाँ			
100% जोखिम भार से कम	12236.96	0.00	12236.96
100% जोखिम भार	2995.00	0.00	2995.00
100% जोखिम भार से अधिक	40.00	0.00	40.00
घटाया हुआ	0.00	0.00	0.00
कुल	**15271.96**	**0.00**	**15271.96**

previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. The bank has put in place pricing of loan / facilities linking to external rating.

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. However, such rating cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. Accordingly the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.03.2011 under corporate and PSE segments.

In case of bank's investment in particular issues of corporates / PSEs the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's is used, whichever is available, as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	72883.12	17872.01	55011.10
100% risk weight	64196.29	10812.83	53383.46
More than 100% risk weight	4712.78	247.32	4465.45
Deducted	0	0	0
TOTAL	**141792.19**	**28932.16**	**112860.01**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	16100.82	0	16100.82
100 % risk weight	4498.32	0	4498.32
More than 100% risk weight	36.47	0	36.47
Deducted	0.00	0	0
TOTAL	**20635.61**	**0**	**20635.61**

ाालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृ ा उपागमों के लिए प्रकटीकरण

गुणा मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृ ा दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण:

उधार जोखिम को कम करने पर नीि ा

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रि ाभूि ा प्रबंधन ाथा उधार जोखिम को कम करने की ाकनीक पर बहु ा ही स्पष्टनीि ा बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिव ा् अनुमोदि ा है। नीि ा में बैंक द्वारा ऋण दे ो समय सामाय ा: स्वीकार की गई प्रि ाभूि ायों के प्रकार ाथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ाािक बैंक के हि ा की सुरक्षा/रक्षा हो ाथा ऐसी प्रि ाभूि ायों का प्रशासन/प्रबोधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रि ाभूि ायों (मूल ाथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र ाथा राज्य सरकार की प्रि ाभूि ायाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपि ायाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल ाथा वाणिज्य वस् ाुएँ, माल के हक-विलेख, बहीग ा ऋण, वाहन ाथा अन्य चल संपि ायाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपि ायों और संयंत्र ाथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीि ा बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिव ा् अनुमोदि ा है ।

मानकीकृ ा उपागम के ाह ा उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वि ाीय संपार्श्विक:

भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचि ाानुसार बैंक ने मानकीकृ ा प्रणाली के ाह ा उधार जोखिम कम करने से संबंधि ा व्यापक प्रणाली अपनाया है, जिससे प्रि ाभूि ायों पर निया ा मूल्य से ऋण राशि को प्रभावी ढंग से कम करके उधार जोखिमों के प्रि ा प्रि ाभूि ायों (मूल ाथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमि ा प्राप् ा हो ाी है। अ ा: पात्र वि ाीय संपार्श्विक प्रि ाभूि ायों को उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार राशि को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया। ऐसा कर ो समय भार ाीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंको विशिष्ट प्रि ाभूि ायों को मान्य ाा दिया जैसा कि क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद)।

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own Deposits, Gold/Ornaments, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and Debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book Debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

ख) ऑन / ऑफ तुलन पत्र नेटिंग्स:

उधार जोखिम को कम करने की तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन के सदुपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋणों / अग्रिमों (ऋण सीमा तक अधिकतम) के प्रति आन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गयी है जहाँ बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है जिसमें दस्तावेजीकरण के साक्ष्यों के साथ ग्रहणाधिकार शामिल है। ऐसे मामलों में पूँजी की गणना निवल उधार के आधार पर की जाती है। जहाँ तक ऑफ साइट बैंलंस शीट नेटिंग का संबध है, इनपर भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त होने पर, गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स से कवर प्राप्त है। वर्तमान में बैंक में कोई भी ऑफ साईट बैलंस शीट नेटिंग नहीं है।

ग) पात्र गारंटियाँ:

साथ ही, उधार जोखिम कम करने का अन्य अनुमोदित रूप पात्र गारंटियों की उपलब्धता है। उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं क) केंद्र सरकार (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे गए / भुनाए गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दोनों देशी एवं विदेशी बैंकों के दिशा-निर्देश के अनुसार)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

मानकीकृत उपागम के हेतु पूँजी की गणना के लिए बैंक द्वारा प्रयोग के लिए जा रहे जोखिम के प्रकारों को दर्शाते हुए नीतियाँ एवं प्रक्रिया प्रस्तुत हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से उगाही योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वस्तुत: बैंक में उधार जोखिम कम करने के लिए कोई संकेद्रीकरण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के हेतु प्रत्येक प्रकार की संपार्श्विक की प्रमात्रा के लिए कोई ऋण सीमा/सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(b) On/Off Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases the capital computation is done on the basis of net credit exposure. In so far as off-balance sheet netting is concerned, these are covered by guarantees/credit derivatives whenever specifically permitted by RBI. Presently, the bank does not have any off-balance sheet netting.

Eligible Guarantees

Besides, other approved form of credit risk mitigation is availability of “Eligible Guarantees”. In computation of credit risk capital the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and process are in place indicating the type of mitigations the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank does not envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

(रु. करोड़ में)

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण	
अलग से प्र येक प्रकटीकृ ा उधार जोखिम पोर्टफोलियो के लिए हेयरकट के अनुप्रयोग के बाद पात्र वि ीय संपार्श्विक द्वारा कवर किये गये कुल जोखिम (जहाँ लागू हो, आॅन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद)	17651.33
देशी सम्प्रभु	1631.63
सार्वजनिक क्षेत्र के प्र ाष्ठान	190.56
कार्पोरेट	3984.81
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)	18669.69
आवासीय परिसंपि ा द्वारा सुरक्षि ा दावा	11.94
वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा सुरक्षि ा दावा	54.26
उपभोक्ता उधार	2667.18
पूँजीग ा विपणन जोखिम	46.37
एनबीएफसी	2.55
अर्नजक आसि ायाँ - अ) आवास ऋण	0.14
अर्नजक आसि ायाँ - आ) अन्य	29.93
अन्य आसि ायाँ - स्टॉफ ऋण	38.04
अन्य आसि ायाँ	332.22

(रु. करोड़ में)

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण	
अलग से प्र येक प्रकटीकृ ा उधार जोखिम पोर्टफोलियो के लिए गारंटियों/उधार व्यु पन्नों (जब कभी भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुम ा हो) द्वारा कवर किये गये कुल ऋण (जहाँ लागू हो, ऑन या ऑफ बैलंस शीट नेटिंग के बाद)	6033.37
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी	3479.22
कार्पोरेट	2021.81
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)	532.33

(Rs. in Crore)

Quantitative Disclosures	
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	17651.33
Domestic Sovereign	1631.63
Public Sector Entities	190.56
Corporates	3984.81
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	8669.69
Claims secured by Residential Property	11.94
Claims secured by Commercial Real Estate	54.26
Consumer Credit	2667.18
Capital Market Exposure	46.37
NBFC	2.55
Non Performing Assets - a) Housing Loan	0.14
Non Performing Assets - b) Others	21.93
Other Assets - Staff Loans	38.04
Other Assets	332.22

(Rs. in Crore)

Quantitative Disclosures	
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	6033.37
Public Sector Entities	3479.22
Corporates	2021.81
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	532.33

ालिका डीएफ 7

प्र िभू िकरण : मानकीकृ ा उपागम के लिए प्रकटीकरण

गुणा मक प्रकटीकरण

क) निम्नलिखि ा चर्चा को शामिल कर े हुए प्र िभू िकरण के संबंध में सामान्य गुणा मक प्रकटीकरण अपेक्षा	31.03.2011 को समाप्ा वर्ष के संबंध में कोई प्र िभू िकरण नहीं

- विद्यमान प्र िभू ा ज़ोखिमों के उधार ज़ोखिम को ये ग िविधियाँ जिस हद क बैंक से परे अन्य इकाइयों को अं ारि ा कर ी हैं उस हद क इन्हें शामिल कर े हुए प्र िभू िकरण की ग िविधि के संबध में बैंक का उद्देश्य।
- अन्य जोखिमों की प्रकृ ि (जैसे रल ाा जोखिम)प्र िभू ा आस ियों में निहि ा है।
- प्र िभू िकरण प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिकाएँ (जैसे ओरिजिनेटर, निवेशक,ऋण वृद्धि प्रदा ाा, लिक्विडिटी प्रदाता स्वैप प्रदा ाा @ सुरक्षा प्रदा ाा #) और उससे संबंधि ा प्र येक कार्य में बैंक के शामिल होने के बारे में सूचना;
- प्र िभू िकरण ऋणों के बाजार जोखिम और ऋणों में परिव ान की निगरानी हे ु प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है (जैसे एनसीएएफ के मास्टर परिपत्र दिनांकि ा 1 जुलाई 2009 के परिच्छेद 5.16.1में दी गई परिभाषा के अनुसार पड़ी हुई आस ियाँ किस प्रकार प्र िभू िकरण जोखिमों को प्रभावि ा कर ी हैं।);
- प्र िभू िकरण जोखिमों के माध्यमों से हो रहे जोखिमों के शमन के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासि ा करनेवाली बैंक की नी ि का वर्णन;

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:	No securitisation for the year ended 31.03.2011

- The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
- The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets
- The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;
- A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009);
- A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;

ख) निम्नलिखि ा को शामिल कर ो हुए प्रभिभू ि करण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नी ियों का सार:

- क्या लेन - देन बिक्री या वि ा पोषण के रूप में है।
- प्रविधि व प्रमुख पूर्वधारणाएँ (इनपुट सहि ा) प्र ाधारि ा या क्रय की गई मूल्य स्थि ा में अनुप्रयुक ा
- पूर्व अवधि से पूर्व धारणाओं व प्रविधियो में परिव ान और परिव ानों का प्रभाव ;
- बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों का समर्थन देने की अपेक्षा की व्यवस्था करने के लिए तुलन पत्र देयताओं की पहचान करने के लिए नीति

ग) बैंकिंग पुस् ाक में प्र ाभू ि करण के लिए प्रयोग की गई इसीएआइ के नाम और प्र ाभू ि करण जोखिमों के प्रकार जिसके लिए प्र येक ऐजेंसी का प्रयोग किया गया है ।

बैंकिंग बही में प्रमात्रा मक प्रकटीकरण

घ) बैंक द्वारा प्र ाभू ि कृ ा जोखिमों की कुल मात्रा — लागू नहीं

ङ) एक्सपोजर के प्रकार पडी हुई प्र ाभू ि द्वारा वर्णि ा (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि) बैंक द्वारा व ामान अवधि बैंक द्वारा पहचानी गई क्ष ा ियों द्वारा प्र ाभू ा जोखिमों के लिए

च) एक वर्ष के अंदर प्र ाभू ि के लिए प्रकृ ा आस् ा ियों की मात्रा

छ) (च) में से प्र ाभू ि करण से पहले एक वर्ष के अंदर उ पन्न किए गए आस् ा ियों की मात्रा

ज) एक्सपोजर द्वारा बिक्री के लिए अमान्य ाप्रा ा प्र ा ा या क्ष ा ियों में (जोखिम प्रकार द्वारा)प्र ाभू ा जोखिम

b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :

- Whether the transactions are treated as sales or financings;
- Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased.
- Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;
- Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets;

c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

Quantitative Disclosures in Banking Book

d) Total amount of exposures securitised by the bank. — Not Applicable

e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)

f) Amount of assets intended to be securitized within a year.

g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization.

h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.

की कुल मात्रा

(झ) जोखिम प्रकार द्वारा प्रतिधारित या बिक्री किए गए प्रतिभूतिकरण जोखिमों की समग्र मात्रा और जोखिम प्रकार द्वारा जोखिम ऑफ तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण जोखिम

ट) प्रतिधारित या बिक्री किए गए प्रतिभूतिकरण जोखिमों की समग्र मात्रा और संबंधित पूँजी प्रभार, प्रत्येक नियामक पूँजी उपागम के लिए विभिन्न जोखिम भार बैंड्स में आगे ब्रोकन डाउन और एक्सपोजर के बीच ब्रोकेन डाउन

* टियर 1 कैपिटल से पूरी तरह से काटे गए एक्सपोजर, कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा कुल पूँजी से काटे गए ऋण बढ़ोतरी आई/ओ) है।

गुणात्मक प्रकटीकरण:व्यापार बही

(ठ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंकने योग प्रतिधारित किया गया है और जो एक्सपोज़र प्रकार द्वारा बाजार जोखिम उपागम के अधीन है।

(ड) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- एक्सपोज़र प्रकार द्वारा ब्रोकेन डाउन प्रतिधारित या बिक्री ऑन तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: और
- एक्सपोज़र प्रकार द्वारा ब्रोकेन डाउन ऑफ तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र।

(ढ) निम्नलिखित के लिए अलग अलग प्रतिधारित या बिक्री प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की समग्र मात्रा :

- विशेष जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या बिक्री प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र

i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.

j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.

* Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).

Quantitative Disclosure: Trading Book

k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.

l) Aggregate amount of:

- On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and
- Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.

m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:

- Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk

- विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में ब्रोकेन डाउन विशेष जोखिम के लिए प्र ाभिभू ि करण फ्रेमवर्क के अधीन प्र ाभिभू ि करण एक्सपोजर

(ण) निम्नलिखि ा की समग्र मात्रा :

- प्र ाभिभू ि करण एक्सपोजर के लिए पूँजीग ा अपेक्षाएं बश र्े विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में प्र ाभिभू ि करण फ्रेमवर्क ब्रेकेन डाउन।
- टियर 1 कैपिटल से पूरी ारह से काटे गए एक्सपोजर, कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा कुल पूँजी से काटे गए ऋण बढ़ो ारी आई /ओ) है।

ालिका डीएफ - 8
ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणा मक प्रकटीकरण

बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम वह हो ा है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीम ें ाथा पण्य कीम ें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उ पन्न परिव ान / ग ि के कारण बैलेंस शीट की स्थि ि में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस ाथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधि ा लिख ाों ाथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थि ि यों (बहुमूल्य धा ाुओं में खुली स्थि ि यदि कोई हो, को शामिल कर ो हुए) ाथा ट्रेडिंग से संबंधि ा डिरेवेटिब्स से उ पन्न हो ा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि और बाजार जोखिम में उ पन्न ईक्विटी पूंजी को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नी ि यॉं

बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किए जाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नी ि और आस्ि ा देय ा ा प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है। जोखिम प्रबंधन से भी संबंधि ा अन्य नी ि यॉं, निधि प्रबंधन व निवेश नी ि, डेरिवेटिव नी ि, विदेशी परिचालनों

Measure for specific risk; and

- Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.

n) Aggregate amount of:

- the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

Table DF – 8
MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosure

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management

के लिए जोखिम प्रबंधन नीि और स्ट्रेस टेस्टिंग नीि हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीि, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठना मक रूपरेखा निर्धारि ा कर ी है जिससे बैंक द्वारा वहन किए गए जोखिम के ह ा एएलएम फ्रेमवर्क के अधनि बैंक द्वारा लिए जा रहे बाजार जोखिम का पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व नियंत्रण किया गया। बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हे ु और उचि ा आसि ा देय ा प्रबंधन के ज़रिए बाज़ार जोखिम से प्राप्य लाभ पर बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप परिचालनों को सुनिश्चि ा करने के लिए इस नीि में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठि ा हैं।

एएलएम नीि में विशेष रूप से ारल ा जोखिम प्रबंधन ाथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीि द्वारा उल्लिखि ानुसार ारल ा जोखिम का प्रबंधन, भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारि ानुसार सूचना डॉटा कवरेज की उ ाम उपलब्ध ा के आधार पर दैनिक आधार पर आसि ा और देय ाओं के अवशिष्ट परिपक्व ा / प्रवृ ाि जय पद्धि को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जा ा है। बैंक ने अल्पावधि ग िशील ारल ा प्रबंधन ाथा आकस्मिक निधि योजना का उपाय बनाया है। कुशल आसि ा देय ा प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्व ा को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (उदार ा) सीमाएँ निर्धारि ा की गई हैं। बैंक की ारल ा प्रोफाइल को विभिन्न ारल ा अनुपा ों के जरिए मूल्यांकि ा किए जा े हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों का गठन किया है। ारल ा स्थि ि में किसी प्रकार के ानाव को संभालने के लिए बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थि ा ाथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्या ा ारल ा को सुनिश्चि ा कर ा है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर अस्थिर आसि ायों एवं देय ाओं के जीएपी विश्लेषण के प्रयोग के ज़रिए हो ा है और उसकी निगरानी निर्धारि ा विवेकपूर्ण (उदार ा) सीमाओं के ज़रिए हो ा है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारि ा करने के लिए बैंक जोखिम पर अर्जन ाथा माडिफाइड ड्यूरेशन गैप का प्राकलन कर ा है।

आसि ा-देय ा प्रबंधन समि ि (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा निय ा विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का प्रबोधन कर ा है और एएलएम नीि में स्पष्ट अनुसार बाजार स्थि ियों (व ार्मान ाथा प्र याशि ा) के अनुरूप रणनीि निर्धारि ा कर ा है। ट्रेज़री विभाग में कार्यर ा मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरं ार रूप से प्रबोधन कर ा है।

of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations, and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office of Treasury monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण

भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल-।। फ्रेमवर्क के मानकीकृ ा अवधि दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंकों ने पूँजी परिकलि ा किया है। 31.03.2011 ाक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं।

(रु. करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम वेटेड आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	4800.15	432.01
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2499.02	224.91
विदेशी विनिमय जोखिम	71.08	6.40
कुल	**7370.25**	**663.32**

ाालिका डीएफ - 9

परिचालना मक जोखिम:

गुणा मक प्रकटीकरण:

परिचालना मक जोखिम का ा पर्य अपर्या ा या विफल आं ारिक प्रकियाओं, लोगों ाथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालना मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर ऋणनीि ा एवं प्रि ाष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालना मक जोखिम के प्रबंधन पर नीि ायाँ:

बैंक ने परिचालना मक जोखिम प्रबंधन नीि ा का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिव ा् अनुमोदि ा है। परिचालना मक जोखिम के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अपनायी गयी अन्य नीि ायाँ: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीि ा (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीि ा (ग) अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों पर नीि ाग ा दस ाावेज (घ) अविराम आइटी कारोबार ाथा संकट निवारण योजना (आइटी-बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीि ा और च) वि ाीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर नीि ा।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालना मक जोखिम प्रबंधन नीि ा, परिचालना मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठना मक संरचना ाथा विस् ाृ ा प्रकियाओं की रूपरेखा ब ाा ाी है। नीि ा का मूल उद्देश्य बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट निय ाान के जरिए परिचालना मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारि ा करने, प्रबोधि ा करने ाथा नियंत्रि ा या कम करने और भौ ािक परिचालना मक

Quantitative Disclosures

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2011 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	4800.15	432.01
Equity position risk	2499.02	224.91
Foreign exchange risk	71.08	6.40
TOTAL	**7370.25**	**663.32**

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Forex Risk Management policy (c) Policy document on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Plan (IT_BC-DRP) (e) Compliance Policy and (f) Policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risk in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

हानियों सहि ा परिचालना मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा बैंक के परिचालना मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृ ा करना है। बैंक में परिचालना मक जोखिम को व्यापक ाथा सुस्पष्ट आं ारिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जा ा है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस् ाक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्ध ायां एवं प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृ ा परिचालनों को संभालने के लिए विस् ृ ा दिशानिर्देश जारी की है और निर्धारि ा पद्ध ायों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चि ा करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापि ा है। बैंक में कर्मचारियों के विभिन्न स् ारों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम भी उपलब्ध हैं।

निर्धारि ा पद्ध ायों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चि ा करने के लिए विभिन्न आन् ारिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जा ी है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदि ा अनुपालन नी ि को अपनाया है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भार ीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह में अलग "अनुपालन विभाग" स्थापि ा किया है। प्र येक शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स् ार की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामि ा किए गए हैं। अनुपालन स् ार के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां ैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी ैयार की गई है और पालन की जा रही है।

भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अं ािम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक बेसिक इण्डिकेटर उपागम अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के पास परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब ाई गई सकारा मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले ीन वर्षों के औस ा के बराबर की पूँजी होनी चाहिए।

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण

भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अं ािम दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने परिचालना मक जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन हे ु बेसिक इंडिकेटर प्रणाली को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालना मक जोखिम के लिए पूँजी, भार ीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषि ा सकारा मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले ीन वर्षों के औस ा के समान है। इस प्रकार के प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 31.03.2011 ाक परिचालना मक जोखिम के लिए पूँजी आवश्यक ाा रु.573.24 करोड़ है।

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional area is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place compliance policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual gross income as defined by RBI.

Quantitative Disclosures

In line with final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for Operational Risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI. As per such estimate, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2011 is Rs.573.24 crore.

ालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

गुणा मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम हो ा है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिव िन बैंक की वि ीय स्थि ि को प्रभावि ा कर सक ा है। ब्याज दरों में होने वाले परिव िन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) था बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावि ा कर सक ा है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सक ा है। इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सक ा है।

अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) था दीर्घावधि आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य से बैंकिंग बुक में ऑन बैलेंस शीट था ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिव िनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचान ा है। आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नी ि में निर्धारि ानुसार 100 बीपीएस पर कल्पि ा दर प्रघा ा (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से माप ा है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ की प्र िश ा ा के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारि ा की गई हैं और उसका प्रबोधन आवधिक रूप में किया जा ा है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदि ा विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जा ा है और विशेष अवधि के मध्य से शेष समयावधि के आधार पर ब्याज दर में 100 बीपीएस क के परिव िन के प्रभाव को परिकलि ा किया जा ा है। दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जा ा है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस क ब्याज दर में परिव िन के प्रभाव को परिकलि ा किया जा ा है। इसी को ऑलको था बोर्ड को आवधिक ौर पर दर संवेदनशील विवरण सहि ा रिपोर्ट किया जा ा है। ऋण सीमाओं को पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर निय ा किया जा ा है।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्र िश ा ा के रूप में) के निर्धारण करने के लिए 200 बीपीएस पर कल्पि ा दर प्रघा ा को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अं राल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नी ि में ुलन पत्र पर आशोधि ा अं राल जीएपी के लिए (+/-) 1.50% की सीमा निर्धारि ा है और इसकी स्थि ि को आवधिक रूप से प्रबोधि ा किया जा ा है। बैंक आशोधि ा ड्यूरेशन गैप और ईक्विटी पर आर्थिक मूल्य प्रभाव का परिकलन कर ा है। आस ियों, निवेशों और देय ाओं को छोडकर दर संवेदनशील विवरण के अनुसार समूहबद्ध हैं और इन आस ि ा व देय ा समूहों के लिए सामान्य परिपक्व ा, कूपन व प्र िफल मानदण्डों का प्रयोग करके समयवार (बकेट) आशोधि ा अं राल का परिकलन किया जा ा है। निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्र येक मद के आशोधि ा अं राल को परिकलि ा करके लिया जा ा है।

आस ि-देय ा प्रबंधन समि ि (ऑल्को) / बोर्ड बैंक द्वारा निय ा विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का प्रबोधन कर ा है और बाजार स्थि ि (चालू था प्र याशि ा) की दृष्टि में रणनी ि निर्धारि ा कर ा है।

Table DF –10

INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK

Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the Net Worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock upto 100bps as prescribed in the bank's ALM Policy. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of NII of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap is taken from the Rate sensitivity statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate upto 100 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the rate sensitivity statement. The limits are fixed on the basis of previous year's NII.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. For the purpose a limit of (+/-) 1.50% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity. Assets excluding investment and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters.For investment portfolio the modified duration of individual items are computed and taken.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to the prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of market conditions (current and expected).

प्रमात्रा मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर परिव नि को उपर्युक्त ा चर्चा के अनुसार कल्पि ा ब्याज दर प्रघा ों को लागू करके नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिव नि	इएआर के लिए एएलएम नीि सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 25.03.2011 1 वर्ष ाक	5 वर्ष ाक
0.25% परिव नि	148.05 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)	5.90	4.26
0.50% परिव नि	296.10 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)	11.78	8.52
0.75% परिव नि	444.15 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	17.69	12.78
1.00% परिव नि	444.15 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	23.58	17.05

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	**25.03.2011**
आशोधि ा ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी)	1.03%
एएलएम नीि ा के अनुसार सीमा	(+/-) 1.50%
इक्विटी की आशोधि ा-अवधि (एमडीइ)	9.92%
200 बीपीएस दर प्रघा ा के लिए ईक्विटी मूल्य में घटाव	19.85%

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in Crore)

Change in Interest Rate	**ALM Policy Limit for EaR**	**Earnings at Risk (EaR) 25.03.2011 Up to 1 year**	**Up to 5 years**
0.25% change	148.05 (5% of NII of previous year)	5.90	4.26
0.50% change	296.10 (10% of NII of previous year)	11.79	8.52
0.75% change	444.15 (15% of NII of previous year)	17.69	12.78
1.00% change	444.15 (15% of NII of previous year)	23.58	17.05

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**25.03.2011**
Modified Duration Gap (DGAP)	1.03%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.50%
Modified Duration Equity (MDE)	9.92%
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	19.85 %

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भार ा के राष्ट्रपि ा

1 हम ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 31 मार्च 2011 ाक के संलग्न ुलन-पत्र, उसके अनुबंध में दिए गए 31 मार्च 2011 को समाप्ा वर्ष के लाभ व हानि खा ो और नक़दी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षि ा 20 शाखाओं और 43 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षि ा 6 विदेशी शाखाओं सहि ा 1786 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा ाथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षि ा शाखाओं का चयन बैंक ने भार ाीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। ुलन-पत्र और लाभ व हानि खा ाों में अ-लेखा परीक्षि ा 407 शाखाओं / केन्द्रों से प्राप्ा विवरण सम्मिलि ा हैं । इन अ-लेखा परीक्षि ा शाखाओं द्वारा अग्रिम के 0.58%, जमाओं के 2.98%, ब्याज आय के 1.62% और ब्याज व्यय के 1.34% का अंशदान है । इन वि ाीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन पर है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वि ाीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देना ही हमारी जिम्मेदारी है।

2 हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भार ा में सामान्य ा: स्वीकृ ा लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अं ार्ग ा यह अपेक्षा की जा ाी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें और निष्पादि ा करें कि हम समुचि ा रूप से इस बारे में आश्वस् ा हो जायें कि वि ाीय विवरणों में विषय-वस् ाु संबंधी कोई गल ा जानकारी नहीं दी गई है। लेखा परीक्षा के अं ार्ग ा वि ाीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बा ाों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण के ाौर पर जांच की जा ाी है। लेखा परीक्षा के अं ार्ग ा प्रबंध- ांत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान् ाों ाथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण ाथा प्रस् ाु ा किये गये समग्र वि ाीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जा ाा है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिम ा के लिए उचि ा आधार है।

3 ुलन-पत्र और लाभ-हानि खा ो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की ृ ाीय अनुसूची के फार्म "ए" और फार्म "बी" में ैयार किए गए हैं।

4. पुन: संरचि ा खा ाों, कारोबार अनुपा ा, आस्ि ायों व देय ााओं के परिपक्व ाा पैटर्न , संवेदनशील प्रवर्गों को ऋण जोखिम के संबन्ध में सूचना के सिलसिले में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं- 4.2, 5, 6 ,और 7 में दिए गए अ ािरिक्त प्रकटन, बैंक द्वारा

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Indian Overseas Bank as at 31st March 2011, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement of the Bank for the year ended 31st March 2011 annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches and 43 Regional Offices audited by us and 1786 branches including 6 Overseas Branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss Account are the returns from 407 branches / centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.58 % of advances, 2.98 % of deposits, 1.62 % of interest income and 1.34% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examination on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. The additional disclosures made in Note No. 4.2, 5, 6 and 7 to the Notes on Accounts (Schedule 18) with regard to information in respect of Restructured Accounts, Business Ratios, Maturity Pattern of Assets and Liabilities and Exposure to Sensitive Sectors,

प्रमाणि ा सूचना / रिकॉर्ड पर आधारि ा हैं और उन पर हम ने विश्वास किया है।

5. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अं ारण) अधिनियम 1970 के अनुसार और बशर्ते कि उक्त ा परिच्छेद 1 में दर्शाये गये लेखापरीक्षा की परिसीमा, और इसमें आवश्यक प्रकटन की सीमाओं को ध्यान में रख ो हुए हम निम्नव ाानुसार रिपोर्ट कर ो हैं :

क) हमारी राय और हमारी अधिक ाम जानकारी के अनुसार ाथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और भार ा में सामान्य ा: स्वीकृ ा लेखाकरण सिद्धां ाों के अनुरूप अनुरक्षि ा बैंक की लेखा बहियों में दर्शाये गये अनुसार :

i) यह ाुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है और उसमें आवश्यक जानकारी शामिल है ाथा इस प्रकार उचि ा रूप से ौयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2011 की स्थिि ा के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास ाविक चित्र प्रदर्शि ा हो ाा है ।

ii. लाभ व हानि खा ाा 31 मार्च 2011 को समाप ा वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शा ाा है और

iii. नकदी प्रवाह विवरणी, 31 मार्च, 2011को समाप ा वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचि ा चित्र दर्शा ाा है।

ख) हमने अपनी अधिक ाम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हे ाु सभी जानकारी ाथा स्पष्टीकरण प्राप ा किये हैं और उन्हें सं ाोषजनक पाया है ।

ग) बैंक के जो लेनदेन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अं ार्ग ा ही हैं।

घ) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप ा विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप ा पायी गयी हैं।

6. हमारी राय को पात्र ाा नहीं दे ो हुए, हमने निम्नलिखि ा की और ध्यान दे ो हैं :

अ. सामान्य ा: स्वीकृ ा लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार रु.246.52 करोड की संपूर्ण कमी को बट्टे खा ो में डालने के बजाय भार ाीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुम ा अनुसार एक बैंक की विशिष्ट आस्ि ायों और देय ााओं के अधिग्रहण से उ पन्न एक ािहाई कमी, जो कि रु.82.17 करोड है , को बट्टे खा ो में डाला जाए, जिसका कि खा ाों (पिछले वर्ष रु.82.17 करोड़) से जुडी टिप्पणियों की टिप्पणी सं.9 में उल्लेख है।

respectively are based on the records/information as certified by the Bank and relied upon by us.

5. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and subject to the limitation of the audit indicated in Paragraph 1 above and also to the limitation of disclosure required therein we report as under :

a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank maintained in accordance with generally accepted Accounting Principles in India.

i) The Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2011;

ii) The Profit and Loss Account shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2011 and

iii) The Cash Flows Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31st March 2011.

b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.

c) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to :

a) Note No 9 to the Financial Statements regarding the write off of Rs.82.17 crore during the year (previous year Rs.82.17 crore) being one third of the deficit arising on the take over of the specific assets and liabilities of a bank in the previous year amounting to Rs.246.52 crore

आ. और उस वर्ष पूरी कमियों के बट्टे खाते में डालने के प्रति रु 82.17 करोड़ का शेष अगले वर्ष जारी रखा जाए ।

इ. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पेंशन विकल्प प्राप्त होने और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी होने से - विवेकसम्मत नियामक कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कर्मचारी लाभ संबंधी लेखा मानक (ए एस) 15 के लागू होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डी बी ओ डी बी पी सी / 80 / 21.04.018/2010 - 11 के माध्यम से दी गयी छूट के अनुपालन में वित्तीय विवरणी की टिप्पणी सं 10 जो पेंशन का आस्थगन और रु 804.17 करोड़ की सीमा तक बैंक की ग्रेच्युटी देयताओं का वर्णन करता है ।

b) And carry over of balance of Rs.82.17 crore to next year as against the writing off the entire deficit in that year; and

c) Note No.10 to the Financial Statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of Rs.804.17 crore pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from the application of the Provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its Circular No.DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement of Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

कृ ो वर्मा ऐण्ड वर्मा सनदी लेखाकारगण एफआरएन 004532एस	कृ ो पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सं ाानम सनदी लेखाकारगण एफआरएन 003990एस	कृ ो भास्करन ऐण्ड रमेश सनदी लेखाकारगण एफआरएन 000462एस
(के.एम.सुकुमारन) साझेदार स.सं.015707	(एस.राजेश्वरी) साझेदार स.सं.024105	(ए. भास्करन) साझेदार स.सं.021948
कृ ो एम भास्कर राव ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण एफआरएन 00459एस	कृ ो मित्तल गु ाा एण्ड कं. सनदी लेखाकारगण एफआरएन 001874सी	कृ ो एस आर मोहन ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण एफआरएन 002111एस
(के.आर.र नम) साझेदार स.सं.002316	(अक्षय के गु ाा) साझेदार स.सं.070744	(कोदंड राम गु ाा टी.एन.) साझेदार स.सं.018868

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 02.05.2011

For Varma & Varma Chartered Accountants FRN 004532S	For PKF Sridhar & Santhanam Chartered Accountants FRN 003990S	For Bhaskaran & Ramesh Chartered Accountants FRN 000462S
(K.M.SUKUMARAN) Partner M.No.015707	(S.RAJESHWARI) Partner M.No.024105	(A.BHASKARAN) Partner M.No.021948
For M Bhaskara Rao & Co Chartered Accountants FRN 000459S	For Mittal Gupta & Co Chartered Accountants FRN 001874C	For S R Mohan & Co Chartered Accountants FRN 002111S
(K.R.RATNAM) Partner M. No.002316	(AKSHAY K GUPTA) Partner M.No.070744	(KODANDA RAMAGUPTA T.N.) Partner M.No.018868

Place: Chennai
Date: 02.05.2011

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक — Indian Overseas Bank

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002 — Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

शेयरधारकों को अनुदेश : अ ि आवश्यक व ा काल

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अं ारण) और वि ीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006, से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अं ारण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखि ानुसार एक नई धारा 10 (बी) जोड दी है :

   - **यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश की घोषणा की ारीख से 30 दिनों की समाि ा से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया है ो बैंक के लाभांश चालू खा ो में जमा ऐसी रकम को अलग से "वर्ष ----के लिए आइओबी का अद ा लाभांश खा ा" शीर्षक रूपी एक अलग खा ो में अं ारि ा कर दिया जाए।**
   - **अद ा लाभांश खा ो में अं ारि ा की गयी कोई भी रकम अं ारण की ारीख से सा ा वर्षों की अवधि के लिए अद ा या अदावाकृ ा रह ी है ो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1) (सी) के ह ा स्थापि ा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) को अं ारि ा किया जाना है।**

   अ ा: वि ीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वि ीय वर्ष 2003-04 के लिए अं ारिम/अं िम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 ,2008-09 और 2009-10 के लिए अं ारिम अं िम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (ओं) जैसे ब्योरों सहि ा निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

2. पब्लिक इश्यू 2000 और अनुव ीं एवं पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्रा ा न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, ो आवेदन संख्या सहि ा निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

3. इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा प ो, बैंक खा ो में परिव िन इ यादि **<u>जैसे अधिदेशि ा विवरणों में परिव िन के लिए संबंधि ा डी पी को संपर्क करना है, न कि रजिस्ट्रार से।</u>** कृपया नोट कर लें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 05.07.2011 ाक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो ो उस अधिदेशि ा खा ो में जमा करेगा) भेजेगा ।

4. **<u>फोलियो का समेकन</u> :** यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्था ा बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं । शेयरधारकों को उ ाम सेवा प्रदान करने हे ु हम शेयरधारकों से अनुरोध कर ो हैं कि वे फोलियो के समेकन हे ु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को हमारे रजिस्ट्रार को एवं शेयर अं ारण एजेन्ट्स को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हे ु भेज दें ।

Instruction to Shareholder : Most Urgent and Immediate

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfers of Undertaking) and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006, Which has come in to force on 16 10 2006 has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquistion and Transfer of Undertakings) Act, 1970 Which provides as Under :

   - **Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration , if any shareholder has not encashed / Claimed the dividend , Such amount lying in the bank dividend Current Account , Shall be Transferred to a separate account styled " Unpaid Dividend account of IOB for the year ______"**
   - **Any money transferred to the Unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer , shall be transferred to the investor education and protection fund (IEPF) Established under section 205(1)(C) of the companies act , 1956.**

   Hence the Shareholder Who have not received / encashed the dividend for financial years 2000 – 01, 2001-02, 2002 – 03 Interim / Final Dividend 2003 – 04, Interim Final Dividend 2004 -05, 2005 -06, 2006 -07, 2007 -08, 2008 -09 and for the year 2009 -10 are requested to send their claim along with detail of folio No.(s) to Investor Relations Cell , Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund order in respect of our public issue 2000 and follow on public issue 2003 along with application number to investor relations cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai , Chennai – 600 002.

3. **The Shareholder & who are holding shares in Electronic Form have to approach Only the DP concerned and <u>not the registrar for any change in the mandated particulars like change of address , Bank Account ,</u> etc.,.** Please note that the Registrar Would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) Based on the particulars furnished by DP to the registrar as on 05.07.2011

4. **Consolidation of Folios** : It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to Provide efficient service to shareholders , we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certififcates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary correction in their records.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरि ा किए जाने के लिए)

पंजीकृ ा फोलियों सं- (यदि बेकागज़ीकृ ा न हो)
डीपी आइडी सं : ग्राहक आइडी सं :

मैं/हम, ...निवासी ....जिला ....राज्य ....इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के ना ो ए ाद्द्वारा श्री/श्रीम ी ....निवासी... जिला .... राज्य .... को, मंगलवार दिनांक 12 जुलाई 2011 को नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314, टी टी के रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधि ा कोई अन्य स्थगन हो ाो उसमें मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर ाा/कर ाी हूँ/कर ो हैं ।

वर्ष 2011 के .... माह के .... दिन हस्ताक्षरि ा

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

नाम ....

प ाा ....

....

....

रु.1/- का राजस्व टिकट चिपकाएँ

प्रथम नामि ा / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

उपस्थि ा पर्ची सह प्रवेश पास

(कृपया इस उपस्थि ा पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौंप दें)

शेयरधारक का नाम व प ाा ....
....
....

धारि ा शेयरों की संख्या : .... पंजीकृ ा फोलियो सं ....
(यदि बेकागज़ीकृ ा न हो)

डीपी आइडी सं .... ग्राहक आइडी सं : ....
(यदि बेकागज़ीकृ ा है ाो)

मैं 12 जुलाई 2011 को सुबह 10.00 बजे, नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्द हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में आयोजि ा बैंक की 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थि ा दर्ज कर ाा/ कर ाी हूँ ।

(शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्र ािनिधि के हस्ताक्षर)

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai , Chennai – 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No . (if not Dematerialised)	
D P Id No. Cl. Id No.	

I/We, ... resident of .... in the District of ....in the State...,being a Shareholder / Shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri / Smt .... resident of ....in the district of .... in the state of ....as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 11th Annual General Meeting of the Shareholder of Indian Overseas Bank to be held on Tuesday, 12th July 2011 at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai – 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this....................day of 2011

....

(signature of the proxy)

Name ....

Address ....

....

....

Please affix Re. 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named / sole holder

ATTENDANCE SLIP – CUM – ENTRY PASS

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the Shareholder ....

....

No of Shares held :.. Regd Folio No : ....

(If not dematerialised)

DP ID No : .... Client ID No : ....

(If dematerialised)

I here by record my presence at the 11th Annual General Meeting of the Bank held on 12th July 2011 at 10.00 AM at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314, TTK Road , Chennai – 600 018

_ _

(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
डिपॉज़िटरी सेवाएँ

नई सं. 47 (पुरानी सं. 22), हॉल्स रोड़,
एगमोर, चेन्नै 600 008
फोन : 28193617/3618, फैक्स : 28193619, ईमेल - deposit@chemsco.iobnet.co.in

अपने शेयरों को अमू ीकृ ा रूप में (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) रखें

अपने शेयरों को डीमैट क्यों करें?

- ★ चूँकि शेयर इलेक्ट्रनिक फॉर्म में हैं, अ ा: कोई हानि, चोरी या नुकसान नहीं
- ★ किसी प्रकार की देरी एवं स्टाम्प शुल्क के बिना शेयरों का अं ारण
- ★ लाभांश/ब्याज बैंक खा ो में सीधे जमा किया जा सकेगा
- ★ बोनस/राइट्स शेयर आपके डीमेट खा ो में सीधे जमा हो जाएंगे
- ★ यदि डीमेट खा ो में परिव ान किया गया है ाो सभी कंपनियों को प ो एवं बैंक विवरण में हुए परिव ान की सूचना स्व ा: मिल जाएगी
- ★ डीमेट खा ो में शेयरों के प्र येक नामे/जमा की सूचना पाने हे ु एसएमएस एलर्ट की सुविधा उपलब्ध
- ★ खा ाा धारक की मृ यु होने पर, यदि नामांकन का विकल्प लिया गया हो ाो बिना किसी प्रकार की अड़चन के नामि ाी के डीमेट खा ो में शेयरों के अं ारण
- ★ पोर्टफोलियो के मूल्य में अनुकूल परिव ान होने पर प्रि ादिन एसएमएस अलर्ट प्रा ा करना
- ★ आप बिना शुल्क इन्टरनेट (आइडियाज) के जरिए अपना खा ाा देख सक ो हैं
- ★ लेनदेनों/धारि ााओं के मासिक/ि ामाही विवरण प्रा ा करना

विद्यमान अमूर्ि ाकृ ा खा ााधारकों द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु :

- ★ यदि खा ो को अवरुद्ध/स्थगि ा किया गया है ाो सभी खा ाा धारकों के पैन विवरण की प्रस् ाुि ा को सुनिश्चि ा किया जाए। **अवरुद्ध किए गए ऐसे शेयरों को आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्क किए जाने की संभावना है।**
- ★ यदि पहले नामांकन के विकल्प का प्रयोग न किया गया हो, ाो नामांकन का विकल्प प्रयोग कर लें।
- ★ मुफ ा में एसएमएस एलर्ट सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएँ।
- ★ **अपने मासिक / त्रैमासिक विवरणों को ईमेल द्वारा प्रा ा करने के लिए अपनी मेल आइ डी उपलब्ध कराएँ।**
- ★ प्र येक ग्राहक को लेनदेनों/धारि ााओं का विवरण प्रा ा करने का अधिकार है:
  मासिक - यदि संबंधि ा महीने में कम-से-कम एक लेनदेन किया गया हो।
  ि ामाही - यदि ि ामाही के दौरान एक भी लेनदेन न किया गया हो।
- ★ यदि लाभांश/ब्याज/वापसी आदेश ईसीएस के जरिए सीधे जमा न किया गया हो (जहाँ लागू हो), ाो कृपया यह सुनिश्चि ा करें कि डीमेट खा ो में शाखा का सही एमआइसीआर कोड उपलब्ध है।
- ★ अब सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची किसी भी सेवा केन्द्र पर पेश की जा सक ाी है।

एएसबीए सुविधा की उपलब्ध ाा :

- ★ हम ने अपने बैंक में **ब्लॉक रकम द्वारा समर्थि ा अप्लिकेशन (असबा)** की शुरूआ ा की है।
- ★ आइपीओ / एफपीओ के लिए निर्बाध निवेश हे ु कृपया इस सुविधा का उपयोग करें और अपने बैंक खा ाों में जमाओं पर ब्याज अर्जि ा कर ो रहें।

INDIAN OVERSEAS BANK
DEPOSITORY SERVICES

New No.47 (Old No.22), Halls Road,
Egmore, Chennai 600 008
Phone 28193617/3618, Fax – 28193619, E-Mail: deposit@chemsco.iobnet.co.in

KEEP YOUR SHARES IN DEMATERIALISED FORM (ELECTRONIC FORM)

WHY TO DEMAT YOUR SHARES

- ★ No loss, theft or damage to the shares as they are in electronic form
- ★ Transfer of Shares without any delay and stamp duty
- ★ Dividend/Interest can be credited to the bank account directly
- ★ Bonus/Rights shares get credited to your demat account directly
- ★ Change of Address/Bank particulars are communicated to all companies automatically if the change is effected in the demat account
- ★ Facility available to get SMS alert for each debit / credit of shares in the demat account
- ★ Opting for Nomination ensures hassle-free transfer of shares to the demat account of Nominee in the event of death of account holder
- ★ Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- ★ You can view your account through internet (IDeAS) free of charge
- ★ Receive Monthly / Quarterly statement of Transactions / Holdings

POINTS TO BE NOTED BY EXISTING DEMAT ACCOUNT HOLDERS :

- ★ Ensure to submit PAN particulars of all account holders if the status of account is blocked / suspended. **There is a possibility that the shares held in such blocked account are liable to be attached by Income-Tax Authorities**
- ★ Opt for Nomination, if not already opted
- ★ Provide your Mobile number to get SMS alert facility FREE OF COST
- ★ **Furnish your mail id to us to receive your monthly/quarterly statements by email**
- ★ Each client is entitled to receive statement of transactions / holdings:

  Monthly – If there is atleast one transaction in the respective month

  Quarterly – If there is no transaction in a quarter
- ★ If Dividends/Interests/Refund Orders are not credited directly through ECS (wherever applicable), please ensure that correct MICR code of the branch is available in the demat account
- ★ Delivery Instruction Slips can now be tendered at any of the Service Centres

Availability of ASBA Facility:

- ★ We have introduced **Application Supported by Blocked Amount (ASBA)** in our Bank.
- ★ Please avail of this facility for hassle-free investing for IPO / FPO and continue to earn interest on your deposits in your Bank Accounts.

प्रेषक : दिनांक: ....

सेवा में
मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
यूनिटः इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग
न.1 क्लब हाउज़ रोड
चेन्नै-600002

प्रिय महोदय,

<u>संदर्भ : नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के ज़रिए लाभांश का भुग ान</u>

प्रथम धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
फोलियो सं.						
शेयरों की संख्या						
बैंक खा ो का प्रकार (कृपया (✔) का निशान लगाएँ)	बच ा खा ा		चालू खा ा		नकदी उधार खा ा	
बैंक खा ा सं.						
बैंक का नाम						
शाखा का नाम						
आइएफएससी कोड *						
बैंक का पूरा पता						
बैंक द्वारा जारी एमआइसीआर चेक पर दिखाई दे रही बैंक एवं शाखा की 9 अंक की कोड संख्या (कृपया कोड की यथार्थ ा के स यापन के लिए अपने उक ा खा ो से संबंधि ा अपने बैंक द्वारा जारी कोरे निरस ा चेक या चेक की छायाप्रि ा संलग्न करें)						

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा जब भी इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा कार्यान्वि ा की जाएगी, ाब मुझको लाभांश की अदायगी हेतु मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए सहम ा हूँ।

मैं ए ाद्द्वारा घोषणा कर ाा/कर ाी हूँ कि दिया गया उक्त विवरण सही एवं पूर्ण है। अधूरी एवं गलत जानकारी के कारण यदि लेन-देन में देरी होती है या लेन - देन पूरा नहीं हो पाता, ाो मैं **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक/रजिस्ट्रार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी ।** न. साथ ही, अपने बैंक, शाखा एवं खा ा सं. में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना **रजिस्ट्रार/इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को** देने का मैं वचन दे ाा / दे ाी हूँ।

* अपनी शाखा से प्राप ा करें

(प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस ाक्षर)

From :

Date : ....

To:
M/s.Cameo Corporate Services Limited
Unit : INDIAN OVERSEAS BANK
'Subramanian Building '
No.1 Club House Road
Chennai – 600002

Dear Sir(s),

Ref: PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES (NECS)

Name of First Holder (In Block Letter)						
Folio No.						
No of shares						
Bank A/c Type [Please tick (√)]	Savings A/c		Current A/c		Cash Credit A/c	
Bank Account Number						
Name of the Bank						
Branch Name						
IFSC Code *						
Full Address of the Bank						
9– Digit Code number of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code.						

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete . If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank / Registrar responsible .**

I further undertake to inform the **registrar / Indian Overseas bank** any change in my Bank , Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole shareholder)

हमारे रिटेल उ पादों की एक झलक

एस बी स्टूडेंट :

- ❑ 16 साल की आयु से छात्रों के लिए
- ❑ न्यून म शेष रु.500/-
- ❑ नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण
- ❑ मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- ❑ खा ो में सभी लेन-देनों के लिए एसएमएस एलर्ट
- ❑ नि:शुल्क बहु-उद्देशीय कार्ड (एटीएम, पीओएस और ईकॉम में परिचालनीय)
- ❑ नि:शुल्क स्थाई अनुदेश
- ❑ रु. 1 लाख के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना कवर
- ❑ नि:शुल्क चेक बुक (प्रि ा वर्ष 60 पन्ने)

एस बी प्लैटिनम :

- ❑ न्यून म शेष रु.750/-
- ❑ नि:शुल्क चेक बुक (75 पन्ने)
- ❑ नि:शुल्क अं ार राष्ट्रीय वीज़ा डेबिट कार्ड
- ❑ नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- ❑ नि:शुल्क एसएमएस एलर्ट
- ❑ रु. 75000/- के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना कवर
- ❑ आरटीजीएस / नेफ्ट के ज़रिए निधियों का अं ारण (प्रभारों पर 75% रियाय ा)
- ❑ सीबीएस शाखाओं में कहीं भी बैंकिंग सुविधा
- ❑ एएसबीए सुविधा उपलब्ध

एसबी कार्पोरेट वे ान खा ाा:

- ❑ शून्य शेष खा ाा
- ❑ प्रवि वर्ष नि:शुल्क 60 चेक पन्ने
- ❑ नि:शुल्क आइओबी अं ार राष्ट्रीय वीज़ा डेबिट कार्ड
- ❑ खा ो में सभी लेन-देनों के लिए एसएमएस एलर्ट
- ❑ एटीएम से प्रि ादिन रु.50,000/- ाक की निकासी सुविधा
- ❑ नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
- ❑ नि:शुल्क मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- ❑ नि:शुल्क आरटीजीएस / नेफ्ट सुविधाएँ
- ❑ रु. 1 लाख के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना कवर
- ❑ ओवर ड्राफ्ट सुविधा * और कई अन्य सुविधाएँ

सीडी सुप्रीम :

- ❑ न्यून म शेष रु.7500/-
- ❑ नि:शुल्क डेबिट कार्ड
- ❑ नि:शुल्क चेक पन्ने
- ❑ नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग

* बैंक की सं ाुष्टि की श ार्ि पर

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

SB STUDENT:

- ❑ For the Students from 16 years of age
- ❑ Minimum Balance Rs 500/-
- ❑ Free Internet Banking Registration
- ❑ Mobile Banking Facility
- ❑ SMS Alerts for all transactions in the account
- ❑ Free Multipurpose Card (to operate in ATM, POS & ECOM)
- ❑ Free Standing Instructions
- ❑ Free Personal Accident Cover for 1 Lac
- ❑ Free Cheque Book (60 leaves per annum)

SB PLATINUM:

- ❑ Minimum Balance Rs.750/-
- ❑ Free cheque book (75 leaves)
- ❑ Free International VISA Debit Card
- ❑ Free Internet banking and mobile banking facility
- ❑ Free SMS Alerts
- ❑ Free Personal Accident Insurance cover of Rs.75000/-
- ❑ Transfer of funds through RTGS/NEFT (75% concession on charges)
- ❑ Anywhere banking in CBS branches
- ❑ ASBA facility available

SB CORPORATE SALARY ACCOUNT:

- ❑ Zero Balance Account
- ❑ Free 60 Cheque Leaves per annum
- ❑ Free IOB International VISA Debit Card
- ❑ SMS Alerts for all transactions in the account
- ❑ Withdrawal up to Rs 50,000 per Day in ATMs
- ❑ Free Internet Banking Facility
- ❑ Free Mobile Banking Facility
- ❑ Free RTGS/NEFT Facilities
- ❑ Free Personal Accident Cover for Rs 1 Lac
- ❑ Over Draft Facility* & much more

CD SUPREME:

- ❑ Minimum Balance Rs.7500/-
- ❑ Free Debit Card
- ❑ Free Cheque Leaves
- ❑ Free Internet Banking

* Subject to Bank's satisfaction

- आरटीजीएस / नेफ्ट पर 75% रियाय
- किसी भी शाखा से सीबीएस लेन-देनों के ह रु.50,000/- क नि:शुल्क नकद आहरण
- स्वर्ण सिक्कों की खरीद पर रियाय (एक दिन में 76 ग्राम की न्यून म खरीदी पर प्रि ग्राम रु.7.50 की रियाय)
- एएसबीए सुविधा उपलब्ध

शुभ गृह :

- निवासी व्यक्ि यों के लिए रु.500 लाख क आवास वि योजना
- मार्जिन - 20% । नये / पुराने घरों / फ्लाटों की खरीद / निर्माण के लिए 20 वर्षों में चुकाये जाने वाले
- निर्माण के लिए 18 महीनों और खरीद के लिए 3 महीनों की अवकाश अवधि
- ब्याज दर ऋण के आकार और चुक ान अवधि पर आधारि है
- प्रि भूि - घर का बंधक

पुष्पक

- नये और पुराने वाहन - कार और दुपहिया - दोनों के लिए ही वि योजना
- नयी कार और नये दुपहिया वाहन के लिए लाग का 90% और वाहन के दृष्टिबंधन के प्रि वि पोषि पुरानी कार के बाजार मूल्य का 75%
- पुरानी कार के लिए उच्च र ऋण रकम पर विचार मामले-दर-मामले पर आधारि
- चुक ान अवधि - नयी कार के लिए 60 ईएमआइ और पुरानी के लिए 36 ईएमआइ

आइओबी जीवन :

- आइओबी के सभी खा धारकों के लिए एलआईसी के सहयोग से समूह बीमा योजना
- प्राकृ िक मृ यु के मामले में रु. 1 लाख के लिए व दुर्घटनावश मृ यु के मामले में रु. 2 लाख के लिए लाइफ कवर
- हर वर्ष नवीकरणीय
- कोई मेडिकल जाँच नहीं
- संयुक खा ों के सदस्यों को एकल रूप से कवर किया जा सक है

- 75% concession on NEFT/RTGS
- Free Cash withdrawal up to Rs. 50,000/- under CBS transactions from any Branch
- Concession on Gold Coin purchase (Rs. 7.50 per Gram on minimum purchase of 76 gms in a day)
- ASBA facility available

SUBHA GRUHA:

- Housing Finance scheme for resident individuals up to Rs.500 Lakhs
- Margin-20%. Repayable in 20 years for purchase/construction of new/old houses / flats
- Holiday period–up to 18 months for construction and 3 months for purchase
- Interest rate depends on the size of the loan and repayment period
- Security - Mortgage of house

PUSHPAKA:

- Finance scheme for purchase of new as well as used car and 2-wheeler
- 90% of cost of new car and two-wheeler and 75% of market value of used car financed against hypothecation of vehicle
- Higher amount of loan for used car considered on case to case basis
- Repayment - 60 EMI for new cars and 36 EMIs for used cars

IOB JEEVAN:

- Group Insurance Scheme in association with LIC for all account holders of IOB
- Life Cover for Rs. 1 lakh (Natural Death) and Rs. 2 lakh (Accidental Death)
- Every year renewable
- No medical Examination
- Members of joint accounts can be covered individually

आइओबी स्वर्ण सिक्के :

- 999.9 की शुद्ध ा
- 24 कैरट
- पीएएमपी प्रमाणित
- टैंपर प्रूफ
- स्विट्ज़रलैंड से आयाि ा
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य
- 2,4,8,20,50 और 100 ग्रामों में उपलब्ध

आइओबी सीए :

- सनदी लेखाकारों की व्यावसायिक ऋण ज़रूर ों को पूरा करने के लिए एक रिटेल उ पाद
- प्रवर्ग के आधार पर ऋण की प्रमात्रा रु.10 लाख से रु.125 लाख ाक
- निय ा आसि ायों / कार के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यकारी पूँजी के लिए नकदी उधार के रूप में उपलब्ध
- ईएमआइ के द्वारा चुक ाान की अधिक ाम अवधि 10 वर्ष (अधिस्थगन अवधि सहि ा)

आइओबी शहरी बागबानी:

- लघु उद्यान, पुष्प उद्यान, छ ा उद्यान आदि लगाने के लिए व्यकि ायों / संस्थाओं को ऋण
- व्यकि ायों के लिए रु. 1 लाख ाक और संस्थाओं के लिए रु. 10 लाख ाक का ऋण
- व्यकि ायों के लिए 24 ईएमआई और संस्थाओं के लिए 30 ईएमआई में चुक ाान
- प्र ास्पर्धा मक ब्याज दरें

विवरण के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें ।

IOB GOLD COINS:

- 999.9 Purity
- 24 carat
- PAMP certified
- Tamper Proof
- Imported from Switzerland
- Competitive Pricing
- Available in 2,4,8,20,50 & 100 Gms

IOB CA:

- A retail product to meet the professional credit requirements of Chartered Accountants
- Quantum from Rs.10 Lacs to Rs. 125 Lacs depending on the category
- Available as Term Loan for Fixed Assets/Car & Cash Credit for Working Capital
- Maximum of 10 years by EMI (including Moratorium period)

IOB URBAN HORTICULTURE:

- For Individuals/Institutions to raise Kitchen Gardens, Flower Gardens, Roof Gardens etc
- Loan up to Rs.1Lac (individuals) & up to Rs. 10 Lacs (Institutions)
- Repayment up to 24 EMIs for Individuals & 30 EMIs for Institutions
- Competitive Interest Rate

FOR DETAILS CONTACT OUR NEAREST BRANCH

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002